

गद्य विविधा

संपादक
रघुवर श्रियाल



राजकमल प्रकाशन
दिल्ली पटना

क्रम

सपादकीय हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा

५

✓ १	लुलिन निवध		
✓ २	शिरोष के फूल	आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी	२३
✓ ३	प्रभुत्व-ज्वर अस्पताल	विद्यानिवास मिश्र	२८
✓ ४	हिप्पियो का हैवन'—वाराणसी	शिवप्रसाद सिंह	३६
✓ ५	हास्य-व्यंग्य		
✓ ६	ठिठुरता हुआ गणतंत्र	हरिशंकर परसाई	४३
	शिकार		
५	दक्षिणी सबलगढ़ का घायल शेर	भगवतीशरण सिंह	४८
	रिपोर्ताज तथा यात्रा		
६	फलकत्ता कितना अमीर, कितना गरीब	सिद्धेश	५८
७	मानसरोवर की लहरों में	हरिवंश वेदालंकार	६६
	राजस्थानी साहित्य, कला एवं संस्कृति		
८	राजस्थानी कला और साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा	अगरचंद नाहटा	७४
	संस्मरण		
९	संघनी साहु	महादेवी वर्मा	८०
✓ १०	एक जो चली गयी	गोपालदास	८६
	आत्मकथा		
११	याद रहा उचपन	हरिवंशराय बच्चन	१०६
	एकांकी तथा रेडियो-रूपक		
१२	समानांतर रेखाएँ	सत्येंद्र शरत	११३
१३	ममता का विध	विष्णु प्रभाकर	१३०

४ / गद्य विविधा

विज्ञान सबधी

- १४ परमाणु युग का अभिशाप रेडियोधर्मी
प्रदूषण डॉ० उमावात सिन्हा १४६
- १५ श्लाड मे जीवन की खोज एन० कैसर १५२
- आर्थिक लेख
- १६ वर्तमान युग और गाधीवादो आर्थिक
विचारधारा श्रीमन्नारायण १५६
१७. गरीबी और आयोजन डॉ० के० एन० राज १७१
- हिंदी साहित्य का गौरव-बोधक
- १८ हिंदी-साहित्य और उसका
वैशिष्ट्य डा० श्यामसुंदर दास १८३
- राष्ट्रभाषा-सबधी
- २/१९. राष्ट्रभाषा हिंदी और राष्ट्रीय
एकता लक्ष्मीनारायण सुधाशु १८६
- परिशिष्ट १९४

हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा

यद्यपि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत प्राचीन है, तथापि गद्य रचना का सूत्रपात आज से केवल सौ-सवा-सौ वर्ष पूर्व हुआ। हिंदी गद्य से हमारा तात्पर्य यहाँ खड़ीबोली में लिखे गये गद्य से है। राष्ट्रीय जागरण के समय विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक सबल और सशक्त माध्यम की आवश्यकता अनुभव की गयी। खड़ी बोली के गद्य ने इस आवश्यकता की पूर्ति की। १९वीं शताब्दी से पूर्व हिंदी गद्य के तीन रूप उपलब्ध होते हैं—राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य तथा खड़ीबोली गद्य।

कुछ विद्वान् राजस्थानी गद्य का प्रारंभ १०वीं शती ईसवी से ही मानते हैं। इसका रूप दानपत्रों, धार्मिक उपदेशों, टीकाओं, अनुवाद-ग्रंथों आदि में सुरक्षित है।

ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप स० १४०० के लगभग गोरखपथी साहित्य में प्रयुक्त गद्य के रूप में मिलता है। इस गद्य का विषय हठयोग और ब्रह्मज्ञान है। गोरखपथ का यह ब्रजभाषा गद्य ही हिंदी गद्य का आदिरूप है, किंतु प्रक्षिप्त अशो की अधिकता से उसके मौलिक रूप का उद्घाटन प्रायः असंभव-सा हो गया है। १७वीं शताब्दी विक्रमी में गोसाईं गोकुलनाथ द्वारा प्रणीत 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' तथा 'दो सौ वाचन वैष्णवन की वार्ता' आदि में बोलचाल की ब्रजभाषा का रूप पाया जाता है। ये दोनों ग्रंथ ब्रजभाषा गद्य की विकास-यात्रा के महत्त्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। इन वार्ताओं की शैली पूर्ण रूप से व्यावहारिक है और इनमें प्रयुक्त गद्य परिष्कृत व व्यवस्थित है। लेकिन यह गद्य धार्मिक उद्देश्य से लिखा गया है। अतः इसमें साहित्यिकता का अभाव है। इससे पश्चात् ब्रजभाषा गद्य में अनेक मौलिक एवं अनूदित ग्रंथों तथा टीकाओं की रचना हुई।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों ने खड़ीबोली गद्य का प्रारंभ अकबरी दरबार के कवि गंग से माना है। गंग की एक रचना है—'चंद्र छंद धरनन महिमा'। आगे चलकर सवत् १७९८ में रचित 'भाषा योग वासिष्ठ' खड़ीबोली गद्य का एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है।

आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय चार महानुभावों को है। इन चारों में से मुशी सदासुखलाल और इशा अल्ला खाँ ने स्वांत सुखाय तथा लल्लूलाल एव सदल मिथ्र ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की छत्रछाया में अंग्रेज़ों की प्रेरणा से खड़ीबोली गद्य का प्रणयन किया।

मुशी सदासुखलाल ने स्वतंत्र प्रेरणा से 'सुखसागर' की रचना की। चारों लेखकों में इनकी भाषा-शैली सर्वोत्तम और परिष्कृत है। आपने रचना के लिए उन दिनों की हिंदुओं की भाषा को ही अपनाया। मुशीजी फारसी-अरबी के अच्छे विद्वान् होते हुए भी भाषा की शुद्धता के पक्षधर थे। संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग द्वारा उन्होंने भविष्य की भाषा का एक सामान्य स्वरूप-निर्धारण कर दिया था।

इशा अल्ला खाँ द्वारा रचित 'उदयभान चरित' या 'रानी केतकी की कहानी' (सं० १८५५ और १८६० के बीच) एक प्रसिद्ध पुस्तक है। न तो ये 'उर्दू-ए-मुल्ला' के पक्षपाती थे और न संस्कृतनिष्ठ हिंदी के। उक्त रचना की सबसे बड़ी विशेषता विषय की नवीनता और मौलिकता है। उनकी शैली में चटक-मटक और मुहावरों की अधिकता है।

लल्लूलाल फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी-उर्दू के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कम्पनी के कर्मचारियों को हिंदुस्तानी की शिक्षा देते थे। उपर्युक्त गिलक्राइस्ट साहब के आदेशानुसार लल्लूलाल ने भागवत के दशम स्कंध की कथावस्तु लेकर 'प्रेमसागर' लिखा। 'प्रेमसागर' के अतिरिक्त भी उन्होंने अन्य कई पुस्तकों की रचना की। उनकी भाषा ब्रज-मिश्रित खड़ीबोली है जिसमें अरबी, फारसी आदि विदेशी शब्दों के बहिष्कार की प्रवृत्ति है।

सदल मिथ्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में उसी समय 'नासिकेतो-पाद्यान' लिखा। इस ग्रंथ की भाषा खड़ीबोली होने पर भी ब्रजभाषा और पूर्वी बोली से प्रभावित है। किंतु इन दोनों समकालीन लेखकों की भाषा में पर्याप्त अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा के विषय में सदल मिथ्र लल्लूलाल जी से अधिक सचेत थे।

इस प्रकार सं० १८६० के लगभग उपर्युक्त चारों लेखक हिंदी गद्य के उस रूप को राजा-मंदार रहे थे जिसका भविष्य में एक निश्चित स्थान माना था। इनमें भी मुशी सदासुखलाल की भाषा के आधार पर खड़ी-

वोली का विकास हुआ है। अतः हिंदी गद्य के प्रवर्तक इन चारों महानुभावों में मुशी सदासुखलाल का स्थान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है।

हिंदी के विकास और प्रचार का बहुत कुछ श्रेय धार्मिक आंदोलनों को है। ईसाई मिशनरियों ने व्यवहारोपयोगी भाषा में अपने धर्म ग्रंथों के अनुवाद हिंदी में कराकर जनता में वितरित किये। धर्म-प्रचार के जोश में मिशनरियों ने स्थान-स्थान पर स्कूल खोले, पुस्तकें लिखवायी और उनका प्रचार किया। सन् १८३५ में श्रीरामपुर में, जो इन ईसाई-धर्म-प्रचारकों का केंद्र था, प्रेस की स्थापना की गयी और प्रचारक पत्रिकाएँ निकलनी प्रारंभ हुईं। यह साहित्य मुफ्त में बाँटा जाता था। उनकी उत्कट धर्म-प्रचार भावना के कारण हिंदी की अनेक पुस्तकें घर-घर पहुँच गयीं। इस प्रकार गद्य के विकास में उनका योग नम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

ईसाई धर्म-प्रचारकों के इस त्रियात्मक योग के अलावा सबसे महत्त्वपूर्ण था उसका अप्रत्यक्ष लाभ। इन प्रचारकों की धार्मिक खडन मडन की प्रवृत्ति ने हिंदू समाज में जागृति की लहर पैदा कर दी। परिणाम यह हुआ कि अनेक धर्म-सुधारक समाज उठ खड़े हुए। उनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है राजा राममोहन राय का 'ब्रह्मसमाज'। राममोहन राय ने हिंदू धर्म का नवीन सस्कार कर अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी को ही माध्यम बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा आर्य समाज के सिद्धांतों का विवेचन और प्रचार किया। उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'सत्यार्थप्रकाश' खड़ीबोली गद्य में लिखा। आर्य समाज ने उत्तर भारत के घर-घर में हिंदी का प्रचार किया।

यद्यपि खड़ीबोली गद्य का निश्चित आरंभ १९वीं शती ईसवी के प्रारंभ से ही हो गया था तथापि उसकी अखंड परंपरा सन् १८५७ के स्वतंत्रता-आंदोलन के पश्चात् ही चली। देश-प्रेम की भावना ने जनमानस में अपनेपन के भाव का प्रसार किया और इस प्रकार देश में अपनी भाषा के प्रति अमूर्तपूर्व आकर्षण उत्पन्न हुआ। उस समय गद्य-निर्माण के क्षेत्र में काशी-निवासी राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिंद' और आगरा-निवासी राजा लक्ष्मणसिंह का योग अविस्मरणीय है।

संस्कृतनिष्ठ भाषा लिखने में सक्षम होने पर भी सरस्वती को प्रसन्न करने, हिंदी का गौरवरूपन दूर करने और भाषा में एकरूपता लाने के

लिए राजा शिवप्रसाद ने उर्दू-मिश्रित हिंदी का समर्थन किया। इसके विपरीत राजा लक्ष्मणसिंह ने संस्कृतनिष्ठ वितु बोधगम्य व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग किया। उनकी भाषा का सर्वोत्तम निष्पत्ति रूप उनके द्वारा अनूदित 'शकुंतला' नाटक में है।

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन दोनों शैलियों के मध्य का मार्ग अपनाकर सरल और सुगम हिंदी की प्राण-प्रतिष्ठा की। इस प्रकार भारतेंदु के समय से खड़ीबोली का गद्य राजमार्ग पर आ गया और उसकी विकास-यात्रा के तीन सोपान हैं—भारतेंदु-युग, द्विवेदी-युग और द्विवेदी-उत्तर युग। इन तीन युगों में हिंदी गद्य के विविध रूपों—कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेडियो-रूपक, आलोचना, निबंध, जीवनी, सस्मरण, आत्म-कथा, रिपोर्ताज आदि का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ है।

अब हम एक-एक करके इस सग्रह में समाविष्ट गद्य-रूपों के स्वरूप एवं विकास पर दृष्टिपात करेंगे।

निबंध 'गद्य कवीना निकय बदति' के अनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध गद्य की कसौटी है। वास्तव में गद्य का परिष्कृत रूप निबंध में ही परिलक्षित होता है। 'शैली ही व्यक्तित्व है' इस कथन का प्रमाण निबंध से बढ़कर साहित्य की अन्य कोई विधा नहीं हो सकती। अतः निबंध को गद्य की कसौटी मानना सर्वथा उपयुक्त है।

संस्कृत का शब्द 'निबंध' आधुनिक हिंदी साहित्य में अंग्रेजी 'एस्से' शब्द का पर्यायवाची बन गया है। अंग्रेजी का एस्से एक ऐसी सजा है जिसका व्यवहार अनेक प्रकार की गद्य रचनाओं के लिए हुआ है। हिंदी में भी निबंध शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थों में होता है। निबंध और एस्से दोनों ही शब्द अपने प्राचीन अर्थ को छोड़कर अपने नये अर्थ में प्रयोग में आ रहे हैं। निबंध की परिभाषा के विषय में विद्वानों में विभिन्न मत हैं। उनका यहाँ सविस्तार उल्लेख करना न प्रासंगिक है, न अभीष्ट ही। हाँ, प्रायः सभी लोग आधुनिक निबंध के चार प्रधान तत्त्व स्वीकार करते हैं—प्रतिपाद्य विषय की एकता, लेखक के व्यक्तित्व की छाप, कलात्मकता अर्थात् रमणीय प्रतिपादन-शैली और अनौपचारिकता अथवा आत्मी-

यता का गुण । हिंदी के सुप्रसिद्ध निबन्धकार एव आलोचक गुलाबराय के शब्दों में, "निबन्ध उस गद्य रचना को कहते हैं, जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन अथवा प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक समति और सबद्धता के साथ किया गया हो ।"

निबन्ध की परिभाषा के समान ही विद्वानों में निबन्ध के वर्गीकरण या प्रकार पर मतभेद नहीं है । यदि कुछ समीक्षक निबन्ध के मुख्यतः तीन प्रकार—वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक ही मानते हैं और विवरणात्मक निबन्ध को वर्णनात्मक के ही अंतर्गत स्वीकार करते हैं तो कुछ 'व्यक्तिगत निबन्ध' के नाम से निबन्ध का एक अलग प्रकार भी मानते हैं । कतिपय विद्वानों ने निरूपित विषय और शैली के आधार पर भी निबन्ध के भेद किये हैं, यथा—साहित्यिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आलोचनात्मक, हास्य एव व्यंग्यात्मक । आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो समस्त निबन्धों को विषय-प्रधान और विषयी-प्रधान नामक केवल दो भेदों में ही समाविष्ट कर दिया है । बहने का तात्पर्य यह है कि निबन्ध के प्रकारों की संख्या सुनिश्चित नहीं है । अतः यहाँ विविध प्रकार के निबन्धों का ऐसा विभाजन करना उपयुक्त जान पड़ता है जो जटिल तो कम से कम हो लेकिन सगत अधिक से अधिक हो । इस दृष्टि से निबन्ध के केवल तीन भेदों का उल्लेख पर्याप्त होगा ।

(१) ललित निबन्ध—इन निबन्धों में विषयीगत विवेचन की प्रमुखता रहती है अर्थात् लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति इनकी आंतरिक विशेषता है । ऐसे निबन्धों में वस्तु का नहीं, लेखक का महत्त्व होता है । लेखक की स्वयं की रुचियाँ, प्रतिक्रियाएँ, अनुभूतियाँ आदि इस प्रकार के निबन्धों में निर्बाध अभिव्यक्ति पाती हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि ये निबन्ध लेखक के व्यक्तित्व का पारदर्शी दर्पण होते हैं । ऐसे निबन्ध लेखन के लिए आवश्यक गुण हैं—विद्वत्ता, फक्कड़पन, यायावरी-वृत्ति, लोककथा-प्रेम, सूक्ष्म विचार-शक्ति और गद्यकाव्य की भावात्मक शैली । इस प्रकार के निबन्ध-लेखकों में प्रमुख हैं—अध्यापक पूर्णचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सियारामशरण गुप्त, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर

भारती, कुबेरनाथराय, शिवप्रसाद सिंह, ठाकुरप्रसाद सिंह आदि। यदि अध्यापक पूणसिंह के निबधो मे एक सदाचारपूर्ण सद्गृहस्थ के दर्शन होते है ता हरिशंकर परसाई के चुभते हुए व्यंग्य और विद्यानिवास मिश्र तथा शिवप्रसाद सिंह के सांस्कृतिक भावजगत् की रसमयता हमे आकृष्ट करती है। उपर्युक्त सभी निबधकारो के निबधो मे इनका व्यक्तित्व अलग-अलग क्षलकता है।

(२) साहित्यिक निबध—विद्वानों ने केवल ललित निबध और साहित्यिक निबध को ही साहित्य का अंग स्वीकार किया है। यद्यपि तात्त्विक दृष्टि से दोनो मे कोई अंतर नहीं है तथापि साहित्यिक निबध का अलग उल्लेख करना इसलिए अनिवार्य है कि ललित निबध का विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन साहित्यिक निबध का विषय साहित्य सबधी ही होता है। व्यक्तित्व के सस्पर्श के रहते हुए भी साहित्यिक निबधों मे वैचारिक प्रतिपादन के कारण सघन सूत्रबद्धता और तर्क-प्रमुखता होती है। यदि परंपरागत दृष्टि से देखें तो ये विचारात्मक निबध ही हैं। और चूंकि निबध शब्द का व्यवहार साहित्यिक क्षेत्र से अलग भी पर्याप्त हो रहा है, इसलिए वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक आदि भेद असंगत हो गये हैं। अतः ललित और साहित्यिक नाम अधिक समीचीन हैं। इस दृष्टि से निबध रूप मे लिखित वर्णनात्मक व भावात्मक साहित्यिक रचनाएँ ललित निबध के अतर्गत आँगी और विचारात्मक साहित्यिक रचनाएँ साहित्यिक निबध के अतर्गत।

(३) उपयोगी अथवा शास्त्रीय वैज्ञानिक निबध—इन निबधो का उद्देश्य ज्ञानवर्द्धन या शास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन होता है। इनमे वस्तुगत विवेचन की प्रमुखता रहती है। बस इन्हें लेख कहना अधिक उपयुक्त होगा, लेकिन हिंदी मे निबध और लेख पर्यायवाची हो गये है। इस प्रकार के निबधो को सर्जनात्मक लेखन के अतर्गत नहीं माना जायगा। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत मे विज्ञान और वाणिज्य सबधी पर्याप्त साहित्य लिखा गया है और लिखा जा रहा है। अर्थशास्त्र, वाणिज्य और विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकी विषयों पर पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। यह सब लेखन उपयोगी निबधो के अतर्गत ही आयेगा।

निबध का विकास हिंदी निबध का प्रारम्भ भी अन्य विधाओ की

भांति भारतेंदु-युग में ही हुआ। सामयिक साहित्य की उन्नति, अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्ययन तथा देश के तत्कालीन राजनीतिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक आंदोलन ने हिंदी लेखकों को निबन्ध लिखने की प्रेरणा दी। प० बालकृष्ण भट्ट, बदरीनारायण चौधरी, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त, माधवप्रसाद मिश्र, ठाकुर जगमोहनसिंह आदि ने हिंदी निबन्धों के प्रारंभिक विकास में प्रशसनीय योग दिया। यह निबन्ध का शंशकाल है। विषय और भाषा-शैली की दृष्टि से इन सब लेखकों की श्रुतियाँ सुदृढ़ निबन्ध-परंपरा की आधार-शिला हैं। इन निबन्धों में व्यक्तित्व की छाप है, शैली का सौष्ठव है और मुक्त प्रवाह है।

द्विवेदी-युग में आकर निबन्ध वैचारिक प्रौढ़ता और निबन्धता को प्राप्त हो गया। हिंदी गद्य भी परिष्कार के कारण व्यवस्थित और नियमित हो गया था। इसका श्रेय 'सरस्वती'-संपादक आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी को है। इस युग के अधिकांश निबन्धों का लेखन किसी पत्रिका, भाषा या ग्रंथ-भूमिका के रूप में हुआ। निबन्ध के तीन प्रकार—वर्णनात्मक, भावात्मक, चिंतनात्मक—इस युग में लिखे गये। वर्णनात्मक निबन्ध-लेखकों में महावीरप्रसाद द्विवेदी, वाशीप्रसाद जायसवाल, पदुमलाल पुन्नालाल बखशी का नाम उल्लेखनीय है। इन निबन्धों में तटस्थ भाव से अभीष्ट विषय का वर्णन हुआ है। भावात्मक निबन्धों में निबन्धकारों के हृदयोद्गारों का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। ऐसे निबन्ध लेखकों में अध्यापक सरदार पूर्णसिंह का नाम अविस्मरणीय है। चिंतन-प्रधान निबन्धों ने पाठकों के बौद्धिक विकास में पर्याप्त योग दिया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्यामसुंदर दास और बाबू गुलाब-राय ने निबन्ध-रचना कर हिंदी साहित्य को सम्पन्न तथा प्रौढ़ बनाया।

द्विवेदीजी के बाद हिंदी निबन्ध ने विविध नये आयामों का स्पर्श किया। शैली और विषय दोनों दृष्टियों से इस युग में निबन्ध उत्कृष्टता को प्राप्त हुए। आचार्य शुक्ल ने अपने अधिकांश निबन्ध द्विवेदी-युग में ही लिखे। शुक्लजी न विचारात्मक निबन्धों की परंपरा को आगे बढ़ाया। श्यामसुंदर दास, गुलावराम एवं पदुमलाल पुन्नालाल बखशी ने द्विवेदी-उत्तर युग में श्रेष्ठ निबन्धों की रचना की।

आधुनिक युग में निबन्ध विधा का कितना उत्कर्ष हुआ है इसका प्रमाण है प्रतिष्ठित निबन्धकारों की बहुलता। इस युग में निबन्ध का जितना अधिष्ठान परिष्कार व विकास हुआ वह अभूतपूर्व है। प्रसिद्ध निबन्ध-लेखकों—गुलाबराय, सियारामशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पंत, महादेवी वर्मा, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, जैनेन्द्रकुमार, राहुल साँवृत्यायन, शांतिप्रिय द्विवेदी, नन्ददुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, भागीरथ मिश्र, विजयेंद्र स्नातक, रामवृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख', शिवदानसिंह चौहान, प्रभाकर माचवे, प्रकाशचंद्र गुप्त आदि ने अपने विचार प्रधान निबन्धों के योग से हिंदी निबन्ध साहित्य को संपन्न बनाया है।

भावात्मक निबन्ध लिखनेवालों में रायवृष्णदास, वियोगी हरि, महाराजकुमार रघुवीरसिंह और चतुरसेन शास्त्री के नाम महत्त्वपूर्ण हैं। इस युग में ललित निबन्ध पर्याप्त लिखे गये हैं। हजारीप्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, डॉ० शिवप्रसाद सिंह इस विधा के महत्त्वपूर्ण लेखक हैं। व्यंग्यात्मक निबन्ध भी इस दौरान खूब सामने आये हैं। हरिशंकर परसाई, इन्द्रनाथ मदान, केशवचंद्र वर्मा और श्रीलाल शुक्ल का योग इस दिशा में अविस्मरणीय है।

चरितात्मक और सस्मरणात्मक लेखन इस युग की विशिष्ट उपलब्धि माना जायेगा। महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, धर्मवीर भारती उक्त विधाओं के सफल लेखक हैं।

राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रसार प्रचार के साथ साथ देश में वाणिज्य एवं विज्ञान सबंधी लेख अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित कर रही हैं। वाणिज्य की 'संपदा', 'योजना और विज्ञान की 'विज्ञान प्रगति', 'विज्ञान-लोक आदि पत्रिकाएँ इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर उपयोगी निबन्धों को पाठकों के समक्ष ला रही हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी निबन्ध साहित्य ने विषय-वैविध्य और शैली की दृष्टि से बहुत उन्नति कर ली है। अनेक लेखकों ने साहित्य की इस विधा को पुष्ट एवं समर्थ बनाया है। लेकिन साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में देखें तो अभी निबन्ध के विकास की पूर्णता अपेक्षित ही है।

गद्य साहित्य के अन्य रूप

रिपोर्टाज रिपोर्टाज हिंदी गद्य की एक नवीन विधा है। रिपोर्टाज अंग्रेजी शब्द 'रिपोर्ट' का समानार्थी फ्रांसीसी शब्द है। हिंदी साहित्य कोश भाग १ में इसके सबंध में कहा गया है—'रिपोर्ट किसी घटना के यथातथ्य वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट सामान्यतः किसी समाचार-पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती। रिपोर्ट के साहित्यिक एवं कलात्मक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। वस्तुगत तथ्य को रेखाचित्र की शैली में प्रभावोत्पादक ढंग से अंकित करने में ही रिपोर्टाज की सफलता है। आँखों-देखी और कानों-सुनी घटनाओं पर रिपोर्टाज लिखा जा सकता है, कल्पना के आधार पर नहीं। लेकिन तथ्यों के वर्णन मात्र से रिपोर्टाज नहीं बना करता, रिपोर्ट भले ही बन सके। घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्टाज को कथातत्त्व से भी युक्त होना चाहिए। रिपोर्टाज-लेखक को पत्रकार तथा कथाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। साथ ही उसके लिए आवश्यक होता है कि वह जनसाधारण के जीवन की सच्ची और सही जानकारी रख और उसके उत्सवों, मेलों, बाढ़ों, अकालों, युद्धों और महामारियों जैसे सुख-दुःख के क्षणों में जनता को निकट से देखे। तभी वह अद्यबारी रिपोर्टर और साहित्यिक रचनाकार की हैसियत से जनजीवन का प्रभावोत्पादक इतिहास लिख सकेगा।

द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका ने इस नवीन कला-रूप को जन्म दिया। सोवियत संघ पर हिटलर द्वारा किये गये आक्रमण ने अनेक सोवियत लेखकों को अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध के मोर्चों पर जान की प्रेरणा दी। उन्होंने वहाँ के अनुभवों एवं घटनाओं का साहित्यिक वर्णन रूस के पत्रों में भेजा। रूस में रिपोर्टाज-लेखक के रूप में इलिया एहरेनबुर्ग को सर्वाधिक सफलता मिली।

हिंदी में इस विधा का प्रारंभ 'हंस' में प्रकाशित मौत के खिलाफ जिन्दगी की लड़ाई रिपोर्टाज के द्वारा होता है जिसके लेखक शिवदान-सिंह चौहान हैं। उनके ही दूसरे समकालीन डॉ० रागेय राघव ने सन् १९४३-४४ में बंगाल के अकाल की हृदय-विदारक पंशाचिक लीला को प्रत्यक्ष देखकर अकाल की भयकरता के अनेक दृश्यों को रिपोर्टाज के

रूप में प्रस्तुत किया। आपका 'तूफानों के बीच' सग्रह इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। तीसरे महत्वपूर्ण रिपोर्टाज-लेखक हैं—प्रकाशचंद्र गुप्त। इन्होंने घटना-प्रधान रिपोर्टाज ही अधिक लिखे हैं जिनमें 'बंगाल का अकाल' और 'अल्मोडे का बाजार' प्रसिद्ध हैं। रामकुमार ने 'यूरोप के स्केच' में चित्रात्मकता के साथ विवरण भी दिया है। अतः यहाँ स्केचों में रेखाचित्र और रिपोर्टाज का सम्मिश्रण हो गया है। हिंदी के व्यातिलब्ध आचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने बहुचर्चित उपन्यास 'मैला अचल' और 'परती परिवर्था' में इस शैली का अभिनव एवं सफल प्रयोग किया है। अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टाज-लेखक हैं—सवंश्री बन्हेयालाल मिश्र 'प्रभाकर', प्रभाकर माचवे, जगदीशचंद्र जैन, अमृतलाल नागर, लक्ष्मीचंद्र जैन, धर्मवीर भारती आदि।

यात्रावृत्त: मानव की जीवन-यात्रा में यात्रा का महत्व अपरिमेय है। यदि कभी उसने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए सघन वन, ऊँचे गिरि-शिखरों तथा शुष्क रेगिस्तानों की यात्रा की है, तो कभी प्रकृति के पल-पल परिवर्तित रूप ने एवं अनजाने देशों के इतिहास, वहाँ की संस्कृति और समाज ने उसे अपनी ओर आकृष्ट किया है। आधुनिक युग के विकसित संचार-साधनों तथा दृढ़ होते हुए अंतर्राष्ट्रीय सवधों ने मानव की घुमककड़ी वृत्ति को और भी अधिक बनवती बनाया है। इसका परिणाम सामने है—हिंदी में यात्रा सवधी विपुल साहित्य। इसमें कुछ तो विशुद्ध यात्रोपयोगी है, और ऐसे साहित्य का प्रयोजन केवल भिन्न-भिन्न देशों और भिन्न-भिन्न स्थानों का परिचय मात्र देना है। लेकिन पर्याप्त साहित्य ऐसा भी है जहाँ लेखक यात्रा-विवरण के साथ-साथ अपने भावावेगों, प्रतिक्रियाओं और सवेदनाओं को भी व्यक्त करता चला गया है।

यात्राओं का क्रम बहुत प्राचीन है। सुदूर पूर्व के देशों में भारतीय संस्कृति और धर्म के संदेश इससे प्रमाण हैं। भारत के साहसी, सम्य, शिल्पकला दक्ष, व्यापार निपुण और परिश्रमी लोग प्राचीन काल से ही विदेशों से अपना सवध रखते थे, इसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध है। आधुनिक युग में आकर न केवल यात्राओं का सिलसिला ही बढ़ा है अपितु यात्रावृत्त-लेखन की गति भी और अधिक तीव्र हुई है।

भावाभिव्यजना एवं रचना-परिमाण दोनों दृष्टियों से यह युग महत्त्वपूर्ण है। साहित्यिक स्तर पर भी यात्रा-साहित्य में प्रौढ़ता आयी है।

इस युग के प्रमुख यात्रा-ग्रंथ और उनके लेखक इस प्रकार हैं—मेरी लड़ाई-यात्रा, मेरी जीवन-यात्रा, किन्नर देश में, दार्जिलिंग-परिचय, रूस में २५ मास तथा हिमालय-परिचय आदि—राहुल सांकृत्यायन, रोमाचक रूस में—डॉ० सत्यनारायण, कैलाश-दर्शन—शिवनदन सहाय ईराक की यात्रा—कन्हैयालाल मिश्र, काश्मीर—श्रीगोपाल नेवटिया, इंग्लैंड-यात्रा—रामचंद्र शर्मा, दुनिया की सैर—योगेंद्रनाथ सिन्हा, यूरोप के पत्र—डॉ० धीरेंद्र वर्मा, भारतवर्ष के कुछ दर्शनीय स्थान—चक्रधर हंस, विश्वयात्री—डॉ० भगवतशरण उपाध्याय, पैरो में पख बांधकर—राम-बृक्ष बेनीपुरी, लोहे की दीवारों के दोनों ओर—यशपाल; अरे पापावर रहेगा याद—अज्ञेय, आँखों-देखा रूस—पंडित जवाहरलाल नेहरू, आखिरी चट्टान तक—मोहन राकेश, पृथ्वी-परिक्रमा—सेठ गोविंददास; चीड़ों पर चांदनी—निर्मल वर्मा, बदलते दृश्य—राजवल्लभ ओझा।

इन ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ स्फुट निबंध भी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। भारती का 'ठेले पर हिमालय' उल्लेखनीय है। साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग के योग को भी इस दिशा में भुलाया नहीं जा सकता। साप्ताहिक हिंदुस्तान ने तो एक सैलानी विशेषांक ही निकाल दिया है। श्री विराज का 'कर्णफूली के रंगीन किनारे' और श्री हरिवंश वेदालकार का 'मानसरोवर की लहरों में' यात्रावृत्त इस अंक की विशेष उपलब्धि माने जायेंगे।

संस्मरण • संस्मरण के स्वरूप को समझने के लिए महादेवी वर्मा का यह कथन बहुत महत्त्वपूर्ण है, "संस्मरण में हम अपनी स्मृति के आधारों पर से समय की धूल पोछ पोछकर उन्हें अपने मनोजगत् के निभूत वक्ष में बँठाकर उनके साथ जीवित रहते हैं और अपने आत्मीय सबंधों को पुनः जीवित करते हैं। इस स्मृति-मिलन में मानो हमारा मन बार-बार दोहराता है, हमें आज भी तुम्हारा अभाव है।" (स्मृति-चित्र)

उपर्युक्त कथन के आधार पर कहा जा सकता है कि जब कोई लेखक किसी मनोरम दृश्य, अविस्मरणीय घटना या संपर्क में आये हुए व्यक्तियों के सबंध में अपनी अनुभूतियों एवं सवेदनाओं के सस्पर्श से सजीव चित्र

अंकित करता है, उसे सस्मरण कहते हैं। वैसे सस्मरण का मुख्य उद्देश्य पात्र-विशेष की उस विशेषता का अवन करना है जिसकी छवि हमारे मानस-पटल पर अमिट है। सस्मरण निबन्ध का ही एक प्रकार है। यह जीवनी और आत्मकथा का मूल आधार है। आत्मकथा में लेखक का स्वयं का जीवन एवं चरित्र ही उसका उद्देश्य होता है, सस्मरण में दूसरा व्यक्ति प्रमुख होता है, और लेखक अपना परिचय उसी के माध्यम से देता है। सस्मरण इतिहास के लिए भी महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है, क्योंकि समसामयिक जीवन एवं परिवेश का चित्रण सस्मरण के लिए अनिवार्य है। व्यक्तिगत सपर्क को सस्मरण का प्राण कहा गया है।

हिंदी में सस्मरण-लेखन का प्रारंभ प० पद्मसिंह शर्मा द्वारा हुआ। प० बनारसीदास चतुर्वेदी ने 'सस्मरण' तथा 'हमारे आराध्य' भाषा-शैली के वैशिष्ट्य और आत्माभिव्यक्ति के कौशल की दृष्टि से सस्मरण विधा के उन्नायक हैं। छायावाद की श्रेष्ठ कवयित्री महादेवी वर्मा की सस्मरण-कृतिवाँ—'अतीत के चलचित्र', 'स्मृति की रेखाएँ', पथ के साथी' तथा सद्यः प्रकाशित 'स्मृति-चित्र' शिल्प की दृष्टि में उल्लेख्य हैं। बिहार के राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह व रामवृक्ष बेनीपुरी का योगदान भी इस क्षेत्र में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। बेनीपुरी जी की 'माटी की मूरतें' तो एक आदर्श कृति है। अन्य विख्यात सस्मरण-लेखक हैं श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' तथा रामनाथ 'सुमन'। नये लेखकों में प्रभाकर माचवे, विश्वानिवास मिश्र, डॉ० रघुवश, पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश' तथा डॉ० शिवप्रसाद सिंह के नाम महत्त्वपूर्ण हैं। इधर कुछ पत्रिकाओं में भी अच्छे सस्मरण प्रकाशित हुए हैं। इस दृष्टि से पतंजी, दिनकरजी और 'वचन' जी के योग को भुलाया नहीं जा सकता। प० श्रीनारायण चतुर्वेदी एवं गोपालदास के सस्मरण भी धर्मयुग में प्रकाशित हुए हैं। गोपालदास का 'एक जो चली गयी' सस्मरण हाल ही में प्रकाशित सस्मरणों में अपनी मौलिक शैली एवं संवेदना की सशक्तता के कारण अद्वितीय एवं सर्वाधिक चर्चित सस्मरण है।

आत्मकथा : व्यक्तिगत जीवन अथवा आत्मचरित के यथातथ्य वित्तु रोचक एवं साहित्यिक रूपांतर को आत्मकथा कहते हैं। हिंदी में आत्मकथा के लिए 'आत्मचरित' या 'आत्मचरित्र' शब्द भी प्रयुक्त होते

रहे हैं। आत्मकथा के माध्यम से कोई भी लेखक अपने जीवन की उपलब्धियों एवं अनुभवों को इसलिए लिपिबद्ध करता है कि आनेवाली पीढ़ियाँ उनसे अपने लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें और लाभान्वित हो सकें। एक अच्छा आत्मकथा-लेखक अपने जीवन में घटित को पुनः स्मृतियों के सहारे काट-छाँटकर इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वह कृति इतिहास एवं साहित्य की अमर निधि बन जाती है। इसीलिए तटस्थता को आत्मकथा का अनिवार्य गुण स्वीकार किया गया है। आत्मकथा-लेखक का दायित्व इतिहासकार और उपन्यासकार से भी अधिक गुरुतर एवं दुष्कर है। इतिहास की घटनापरकता एवं उपन्यास की कल्पनावहलता दोनों का परित्याग कर आत्मकथा-लेखक अपने जीवन का एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करता है जो सार्थक, सरस और अनुभूति से युक्त हो। आत्मीयता से परिपूर्ण एवं अतिरजना से मुक्त आत्मकथाएँ ही साहित्य में गौरव की अधिकारिणी हो सकती हैं।

हिंदी में लिखे गये संपूर्ण आत्मकथा साहित्य पर दृष्टिपात करें तो हमें तीन प्रकार की आत्मकथाओं के दर्शन होते हैं—(१) राजनेताओं द्वारा लिखी गयी आत्मकथाएँ, (२) सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लिखी गयी आत्मकथाएँ और (३) साहित्यकर्मियों द्वारा लिखी गयी आत्मकथाएँ।

पहली प्रकार की आत्मकथाओं में महात्मा गांधी, नेहरूजी, देशरत्न डॉ० राजेंद्रप्रसाद, सुभाषचंद्र बोस और डॉ० राधाकृष्णन् की आत्मकथाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। महात्माजी की आत्मकथा मूलतः गुजराती में थी, नेहरूजी की 'आत्मकहानी' अंग्रेजी में थी, इन दोनों का हिंदी अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। सुभाषचंद्र बोस एवं डॉ० राधाकृष्णन् की आत्मकथाएँ भी अनूदित होकर हिंदी में आयीं। केवल बाबू राजेंद्रप्रसाद ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी है।

सामाजिक क्षेत्र के आत्मकथा-लेखकों में दो नाम महत्त्वपूर्ण हैं—भवानीदयाल सन्यासी (प्रवासी की आत्मकथा) तथा वियोगी हरि (मेरा जीवन-प्रवाह)।

साहित्यकारों में आत्मकथा-लेखक के रूप में सर्वश्री बाबू श्यामसुंदर दास, सियारामशरण गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, सेठ दास, चतुरसेन शास्त्री, पदुमलाल पुन्नलाल बखशी, बाबू

यच्चनजी उल्लेखनीय हैं ।

जिन आत्मकथाओं पर विशेष चर्चा हुई है वे हैं—‘आत्मनिरीक्षण’ (सेठ गोविंददास), ‘मेरी अपनी कथा’ (बछीजी), ‘आत्मकहानी’ (आचार्य चतुरसेन शास्त्री), ‘अपनी खबर’ (पांडेय बेचन शर्मा), ‘मेरी असफलताएँ’ (बाबू गुलावराय) तथा यच्चनजी की आत्मकथा के प्रकाशित दो खण्ड—‘क्या भूलूँ क्या याद करूँ’ एवं ‘नीट का निर्माण फिर’ ।

एकाकी एकाकी आधुनिक युग की अपेक्षाकृत एक नयी विधा है जिसका विकास इंग्लैंड में बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ । यद्यपि हमारे यहाँ भी संस्कृत साहित्य में श्रेष्ठ नाटकों की अतुल संपत्ति के साथ रंगमंच, अभिनय तथा रूपकों के भेदोपभेदों की प्रशस्त परंपराएँ उपलब्ध हैं, तथापि आज के हिंदी एकाकी या संस्कृत के इन एक-एक वाले नाटकों से कोई समर्थ नहीं है । आधुनिक एकाकियों का प्रारंभ भारतेंदु-युग में अंग्रेजी के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ । बड़े नाटकों के स्थान पर एकाकी नाटकों का प्रचलन मनुष्य के समयाभाव के कारण ही हुआ । भारतेंदु का ‘अधेर नगरी’ प्रारंभिक एकाकी का अच्छा उदाहरण है । भारतेंदु-युग में एकाकी का विकास राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, सामाजिक, यथार्थवादी, धार्मिक-पौराणिक एवं हास्य-व्यंग्य-प्रधान धाराओं में हुआ । भारतेंदु के अतिरिक्त प० प्रतापनारायण मिश्र, बदरीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, रुद्रदत्त शर्मा आदि ने इस युग के एकाकी के स्वरूप-दिशा में यत्किंचित् योगदान किया । द्विवेदी-युग में नाट्य साहित्य की धारा मद रही लेकिन एकाकी की तकनीक का विकास अवश्य हुआ । संस्कृत के प्रभाव के स्थान पर पश्चात्य प्रभाव बढ़ने लगा था । लेकिन अभी तक हिंदी एकाकी पारसी प्रभाव से मुक्ति नहीं पा सका था । द्विवेदी-युग के प्रमुख एकाकीकारों में जी० पी० श्रीवास्तव, पांडेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ और रामनरेश त्रिपाठी आदि हैं जिन्होंने एकाकी के उभार को तनिक और स्पष्ट आकृति प्रदान की ।

सन् १९२६ में प्रसादजी के ‘एक घूंट’ का प्रकाशन हिंदी एकाकी के विकास में नवीन दिशा का संकेत देता है । प्रसादजी के बाद हिंदी एकाकी का विकास तीन धाराओं में स्पष्ट दिखायी देता है । प्रथम धारा के एकाकीकारों में प्रमुख हैं—जैनेंद्रकुमार, चंद्रगुप्त विद्यालवार, चतुरसेन

शास्त्री, प० गोविंद वल्लभ पंत आदि । इनके द्वारा लिखित नाटकों के कथानक ऐतिहासिक हैं और इनमें शिल्प की दृष्टि से कोई भी नया प्रयोग नहीं हुआ है । दूसरी धारा में भुवनेश्वर प्रसाद, कृष्णचंद्र और बोरगाँवकर के नाम उल्लेखनीय हैं । इस सभी ने अपने एकांकियों के लिए समस्याएँ, विचार और तबनीय सभी कुछ पाश्चात्य एकांकियों व समाज से ग्रहण किया । तीसरी धारा के एकांकीकार वे हैं जिन्होंने पाश्चात्य एकांकियों व शिल्प को आत्मसात् कर भारतीय समस्याओं को नये ढाँचे में उभारा । इस दृष्टि से सर्वाधिक सफल एकांकीकार डॉ० रामकृष्ण वर्मा हैं । अन्य लोगों में लक्ष्मीनारायण मिश्र, गोविंददास, जगदीशचंद्र माथुर, उर्षदनाथ अशक, सज्जाद जहीर एवं उदयशंकर भट्ट प्रमुख हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि उक्त एकांकीकारों ने हिंदी एकांकी के क्षेत्र में नये-नये प्रयोग किये ।

सन् १९३८ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सघर्ष काल को एकांकी नाटकों का तीसरा दौर कहा जा सकता है । इस युग में सामाजिक और राजनैतिक विषयों पर सर्वाधिक एकांकी प्रकाशित हुए । सामाजिक और राजनैतिक चेतना को स्पष्ट करनेवाले प्रमुख नाट्यकार हैं— लक्ष्मीनारायण लाल, गिरिजाकुमार माथुर, वर्तारसिंह दुग्गल, भारत-भूषण अग्रवाल, विष्णु प्रभाकर, डॉ० भगवतशरण उपाध्याय, मोहन राकेश एवं सत्येंद्र शर्मा ।

गांधीजी के जीवन और दशन को लेकर भी काफी एकांकी लिखे गये । विष्णु प्रभाकर और हरिकृष्ण 'प्रेमी' का नाम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है । प्रभाकर जी ने तो मानवतावादी एकांकी भी लिखे हैं । राजनीति प्रधान इस युग में ऐतिहासिक एवं पौराणिक एकांकियों की धारा क्षीण हो गयी है ।

आज के एकांकीकार आदर्श और समाज सुधार की बात छोड़ सामाजिक न्याय, युग-सघर्ष और सामान्य मानव की अंतःबाल मन स्थितियों के चित्रण पर ही अधिक ध्यान केंद्रित किये हुए हैं । मार्क्सवाद और फ्रायड का मनोविज्ञान इस युग के साहित्यकारों को अत्यधिक प्रभावित किये हुए है । व्यक्ति के आंतरिक जगत् के सूक्ष्म विश्लेषण, मानसिक प्रवृत्तियाँ, मनोवेगों और उत्तेजनाओं को लेकर लिखनेवाले एकांकीकारों में प्रो० अर्जुन चौधरी वार्षप, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर एवं

डॉ० रामगुमार वर्मा के नाम उल्लेख्य हैं ।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् एंग्ली नाटको को काफी प्रोत्साहन मिला । देश के विभाजन एवं गत वर्षों की उपल-गुपल ने आधुनिक एंग्लियो के यथानव को पर्याप्त विविधता प्रदान की है और आज की लगभग प्रत्येक समस्या को एकाकीकारो ने याणी दी है । नये-पुराने अनेक रोखक इस विधा को सजाने-मँवारने में लगे हुए हैं ।

रेडियो-रूपक यह विधा हमारे साहित्य के नवीनतम स्वरूप-विधानों में से एक है । आचार्यों ने सस्त्रुत में नाटको को 'दृश्य' कहा था, लेकिन आज रेडियो ने उसे 'श्रव्य' बना दिया है । साधनों एवं माध्यम के इस बदलाव ने नाटक को स्वयं दर्शकों के पास पहुँचा दिया है । इस परिवर्तन से नाटक का कला-विधान भी पूर्णतः परिवर्तित हो गया है । रेडियो-रूपक में सकलनद्रप का कोई बंधन नहीं । उसकी घटनाएँ कई युगों को अपनी परिधि में ले सकती हैं । इसके लिए तो प्रभाव की अन्विति ही आवश्यक है जिससे कि नाटक अपने समग्र रूप में श्रोताओं को प्रभावित कर सके । यद्यपि दृश्य-साधनों के अभाव में रेडियो-नाटक की अनेक सीमाएँ हैं, तथापि अपनी मात्र श्रव्यता के कारण वह उन गति-शील दृश्यों को भी प्रस्तुत कर सकता है जिन्हे रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता । रेडियो रूपक में अभिनय को दिखाया नहीं जा सकता, अतः ध्वनि ही इसका आधार है । ध्वनि के द्वारा ही विभिन्न मनोभावों और दृश्यों को व्यक्त किया जाता है ।

भारत में रेडियो-नाट्य शिल्प बहुत देर से विकसित हो पाया था, अतः रेडियो से नाटको का प्रसारण कार्य भी देर से ही प्रारंभ हुआ । आचार्य चतुरसेन शास्त्री के 'राधाकृष्ण' को हिंदी का पहला नाटक माना गया है जिसमें श्रव्य माध्यमों के उपयोग का प्रयत्न है तथा स्थान और समय की इकाइयों को भी स्वीकार नहीं किया गया ।

स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व रेडियो नाटक के क्षेत्र में कुछ प्रयास तो किये गये, लेकिन हिंदी क्षेत्र में प्रसारण केंद्रों की कमी और उर्दू के अधिक महत्वपूर्ण स्थान के कारण रेडियो-नाट्य कला का समुचित विकास नहीं हो पाया । वैसे नाटक रेडियो से प्रसारित तो होते रहे, लेकिन रेडियो-नाटक के विकास में इनका महत्व ऐतिहासिक ही है । इस सबध

मे उपेंद्रनाथ अशक, उदयशंकर भट्ट व डॉ० रामकुमार वर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। जिन अन्य प्रसिद्ध एकांकीकारों के नाटक रेडियो से प्रसारित हुए उनमें जगदीशचंद्र माथुर, गोविंददास और देवेंद्र शर्मा प्रमुख हैं। मुख्य रूप से इनके नाटक रंगमंच के लिए लिखे गये थे, लेकिन रचना-विधान में रेडियो प्रसारण का भी ध्यान रखा गया था। आल इण्डिया रेडियो के लिए नाटक लिखनेवालों में सआदत हसन मटो, राजेंद्रसिंह चेदी और कृष्णचंद्र का योग अविस्मरणीय है। हिंदी के रेडियो-नाटककारों में, जिन्होंने स्वाधीनतापूर्वक सफल रेडियो नाटक लिखे, चंद्रकिशोर जैन और श्री पहाड़ी हैं। श्री जैन का पहला रेडियो-नाटक 'रहनुमा' नवंबर १९४२ में लखनऊ से प्रसारित हुआ। इस दौरान ऐतिहासिक एवं रोमांटिक नाटक ही अधिक लिखे गये।

सन् १९४७ के बाद रेडियो-नाटक का विकास द्रुतगति से हुआ। श्री जगदीशचंद्र माथुर आकाशवाणी के महानिदेशक बने और अनेक मूर्धन्य साहित्यकारों का संपर्क आकाशवाणी से हुआ। आकाशवाणी के लिए लिखनेवालों और प्रसारित नाटकों की संख्या तो अवश्य ही बहुत बढ़ी रही, लेकिन साहित्यिक महत्त्व की रचनाएँ अधिक नहीं लिखी गयीं।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् रेडियो-नाटक के विकास में लेखन द्वारा योग देनेवाले प्रमुख रेडियो-नाटककार हैं—सर्वश्री विष्णु प्रभाकर, रेवती सरन शर्मा, प्रभाकर माचवे, कर्तारसिंह दुग्गल, चिरजीत, भारतभूषण अग्रवाल विश्वभर मानव, कृष्णकिशोर श्रीवास्तव भगवतशरण उपाध्याय, हसनकुमार तिवारी, ब्रजकिशोर नारायण, अज्ञेय, अमृतलाल नागर, लक्ष्मीनारायण मिश्र, रामचंद्र तिवारी आदि।

जिन लेखकों ने न केवल रेडियो-नाटक ही लिखे, प्रत्युत् श्रव्य-शिल्प के महान अध्ययन द्वारा रेडियो नाटक के शिल्प पर प्रामाणिक पुस्तकें भी लिखीं, उनमें श्री हरिवचंद्र खन्ना, सिद्धनाथ कुमार, गिरिजाकुमार माथुर एवं श्री प्रफुल्लचंद्र ओझा 'मुक्त' के नाम विशेष महत्त्व रखते हैं।

उपर्युक्त लोगों के अतिरिक्त रेडियो से अन्य नाटककारों की कृतियाँ भी प्रसारित होती रही हैं। कुछ नाम इस प्रकार हैं—लक्ष्मीनारायण लाल, रामवृक्ष बनीपुरी, जयनाथ नलिन, देवराज दिनेश, सत्येंद्र शरत,

धर्मवीर भारती एवं विनोद रस्तोगी । और भी नयी प्रतिभाएँ इस क्षेत्र में नित्यप्रति आ रही हैं ।

यद्यपि इस अवधि में लेखकों ने राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पहलुओं और समस्याओं को यथार्थवादी नाटकों में घाणी दी है, तथापि अभी तक रेडियो रूपक अपना अपेक्षित स्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया में ही है । नाट्य शिल्प की दृष्टि से अवश्य कुछ प्रभावशाली रचनाएँ प्रकाश में आयी हैं, जो रेडियो-रूपक के उज्ज्वल भविष्य की आशा देती हैं ।

३५१/६६ शिरीष के फूल

— आत्रेयं हजारीप्रसाद द्विवेदी

(३५१) शी ६६

जहाँ बठकर यह लेख लिख रहा हूँ उसने आगे-पीछे, दायें-बायें, शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में, जबकि धरित्री निर्धूम अग्नि-कुण्ड बनी हुई थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। (कम फूल ही इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं) बर्णिकार (वनचपा) और आरग्वध (अमलतास) की बात में भूल नहीं रहा हूँ। वे भी आसपास बहुत हैं। लेकिन शिरीष के साथ आरग्वध की तुलना नहीं की जा सकती। वह पन्द्रह-रीत दिन के लिए फूलता है, वसत ऋतु के पलाश की भाँति। कबीरदास को इस तरह पन्द्रह दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि इस दिन फूलने और फिर खंखड के खखड—'दिन दस फूला फूलि के खखड भवा पलास'! ऐसे दुमदारों से तो लडूरे भले। फूल है शिरीष। वसत के आगमन के साथ लहक उठता है, आपाठ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्धात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष ^{आमि १०१ १०१ १०१ १०१} कालजयी अवधूत की भाँति जीवन की अजेयता का मद्र-प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भाँति हर फूल-पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूँठ भी नहीं है। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ी हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं।

शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगल-जनक वृक्षों को अपनी वृक्ष-वाटिका की सहारदीवारों के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है (बृहत्संहिता ५५।३)। अशोक, अरिष्ट (रीठा का वृक्ष), पुन्नाग और शिरीष की छायादार और धन-मसृण हरीतिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर होगी। यात्स्यायन न (कामसूत्र में) बताया है कि वाटिका के छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला (दोला) लगाया जाना ॥ यद्यपि पुराने कवि बटुल (मौलसिरी) के पेड़ में ऐसी दोलाओ

देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलनेवालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुन्दिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा लें।

शिरीष का फूल ससृष्ट-साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू-शुरू में प्रचारित की होगी। उनका कुछ इस पुष्प पर पक्षपात था (मेरा भी है)। यह कह गये हैं, शिरीष पुष्प केवल भौरो के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है—पक्षियों का बिल्कुल नहीं। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूँ? सिर्फ विरोध करने को हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। सँ, मैं दूसरी बात कह रहा था। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परिवर्तों कवियों ने समझा कि उनका सब-कुछ कोमल है! यह मूल है। इसके फूल इतने मजबूत होते हैं कि नये फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नये फूल-पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। घसत के आगमन के समय जब सारी बनस्थली पुष्प-पत्र से मर्मरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फूल बुरी तरह खड-खडाते रहते हैं। (मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुच नहीं पहचानते और जब तक नयी पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं)

(मैं सोचता हूँ कि 'पुराने' की यह अधिकार-लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती? जुरा और मृत्यु—ये दोनों ही जगत् के अति परिवर्त और अति प्रामाणिक सत्य हैं) तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सचाई पर मुहर लगायी थी—'धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फ़रा सो झरा जो बरा सो बुताना!' (मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा, कि झडना निश्चित है) मुनता कौन है! महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड रहे हैं, जिनमें प्राणवण थोड़ा भी ऊध्वंमुखी है, वे टिक जाते हैं। दुरत प्राणघारा और सर्वव्यापक बालाग्नि का मुषण निरतर

चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं, वही देर तक बने रहे तो काल-देवता की आँख बचा जायेंगे। (भोले हैं वे। हिलते-डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुँह किये रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जमे कि मरे।)

एक-एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। दुःख हो या सुख, वह हार नहीं मानता। न ऊँघो का लेना, न माघो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हज़रत न जाने कहाँ से अपने लिए रस खींचते रहते हैं। मौज में आठो याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति-शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायु-मंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयकर सू के समय इतने कोमल ततुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतो के मुँह से ही ससार की सबसे सरस रचनाएँ निकली हैं। (कबीर बहुत-कुछ इस शिरीष-के-समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे) शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और भगदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किये-कराये का लेखा-जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? कहते हैं कर्णाट-राज की प्रिया विज्जिवादेवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महा-भारत को। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्णाट राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायाँ चरण रखती हूँ ('तेषां मूर्ध्नि ददामि वामचरणं कर्णाट-राजप्रिया')। मैं जानता हूँ कि इस उपालम से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाये नहीं तो उसे डाँटा भी न जाये। मैं कहता हूँ कि कवि बनना है मेरे दास्तों, तो फक्कड़ बनो। शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की मुनता नहीं, मरने दो।

मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक-एक श्लोक

को देखकर हैरान हो जाता है। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्यस्थ नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह-रहकर उनका मन खीझ उठता था। उन्हें, वही-न-कही कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद समझ में आया कि शकुतला के कानों में वे उस शिरीष-पुष्प को देना भूल गये हैं, जिसके केसर गड-स्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरच्चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का द्वार।

कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेदकर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे, दुःख हो कि सुख, वे अपना भाव-रस उस अनासक्त कृषी-प्रखल की भाँति धीब लेते थे जो निर्दलित इक्षुदण्ड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान् थे, क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत में भी है। कवि-धर रवींद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है—
“राजोद्यान का सिंहद्वार कितना ही अन्नभेदी क्या न हो, उसकी शिल्प-कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हममें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। यही दताना उसका कर्तव्य है।” (फूल ही या पेड़, वह अपने-आपमें समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अँगुली है, एक इशारा है।) सर्वज्ञ

शिरीष-तरु सचमुच पक्के अवधूत की भाँति मेरे मन में ऐसी तरंगें जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं (इस चिलवती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन—धूप, वर्षा, आँधी, लू—अपने-आपमें सत्य नहीं हैं? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार-काट, अग्नि-दाह, लूट-माट, सून-खच्चर का बचडर बह गया है, उगवे भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सता है) अपने देश का एक बूझ रह सता था। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा

क्यों सम्भव हुआ ? (क्योंकि शिरीष भी अवधूत है और अपने देश का वह बूढ़ा भी अवधूत था (शिरीष वायुमण्डल से रस खींचकर ही इतना कोमल और इतना कठोर है) (गांधी भी वायुमण्डल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था) मैं जब-जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब-तब हक उठती है—हाय, वह अवधूत आज कहाँ है ?

५१

प्रभुत्व-ज्वर अस्पताल विद्यानिवास मिश्र

सचमुच जिसे संयोग कहते हैं वह बड़ा विचित्र होता है। इसी संयोग के नाते सच कभी-कभी झूठ से भी अधिक अजनबी बनकर हमारे सामने आ जाता है। राजाजी ने जब अंग्रेजी के हिमायतियों की कॉन्फ्रेंस अंग्रेजों की पहली राजधानी कलकत्ता में बुलायी तो उन्हें क्या पता था कि उसी समय उसी नगर में उन्माद रोग के विशेषज्ञों की भी कॉन्फ्रेंस होगी और यदि होगी भी तो दोनों की रिपोर्टें एक साथ अखबारों में छपेंगी। एक में यह कहा जायेगा कि अंग्रेजी को भारत की राजभाषा माननेवाले लोग पागल हैं और दूसरे में इस पर दुःख प्रकट किया जायेगा कि देश की बढ़ती हुई नये पागलों की संख्या के अनुपात में उनकी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह, पता नहीं हैदराबाद में पहले मिनिस्टर्स के बंगले बने या उसी जगह पहले प्रभुत्व-ज्वर अस्पताल खुला, पर दोनों का सुखद संयोग सच होने हुए भी नानी की कहानी की तरह दिलचस्प है। मैंने जब यह साइनबोर्ड पढ़ा तो मुझे लगा कि भारत-भर में यदि कहीं सूझ-बूझ के लोग मंत्रि-पद पर हैं तो आंध्र में, उन्हें अपने रोग की भी सही परख है और उस रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्हें ऐसी चिंता है कि बिलकूल अपने ही मुहल्ले में उन्होंने रोग का अस्पताल खोल रखा है। वैसे उत्तर प्रदेश में भी आध्यात्मिक स्तर पर इस ज्वर की चिकित्सा के लिए जो नयी बस्ती मंत्रियों के पढ़ोस में बसायी गयी है उसका नाम-करण है गौतमपल्ली। गौतम बुद्ध, सुना जाता है, बहुत बड़े भिषग् हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन ही भव-रोग के रोगियों की परिचर्या में बिताया है। उत्तर प्रदेश में शायद भौतिक स्तर के रोग नहीं होते — भगवान् के अवतारों का प्रदेश है, यहाँ रोग भी ऊँचे किस्म के होते हैं !

मैंने प्रभुत्व-ज्वर अस्पताल के भीतर जाकर पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ संक्रामक ज्वरों की चिकित्सा की जाती है और रोग का प्रसार रोकने के लिए रोगी को चिकित्सालय में एक तरह से रहने के लिए विवश कर दिया जाता है। सही बात है, प्रभुत्व का ज्वर बहुत संक्रामक होता है और संक्रमण में वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही

चला जाता है। मंत्री से अधिक ज्वर उनके निजी सहायक को, उनके निजी सहायक से अधिक ज्वर उनके चपरासी को, उनके चपरासी से अधिक तीव्र ज्वर उनके फर्राश को। इसी तरह सीढ़ी-दर-सीढ़ी नीचे उतरते जाइए। पहले साहब को अगर १० और ११ के बीच से ज्वर चढ़ता है तो बड़े चावू को १० बजे से साढ़े ५ बजे तक ज्वर चढ़ा रहता है। ऑफिस वे मेरे एक मित्र को यह ज्वर कभी-कभी २४ घंटे चढ़ा रहता था और वे अपनी पत्नी को भी, जब वे एकाध दिन के लिए अपने मायके जाने के लिए कहती तो निरिच्छ प्रकार के आवेदन-पत्र पर छुट्टी के अधिकार के ठीक ठीक विवरण और प्रमाण के साथ प्रार्थना के लिए कहते। उनकी दफ्तरी भाषा को बेचारी पत्नी क्या समझ पाती, हाँ दो-तीन बार इस प्रकार का व्यवहार से आतंकित होकर उन्होंने मुझ जैसे दो-चार अपने पति के हितैषियों से एकात में सलाह जरूर ली कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया है उह, सुबह शाम ब्राह्मी देने की आवश्यकता तो नहीं है? मैंने उन्हें तब बताया था कि यह एक बिस्म का प्रभुत्व ज्वर है जिसकी दवा सिवाय आपके प्रभुत्व के और कुछ नहीं हो सकती। मेरी नेक सलाह मानकर उन्होंने एक दो बार ऑडिटर पति को कसा तो उनकी हेकड़ी भूल गयी और वे अपना खुमार अपने सहकारियों पर ही अधिक उतारने लगे।

हिंदुस्तान में प्रभुत्व-ज्वर बड़ी तेजी से फैल रहा है। हो सकता है कुछ दक्षिण पवन का प्रभाव हो, या जरसी सस्कृति के स्तयपान का स्वाभाविक परिणाम हो, या नयी स्वाधीनता के साथ 'क्रॉस' करके तैयार की गयी पुरानी नौकरशाही की कलम के मदमाते फलों का आलस लाने-वाला नशा हो। जो कुछ भी कारण हो, प्रभुत्व-ज्वर बढ़ती पर है। बड़ी मुश्किल तो यह है कि जिसे एब वार यह ज्वर हो जाये, फिर वह बिलकुल बेकार-सा हो जाता है। न केवल वह जिंदगी के भानि-भांति के रंग के प्रति अघा और सरगम के विविध स्वरों के प्रति बहरा हो जाता है बल्कि हर एक माने में वह गतिहीन, भावहीन और प्राणहीन हो जाता है, सिवाय इसके कि उसकी चेतना ज्वर के प्रभाव में जिस नये ससार की रचना कर लेती है उस ससार को और विस्तार देने में यह और जागरूक हो जाता है। उस ससार में केवल एक ही सीमित

सत्य है शक्ति को आत्म-समर्पण से पाना; उस सत्कार की एक ही त्रिया है : त्रिया का निषेध । जितना ही जो त्रिया से बचता है उतना ही वह अधिक सक्रिय बहा जाता है, और जितना ही जो काम बढ़ता जाता है उतना ही अधिक कामचोर वह गिना जाता है । उस सत्कार में एक ही सुख है : अपने अधीनस्थ लोगों के प्राणभूत उँगलियों में बाँध रखने की तृप्ति । उस सत्कार में एक ही स्थिति है : गुरसी, और एक ही गति है : मेज । गुरसी की सलामती और मेज पर से कागजों का हटाना, इसी मर्नाती में प्रभुत्व-ज्वर के रोगी की उम्र सिरा जाती है । उस सत्कार में मजिलें तो अनेक हैं, पर रास्ता एक भी नहीं । कैसे लोग इन मजिलों पर पहुँचते हैं, यही एक रहस्य है । कौन-सी ममान, कौन-सी रेशम डोरी, कौन-सा रुज्जुसर्प, कौन-सी घल्लानुदान, एकदम मजिल पर पहुँचा देती है—इसका पता न तो मजिल पर पहुँचनेवालों को होता है और न मजिल के लिए कोशिश करनेवालों को । यहाँ की भाषा में केवल एक ही पुरुष है, एक ही वचन है, और एक ही लिंग । पुरुष केवल अन्य; लिंग केवल, न स्त्री न पुरुष, सामान्य, और वचन, न एक न द्वि, केवल बहु । इस सत्कार में उत्तम पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग के व्यवहार के ऊपर प्रतिबन्ध है, इसीलिए दर्द कही होता है, पीर कही और होती है, गलती कोई करता है, सजा कोई और पाता है । काम कोई करता है, श्रेय कोई और पाता है । इस सत्कार में सबसे महँगा है अह्वार और सबसे सस्ती सद्भावना । एक तरह से कहा जाये तो इस सत्कार का हर एक रास्ता सद्भावनाओं की ककरीट की कुटाई से बना है । इस सत्कार में आदमी अपना सब-कुछ देकर केवल भार लेता है, पर इस भार से उसे ऐसा मोह होता है कि इसे उतारने में जब तक कि और भी वजनदार भार उसके कंधे पर पहले से रख न दिया जाये, उसे प्राणातक कष्ट होता है । ऐसे विचित्र सत्कार में रहते-रहते मनुष्य पराया हो ही जाता है । कहने को उसकी दृष्टि वस्तुनिष्ठ हो जाती है पर सही बात है कि उसमें आत्मा ही नहीं रहती, आत्मनिष्ठता कहाँ से आयेगी ? जितना ही अधिक जो पराया होता है उतना ही अधिक उसके दूसरे साथियों को उसके भाग्य से स्पृहा होती है । यह जरूर है कि कवि की दुनिया, प्रेमी की दुनिया, साधक की दुनिया और पागल की दुनिया से इस दुनिया का फैलाव अधिक जीवन-

व्यापी होता है, इसीलिए वे सभी शुण्डिक मूल्य रखती हैं, जब कि इस दुनिया का शाश्वत मूल्य है। साहित्य-शास्त्र की भाषा में कहें तो 'क्लासिक' मूल्य है।

पर केवल संसार-रचना ही इस ज्वर का कार्य नहीं है। यह ज्वर मन में सक्रिय होने के पहले तन और वचन में सक्रिय होता है। सबसे पहले बोली बदलती है। जब मरहटों ने उत्तर भारत पर आधिपत्य जमाया तो उत्तर भारत के प्रभुताप्रस्तों की बोली बदली और सभी शाब्द यह मुहावरा हिंदी में था कि 'देशी कौआ मरहठी बोल'। हिंदुस्तान में तो यह बोली बिलकुल बदल गयी है और प्रभुता का ज्वर जिनके ऊपर बहुत अधिक चढ़ा हुआ है वे यह भूल गये हैं कि उनकी बोली कभी कुछ दूसरी थी और अभी भी ज्वरमुक्तों की बोली दूसरी ही है। उन्हें यह आशंका हो गयी है कि बोली तुजते ही उनकी रोगी की सत्ता समाप्त हो जायेगी। देशी बोली में चाय पीना भी उनके लिए दुश्वार है। उनके लड़के देशी बोली के मुक्त वातावरण से दूर रखे जाते हैं, ताकि घर में विरस वातावरण न उपरिचय हो। मेरे एक रोगी मित्र को हिंदी से सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि और तो ठीक है पर 'एट-होम' का निमंत्रण हिंदी में कैसे छपवाया जा सकता है। अंग्रेजी मुहावरे के बिना थोड़ी देर के लिए आप चाय भी पी लें, पर डिनर तो बिलकुल बदमजा हो जाता है। मैं ऐसे लोगों को क्या जवाब दूँ। हाँ, मन में यह जरूर समझता हूँ कि यदि हमें इन रोगियों से अधिक इनके रोगों की रक्षा करनी है तो इनके 'डिनर' को बदमजा नहीं होने देना है। डिनर का मजा बरकरार रहे, बोलियाँ तो बनती-विगड़ती रहती ही हैं ! नये भाषा-विज्ञान का तो यह पहला उसूल है कि भाषा मनुष्य के वाग्यंत्र पर आरोपित व्यापार है, उसका सहजात ध्यापार नहीं। इसीलिए इस ज्वर का रोगी चूंकि एक बहुत सीमित दायरे में रहता है और उसके आँख-कान धीरे-धीरे एक ऐसी अजनबी भाषा में सघते चले जाते हैं कि इस भाषा के बाहर से संसार का भी अस्तित्व नहीं दिखाई देता, वह धीरे-धीरे इस आत्म-सम्प्राप्ति का शिकार हो जाता है कि यदि सचमुच प्रभुता या अपना अस्तित्व कायम रखना है तो उसे प्रभुता के लपेटवाली भाषा भी कायम रखनी होगी। इसीलिए बाहरी दबाव के कारण जब स्वस्थ लोगों की

भाषा को अपनाते पर बल दिया गया तो इन रोगियों के सामने समस्या खड़ी हो गयी कि इसका मुकाबिला कैसे किया जाये। इन्होंने खूब सोच-समझकर यह चाल सामने रखी कि प्रभुता की भाषा के जितने भी छल हो सकते हैं उनके लिए आप तथाकथित जनभाषा के प्रतिशब्द दें, और यह चाल काम कर गयी। लोग हिंदी में अंग्रेजी की वाक्य-रचना करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह हिंदी भी अंग्रेजी पढ़े-लिखी की भाषा हो गयी। कौन समझाये कि एक भाषा दूसरी भाषा की नजर से जब देखने लगती है तब उसकी सूरत ही बिगड़ जाती है। शायद जनता की भाषा में सोचने-समझने की प्रवृत्ति प्रभुता के बहुत-से विकारों को अपने-आप समाप्त कर देती या दुराव के बहुत-से छल-छटो को अपनी सिध्दाई में बिलकुल भूल जाती। बहुत-से नियम जो सिर्फ किसी भी काम को घुमावदार बनाने के लिए बनाये जाते हैं, अपने-आप बेकार हो जाते यदि उन नियमों के अनुरूप पेचीदी भाषा नहीं रखी जाती।

बोली से अधिक लिखी जानेवाली भाषा का महत्व है, और इन दोनों में सामंजस्य न रखना ही प्रभुता की खास निशानी है। बोलते समय जनतात्रिन, पर लिखते समय सामंतशाही ही जाना बहुत जरूरी हो जाता है। इस असामंजस्य का प्रभाव बहुत जल्दी ही शरीर पर पड़ने लगता है। अपने से ऊँचे अधिकारी के सामने शरीर का ऊपरी हिस्सा नीचे के हिस्से से ४५ अंश का कोण बना लेगा और अपने से नीचे के अधिकारी के सामने घुरती पर १३५ का। वही लोग जो कि जाति-विरादरी, पारिवारिक सबंध, गुरु शिष्य सबंध के आधार पर छोटे बड़े के भेद की आलोचना करते हैं, वे ही नौकरी के स्तर पर छोटे-बड़े के भेद पर विशेष बल देते हैं। जिन्हें अपने बाप का पैर छूने में हिचक होती है वे अपने अपसर के या मंत्री के पैर छूने का अवसर पाने में ही अपने को बहुत गौरवान्वित मानते हैं— यहाँ तक कि होसी-जैस तयोहार के दिन, जब कि रुढ़िवादी से रुढ़िवादी भी छोटे-बड़े का भेद भूलकर बराबरी की सतह पर एक-दूसरे से गले मिलता है, हमारे ये प्रभुताग्रस्त वधु अपने बड़े अपसरों के पैर छूने की होठ लगा देते हैं। भला तो यह है कि जो क्षुत्रता है और जिम्मे सामने क्षुत्रा जाता है, दोनों ही इस स्वरूप का असली मर्म समझते हैं, पर दोनों की आदतें धीरे-धीरे ऐसी बन गयी हैं कि बिना

झुके और बिना झुकवाये उन्हे रस मे कुछ कमी-सी महसूस होती है ।

लेकिन इस नमनशीलता से किसी को यह धोखा नहीं होना चाहिए कि प्रभुता का ज्वर सचमुच ही देह मे लचीलापन लानेवाला होता है । अस्तुत नमनशीलताभी स्नायु-ग्रथियों का एक विशिष्ट प्रकार का तनाव है, जो अपने से अधिक तनाववाले शरीर के समुख यदि ढीली न पडें तो टूट जायें । वैसे हाथ-पैर इस ज्वर मे ऐसे कडे हो जाते है कि एक हाथ के फासले पर भी रखी हुई चीज हटाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है और १० गज की दूरी भी सवारी के लिए विवश कर देती है । निश्चेष्टता की यह स्थिति जब पराकाष्ठा को पहुँच जाये तो समझना चाहिए, रोग असाध्य है । मुझे एक घटना मालूम है कि एक जेल के अधिकारी ने उस जेल से एक डाकू के भाग जाने के बाद यह रिपोर्ट लिखी थी कि मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं दवात मे कलम बोरूँ और मुख्य कार्यालय को पत्र लिखूँ कि कँदी फरार हो गया और मैंने अपना कतंव्य निभाया । सो कलम-नवीती कतंव्य-निर्वाह की जहाँ एकमात्र साधन हो वहाँ शारीरिक चेष्टा पगु न हो जाये तो क्या हों ? हाँ, रसना की चेष्टा जरूर बहुत बढ जाती है । चाम, लच, डिनर, बूफे (वृषभ-शैली का भोज), प्रीतिभोज आदि विविध प्रकार के आयोजनों मे प्रतिदिन विविध प्रकार के रसों के प्रति ग्रहणशील होने के कारण रसना बढी तेज हो जाती है । मही नहीं, कभी-कभी इन भोजों से अधिक मधुर और सभी प्रकार के पेयों से अधिक मदिर स्वाद वाले प्रभुपद-पल्लवों के रसास्वादन मे जो तृप्ति मिलती है वह रसना को सबसे अधिक स्फूर्ति प्रदान करती है । यह तो रसना के द्वारा आदान का विस्तार हुआ । प्रदान में वह कम विशद नहीं होती । रीति-नीति की भीतरी से भीतरी सिलवटों को उधेड़ने से लेकर अभिधा की स्थूल से स्थूल मात्रा देने मे रसना उदार हो जाती है । लगता यह है कि इस ज्वर का प्रभाव सबसे अधिक दायें हाथ की उँगलियों पर और रसना पर होता है ।

यह तो रोग के सामान्य लक्षण की बात हुई । जब मैंने अस्पताल मे जाँचा इस रोग का उपचार क्या है, तो मुझे पता चला कि यह रोग दो प्रकार का है - एक स्थायी, एक अस्थायी । लोकसेवा आयोग के द्वारा बान्हे गये रोगी स्थायी रोग के शिकार होते हैं और लोकमतायोग के

द्वारा चुने गये अस्थायी रोग के शिकार होते हैं। अस्पताल में चिकित्सा केवल अस्थायी रोगियों की होती है, स्थायी रोगी तो अपने रोग के प्रति इतने अधिक आसक्त हो जाते हैं कि इलाज कराने से ही वे विद्रोह करते हैं और कौशिश यह करते हैं कि उनवी बदकिस्मती से जो उनके सिर पर अस्थायी रोगी आ गये हैं वे उनकी भी अपनी छूत से स्थायी बना डालें। अस्थायी रोगियों की मुसीबत यह है कि उन्हें अपने मरीज परिचारकों की सावधानी के बावजूद भी कभी न कभी चगे लोगों के बीच गुजरना ही पड़ता है, उस समय उनका बुखार एक-दो स्वस्थ हवा के झोंको से अपने आप उतर जाता है। कभी कभी लोकसभाओं में, लोकसभाओं के शानदार भवनों में, देहाती वैद्यों की अजवाइन की धुकनी से उन्हें जब स्वेदन कराया जाता है तो बुखार कुछ हल्का हो जाता है। कभी-कभी हजार-हजार ज्वरोत्तेजक पदार्थों के सेवन के बीच मजलिसों में एकाध बौद्धम प्राकृतिक चिकित्सक ऐसे भी पहुँच जाते हैं जो जबरदस्ती उनके सिर और छाती पर मिट्टी का लेप कर देते हैं। उससे भी उनको क्षणिक राहत मिल जाती है, पर यह राहत तभी मिलती है जब कि उनके दाँवें बाँवें कोई स्थायी रोगी न हो। स्थायी रोगी न हो यह तभी सम्भव होता है जब कि वे बिलकुल ही असावधान हो जायें। चाहे सारी दुनिया असावधान क्यों न हो, वे अपने रोग के पालने से कभी भी असावधान नहीं होते। इसीलिए बिरसे ही ऐसे स्थायी रोगी मिलेंगे जो रोग की अवधि के बीच में स्वास्थ्य के क्षण प्राप्त कर सकें। तब सवाल यह है कि अस्पताल क्यों खुला ? और हैदराबाद में क्यों खुला ? दक्षिण की दिल्ली में क्यों खुला ? समूचे भारत की दिल्ली में क्यों नहीं खुला ? अस्थायी रोगियों के लिए क्यों खुला ? स्थायी रोगियों के लिए क्यों नहीं खुला ?—इन सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। अस्पताल खुला, यही बहुत है। पुराने रोगी अच्छे हो न हों, नये रोगियों के लिए उनके अभिभावक को एक छुटकारे का भरोसा तो हो गया। रोग के कीटाणुओं से जब हवा के भी ह्यास गुम हो तो छोटी-सी चदन की पत्ती से की गयी हवा भी बहुत बड़ा वाण देती है। यह अस्पताल चाहे सरकार की गसती से ही क्यों न खुला हो और चाहे गसती से ही इसका सही नाम दे दिया गया हो, चाहे इस नाम के बावजूद भी वहाँ चिकित्सा

की कोई भी व्यवस्था न हो, पर यह सही है कि मात्र यह नाम जन-मन को बहुत दिलासा देता है, क्योंकि रोग से अधिक लोग रोगियों से परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये रोगी हर एक खिड़की से झाँकने की कोशिश कर रहे हैं हर एक हँसी खुशी की चाँदनी में बादलों की घटा बनकर छाने लगे हैं, और हर एक शिल्प और हर एक रचना पर अपनी मोहर लगाने के लिए व्याकुल हैं। यह अस्पताल खुला इससे बड़ी पवन को मुक्ति की आशा बँधी, अवगुठन में कुण्ठित प्रतिभावों को सूर्यम्पश्या होने का सपना दिखा राजमार्ग पर मोटरों की दौड़ धूप के बीच पैदल चलनेवाले सूर्य को निबाध गति से आगे बढ़ने का साहस मिला, अपने ही नारे से बहरी स्वाधीनता को अपने पास ही बहनेवाली जीवन-स्रोतस्विनी के कलकल निनाद की झनक मिली और सूतो तथा मागधों की जय जय-कार से सहमी हुई बल कूकिनी को कठ खोलने की उत्कठा मिली। इस प्रभुत्व ज्वर अस्पताल के पीछे भारत की जन भावना है और इसकी सफलता के लिए हमारी शुभकामनाएँ।

हिप्पियो का 'हैवन'-वाराणसी

शिवप्रसाद सिंह

१११

उलझे हुए बड़े के पोंते की तरह बाल, कमर के नीचे तक बिलकुल नग्न, ऊपरी भाग में वेडव मिनी ब्लाउज या लवा फीता जो स्तनों को बाँध सके, काशी की सड़को पर चलनेवाली इस नयी तीर्थ यात्री का नाम है 'हिप्पिन'। बनारसवाले पापाण सभ्यता के दिनों से या यो वहे बंमिप्रयन युग से यानी जब से त्रिभंगी आकार का जानवर जो बाद में मनुष्य बना, समुद्री दलदल में रहता था, तब से कभी भी आधुनिक या प्राचीन सभ्यता के आवरण के पूजक नहीं बने। लाल गाउटी कमर के ऊपर, लाल गाउटी कमर के नीचे, एक पचक का पान मुँह में दवाये सारे विश्व को अपनी 'बद-बद' आवाज से दबका देने के अभिमानी ये बनारसी भी अब हिप्पी या हिप्पिन की पोशाक या पोशाकहीनता से परेशान होने लगे तो सोचना पडा कि वही बनारस बदल तो नहीं रहा है।

'काशी में साले हिप्पी-हिप्पिन भर गये हैं, सामान उठाकर देखत हैं, धीरे से पाकेट में रखकर चल देत हैं।' विश्वनाथ गली के लाला जैठामल गमगीन भाव से कहते हैं।

"काहे को इस कदर बिफरते हो लाला !" बगल से नवयुवक दुकानदार बोलता है—'चार आने की माला गयी। नवली रुद्राक्ष की ही तो थी, बदले में कितना बडा सतोप मिला।"

'सतोप किस बात का रे, तू सखा हिप्पिन पर आँख लगाये ज़ाटक साध रहा था। तुझे मिला होगा सतोप वतोप। अपनी तो नाक में अब भी गजि की दुगंध भरी है।'

"सतोप का कारण पूछ रहे हो साला, तो सुनो" नवयुवक बोला—'सबसे बडा कारण यह है कि गार भी भिखारी होते हैं। सारी दुनिया में हिंदुस्तान की जहालत और गरीबी के ये ढँडोरची निक्सन साहब अपने देश के इन लाखों भिखमगो का इतजाम क्यों नहीं करते ? जहाँ जाओ एक-न-एक जोडा फटेहाल घूम रहा है। आखिर अमरीका तो ससार का सबसे बडका देश है, लोग कहते हैं, वहाँ घी-दूध की नदियाँ बहती हैं, फिर वहाँ के ये तसछोट हिंदुस्तान में क्या करने आ रहे हैं ?"

“हाँ, हो सकता है कि इसमें थोड़ा-सा सतोप मिल जायेगा कि हम से भी दरिद्र और लोग हैं, पर भाई, इन सबों की बेहयाई बड़ी घुरी चीज है। इनकी देखा-देखी, अपने शहर या मुल्क के कही, लौंडे घुरी तरह शोहदे होते जा रहे हैं।”

उपर्युक्त किस्म की बातचीत आप विश्वनाथ गली के अलावा और भी जगहों में, चायघरों में, मुहल्लों के नुककड़ पर, पान की दुकानों के सामने सुन सकते हैं।

लोग-बाग इन विदेशियों को सिर्फ एक नाम से पुकारते हैं, वह है हिप्पी। पर इन लोगों के रहन-सहन के तौर-तरीके, रस्म रिवाज, ध्यान-धरारणा और मत्त-मान्यता का यदि लेखा-जोखा किया जाये तो पता चलेगा कि इसमें अनेक दल हैं, अनेक गुट हैं। प्राचीन भाषा में कहे तो अनेक संप्रदाय हैं।

हम जिन्हे हिप्पी कहते हैं, वे वस्तुतः नाना प्रकार की परिस्थितियों और मान्यताओं के विरोध में लड़ते लड़ते टूटे हुए लोगों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं। इन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों का खुलेआम इजहार नहीं किया जिनके कारण इन्हें अपना घरबार छोड़कर इस तरह उखड़े हुए लोगों का जीवन स्वीकार करना पड़ा। इनमें बहुतेरे अमरीबन हैं जो वियतनाम युद्ध में जबदंस्ती भरती किये जाने के डर से भागे। अनेक पश्चिमी सभ्यता के दिखावटीपन और व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने वाली व्यवस्था से विरोध करके भागे हैं। अनेक वहाँ के समाज में अपने को फिट न कर सकने की मजबूरी के कारण गृह-त्यागी बने।

ये जैसे भी, जिन कारणों से निर्वासित हुए या यों कहिए स्वयंकृत निर्वासन को स्वीकार किया, इनके अंदर एक विचित्र प्रकार की रहस्यात्मक प्रवृत्ति की प्रधानता दिखायी देती है। हम हिंदुस्तानियों के लिए 'रहस्य' की बात करना पोगापथी लगता है क्योंकि हम परंपरा से ईश्वर और उसके इदं गिद विशाल बूडे की तरह जमा सिद्धांतों से इतने आक्रांत रहे हैं कि उस मलबे की चर्चा मात्र ही हमें परेशान करने लगती है। वस्तुतः हम आधुनिकता के ढोंग से, पश्चिमी ससृति के आकषिष्य से इतने आक्रांत हैं कि विशाल ब्रह्मांड को देखने और उसके भीतर विद्यमान अद्भुत रहस्यात्मकता के प्रति सचेत होने को ही अवगुण

मानने लगे हैं। यह एक दूसरे तरह की प्रतिप्रिया है, पर है और इसे जीवन का लक्षण नहीं माना जा सकता। एक बार सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइसटाइन ने कहा था—“जो सर्वाधिक सुंदर और गभीर भावना हम अनुभव कर सकते हैं वह रहस्य की अनुभूति है। यही सभी यथार्थ विज्ञानों का मूल है। वह व्यक्ति जो इस भावना से अनभिज्ञ है और जो इसके कारण विस्मय और कौतूहल में नहीं पड़ता, मृतक के समान है। वह चीज वस्तुतः कृपा है, जिसकी चाह हम नहीं पाते और जो अपने में उच्चतम बुद्धिमत्ता और परम सुंदरता को जिसे हमारी इद्रियाँ उसके मूल स्वरूप में ही ग्रहण कर सकती हैं, समाहित किये हुए है वह ज्ञान, वह अनुभूति ही सच्ची धार्मिकता का केंद्र-बिंदु है। मेरा धर्म इस अनंत शक्ति के प्रति श्रद्धा है।”

आपको आइसटाइन के इन कथनों की सत्यता पर विश्वास न हो तो कृपा करके लिकन वानॉट की पुस्तक 'द यूनिवर्स एंड डॉक्टर आइसटाइन' का अंतिम अध्याय अवश्य देख लें। आँख नहीं भी खुले तो कोई हर्जं नहीं, आँख खोलकर उसे पढ़ जाने से कोई नुकसान नहीं होगा।

मैं इन हिप्पियों की जिस ^{व्यक्ति} ^{से} ^{सर्वाधिक} प्रभावित हुआ, वह है इतकी रहस्य को जानने की अदम्य इच्छा। यह कभी-कभी बड़ा माबिड रूप ले लेती है, यह सही है, पर वहाँ विराट् ^{अभीष्टा} है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।

बस्ती मुहल्ले में एक हिप्पी परिवार है जो रामनामी चादर पहनता-ओढ़ता है। उनका एक चार साल का विशोर बालक है, खूब गुदगुदा, गोलमटोल, आकर्षक। वह पीले रंग की बछनी पहने था। और सिर पर पीले रंग के फीते से मयूरपंख बाँधे था। गोरे चेहरे पर ललाट के बीचोबीच लगा चंदन का तिलक खूब पक्का रहा था। वह अपनी हिप्पिन माँ के साथ पान की दुकान पर आया। माँ ने चार पान लगवाये। बड़े-बड़े जगन्नामी पत्ते, भीठे। लडके ने दो बीठे, जो एक छोटे मूँह के लिए काफी भारी थे, होंठों में दबा लिये। उसकी माँ मुसकरायी। लडके ने हँसने की कोशिश की तो पीली बछनी को दागदार बना लिया। बस्ती के दो-चार हमउम्र लडकों ने उसे खुदका मारा। वह भाग चला।

उसकी माँ उसका हाथ पकड़े लडके पर चल दी। लडके ही-हो करके

हँसते रहे। मैं उन भी-बेटे को उसी तरह मुसकराते हुए सड़क पर जाते देखता रहा। 'स्वाँग'—कोई बोला। पर मुझे वही स्वाँग नहीं नज़र आया। मुझे सुरदास बुरी तरह क्षिप्तोड रहे थे और मैं मन ही मन दुहरा रहा था : *ओ टू टू*

नटवर रूप अनूप छवीलौ सबहिनि के मन भावत ।

चदन खौरि काछनी काछे वेनु रसाल बजावत ॥

बाँसुरी की बात आ गयी तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य तोरण के सम्मुख घटित एक घटना याद आ गयी। वह भी हिप्पी था। खूब स्वस्थ, नौजवान। गले में नाना रंगों के *गरियों* की सस्ती मालाएँ पहने था। सफ़ेद छादी का पामजामा और कुरता उसके भरे-भरे मोरे वदन पर खूब *सोहते* थे। वह हाथ में बाँस की बाँसुरी लिये था जिसे वेसुरे ढग से बजा रहा था। पीछे-पीछे एक कोडी देशी बच्चे तालियाँ बजा-बजाकर उसे चिढ़ा रहे थे। बच्चे जब बहुत पास आ जाते तो वह बाँसुरी हाथ में लेकर खड़ा हो जाता और उनकी ओर मुड़कर बदर की तरह षो-खो करता। लडके भागकर पीछे हट जाते। पर उनकी कर-तालिका वैसे ही खनखनाती रहती।

अस्ती के ही एक मित्र ने मुझसे कहा, "आइए, आपसे परिचय कराऊँ।" सामने एक हिप्पी दम्पति खड़े थे। उन्हें देखकर हिप्पी ने पैर छुए। मित्र बोले—"ये हैं गार्टन शैव और ये हैं उनकी भैरवी।" लडकी मुसकरायी। मैंने गार्टन को देखा, तो देखता रहा। सुनहले लंबे बालों को उसने शिव के जटाजूट की तरह बाँध रखा था। उसके साथ की हिप्पिन लाल रंग की साड़ी पहने थी। मैंने मित्र से पूछा आपसे इनका परिचय कैसे हुआ। बोले—"ये मेरे यहाँ प्रतिदिन सस्कृत पढ़ने आते हैं।"

मुझे तभी गिसबर्ग की याद आयी जिन्होंने अमरीकी कचहरी में गंजि पर से प्रतिबध हटाने की माँग की थी क्योंकि शैव होने के कारण गाँजा पीना उनके धार्मिक जीवन का अंग है। हर-हर-बब-बब शकर ! क्या बात है ! गिसबर्ग और पीटर बीटनिक हैं, हिप्पी नहीं। गार्टन हिप्पी हैं, बीटनिक नहीं, पर दोनों शैव हैं इसमें सदेह नहीं। कही रामनामी चादर है, मयूरपख है, कही गंजि की चिलम है, जटाजूट है, कही बाँसुरी है, गले में मनियाँ हैं, कही हरे रामा हरे कृष्णा दल है, कही

वही कुछ ।

मैं इन हिप्पियो पर सोचता हूँ तो एक अजीब विस्म के चक्कर में फँस जाता हूँ । मैंने सोचा कि ये सबके सब दिखावटी व्यवहार में पट्टे, चालू विस्म के चट हैं, जो गाँजा पीते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, स्वतंत्र कामाचार और यौन-संबन्ध इनके लिए दिनचर्या है, ये सब प्रकार से उठाईगीर, निकम्मे और उरफट्टू लोग हैं जो यहाँ आकर हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने पर तुले हुए हैं । बनारस विश्व का सबसे पुराना शहर है न, इसीलिए इसके कुछ मुहल्लों में ऐसी गली-दर-गलियाँ हैं कि वहाँ पुलिस भी नहीं पहुँच सकती । ऐसी ही गलियों में पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर, टूटी हुई दीवालवाले खडहरों में, गंगाघाट के पास सीढ़ियों की आड़ में बने भुइयारों में ये छिपे रहते हैं । लबा, गदा, दाढ़ीवाला हिप्पी और उसकी बगल में अधनगी, गोरी पिंडलियाँ झल-कातो मचक-मचककर चलती हिप्पिन युगल-यात्रा ऐसे ही चलती रहती है कि एक दिन लोग देखते हैं कि हिप्पिन की गोद में एक बालक आ गया है । मैं पूछता हूँ और जानना चाहता हूँ कि बालक आने के बाद ये वंष्णव होते हैं या पहले । कहीं ऐसा तो नहीं कि शैव और वंष्णव के बीच में बालक ही विभाजक रेखा बन जाता है ?

हरे कृष्णा, बंब-बंब शकर, रविशकर के सितारिये, तत्र के प्रेमो, औषड और महेश योगी के चेले बीटल्स और बीटनक्स और स्मगलर्स और स्पाईड जाने कितने गिरोह हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने टंबूज हैं, कितने टोटके हैं, कितने चोले हैं, कितने टोले हैं । कोई कहता है कि हिप्पिनों पढ़नेवाले नौजवान छोरों को फुसलाती हैं और पैसे लूटती हैं, कोई कहता है कि भरभुखे हैं, सबी-गली चीजों पर भी टूट पड़ते हैं और कितनी बार तो बिना पैसे दिये भाग खड़े होते हैं ।

प्रधानमंत्री ने इनकी प्रशंसा में दो याक्य बह दिये तो कुहराम मच गया ।

अस्सी चौराहे पर एक हिप्पी प्रधानमंत्री को भला-बुरा कह रहा था । दो-चार नौजवानों ने टोका तो और गर्माया और थमरीका के गेहूँ पर पलनेवाले हिंदुस्तानियों को ललकार उठा । नतीजा यह हुआ कि भीड़ बढ़ गयी । छाती भीड़ । उन दो-चार नौजवानों और हिप्पी को घेर

कर भीड़ यों खड़ी थी कि जैसे आज ही कले (मुहम्मद अली) और फ्रेजर की मुक्केबाजी की चैंपियनशिप का फैसला होने को है। हिप्पी तना हुआ था, नौजवान भी अकड़े थे कि दोनों ओर से घूसेबाजी शुरू हो गयी। मानना पड़ेगा कि हिप्पी ज्यादा सघना मुक्केबाज था। भीड़ में से दो-चार और आ गये तब कहीं वह जमीन पर गिरा। गिरते ही चिल्लाया, 'पुलिस, पुलिस।' उसको गिरा देख भीड़ छंटने लगी। चौराहे पर एक पुलिसवाला खड़ा था। हिप्पी चिल्लाये जा रहा था—'पुलिस, पुलिस।'

पुलिसवाले को याद पड़ा कि कहीं से ^{कहीं} गृहार्थ हुई है। वह सीधे पट्टे पड़े हिप्पी के पास पहुँचा, उसे देखकर हिप्पी ने साहस के साथ कहा—'पुलिस' और उठने की कोशिश की। पुलिसवाले ने दो डंडे उसकी जाँघों पर जड़ दिये। "साले, गाली दो प्राइम मिनिस्टर को—चलो थाने।" हिप्पी पुलिसवाले की यह न्यायप्रिय मुद्रा देखकर झटके से उठा और गंगा नदी की ओर भाग चला। लोग हँसते-हँसते लोट-पोट हो गये।

दुर्गा मंदिर के सामने पानवाले ने मेरे सामने एक मोटा-सा लिफाफा रख दिया। मैंने उलट-पुलटकर देखा। लिफाफा अमरीका से आया था। उस पर कैलिफोर्निया की मुहर भी थी। लिफाफा खुला था। बुकपोस्ट। भीतर एक पुर्तिका थी। काफी बारीक साइक्लोस्टाइल लिखावट में डेर-सी इवारत थी। पता लिखा था—दुर्गा टेंपल, चाराणसी, इंडिया। मैंने पढ़ना शुरू किया। आरंभिक अक्षर का हिंदी तजुर्मा कुछ इस कदर होगा—“नमस्ते देवि दुर्गे, तू सकल पृथिवी की नियता है, माँ है, सहा-रिणी है, वाली है, तू चंडी है, खड्गमुड का वध करने वाली है, असुर-विनाशिनी है, तू आइसिस है, मिस्र की देवी है तू देमेतेर और मेडोना है, तू रास सामरा है, तू ईस्तर है, तू सेरेस है जिसके हाथों में जीवों के जीवन के लिए जो की बालियाँ हैं, माँ दुर्गे, तू तारा है, बुद्ध शासन की देवी है, तू जैन देवी पद्मावती है, तू फारचूना है ...।”

मैं चकरा गया, अभी तक शैव, वैष्णव, औघड, अवधूत यही दिखायी पड़े थे। यह शक्ति भी आ गया। मैंने वह लिफाफा ले लिया और मे सुनिश्चित भाव से पढ़ने लगा। मुझे लगा कि यह कोई है जो मदाम ब्लेवातस्वी के 'आइसिस अन्वेल्ड' से लेकर

एरिव न्यून के 'गॉड-मदर आकॅटाइप' तक की विकास परंपरा का पूरा हिसाब जानता है, जिसके धारों में निवेदिता की 'बाली : द मदर' की पवित्रता गुंजती रहती है। कितनी मेहनत के साथ उसने आधा जीवनी शक्ति के रहस्यों को जानने की इतनी विशाल कोशिश की है। मेरा मन सुदूर कैलिफोर्निया में बैठे उस अमरीकी के प्रति श्रद्धा से भर गया, जिसने अपनी महीनो की मेहनत से लिखी इस 'नूतन शक्ति स्तोत्र-रत्नावली' को विश्व के मानु मंदिरों के नाम अर्पित किया। नीचे कहीं कोई नाम नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि वह अमरीकी 'पलावर जेन-रेशन' से सबद्ध है या 'पॉप जेनरेशन' से। मुझे नहीं मालूम वह हिप्पी है कि बीटनिक, पर मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि उसके इस प्रयत्न को स्वांग नहीं कहा जा सकता। उसके पास साधनों का अभाव हो सकता है, वह जॉन बूडरफ नहीं बन सकता, परंतु उसकी निष्ठा में सदेह करना अनुचित ही नहीं, अपराध होगा।

मुझे हिप्पियो से सहानुभूति नहीं है। क्यों? यह पूछने की जरूरत नहीं। नहीं है बस। पर मैं उनके भीतर विद्यमान रहस्य को जानने की अबाध अभीप्सा से बहुत प्रभावित हूँ। कितने हैं हमारे यहाँ ऐसे लोग जो घर-परिवार की सुख-सुविधा छोड़कर अपने को निर्वासित कर लें? कितने हैं ऐसे लोग जो अपने शरीर की अदरुनी शक्तियों का अनुभव करने के लिए मारक नशीली दवाओं का अपने ऊपर ही प्रयोग करें? कितने हैं ऐसे लोग जो अपनी सभ्यता और सस्कृति को मुमूर्षु देखकर एक नयी जीवत सस्कृति की खोज में इस तरह दर-दर की ठोकरें खाते फिरें?

आप कहेंगे कि यह गलीज को महान् बनाने की मिथ्या कोशिश है। जो हो, बुराई के भीतर छिपी अच्छाई से आँख मूंद लेना भविष्यत् मान-वता की आचार संहिता को स्वीकार्य नहीं होगा। आप इस पर खुले मन से सोचें, बस।

ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई

चार बार मैं गणतंत्र दिवस का जलसा दिल्ली में देख चुका हूँ। पाँचवीं बार देखने का साहस नहीं। आखिर यह क्या बात है कि हर बार जब मैं गणतंत्र समारोह देखता, तब मौसम बड़ा क्रूर रहता। २६ जनवरी के पहले ऊपर बर्फ पड़ जाती है। शीत-लहर आती है, बादल छा जाते हैं, बूँदाबाँदी होती है और सूर्य छिप जाता है। जैसे दिल्ली की अपनी अयंनीति नहीं है, वैसे ही अपना मौसम भी नहीं है। अयंनीति जैसे डालर, पौंड, रुपया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष या भारत सहायता क्लब से तय होती है, वैसे ही दिल्ली का मौसम कश्मीर, सिक्किम, राजस्थान आदि तय करते हैं।

इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि मान लूँ, जिस साल मैं समारोह देखता हूँ, उसी साल ऐसा मौसम रहता है। हर साल देखनेवाले बताते हैं कि हर गणतंत्र दिवस पर मौसम ऐसा ही धूपहीन ठिठुरनवाला होता है।

आखिर बात क्या है? रहस्य क्या है?

जब कांग्रेस टूटी नहीं थी, तब मैंने एक कांग्रेसी मंत्री से पूछा था कि यह क्या बात है कि हर गणतंत्र दिवस को सूर्य छिपा रहता है? सूर्य की किरणों के तले हम उत्सव क्यों नहीं मना सकते? उन्होंने कहा—“जरा धीरज रखिए। हम कोशिश में लगे हैं कि सूर्य बाहर आ जाये। पर इतने बड़े सूर्य को बाहर निकालना आसान नहीं है। बरत लगेगा। हमें सत्ता के कम-से-कम सौ वर्ष तो दीजिए!”

दिये। सूर्य को बाहर निकालने के लिए सौ वर्ष दिये, मगर हर साल उसका कोई छोटा काना निकलता तो दिखना चाहिए। सूर्य कोई बच्चा तो है नहीं जो अतरिक्ष की कोख में अटका है, जिसे आप एक दिन ऑपरेशन करके निकाल देंगे।

इधर जब कांग्रेस के दो हिस्से हो गये तब मैंने एक इंडिकेटी कांग्रेसी से पूछा। उसने कहा—“हम हर बार सूर्य को बादलों से बाहर निवाले की कोशिश करते थे, पर हर बार सिंडिकेटवाले अडगा डाल देते थे। अब हम वादा करते हैं कि अगले गणतंत्र दिवस पर सूर्य को निक

दिखायेंगे ।”

एक सिंडिकेटी पास खड़ा सुन रहा था । वह बोल पड़ा—“यह लेडी (प्रधानमंत्री) कम्युनिस्टो के चक्कर में आ गयी है । वही उसे उकसा रहे हैं कि सूर्य को निकालो । उन्हें उम्मीद है, बादलों के पीछे से उनका प्यारा ‘लाल सूरज’ निकलेगा । हम कहते हैं कि सूर्य को निकालने की क्या जरूरत है ? क्या बादलों को हटाने से काम नहीं चल सकता ?”

मैं ससोपाई भाई से पूछता हूँ । वह कहता है—“सूर्य गैर-कांग्रेसवाद पर अमल कर रहा है । उसने डॉक्टर लोहिया के बहने से हमारी पार्टी का फार्म भर दिया था । कांग्रेसी प्रधानमंत्री को सलामी लेते वह कैसे देख सकता है ! किसी गैर-कांग्रेसी को प्रधानमंत्री बना दो, तो सूर्य क्या, उसके बच्चे भी निकल पड़ेंगे ।”

जनसंधी भाई से भी मैंने पूछा । उसने साफ कहा—“सूर्य सेवयुलर होता तो इस सरकार की परेड में निकल आता । इस सरकार से आशा मत करो कि वह भगवान् अशुमाली को निकाल सकेगी । हमारे राज्य में ही सूर्य निकलेगा ।”

साम्यवादी ने मुझसे साफ कहा—“यह सब सी० आई० ए० का पड्यत्र है । सातवें बेंडे से बादल दिल्ली भंजे जाते हैं ।”

स्वतंत्र पार्टी के नेता ने कहा—“रूस का पिछलग्गू बनने का और क्या नतीजा होगा !”

प्रसोपा के भाई ने अनमने ढंग से कहा—“सयाल पेचोदा है । नेशनल कौंसिल की अगली बैठक में इसका फैसला होगा, तब बताऊंगा ।”

राजाजी से मैं मिल नहीं सका । मिलता, तो वह इससे बिबा क्या कहते कि इस राज में तारे निपलते हैं, यही घनीमत है ।

मैं इतकार चहुँगा, जब भी सूर्य निकले ।

स्वतंत्रता-दिवस भी तो भरी बरसात में होता है । अंग्रेज बहुत चालाक हैं । भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले गये । उस कपटी प्रेमी की तरह भागे, जो प्रेमिका का छाता भी से जाये । वह बेचारी भीगती बस-स्टैंड जाती है, तो उसे प्रेमी की नहीं, छाता-घोर की याद सताती है ।

स्वतंत्रता-दिवस भीगता है और गणतंत्र-दिवस टियुरता है ।

मैं ओवरकोट में हाम टाने परेड देखता हूँ । प्रधानमंत्री किभी

विदेशी मेहमान के साथ घुली गाड़ी में निकलती हैं। रेडियो टिप्पणीकार कहता है—'घोर बरतल-ध्वनि हो रही है।' मैं देख रहा हूँ, नहीं हो रही है। हम सब तो बोट में हाथ डाले बैठे हैं। बाहर निकालने का जी नहीं होता। हाथ अकड़ जायेंगे।

लेकिन हम नहीं बजा रहे हैं, फिर भी तालियाँ बज रही हैं। मैदान में जमीन पर बंटे वे लोग बजा रहे हैं, जिनके पास हाथ गरमाने के लिए काट नहीं है। सगता है, गणतंत्र ठिठुरते हुए हाथों की तालियों पर टिका है। गणतंत्र को उन्ही हाथों की ताली मिलती है, जिनके मालिक के पास हाथ छिपाने के लिए गर्म कपडा नहीं है।

पर कुछ लोग कहते हैं—'गरीबी मिटनी चाहिए।' सभी दूसरे कहते हैं—'एसा कहनवाले प्रजातंत्र के लिए घतरा पदा कर रहे हैं।'

गणतंत्र समारोह में हर राज्य की झाँकी निकलती है। ये अपने राज्य का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। 'सत्यमेव जयते' हमारा मोटो है। मगर झाँकियाँ झूठ बोलती हैं। इनमें विवास-कार्य, जनजीवन, इतिहास आदि रहते हैं। असल में हर राज्य को उस विशिष्ट बात को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए जिसके कारण पिछले साल वह राज्य मशहूर हुआ। गुजरात की झाँकी में इस साल दमे का दृश्य होना चाहिए, जलता हुआ घर और आग में झोके जाते बच्चे। पिछले साल मैंने उम्मीद की थी कि आंध्र की झाँकी में हरिजन जलाते हुए दिखाये जायेंगे। मगर एसा नहीं दिया। यह कितना बड़ा भूठ है कि कोई राज्य दमे के कारण अंतरराष्ट्रीय ख्याति पाये, लेकिन झाँकी सजाये लघु उद्योगों की। दमे से अच्छा गृह-उद्योग तो इस देश में दूसरा है नहीं। मेरे मध्यप्रदेश ने दो साल पहले सत्य के नजदीक पहुँचने की कोशिश की थी। झाँकी में अकाल-राहत कार्य बतलाये गये थे। पर सत्य अछूरा रह गया था। मध्यप्रदेश उस साल राहत कार्यों के कारण नहीं, राहत कार्यों में घपले के कारण मशहूर हुआ था। मेरा मुझाव माना जाता तो मैं झाँकी में झूठे मस्टर-रोल भरते दिखाता छुकारा बनने वाले का अँगूठा हजारों मूखों के नाम के तागे लगवाता, नेता, अफसर, ठेकेदार के बीच लेन-देन का दृश्य दिखाता। उस झाँकी में वह बात नहीं आयी। पिछले साल स्कूलों की 'टाट-पट्टी' काड से हमारा राज्य मशहूर हुआ। मैं पिछले साल की झाँकी में यह

दृश्य दिखाता—मन्त्री, अफसर बगैरह खड़े हैं और टाटपट्टी छा रहे हैं।

जो हाल नाँकियों का, वही घोपणाओ का। हर साल घोपणा की जाती है कि समाजवाद आ रहा है। पर अभी तक नहीं आया। वहाँ अटक गया? लगभग सभी दल समाजवाद लाने का वादा करते हैं, लेकिन वह नहीं आ रहा।

मैं एक सपना देखता हूँ। समाजवाद आ गया है और बस्ती के बाहर टोले पर खड़ा है। बस्ती के लोग भारती सजाकर उसका स्वागत करने को तैयार खड़े हैं। पर टोले को घेरे खड़े हैं कई तरह के समाजवादी। उनमें से हरेक लोगो से कहकर आया है कि समाजवाद को हाथ पकड़कर मैं ही लाऊँगा।

समाजवाद टोले से चिल्लाता है—“मुझे बस्ती में ले चलो।”

मगर टोले को घेरे समाजवादी कहते हैं—“पहले यह तप होगा कि कौन तेरा हाथ पकड़कर ले जायेगा।”

समाजवाद की घेराबंदी कर रखी है। ससोपा-प्रसोपा वाले जन-साक्षिक समाजवादी हैं, पीपुल्स डेमोक्रेसी और नेशनल डेमोक्रेसी वाले साम्यवादी हैं, दोनों तरह के कांग्रेसी हैं, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर वाले हैं। श्रांतिकारी समाजवादी हैं। हरेक समाजवाद का हाथ पकड़कर उसे बस्ती में ले जाकर लोगो से कहना चाहता है—“लो, मैं समाजवाद ले आया।”

समाजवाद परेशान है। उधर जनता भी परेशान है। समाजवाद आने को तैयार खड़ा है, मगर समाजवादियों में आपस में घोल-घप्पा हो रहा है। समाजवाद एक तरफ उतरना चाहता है कि उस पर पत्थर पड़ने लगते हैं। “खबरदार, उधर से मत जाना।” एक समाजवादी उसका एक हाथ पकड़ता है, तो दूसरा, दूसरा हाथ पकड़कर उसे छींचता है। सब बाकी समाजवादी छीना-झपटी करके हाथ छुड़ा देते हैं। सह-सुहान समाजवाद टोले पर खड़ा है।

इस देश में जो जिसके लिए प्रतिबद्ध है, वही उसे नष्ट कर रहा है। सैद्धांतिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध लोग ही सैद्धांतिकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं। सहकारिता के लिए प्रतिबद्ध इस आंदोलन के लोग ही सहकारिता को नष्ट कर रहे हैं। सहकारिता तो एक सिपिट है। सब मिलकर

सहकारितापूर्वक खाने लगते हैं और आदोलन को नष्ट कर देते हैं। समाजवाद को समाजवादी ही रोके हुए हैं।

यो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि अब समाजवाद आ ही रहा है। मैं एक कल्पना कर रहा हूँ।

दिल्ली में फरमान जारी हो जायेगा—“समाजवाद सारे देश के दौरे पर निकल रहा है। उसे सब जगह पहुँचाया जाये। उसके स्वागत और सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाये।”

एक सचिव दूसरे सचिव से कहेगा—‘लो, ये एक और वी०आई०पी० आ रहे हैं। अब इनका इतजाम करो। नाक में दम है।’

क्लेक्टरों को हुक्म चला जायेगा। क्लेक्टर एस० डी० ओ० को लिखेगा, एस० डी० ओ० तहसीलदार को।

पुलिस दफ्तरों में फरमान पहुँचेंगे—‘समाजवाद की सुरक्षा की सँपारी करो।’

दफ्तरों में बड़े बाबू छोटे बाबू से कहेंगे—‘काहे हो तिवारी बाबू, एक कोई समाजवाद वाला कागज आया था न! जरा निकालो।’

तिवारी बाबू कागज निकालकर देंगे। बड़े बाबू फिर से कहेंगे—‘अरे वह समाजवाद तो परसो ही निकल गया। कोई लेने नहीं गया स्टेशन? तिवारी बाबू, तुम कागज दबाकर रख लेते हो। बड़ी खराब आदत है तुम्हारी।’

तमाम अफसर लोग चीफ सेक्रेटरी से कहेंगे—‘सर, समाजवाद बाद में नहीं आ सकता? बात यह है कि हम उसकी सुरक्षा का इतजाम नहीं कर सकेंगे। दशहरा आ रहा है। दगे के आसार हैं। पूरा फोर्स दगे से निपटने में लगा है।’

मुख्य सचिव दिल्ली लिख देगा—‘हम समाजवाद की सुरक्षा का इतजाम करने में असमर्थ हैं। उसका आना अभी मुलतवी किया जाये।’

जिस शासन-व्यवस्था में समाजवाद के आगमन के कागज दब जायें और जो उसकी सुरक्षा की ध्यवस्था न करे, उसके भरोसे समाजवाद लाना है तो ले आओ। मुझे खास ऐतराज भी नहीं है। जनता के न आकर अगर समाजवाद दफ्तरों के द्वारा आ गया तो एक घटना हो जाएगी।

दक्षिणी सबलगढ़ का घायल शेर भगवतीशरण सिंह

उस दिन दक्षिणी सबलगढ़ में शिकार खेलने का इतजाम हुआ था। राजा साहब साहनपुर और उनके दोनो भाई भी आये थे। राजा जसजीतसिंह भी साथ में थे और हम सब एक खुली जीप में शाम का इतजाम देखकर गश्त लगाते हुए चिडियाघर विश्रामगृह की ओर लौट रहे थे। हल्का-सा झटपुटा हो चला था किंतु अभी जीप की रोशनी जलाने का बकत नहीं हुआ था। हम धीरे-धीरे बातें करते हुए चल रहे थे। हमारी आवाज इतनी धीमी थी कि जीप की घर्माहट में डूबी रहती थी। आसपास वालों के लिए केवल जीप के चलने की आवाज ही सुनायी देती थी।

लड्डन खाँ जीप पर पीछे बैठे हुए बराबर इस बात की ताकीद करत जा रहे थे कि 'गुलदार' के निकलने का ऐन वैकत हो रहा है, जीप जरा धीरे चलायी जाये।' हम उनका मजाक उठाने में लगे थे। पर यह मजाक उस दिन महंगा पड गया। लड्डन खाँ ने सहसा थोड़ी दूर पर पडी एक काली चीज को दिखाते हुए कहा, 'तीतर'। जसजीतसिंह की दुनाली 'चंचल' यकवत् जैसे घूमी और उससे निकले हुए कारतूस के छरों ने उस काली चीज के फाँड़े उडा दिये। मालूम हुआ वह गोबर था। फिर क्या था, हम सब जसजीतसिंह साहब या मजाक बनाने में पिल पडे और लड्डन खाँ अपने रसवाद पर मन-ही-मन गर्व करने लगे। हम सब विश्रामगृह से लगभग दो मील रह गये थे कि दाहिनी ओर से गुजरता हुआ एक गुलदार दिखायी पडा। वह इतने परीत्र से और धीरे-धीरे गुजर रहा था कि मेरी २६५ मैगलिनर ग्नुर अपने-आप उसकी तरफ सीधी हो गयी। गोली उसके अगले हिस्से में लगी और यह साफ बिस्त होता हुआ बटो-बटो पान में टूट गया। हमने जीप रोक दी और थोटी देर उगी में बैठे रहे। फिर दुनाली बंदूक से एक झूठा नापर करके उस टुकड़े की ओर बढ़े जिगमे यह गिरा था। हन्वी-मी छानबीन थी। इनमें अंधेरा हो चला था। पापत गुलदार बहा घतर-गाव होगा है, अड बहाँ एक निगान बनाकर हम घुनी-घुनी विश्रामगृह

लौट आये। खयाल यह था कि दूसरे दिन सवेरे हाथी से उसे ढूँढ लेंगे। चूनाचे सवेरे की प्रतीक्षा बड़ी बेसब्री के साथ होने लगी। लड्डन खाँ की दुहरी कामयाबी मिली थी। अब तो राजा जसजोतसिंह की बेवकूफ बनाने में और दूसरी गुलदार के निकलने का 'ऐन वक्त' बताकर गुलदार पर गोली चतवा देने में। अतः वह दूर की लेने लगे थे। किसी तरह सवेरा हुआ और हम झटपट नाश्ता करके हाथियों पर बैठ उस टुकड़े की ओर खाना हो गये। सारा टुकड़ा रोद डाला। घने पेड़ों के नीचे कुछ झाड़ियाँ भी थीं। खून के दाग उस ओर गये थे। अदाज यह हुआ कि गुलदार इन्हीं झाड़ियों में मरा पड़ा होगा। फिर भी उनमें बरोक-टोक जाना न मुमकिन था और न उचित। हमने वह स्थान दो तरफ से झाड़ियों से घेर लिया और एक तरफ दूसरे पेड़ पर अपने शिकारी लड्डन खाँ को बैठा दिया। पेड़ पर चढ़ते ही लड्डन खाँ को गुलदार दिखायी दे गया और वह एक पेड़ की जड़ की ओर इशारा करने लगे। उनके इस इशारे से यकीन हो गया था कि गुलदार जरूर वहाँ दबा हुआ है। यह निश्चय नहीं हो रहा था कि वह मर गया है अथवा अघमरा है। अतः बंदूकों से फायर करते हुए हम धीरे धीरे उन झाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। जब हम बिल्कुल करीब आ गये और हमारी बंदूकों की आवाज के बावजूद गुलदार नहीं निकला, तो यह विश्वास होने लगा कि वह मर गया है। कोई हादसा ^{होना} नहीं हो, अतः हम बड़ी सावधानी बरत रहे थे। पर इतनी सावधानी के बावजूद एक हादसा हो ही गया। इस रौंदा रौंदी में एक हाथी का अगला पाँव, जिस पर राजा साहब के छोटे भाई कुँवर गिरिराजसिंह बैठे थे, एक ऐसे गड्ढे में चला गया जो ऊपर से भरा-भरा मालूम होता था किंतु था गहरा। खैर यह हुई कि हाथी गिरा नहीं, लटककर रह गया। फिर भी इससे उस पर बैठे हुए लोगों का आसन ढीला हो गया। यहाँ तक कि कुँवर गिरिराजसिंह अपनी राइफल लिए हुए नीचे आ गिरे। उन्हें हल्की-सी चोट जरूर आयी लेकिन उनकी बंदूक से गोली नहीं छूटी, बरना जाने कहाँ लगती और क्या होता। हम फिर सँभलकर उन झाड़ियों को रौंदते हुए उस पेड़ तक पहुँच गये लेकिन गुलदार तो क्या उसका प्रेत तक भी वहाँ दिखायी नहीं पड़ा। हमने अपना सारा गुस्सा लड्डन खाँ पर उतारा, जिन्हे दूर से पेड़ पर

बैठते ही गुलदार दिखायी पड़ने लगा था। जब गुस्सा शांत हुआ तो खाँ साहब का फिर मजाक बनाया जाने लगा। खाँ साहब बुजुर्ग आदमी थे और जैसा बार-बार कह चुका हूँ कि बड़े ही अनुभवी शिकारी थे। उनके अनुभव की साख दूर-दूर तक थी। वह केवल हम लोगो के शिकारी ही नहीं थे बल्कि एक घर के जैसे आदमी भी थे और बड़ा दोस्ताना था। इसलिए हम लोग गुस्सा या मजाक एक हद तक ही करते थे और वह भी हर चीज को खुशी-खुशी पी जाते थे। बराबर हँसते रहना और हर चीज का अपनी तरफ से माकूल जवाब देना उनका फर्ज था। तो कुछ भी हो, उस दिन सारा दिन इसी शोर-गुल में तबाह हो गया। कोई काम की बात नहीं हुई और न ही कोई शिकार।

नियमानुसार दूसरे दिन के शिकार का इतजाम तो होना ही था। अतः उस शाम भी कटरे बाँधे गये और दूसरे दिन की प्रतीक्षा होने लगी। दूसरा दिन हुआ। जहाँ-जहाँ कटरे बाँधे थे, वहाँ से धीरे-धीरे एक-एक कर खबरें आने लगी। उस दिन छ कटरे बाँधे थे। लेकिन पाँच जगहों से यह खबर आयी कि कोई कटरा नहीं मारा गया। अब सारी उम्मीदें सिमटकर छठे कटरे पर लग गयी। जहाँ देर हुई, आशा और निराशा के झूले तेज होने लगे। लगभग ग्यारह बजे यह खबर मिली कि छठा कटरा मारा गया। फिर क्या था, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सब जल्दी से घाना खाकर तीसरे पहर चल पड़े। हाथियों को पहले से ही खाना बर दिया गया था। दो बजे दिन हम उस जगह पहुँचे जहाँ से जीप छोड़कर मरे हुए कटरे की खोज करनी थी। आगे आगे मचान, रस्से और दरती लिये हुए वजर और शिकारी मगन और पीछे हाथियों पर हम लोग भँसे की घसीट देखते हुए चले जा रहे थे। आमतौर पर शेर भँसा मारने के बाद बहुत दूर तक उसे नहीं घसीटता। मार की जगह के पास जहाँ भी उसे सुरक्षित स्थान मिलता है, छिपाने लगता है और प्रायः कुछ हिस्सा खाने के बाद-युद्ध भी बहुत दूर नहीं जाता। पर शेर के आचरण के बारे में इदमित्यम् बात आज तक नहीं बही गयी। हमें आश्चर्य हो रहा था कि कटरे की घसीट एक पन्नांग से भी ज्यादा धमी गयी और फिर भी भंगे का पता नहीं चलता। चूँकि यह कटरा बड़ा था और जितनी दूर ले जाया जा रहा था उससे यह अनुमान

हो रहा था कि यह शेर बहुत बड़ा और भयानक होगा। हम धीरे धीरे उसे देखते हुए एक सूखे नाले के किनारे जा पहुँचे। किंतु अभी हैरानी और परेशानिया का अंत नहीं होने वाला था। हमने नाले के किनारे तक घसीट देखी और देखा कि सूखे नाले में बालू होने के बावजूद उस घसीट का आगे कोई पता नहीं था। हाथियों पर बैठे हम लोग स्तम्भित थे। धूपचाप सोच रहे थे कि हो क्या सकता है। एक ही बात बार-बार दिल में आती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शेर फिर उसे घसीटकर वापस ले गया हो। इतने में यकायक नाले की दूसरी ओर दीवार से कुछ मिट्टी खिसकी हुई दिखायी दी। यह मानने को जी नहीं चाहता था कि शेर इस भँसे को लिए छलांग मारकर उस पार गया होगा। कितना भी ताकत-वर शेर क्यों न हो, कटरे को लेकर उस नाले को पार करना आसान बात मालूम नहीं होती। चूँकि मिट्टी खिसकी हुई थी इसलिए ऐसा भी लगता था कि शेर कटरे को लेकर उस पार पहुँच गया है। जब देर तक हम नाले के इसी पार खोज करते रहे और फिर भी कोई उम्मीद नजर नहीं आयी तो हार यककर नाले में उतर आये। नाले के उस पार का किनारा ऊँचा और खड़ा था। इसलिए हाथी उस पार चढ़ नहीं सकता था। हम लोग धीरे धीरे ऐसी जगह खोजने लगे जहाँ से हाथी को आसानी से नाले की दूसरी ओर चढ़ा लिया जाये। थोड़ी दूर जाने पर नाले की दीवार नीची होने लगी और एक जगह से हाथी को चढ़ाना संभव हो गया। हम फिर ऊपर आकर उसी ओर चलने लगे जहाँ से दीवार की मिट्टी खिसकी हुई थी। तीसरे पहर की धूप अटक रही थी। जंगल में भीत-का-सा सन्नाटा हो रहा था। पेड़ों से छनकर आती हुई हवा के अलावा केवल साँस चल रही थी बाकी सब चुप। हाथी दबे पाँव महाव्रत के इशारे पर आगे बढ़ता जा रहा था। शेर की उपस्थिति बताने वाले जानवर भी दम रोके हुए थे। कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। हम प्रायः उस स्थान पर पहुँच चुके थे जहाँ से शेर के ऊपर आने का अंदाज लगाया था। हाथी रुक गया था। हम अपनी नजर इधर दौड़ा रहे थे कि यकायक मेरे आगे एक बहुत बड़ा शेर उठ खड़ा हुआ। उसने बिना आवाज किये ही श्रेष्ठ से मुँह खोला था कि मेरी ३७५ मेगनम और राजा साहव की ४७६ चल पड़ी। दोनों गोलिएं

साथ चली थी और शायद उसके अगले दाहिने कंधे पर लगी थी। गुर्रा-हट के साथ 'धब' की आवाज आयी और फिर सब शांत। हम कुछ देर तो चुप खड़े रहे, पर उससे क्या होता। आगे बढ़कर देखना तो था ही। हम दो-चार कदम ही आगे गये थे कि मँझले भाई साहब ने, जो हाथी पर पीछे बैठे थे, पूछा कि हम लोगो ने भी किसी आदमी की चीत्कार सुनी? मैंने नहीं सुनी थी। राजा साहब ने भी नहीं सुनी थी। पर यदि चीत्कार हुई भी होती तो हम फिर से तो चीत्कार सुन नहीं सकते थे। अटकल जरूर लगाने लगे।

अब मेरे मन में एक अजीब किस्म का भय समा गया था। मुझे बार-बार ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। मेरे सामने एक ऐसा काल्पनिक दृश्य उपस्थित हो रहा था जिससे रोगटे खड़े हो रहे थे। यह मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जिस समय हम लोग मरे हुए कटरे को खोजने निकले थे तो आगे-आगे मगन नाम का शिकारी और दो कजर रस्से और दर्रांती तथा मचान का सारा सामान लिये हुए चल रहे थे। नाले के पास घसोट खत्म हो गयी थी और हम नाले के उस पार खिसकी हुई मिट्टी देखकर सुविधाजनक स्थान से पार करने के लिए चल पड़े थे तो मगन और उसके साथी मचान के साथ वही नाले में बैठ गये थे। नाले के उस पार आकर हाथी पर बैठे हुए जब मैंने शेर पर गोली चलायी थी और गोली की चोट खाकर तड़प के साथ शेर उलटा था तो 'धब' की आवाज तो मैंने सुनी थी। राजा साहब ने जब चीत्कार की बात कही तो मेरी कल्पना मुझे यह मानने के लिए आग्रह करने लगी कि घायल शेर उलटकर नाले में गिरा था और वही मगन को बैठा हुआ पाकर उसने उस पर हमला कर दिया। यह मगन की चीत्कार थी। इसी कल्पना से मैं अशिशप्त हो रहा था। मृगया और आखेट सदा से मनोरंजन माने गये हैं। यदि मेरे मनोरंजन में किसी एक व्यक्ति की जान चली गयी है तो इससे बढ़कर और क्या पाप हो सकता था? मैं उसे एक बहुत बड़ा दुष्कर्म मानता, यदि यह बात सच निकलती। इसीलिए मैं राजा साहब और भाई जसजीतसिंह के आग्रह करने पर भी घायल शेर को नाले के ऊपर खोजने की तजवीज की तामजूर कर पुनः नाले में उतर मगन को खोजने के लिए आतुर हो

उठा। निदान हम फिर उतरने के लिए आसान रास्ते की तलाश कर नाले में उतर आये और हाथी को तेजी से चलाकर उस जगह पहुँचे जहाँ मगन और उसके साथियों का छोड़ा था। किंतु न तो वहाँ मगन था और न उसके दूसरे साथी। मचान का सामान वही नाले में ज्यादा-स्यो पड़ा हुआ था। अब मुझे इस बात का निश्चय करने में तनिक भी सदेह नहीं रहा कि उन तीनों आदमियों में से किसी एक को शेर जरूर मारकर घसीट ले गया। मैं दूसरे कजरो के नाम तो जानता नहीं था इसलिए हाथी पर बैठे हुए बड़े जोर से 'मगन' चिल्लाने लगा। किंतु मगन हो तब तो बोले। जिस तरफ कुछ पाँव के निशान दिखायी पड़े हाथी भी हमने उसी ओर बढ़ाया। थोड़ी दूर जाने पर और फिर 'मगन मगन' की आवाज देने पर देखता हूँ कि बाईं ओर नाले की दीवार से मगन चिपका हुआ पड़ा है। मगन को देख लेने पर अब यह छयाल जोर पकड़ने लगा कि शेर ने किसी दूसरे कजर को मार लिया था। हम लोगो ने मगन को नाले की दीवार से उतरने के लिए आवाज दी लेकिन मगन ने कराहते हुए कहा, 'मैं नीचे नहीं उतर सकता। मेरा एक पाँव शेर खा गया है।' हम लोगो ने गौर से देखा तो उसके दोनों पाँव सुरक्षित थे। अतः हम दोनों ने उसे विश्वास दिलाने के लिए फिर जोर से कहा—'तुम्हारे दोनों पाँव ज्यों-के-स्यो हैं, तुम नीचे उतर आओ।' लेकिन मगन को तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार हम लोगो ने आगे बढ़कर उसे उतारा और उससे उसका हालचाल पूछने लग। हम लोगो को देखकर और अपने को जिंदा पाकर वह बिलखने लगा। फिर रुककर उसने कहा—'हुजूर, मेरा पाँव शेर खा गया है,' और बेहोश हो गया। हम लोगो ने उसके सारे शरीर को देखा। एक पाँव का जूता गायब था और उसके पाँव से खून निकल रहा था। जाहिर था कि उसमें शेर का पजे चुभा हुआ था। भयप्रस्त बेहोश मगन के शरीर में शेर के पजे का जहर तेजी से न फैल जाये इसलिए हम लोगो ने यह मुनासिब समझा कि उसे जीप पर लादकर नजीबाबाद अस्पताल भेज दिया जाये। उसे नजीबाबाद भेजकर थोर एंटीटेटेनस बे इजेक्शन आदि लगान का आदेश देकर उसकी ओर से हम लोग कम-से-कम इतने निश्चित तो अवश्य हो गये थे कि मगन न तो मर

और न इतनी चोट से मरेगा ।

मगर यह कहानी यही खत्म नहीं होती । इसका दूसरा हिस्सा और भी दिलचस्प है । मगन को रवाना करके हम जब वापस उस जगह आये जहाँ हमने अपनी जीप छोड़ी थी तो हमने कुछ और ही हाल पाया । यह कहना मैं भूल ही गया था कि मेरे साथ जीप में मेरी पत्नी भी थी और जब हम लोग हाथी पर सवार होकर शिकार के लिए चले थे तो पत्नी को ड्राइवर और पुराने तथा अनुभवी शिकारी श्री लड्डन खाँ साहब की देख-रेख में छोड़ दिया था । लड्डन खाँ के पास ५०० एक्सप्रेस की दुनाली राइफल थी और वे सब प्रकार से इन लोगों की रक्षा करने में समर्थ थे । लेकिन वहाँ वापस आने पर देखता हूँ कि न तो लड्डन खाँ हैं और न हमारा ड्राइवर । मेरी पत्नी अकेली जीप पर सहमी हुई बैठी हैं । उन्हें अकेला देखकर मेरे क्रोध का पारावार न रहा और मैंने पूछा, 'आपके रक्षक दोनो व्यक्ति वहाँ चले गये ?' मेरी पत्नी ने बताया कि, दोनो वजर 'शेर-शेर' कहते हुए उसी ओर से आये थे और जंगल में छिप गये । इन लोगों की भयातुर आवाज सुनकर लड्डन खाँ और ड्राइवर भी यही कही भागकर पेड़ पर चढ़ गये हैं । मैं हैरान था कि यह क्या बात हुई कि जिस व्यक्ति की रक्षा के लिए मैंने इतने अनुभवी शिकारी को छोड़ा था और जिसके पास इतना शक्तिशाली हथियार था, वह भी यदि घबराकर भाग जाये तो फिर किस प्रकार किस पर भरोसा रखा जा सकता है । इस बात का ख्याल आते ही कि इन दोनो के भाग जाने पर यदि शेर ने मेरी पत्नी पर हमला कर दिया होता तो आज मैं अपने इस मनोरजन में सब प्रकार से लुट गया होता, मैं सिहर उठा । जीप जगली सड़क पर खड़ी थी । हम लोग हाथी पर सवार थे, अतः अब यह भी मुनासिब न समझा गया कि पत्नी को जीप से उतारकर हाथी पर बैठा लिया जाये । अब घायल शेर को खोजने का इरादा भी नहीं था । अब तो लड्डन खाँ को खोजकर उनकी भर्त्सना ही हमारा प्रधान लक्ष्य हो गया था । अतः पत्नी को जीप पर ही छोड़कर हम उसी सड़क पर अभी दस कदम ही आगे चले होंगे कि बाईं ओर पेड़ के ऊपर से लड्डन खाँ की आवाज आयी— "हुजूर, आगे न बढ़िये, वहाँ साल के नीचे घायल शेर बैठा है ।" लड्डन खाँ की आवाज सुनते ही मेरा क्रोध

छिपा पड़ा था। जब हमने पहली बार पेड़ की दूसरी ओर से गोली चलायी थी तो कारतूस के छर्रे साल के तने पर ही चिपककर रह गये थे और बंदूक की आवाज सुन लेने के बावजूद शेर ने वहाँ से हटना मुनासिब न समझा था। चूँकि उसका अगला पैर बहुत टूट चुका था, इसलिए ऐसा करना उसके लिए मुमकिन भी न था। लेकिन जब हमने दूसरी ओर से उस पर गोली चलायी और छर्रे उसके शरीर में चले गये तो घायल शेर 'मरता क्या न करता' की स्थिति में पहुँच गया था। प्रतिशोध की आखिरी भावना से उसने हम पर हमला करना ही आखिरी कर्तव्य समझा था।

इस सन्नाटे के बाद अब दो चीजें और भी स्पष्ट हो गयीं—एक तो यह कि लड्डन खाँ की बात सही थी और दूसरी यह कि शेर पहली बार में केवल घायल हुआ था, और हमारे हाथों पर हमला करने के पहले तक जीवित था। लेकिन प्रश्न यह था कि इस बार हमारी गोलीयाँ चलने के बाद उसका क्या हुआ? हम कदम-कदम संभल-संभलकर अपने हाथों को उस ओर बढ़ा रहे थे जिस ओर घास में घायल शेर गायब हुआ था। बीस-पच्चीस गज जाने पर एक पतली होती हुई 'दंड' दिखायी पड़ी। 'दंड' उन छोटे नालों को कहते हैं जो पानी के बहाव की बटान से बनते हैं और उनका बहुत-सा हिस्सा जमीन के नीचे-नीचे ही जाता है। दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार की नैसर्गिक सुरंग होती है जो बरसात के दिनों में पानी की निकासी का काम करती है। बरसात समाप्त होने के बाद वे सूख जाती हैं और उनमें अक्सर जंगली पशु अपना आवास बनाते हैं। बड़ी छोज के बाद भी जब शेर नहीं मिला तो हम लोगों ने हार-पककर यह विश्वास कर लिया कि दूसरी बार भी हाथों पर झपटने के बाद शेर मरा नहीं था और आगे बढ़कर उसी प्राकृतिक सुरंग रूपी नाले में घुस गया। इतना तो विश्वास हो रहा था कि दूसरी बार की गोलीयाँ भी सही थी और उसका जीवित रहना संभव न था। लेकिन जंगल में घायल शेर को छोड़कर थाना भी शिकारी के लिए उचित नहीं। सध्या हो चुकी थी, इसलिए हम इससे अधिक कुछ कर भी नहीं सकते थे।

दूसरे दिन हमने फिर कई हाथियों को साथ लेकर घेरा डाल दिया

और उस टुकड़े का एक-एक कोना छान डाला। बार-बार उसके खून के निशान उसी सुरंग की ओर ले जात थे। वत यह विश्वास हुआ था कि शेर उसी सुरंग में जा घुसा है। हमने उस सुरंग में छोटे भंसे भी बिठाये कि यदि वह जीवित हागा तो फिर आक्रमण करेगा। किंतु किसी भी प्रकार कामयाबी हासिल न हुई। हम उस टुकड़े में बहुत दिनों तक तो रह नहीं सकते थे, इसलिए शिकारियों को तैनात कर तीसरे दिन हम लोग वापस चले आये। बाद में महीनों तक उस ओर दूसरे-तीसरे दिन आते-जाते रहे लेकिन सबलगढ़ का घायल शेर न मिला और न वह स्थान जहाँ उसने अपनी जीवनलीला समाप्त की थी। लेकिन जब बहुत दिन तक उस इलाक़ से न तो किसी पशु और न ही किसी आदमी के मारे जाने की खबर मिली, क्योंकि घायल शेर अक्सर आदमखोर हो जाते हैं, तो यह विश्वास करना पड़ा कि वह मर गया। लेकिन आज भी हम लोगों के लिए वह सबलगढ़ का घायल शेर ही है, क्योंकि हमने उसे मरा हुआ नहीं पाया।

कलकत्ता कितना अमीर, कितना गरीब 'सिद्धेश'

जनसंख्या के लिहाज से पूरे विश्व में कलकत्ता का चौथा स्थान और भारत में प्रथम है। पिछले दिनों वहीं इस तरह का तथ्यात्मक वस्तुव्यपदकर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना यह जानकर हुआ था कि इसमें तीस परसेंट ही साक्षर हैं। याने कुर्सियों पर बैठकर ऑफिस में काम करने वाले से लेकर बेकार पड़े-लिखे युवको और स्कूल-कॉलेजो से सबड़ व्यक्तित सत्तर लाख जनसंख्या का एवमात्र एक-तिहाई हिस्सा ही है, बाकी सभी किसी-न-किसी नीचे स्तर वाले तबके से जुड़े हैं। इनमें रिक्शेवाले, खोमचेवाले, दरवान, छोटे-मोटे दुकानदार और मजदूरों से लेकर कस्बों में जीने वाले साधारण लोग हैं। यह दृष्टव्य है कि एक तरफ जहाँ बाईस तलेवाले मकानों में जीने वाले लोग हैं, तो वही फुटपाथ पर खाने-सोने और मरने वाले भी। एक तरफ बड़ी-बड़ी दुकानें, न्योन लाइन में चमकते हुए विज्ञापन के नीचे चमकते शो-केस हैं, तो दूसरी तरफ चौरगी के पार्कों के बगल-बगल फुटपाथों पर बिछे हुए अस्थायी हॉकर्स भी हैं, जो पी फटते ही अपने बक्से और टेन्ट समेत जमीन पर आकर बिछ जाते हैं और रात के दस बजे तक उनकी सारी दुनिया वही सिमट आती है। रात में उनके अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं चलता। वे अपनी दुनिया समेत पता नहीं किन कदराओं में जा छिपते हैं। वैसे इनमें से कुछ हॉकर्स अपनी छाटी दुकान के बल पर अच्छा-खासा कमा लेते हैं, मगर उनकी औकात परपरानुगत ही बनी रही, सभी फुटपाथों में उठकर बड़ी दुकानों वाले शो-केसों में सजने की चेष्टा नहीं की। अधिक से अधिक हुआ तो फुटपाथ की अस्थायी हॉकर-बाजी से उबरकर कॉलेज स्ट्रीट या चौरगी के हॉकर्स-मार्केटों के लघु-योजना वाले दुकानदारों में शामिल हो गये। ऊँचा पीठा बिछा लिया, चारों तरफ से टॉन और काठ की दुकान बना ली और सारा सामान रोज ढाँकर ले जाने वाली परेशानी से बच गये। मगर उनका इतिहास भी तुरत में बना हुआ पिछले दस वर्षों का है। बड़ी-बड़ी दुकानों और मकानों की बात छोड़िये, वे अपनी औकात और प्रेस्टिज के अनुसार पँच

पीटते हैं और प्रत्येक वर्ष दुगना बँक-बैलेंस बढ़ा लेते हैं। इनके मकानों में एक तल्ला ऊपर और ऊँचा उठ जाता है या दुकानों के गो-केस में दुगनी चमक बढ़ जाती है। चाहे वह दुकान या मकान चौरंगी और पार्क स्ट्रीट जैसी व्यस्त जगहों पर हो या बालीगल-टालीगल जैसी निर्जन जगहों पर हो।

आज वर्षों से कितनी राजनीति, कितनी सरकार और कितना हुगामा। मगर असमानता वाली यह खाई अब तक नहीं पटी और न पटेगी। इसी असमानता वाले महानगरों में सबसे ज्यादा व्यस्त, व्यस्त और असबद्ध भीड़ वाला महानगर कलकत्ता है।

श्याम बाजार के हाथी बागान वाले मार्केट के अगल-बगल बँठने वाला वह फल-विक्रेता, आज भी वैसे ही पिछले दस वर्षों से बैठा हुआ है, अब उसके बच्चों ने वह फुटपाथी दुकान संभाल ली है, जिसकी टोकरी में पच्चीस से पचास रुपये की लागत से खरीदा गया सामान ही रहा है। इससे न अधिक न कम, जबकि इस बीच बड़ाबाजार वाले, छाता वाले सेठ या रूपड़े वाले सेठ ने अपनी दुकान की कामा और भाया दुगनी बढ़ा ली है। यहाँ यह सब मामूली बात रह गयी है। आदोलनों और जुलूसों में ये बातें छत्रम हो जाती हैं। मगर सेठ की दुकान वैसे ही खुली रहती है। इधर यह हुआ कि श्रान्ति के लिए फँके गये बमों और पुलिस द्वारा छोड़े गये अश्रु गैस से पूरा फुटपाथ भर गया है, लोग डरकर अपने-अपने घरों में दुबक गये हैं और फुटपाथी दुकानें खोली नहीं गयी हैं और दुकानदार पेट पर हाथ रखकर पूरा दिन सोते रहे हैं। सुबह फिर वही हलचल, वही भाग-दौड़। ड्राम-बसों का एक पर एक आना-जाना। ऑफिस के बावू ड्राम और बसों के फुटबोर्ड पर लटके हुए जा रहे हैं। उनको इतनी चिंता एक्सीडेंट हो जाने की नहीं है, जितनी ठीक टाइम पर ऑफिस पहुँचने की है।

कम पूँजी में लगी हुई दुकानदारी और अन्य प्रकार का रोजाना काम काज यहाँ बहुत कुछ मौसम पर भी निर्भर करता है। जैसे बरसात में यहाँ की अधिकांश जगहें वर्षा होते ही पानी से भग्न जाती हैं। कई-कई जगहों पर तो घुटनों पानी जमा हो जाता है। उस समय बस-ड्राम का चलना तो बंद हो ही जाता है, फुटपाथी दुकानदारी भी उठ जाती है,

उधर ऑफिस से लौटने वाले या जाने वाले लोग भारी संख्या में एक जगह जमा हो जाते हैं। या तो वे पैदल घर आते हैं या टैक्सी-रिक्शा पर। उस समय हाथ-रिक्शा ही अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। जहाँ सूखे मौसम में रिक्शों का रेट तीस से पचास पैसे होता है, उसकी जगह रुपये से दो रुपये तक हो जाता है। रिक्शों वालों की बन आती है। टैक्सी भी सब जगह पानी में नहीं जा पाती, क्योंकि ज्यादा पानी में जाकर इंजन बंद हो जाने का उन्हें भी भय बना रहता है, तब ऐसे बड़े बक्तर पानी में खड़े फुटपाथी छोकरे ही काम आते हैं। वे ठेलकर पानी से बाहर ले आते हैं। और इसके लिए वे पैसे कमा लेते हैं। कभी-कभी बरसात लगातार होने पर रोजाना कमाने-खाने वाले लोगों की शामत आ जाती है और वे ईश्वर की कृपा पर निर्भर हो जाते हैं। अतः यहाँ जहाँ-जब-जिसको मौका हाथ लगता है, वह उतना बना लेता है। इसलिए वे अपने-अपने भाग्य और मौके के मालिक हो जाते हैं। अतः ये स्वार्थी अधिक होते हैं, दूसरों के सुख-दुख से उनका कोई मतलब नहीं होता है। यह असमानता और संघर्ष दूसरी जगहों से यहाँ कहीं अधिक है। सब जगह भाग-दौड़, तिकडमबाजी, छीना-झपटी, मौके की तलाश, अस्थायित्व बहुत ज्यादा है।

बड़े-बड़े फर्म वाले ऑफिस और लाखों रुपये का रोज वारा-न्यारा डलहौजी स्क्वायर में होता है। वहीं पर एक गली में स्टॉक-एक्सचेंज है, बड़े-बड़े शेयर-होल्डर्स, पार्टनर्स, बिजनेसमैन (जो बड़ी-बड़ी फॅक्टरियों और आइटों के मालिक हैं) इंडिया एक्सचेंज, मर्केंटाइल विल्डिंग आदि के ऊँचे-ऊँचे फ्लोर पर बेहतरीन आरामदेह चेम्बर में बैठते हैं, जिसके अंदर पूरे साल एक ही मौसम महसूस किया जा सकता है। पता नहीं चलता कि शीशों के पार बाहर कौन-सा मौसम है? और उन विल्डिंगों के नीचे फुटपाथों पर गर्मों से झुलसते हुए, वर्षा में भीजते हुए और सर्दों में ठिठुरते हुए पैर बेचने वाले, छुदरा-छुसरे सामान बेचने वाले, खोमचे वाले, डाब वाले, पान वाले सभी बैठे रहते हैं। ऑफिस के छूटने के बाद भी इनकी ड्यूटी रात के साठ-आठ तक चलती रहती है। जबकि सारा डलहौजी रात के आठ-नौ तक मुर्दास्थल बन जाता है, ट्राम-

घसैं भी उधर मामूली जाने लगती हैं, सारी वसो-ट्रामो का रुख चौरगी की तरफ हो जाता है, तब भी फुटपाथी अपने सारे सामान को बक्सो और टोकरियों में बाँधकर कंधे पर रखे चलते रहते हैं। उनमें से ही अगर कुछ पुलिस की दया के पात्र बन गये तो समझिए दा-तीन दिन तक उन्हें नहीं देखा जा सकता है। यद्यपि अब ऐसा नहीं होता, अब बिना लाइसेंस के भी दस रुपये से पचास रुपये तक के इन मालिकों का भी पेट भरता है और लाखों-करोड़ों रुपये के मालिक का पेट भरकर भी खाली रह जाता है।

कॉनिंग स्ट्रीट से होते हुए बडाबाजार की तरफ आइये तो बिजनेस पूरे स्टॉक के साथ होते हुए देखा जा सकता है। गदियों पर त्रंठने वाले, अधिकतर मोटी तोड़ वाले धाड़तिये ही होते हैं, जो कबल बेचने से लेकर आलू और प्याज तक भी बेचते हैं। और मुनाफा कमाकर बालीगज या गोलपाकं जैसी बेहतरीन जगहों पर मकान खरीदते हैं, बनवाते हैं। अपने बच्चों को किसी इंग्लिश स्कूल में पढाते हैं, उन्हें विदेश भेजने का स्वप्न देखते हैं और खुद मुनीम के बिना कामज-कलम तो दूर रहा, पेपर छूने तक की हिम्मत नहीं रखते। मगर उनके बटे-बेटियाँ लुकाछिपकर जासूसी उपन्यास और सेक्सी पत्रिकाएँ पढ़ते हुए पाये जाते हैं। इन्हीं फुटपाथों पर दलाल इधर स उधर भागते-दौड़ते हुए नजर आते हैं, मगर इनकी नीयत बड़ी दोगली होती है। पूरा बडाबाजार गदगी स भरा होता है, और रास्ते-गलियाँ कीचड़ और धूल से सनी रहती हैं—अधिकतर लोगों के चेहरों पर मनहूसी और बदहवासी छायी रहती है, उनके बदन स पसीने की बद्बू और मुँह से बासी गंध मिलती है। वहाँ के अधिकतर लोग चाय और पान पर ही दिन काट देते हैं। दलालों की जिदगी कुछ और है तो यहाँ के फुटपाथ पर जीने वाले लोग भी विचित्र होते हैं। पान की दुकान के नीचे दडबेनुमा जगह बनाकर रहते ही हैं, साथ ही खोमचे वाले, झाँक वाले, दलाल किस्म के लोग, रिक्शा वाल धाने सभी तरह के निम्नस्तरीय लोग रात होते ही बंद दुकानों के बाहर फँली हुई पटरिया पर सोते रहते हैं, जहाँ करवट बदलने तक की जगह नहीं होती। सुबह होते ही फुटपाथ के बबों से निकलने वाले गंदले पानी से नहाते हैं और थाप बिस्कुट में पूरा दिन काट लेते हैं। अगर अच्छी आमदनी हुई तो

रात को ठीक से किसी सस्ते होटल में जाकर खा-पी लिया, नही तो वह भी नदारद ।

इस तरह के लोग जिंदगी के बीसों बरस काटते आये हैं । तब्दीली कोई नहीं हुई । ये इसी तरह जीने के प्रति अपने को 'कमिटेड' मानते हैं । इसी में खुशहाल हैं, किसी के प्रति कोई शिकवा-शिकायत नही । केवल जुलूसों या नारों में दो-तीन गालियाँ सरकार पर उछाल देते हैं । बस इनका आंदोलन यही तक सीमित है ।

पिछले पाँच वर्षों में इनमें यूनियन ने कुछ रद्दो-बदल किया, तभी ये सभी एक जुलूस और एक झंडे के नीचे आ गये । और अब इनकी भी एक यूनियन बन गयी है । वे लोग भी सेठों और मालिकों के खिलाफ़ एक साथ हड़तालें करते हैं, अपनी-अपनी माँग मनवाने के लिए नारे लगाते हैं, इस क्रूर एहसास के साथ कि कभी कुछ बदलने वाला नही है ।

दूसरी तरफ़ बस्ती वाले लोग हैं । चाहे वह बस्ती दर्जापाड़ा मे हो या श्याम बाजार, भवानीपुर की हो, यह बस्ती हर मुहल्ले मे फैली हुई है । एक तरफ़ 'बेल डेकोरेटेड' फ्लेटनुमा मकान खड़े हैं तो उसके आस-पास कोई न कोई बस्ती की टुकड़ियाँ अवश्य हैं । इन वस्तियों मे अधिकतर विस्थापित लोग हैं या वे अशिक्षित लोग हैं, जिनका मूल रूप से जन्मस्थान यह नही है, ये कही से भागकर आये हुए लोग ही हैं, जो दस वर्षों या उससे भी आगे से रहते आ रहे हैं । उनके डेरो बाल-बच्चे इन्हीं वस्तियों मे पलकर बड़े हो रहे हैं, जिनका दिन-दो-रहर निवास मुहल्ले के मकानों के ओटे हैं या फुटपाथ हैं । रात में भी अधिकतर (बरसात छोड़कर) आसपास के बरामदों या फुटपाथों पर सोते हैं । ओढ़ने के लिए आकाश और उठने-बैठने के लिए फुटपाथ । इनके बच्चे किसी भी शिक्षा के मोहताज नही होते । बचपन से ही सड़कों पर दौड़ते-घूमते हुए, नंग-धडंग बड़े-बड़े पेट लेकर लोगों को गालियाँ बकते हुए या गोली, गुल्ली-डंडा खेलते हुए बड़े होते हैं । इनमे से अधिकतर बड़े हो गये हैं और अब ये राजनीतिज्ञों के काम धा रहे हैं । झंडा और पोस्टर उठाने से लेकर नारा लगाने और जरूरत पड़ी तो बम फेंकने, हंगामा करने में शामिल हो गये हैं । इनका भविष्य अनिश्चित है, ये मात्र जीना चाहते हैं और जीने के लिए जितनी तिकड़मवाजी की जरूरत है, वह सभी करते

। आजकल वस्तियों के नौजवानों को अलग-अलग मुहल्लों के अनुसार अलग-अलग घुपों में बाँटकर 'डेस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स' के कामों में लाया जाता रहा है, जिसके लिए इनको रोजाना मेहनताने से लेकर हर प्रकार की आवश्यक-अनावश्यक सुविधा भी मुहैया कर दी जाती है, जो वे चाहते हैं। और इनके पास वाले मकानों में रहने वाले मध्यवर्ती परिवारों की स्थिति कैदियों जैसी है या अछूतों की तरह की है, जो हर क्षण इनकी छाया से बचना चाहते हैं। कोई झगडा मोल लेना नहीं चाहते हैं, अतः सब्र भी बनाये रहते हैं। आसपास रहते हुए भी वे दोनों दो छतों के यात्री-से लगते हैं। किसी भी मौके पर इनका मिलना देखा नहीं जा सकता। खाई पटने के बजाय दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है।

अब सियालदह और हावडा स्टेशनों तक आये तो पता चलेगा कि हजारों की सख्या में रोज लोग आते-जाते हैं। स्टेशनों के प्लेटफार्मों व आसमान के नीचे फुटपाथों पर हजारों की सख्या में विस्थापित लोग परिवार सहित रह रहे हैं। घासकर सियालदह स्टेशन तो इन विस्थापितों से पूरा ढक गया है। बल्कि नजदीक के गाँवों से भागकर आये हुए ग्रामीण, तरकारी, चावल और फल बेचने वालों की कतार शाम होते ही आसपास के फुटपाथों पर लग जाती है, फिर तो यात्रियों का चलना-फिरना भी रुक सा जाता है। यहाँ तक कि हावडा ब्रिज पर भी यह खरीद-फरोख्त चलता है। पुलिस या सरकार इनका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि इनकी तादाद इतनी अधिक है कि कई-कई वार नियम और कानून के अतर्गत इन्हें फुटपाथों से हटाने की जिद्द नज़रअदाज कर देना मुश्किल है। हर बार सरकार पलटी है और हर बार इनका काया-पलट होता रहता है। इसका प्रभाव अब इन पर भी नहीं पड़ता। अब तो इनके समर्थन में सारी जनता भी शामिल हो गयी है और इस प्रकार का आंदोलन किमी राजनीति के अतर्गत नहीं, पेट के लिए किया गया नियम-भंग आंदोलन मान लिया गया है।

वालीगज और टालीगज में नयी स्कीम के अतर्गत नये-से-नये बनने वाले मकानों की कतार है और उनमें रहने वाले सभी ऑफिसर टाइप के आदमी हैं, साथ ही वे सेठ किस्म के आदमी भी हैं, जिनकी कही-न-

मानसरोवर की लहरों में हरिवंश वेदालंकार

मेघाच्छन्न आकाश में, ददं-भरा गीत गाते सोन-पक्षी हिमालय पार करने के लिए बढ रहे थे और हमारा दल भी सरयू और पिंडर नदी के साथ-साथ घुमाव के बाद घुमाव पार करता भयानक-रमणीय वनों से होता, उधर ही बढ़ता जा रहा था। सात दिन चलकर मनस्यारी पहुँचे।

सायंकाल मेघ-मंडित पर्वतों की ओर हम देख रहे थे। सहसा हमारे सामने एक ऊँचा विशाल श्वेत ककुद प्रकट हुआ। वह ककुद निजल श्वेत बादल का एक टुकड़ा-मात्र प्रतीत हुआ। मनस्यारी के वृद्ध जनो ने कहा—“यही हिमालय पर्वत है।” हमने कहा—“कभी नहीं, यह तो निश्चय ही एक मेघ-खड है। कहीं इतना ऊँचा भी कोई पहाड हो सकता है? देखिए, यह तो हमारे सिर पर झुका चला आ रहा है। यदि पहाड होता तो टूट न पडता?”

इतने में वह ककुद फिर बादलों में छिप गया। थोड़ी देर बाद, बादल तेजी से छोटने लगे। पर्दा हटा और आँख-मिचौनी के बाद, हिमालय अपने उसी शाश्वत-उज्ज्वल विराट् रूप में प्रकट हुआ। चिर महान् हिमालय मानो हमारी नादानि पर खिलखिलाकर हँस रहा था, “वच्चो! तुमने तो मुझे पहचाना ही नहीं?” हम बड़े लज्जित हुए। युग-युग से अपने महान् रक्षक पिता को न पहचानकर हमने उसे छोटा वयो समझ लिया था!

गौरीगंगा के किनारे-किनारे भारत के अंतिम गाँव मीलम की ओर चले। मार्ग बड़ी ऊँचाई से जा रहा था और नीचे बड़ी गहराई में गौरी नदी बह रही थी। नदी पर रस्से का एक पुल था, जिस पर मीलम के बच्चे उछलते-कूदते, नाचते-गाते पार आ-जा रहे थे। किसी को गिरने का तनिक डर न था।

रात को निश्चित सोये थे कि एकाएक तोपो के छूटने का भयानक शब्द सुनायी पड़ा। “क्या हम किसी बड़े युद्धस्थल के पास आ पहुँचे हैं?” तब वहाँ के लोगो ने बताया कि ये गौरी के ग्लेशियर फट रहे हैं और पहाड टूट-टूटकर गिर रहे हैं। मीलम के लोग ग्लेशियर को ‘गल’ या

'वामक' कहते हैं। सवेरे उठते ही गौरीगंगा के उस ग्लेशियर को देखने चले। वह ग्लेशियर तीन मील लंबा और आध मील चौड़ा था। हिम-शिलाओ की मोटाई कहीं डेढ़ सौ फुट और कहीं पचास फुट थी, जिनमें दो दो फुट चौड़ी, सैकड़ों फुट लंबा दरारें, अजगरो-मगरमच्छों की तरह मुंह खोले हमें निगलने के लिए तैयार थी। यदि कोई उसमें गिरकर नीचे पहुंच गया तो आज के समृद्ध वैज्ञानिक युग में भी किसी में इतनी शक्ति नहीं कि उसकी रक्षा कर सके।

दो दिन बाद उन्हीं गगनभेदी हिमशिखरों को पार करने के लिए आगे बढ़े, जिनकी एक झलक हमें मनस्यारी में मिली थी। उन शिखरों के पास से जाती हुई चेंबर गार्स, चींटियों में भी छोटी-छोटी दिखायी पड़ रही थी। बकरियाँ और भेड़ें तो दीखती ही नहीं थी। हम धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे। हवा इतनी अधिक पतली हो गयी थी कि फेफड़ों में साँस आ नहीं रही थी। दो गज ऊँचाई चढ़ने में ही दम फूल जाता था। श्वेत रेत की तरह दूर-दूर तक तुषार राशि फैली थी और उसकी समाप्ति का कहीं कोई लक्षण नहीं दीख रहा था। दोपहरी के चमकते सूर्य की किरणों द्वारा, उजली बर्फ से इतनी चकाचौंध उठ रही थी कि कुछ भी स्पष्ट दिखायी नहीं पड़ता था। आँखें अधी-सी हो गयी थी। ठीक दिखायी न पड़ने के कारण एक साथी बर्फ पर फिसला और खाई की ओर लुढ़क चला, किंतु प्रभु कृपा से किसी प्रकार बच गया। हिमाच्छन्न ऊँटा घूरा और जयती शिखरों को पार कर, कुगरी बिगरी की घाटी में सोये।

अगले दिन प्रभात वेला में हिमालय के ऊँचे गगनचुबी शिखर पर चढ़कर सामने का जो दृश्य देखा, उससे आँखें परितप्त हो गयी। हृदय गद्गद हो गया। पहचानते देर न लगी कि हिमालय पर्वतमाला से सौ मील दूर, सबसे अलग, सबसे निराला, सबसे भव्य बाईस हजार फुट ऊँचा यह जो पर्वत खड़ा है, यही कैलाश पर्वत है। श्वेत तुषार की धारियों से सजा, प्रकृति द्वारा निर्मित, परमेश्वर का दिव्य, कलात्मक और विशाल मंदिर। वह सुनहरी धूप में कैसा चमक रहा था? मानो शिव ही शैल-रूप धारण कर चारों ओर शान से निहार रहे हों। वातावरण के रजोविहीन और अति स्वच्छ होने के कारण, कैलाश कितना

निकट प्रतीत हो रहा था। भारत में अनेक बड़े-बड़े मंदिर देखे थे, किंतु सब मंदिरों की रचना के लिए आदर्श मंदिर तो एक यही था।

हमारा दल सोत्साह कैलाश की ओर बढ़ चला। न कहीं कोई पग-डंडी थी और न कोई मार्ग। पंद्रह हजार फुट ऊँचाई का वह पठार, डेढ़-दो फुट ऊँची धेलू नामक वनोपधियो से भरा था। चीड़ की तरह भीतर तेल का अंश होने के कारण यह धेलू बूटी हरी-भरी ही खूब अच्छी जलती है और रोटियाँ सेंकने पर उन्हें सुगंधित भी बना देती है। इन्हीं झाड़ियों में कहीं-कहीं कस्तूरी-मृग भी दौड़ लगा रहे थे। शायद वे अपनी कस्तूरी की गंध उन्हीं बूटियों में खोजते फिर रहे थे।

हमारे पीछे दस चँवर-बैल भी चले आ रहे थे, जिनमें से आठ बैलों पर हमारी ढाई मास की भोजन-सामग्री, तबू, बिस्तर आदि लदा था। दो बैल सवारी के लिए खाली थे। एक मोड़ पार करते ही देखा कि सत्तर-अस्सी श्यामवर्ण जंगली घोड़े, हमारी ओर कान लगाये स्तब्ध खड़े हैं। उनके शरीरों पर जेवरों की सुंदर धारियाँ थीं। एकाएक वे भाग चले। उन सबका एकसाथ भागना बड़ा मनोहारी प्रतीत हुआ। सबसे पीछे वाली घोड़ी के साथ एक नवजात बछेरा भी था। हम उसे पकड़ने के लिए दौड़े। एक तीखे पत्थर से मेरा पैर बुरी तरह कट गया। चार दिनों तक मुझे तज ज्वर चढ़ा रहा, जिसके कारण कुछ दिन बाद कैलाश की वस्तीस भील की परिश्रमा करते हुए, महादेव की भाँति कई दिन तक बैल की सवारी करनी पड़ी।

उन हिम-पर्वतों पर जाड़े का क्या ठिकाना! यद्यपि सर्दियों में पहनने के सभी गर्म वस्त्र हम अपने साथ ले गये थे, तथापि शीत से सारे दिन दाँत किटकिटात रहते थे। लाचारी में आठ बिस्तरों को जोड़कर चार बिस्तर बनाये गये और दो-दो साथी मिलकर सोये। मैंने और भाई विद्याव्रत न बिस्तर मिलाकर एक किया, परंतु ठिठुरते रात बीती।

बुहारे की धुंध छा जान के कारण अगला दिन और भी ठंडा हो गया, किंतु सायंकाल तक भस्मासुर की डेरी पहुँच गये और उस शांत ज्वालामुखी के ऊपर तबू गाड़ दिया। भूमि खूब गर्म थी, अतः बड़ा

सुख अनुभव हुआ ।

१२१३ २१ १९६२

अब हम कैलाश पर्वत की उपत्यका में पहुँच चुके थे, जहाँ जाकर अहंकार, लोभ काम आदि मनोविकार स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। देवाधिदेव महादेव के मित्र और यक्षों के राजा कुबेर की प्राचीन राजधानी अलकापुरी यहीं पर थी। कैलाश से उतरकर चंद्रमौलि शिव, जब कभी इस देव नगरी के बाहर के उद्यान में आ विराजते थे, तब उनका मस्तक पर शोभित चंद्रमा की चाँदनी से अलकापुरी के सभी भवन उज्ज्वल हो उठते थे।

किंतु अलकापुरी का वह पुराना वैभव, आज एक दूसरे ही रूप में हमारी आँखों के सामने आ रहा था। चारों ओर असीम, अखंड शून्य शांति विराज रही थी। आकाश में त्रयोदशी का निर्मल चंद्र हँस रहा था। कैलाश के धवल शिखर से प्रतिक्षिप्त होकर चाँदनी, दूर दूर तक दूध बरसा रही थी।

प्रातः काल कैलाश की परिक्लमा प्रारंभ कर दी। जब हम अठारह हजार फुट से अधिक ऊँचाई पर पहुँचे, अचानक देखा कि सामने से शंकर और पार्वती चले आ रहे हैं। 'यह कहीं हमारी आँखों का भ्रम तो नहीं है?' अपनी आँखों को मलकर हमने फिर से देखा। सचमुच ही उमा-महेश्वर चले आ रहे थे। दम्पति का वही विशाल देवोपम शरीर, दोनों के सिर पर लवे लवे केश। शिव का जटाजूट और उमा की बणी भी बँसी की बँसी। जब वे बिलकुल निकट आ पहुँचे, तब हमारा भ्रम दूर हुआ। बड़े डोल-डोल वाले वे दोनों तिब्बत की खपा जाति के स्त्री-पुरुष थे। नील लोहित वर्ण और तेजस्वी आँखें। वे कैलाश के पुण्य दशन के लिए आये थे।

हमने उनसे कैलाश की कदराओ में रहने वाले योगियों और सिद्धों के सबंध में पूछा। हमारी बात को वे कठिनाई से समझ पाये। उन्होंने बताया कि एक वर्ष पूर्व हमस भी अधिक विशाल देहधारी, तीन योगी यहाँ पास की गुफा में रहते थे, किंतु अब वे मानसरोवर के तट पर स्थित माघाता पर्वत की कदराओ में चले गये हैं। अब भी एक सिद्ध इसी कैलाश शिखर के नीचे हिम गुहा में रहते हैं, परंतु कोई भी सासा-

रिक्त मनुष्य उन अगम्य कदराओं तक नहीं पहुँच सकता ।

दो दिनों में कैलाश की परित्रमा पूर्ण कर, राक्षस ताल के किनारे-किनारे मानसरोवर की ओर चले । पन्द्रह मील चलने के बाद जब हम सत्तर मील घेरे वाले मानसरोवर के तट पर पहुँचे, पूर्णिमा का चन्द्रोदय हो रहा था । चन्द्र-दशन से आर्द्धादित समुद्र के समान, ३६४ फुट गहरे मानसरोवर में आठ-आठ फुट ऊँची लहरें उठ रही थीं । तट पर बैठ हस्त भी मानसरोवर की उस तरंगित शोभा को निहार रहे थे । अनंत महिमा से विभूषित उस सरोवर को देखकर हमने अपने को धन्य माना । रात के बारह बजे तक हम आकाश में मुस्कराते चंद्रमा को और नीचे कल्लोल करते जल को देखते रहे ।

अद्वरात्रि के बाद सभी सो गये, किंतु मुझे नींद नहीं आ रही थी । उबर चढ़ा हुआ था । मन बड़ा चिंतित था कि इस दुर्गम यात्रा की अतगिनत कठिनाइयों को झलते हुए यहाँ तक आकर भी मानसरोवर में स्नान न कर पाऊँगा । शीतल जल से कहीं निमोनिया हो गया तो ? हाय ! मेरी तो यह सारी यात्रा ही व्यर्थ गयी ।

मन में एक के बाद एक तर्क-वितर्क उठ रहे थे । अचानक भीतर से किसी ने कहा— एक दिन तो मरना है ही । यदि अब भी यहाँ गोता न लगाया और लौट गये तो इसका पछतावा जीवन-भर रहेगा । दैवी-सयोग से उपस्थित इस श्रेय को किसी डर से छोड़ना कदापि उचित नहीं । गोता लगाओ । जो कुछ होगा, देखा जायेगा ।

हृदय के सभी सशय कट गये । उसके बाद निश्चित सोया । बड़े सबेरे उठा और मानसरोवर की उस शांत निस्तरंग छवि को देर तक देखता रहा । सूर्योदय होते ही सब-कुछ जगमगा उठा । हल्की नीलिमा से रजित माघाता पर्वत के हिम शिखर कितने अद्भुत, कितने भव्य और मनोहर लग रहे थे । उस सपूर्ण माघाता पर्वत की परछाईं जब मानसरोवर के जल में पड़ती थी, तब उसकी शोभा का वाणी अथवा लेखनी द्वारा वणन किसी प्रकार संभव नहीं । थोड़ी ही देर में सात-आठ जातियों के हंसों की मडलियाँ जल के तल पर उतरने लगीं और जल थ्रीडा में सलग्न हो गयीं । ऐसा प्रतीत होने लगा कि माघाता पर्वत की गुफाओं के योगीजन और मानसरोवर के आस-पास के सिद्ध

जन ही हृस-रूप धरकर निर्मल जल में किल्लोल कर रहे हो ।

मैंने कपड़े उतारे और आगे बढकर सबसे पहले मानसरोवर में छलाँग लगा दी । अत्यंत सुखद जल में स्नान कर, हृदय को अपार हर्ष हुआ । आश्चर्य कि तत्काल मेरा ज्वर उतर गया और बहुत दिनों से परेशान करने वाला पैर का वह गहरा घाव भी भर चला ।

उधर मैं मानस-स्नान से आनंदित हो रहा था और उधर मेरे अन्य सहाय्यायी बंधु मानसरोवर में स्नान के पश्चात् हरी घास में कबड्डी खेलने लगे और उस सरोवर के पश्चिमी तट से निकलने वाली पजाब की महानदी सतलुज को, कुछ देर अपनी शारीरिक शक्ति से रोकने के मस्ती-भरे प्रयास में जुट गये । वहाँ पर सतलुज की चौड़ाई दो गज और गहराई डेढ़ फुट थी । नदी के आधे भाग में एक ओर मनोहर और कृष्णचंद्र लेटे हुए थे और शेष दूसरे भाग में क्षितीश और विद्यारत्न । इन चारों ने सतलुज के तेज प्रवाह को घंटे-भर तक रोके रखा ।

हमारी चिर-काक्षित कैलाश-मानसरोवर-दर्शन की मनोकामना पूर्ण हुई, इसे हमने अपना अहोभाग्य माना । अब हम वापस लौट चले । कुछ मित्रों ने लद्दाख और कश्मीर की ओर से लौटने की बात कही, परंतु हमारी बाईं मास की भोजन-सामग्री समाप्त हो चली थी, अतः अन्य छोटे मार्ग से लौटे । मातृभूमि-दर्शन की व्यास ऐसी तीव्रता से जगी कि हमारे पाँव स्वयं उधर भागने लगे ।

अब हमारा दल तेजी से अत्यंत ऊँचे नीति-शिखर की ओर बढ़ता जा रहा था । अकस्मात् बादल घिरें और बर्फालि तूफान ने जोर पकड़ना शुरू किया । वह अघड हमें झबझोरने और धकेलने लगा । उन विचट ऊँचे शिखरों पर हवा के झोंकों में न जाने कौसी प्रबल शक्ति आ गयी थी कि नई साथी उन क्षणाओं से धकेले जाकर छाइयों में गिरते-गिरते बचे । नई के शिखरों के साथ चमड़े के फीतो से कले हैट उड़कर दूर घदरुा में जा गिरे, जिन्हें उठाकर लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी ।

हम लोगो ने झुककर दोनों हाथों से भूमि का सहारा लिया और चौपायों की तरह चलकर पवन के झोंकों के पंफड़े सहित हुए छोटी थी बढ़ चने । अब हम निरंतर विजयी होते जा रहे थे । प्रबल मंथन

हुए अत मे नीति शिखर के ऊपर जा पहुँचे। पवन एकाएक रुक गया, मानो वह अब तक हमारी शक्ति और धैर्य की ही परीक्षा कर रहा था। इस विजय से हमारे हृदयो मे छिपा स्वदेशानुराग मुखरित हो उठा और 'सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ताँ हमारा', 'वदे मातरम्, सुजलाम् सुफलाम्' गीतो से दूर-दूर तक का हिमाचल का अचल गूँज उठा। सामने की पर्वतमालाओ के अत मे दीखने वाली भारतभूमि हमे सप्रेम निमंत्रित कर रही थी और पीछे तिब्बत का विस्तृत निर्जन मैदान हमे सादर विदाई दे रहा था।

तभी हमारी दृष्टि बहुत दूर झलकती सिंधु और ब्रह्मपुत्र की घाटियो पर पड़ी। हिमालय का भारत-भूमि के प्रति कितना प्रगाढ अनुराग है, इसकी एक अत्यंत स्पष्ट झलक तब हमे मिली। अपने दक्षिणी भाग से निकलने वाली सभी नदियो का सारा का सारा जल हिमालय भारत को देता ही है, इसके साथ ही उत्तर की ओर से द्रवित होनेवाला सारा हिम-जल भी एक-एक बूंद करके सिंधु और ब्रह्मपुत्र मे पहुँचता है और इस प्रकार भारत को ही प्राप्त होता है। वन-सम्पदा और खनिज द्रव्य के रूप मे तो हिमालय सदैव भारत को अनंत रत्न प्रदान करता ही रहता है। इसी कारण सिंधु और ब्रह्मपुत्र थंडा से हिमालय के कठ मे पुष्पहार-सी पहनाती हुई मैदानो मे उतरती हैं।

उन हिम-शिखरो पर विश्राम करते हुए अधिक समय बिताना खतरे से खाली नहीं था, अत बट्टीनाथ पहुँचने का लक्ष्य बनाकर हमने मान-सरोवर और कैलाश को नमस्कार किया और मलारी की ओर उतरने लगे। जब मलारी पहुँचे, अस्ताचल का सूर्य सपूर्ण घाटी पर सोना बिखेर रहा था।

मलारी के चारो ओर अपार नैसर्गिक सुषमा देखकर हृदय प्रफुल्लित हो उठा। कैंसी सुभावनी थी यहाँ की वनश्री। एक ओर देवदारु के सघन वानन लहरा रहे थे और दूसरी ओर विष्णुगंगा की निर्मल नीली धार गभीर गीत गाती बह रही थी। यहाँ के वनो मे सर्वत्र दिव्य जडी बूटियो की प्रचुरता थी। हमने यही पर पहली बार अँधेरे मे चमकने वाली बह बूटी देखी थी, जिसकी रोचक चर्चा महाकवि कालिदास ने अपने कुमार-सम्भव, रघुवन आदि पाव्यो मे अनक शृंगारिक प्रसंगों मे की है। सजी-

बनी बूटी भी यही कही अवश्य होगी। एक ग्रामवासी ने अघटूटे पर्वत की ओर सकेत करके कहा—“हनुमान लक्ष्मण के लिए इसी पहाड़ का शिखर उखाड़कर ले गये थे।” मलारीवासियों से हमने सजीवनी के सबब में पूछा किंतु वे निश्चित रूप से कुछ न बता सके।

मलारी से बद्रीनाथ पहुँचे और वहाँ से हरिद्वार की ओर चले। अलकनदा के साथ-साथ सुंदर मार्ग था। न मालूम हमारे शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से आ गयी थी कि प्रतिदिन लगभग चालीस मील चल चुकने पर भी तन और मन उत्साह से परिपूर्ण रहता था।

अलकनदा की गर्म घाटी, कड़ी धूप के कारण हमें व्यथित कर रही थी। प्यास बढ़ती चली जा रही थी, किंतु पानी बड़ी गहराई में बह रहा था। वहाँ तक खड़ी चट्टानों से उतरना भयावह था। देवप्रयाग में जब भागीरथी गंगा और अलकनदा का मनोरम संगम देखा, तब मन स्नान के लिए मचलने लगा। यौवन के उन्माद में अलकनदा तट की ऊँची शिला पर चढ़ा और वहाँ से चालीस फुट गहरे जल में ‘गुडम’।

परंतु, यह कैसी दुर्बुद्धि मुझ पर सवार हो गयी कि मैं जाँच किये बिना ही अज्ञात प्रवाह में कूद पड़ा। जवानी की गर्मी तो हिम-शीतल जल को छूते ही ठंडी पठ चुकी थी। भँवर में पडकर चक्कर पर चक्कर घाने लगा। नदी का सारा जल भयानक रूप से खोल रहा था। बम्पी सिर नीचे तो पाँच ऊपर और पाँच नीचे तो सिर ऊपर। ऐसा लगा कि कोई मुझे चर्खी पर घडाकर चक्कर पर चक्कर गिरा रहा है। तैरने का अच्छा अभ्यास रहने पर भी इस उबलते जल में अपने शरीर पर कुछ बस न रहा। बुरी तरह दम घुटा जा रहा था। भँवर ने धारा में धकेल दिया और वह बलिष्ठ प्रवाह चट्टानों पर घुसबोड करता मुझे ले भागा। ऐसा प्रतीत हुआ कि अब मेरी अंतिम जल-समाधि लगने ही पारी है।

थोड़ी दूर जाने पर उस धारा ने मुझे तट से पानी एक शिमा की ओर उछाल फेंका और इस प्रकार मेरी जान बच गयी। कुछ दिर तथा मैं उसी जिला पर बंठा आँखें भूँदे उस सीमाभ्रम जगतिर्गमना की करता रहा, जब होण ठिकाने हुए, सब हरिद्वार की ओर बढ़

राजस्थानी कला और साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा

अगरचंद नाहटा

राजस्थान एक विशाल और गौरवशाली प्रदेश है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व यह प्रदेश कई राज्यों में विभक्त था। उन राज्यों या प्रदेशों की सीमा भी सदा एक-सी नहीं रही। प्राचीनकाल में राजस्थान के विभिन्न भागों के अलग-अलग कई नाम थे जिनमें जागल, सपादलक्ष, मत्स्य, मेदपाट, बागड, मरु, माड, गुर्जरत्रा आदि कई नाम तो काफी प्रसिद्ध हैं। ओझा जी ने इनके अतिरिक्त कुरु, सूरसेन, राजन्य, शिवि, प्राग्वाट, अर्युंद, वल्ल, क्षवणी, मालव नाम भी बतलाये हैं। अंग्रेजों ने इन राज्यों के समूह का नाम 'राजपूताना' रखा। जार्ज टॉमस ने अपने मिलिट्री मैमॉयस में 'राजस्थान' शब्द का प्रयोग सन् १६५७ में किया। तदनंतर जेम्स कनल टाड ने राजस्थान के राज्यों का सर्वप्रथम इतिहास, एक-संग्रह ग्रंथ के रूप में लिखा और उसमें इन राज्यों के समूह का नाम 'राजस्थान' प्रयुक्त किया गया। टाड के 'राजस्थान का इतिहास' नामक ग्रंथ से देश और विदेश में इस प्रदेश की गौरव गाथा विशेष रूप से प्रसिद्धि में आयी।

राजस्थान का प्राचीन इतिहास बहुत ही सरस एवं महत्त्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता से भी पहले से यहाँ का इतिहास प्रारंभ होता है। राजस्थान के कई स्थानों में इधर कुछ वर्षों में घुदाई हुई है और उससे यहाँ की प्राचीन सस्कृति पर अभूतपूर्व प्रकाश पड़ा है। पुरातत्व की दृष्टि से राजस्थान बहुत समृद्ध है, क्योंकि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा मुसलमानी साम्राज्य के समय भी यह अधिक सुरक्षित रहा। प्राचीन मंदिरों व मूर्तियाँ, शिलालेखों एवं हस्तलिखित ग्रंथों की जितनी अधिन घाती राजस्थान में है, उतनी अन्यत्र शायद ही हो।

साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में भी राजस्थान का स्थान उल्लेखनीय है। यहाँ के वीरों, सतों, सतियों, साहित्यकारों एवं कलाकारों की परंपरा अवर्णनीय है। वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला की दृष्टि से भी यहाँ का इतिहास बहुत संपन्न रहा है और उत्सवधी

पर्याप्त सामग्री आज भी यहाँ सुरक्षित है। जैसलमेर, रणकपुर, देलवाडा और पारानगर आदि स्थानों के मंदिर अपनी वास्तुकला एवं मूर्तिकला के लिए जगत्प्रसिद्ध हैं और यहाँ की कलाप्रियता एवं कलाममत्ता का यशोगान कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि राजस्थान का प्रत्येक कोना देवलो एवं मंदिरों से भरा पड़ा है और आज अपनी जर्जरित दशा में अपने उद्धार एवं संरक्षण की बाट जोह रहा है। राजस्थानी चित्रकला भी भारतीय चित्रकला की महत्त्वपूर्ण कड़ियों में से एक है। निःसंदेह अजंता एवं एलोरा की अद्वितीय कला-परंपरा को वहन करने का श्रेय राजस्थानी चित्रकला को ही है। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास राजस्थान प्रांत में ही हुआ तथा यह अन्य भारतीय शैलियों से प्रभावित होती हुई अपना स्वतंत्र विकास करती रही। इसके विकास एवं संवर्द्धन में राजस्थान की भौगोलिक रचना और यहाँ के इतिहास का प्रमुख योग रहा है। वीर राजपूतों की वीर भूमि के कण-कण में उनके शौर्य की गाथाएँ, लोक-कथाएँ, सभ्यता एवं संस्कृति के पदचिह्न काव्य, चित्रकला, स्थापत्य आदि के रूप में यत्न-तत्न प्रचुर परिणाम में बिखरे पड़े हैं।

विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ १५वीं सदी के उत्तरार्द्ध से १६वीं सदी के बीच १५०० ई० के लगभग माना जाता है। तब से लेकर १६वीं सदी के उत्तरार्द्ध तक राजस्थानी चित्रकला अनेक शैलियों में पल्लवित होती रही है। धार्मिक प्रतिष्ठानों, कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों और शिल्पाचार्यों के दरबारी जमघट में राजस्थानी चित्रकला ने विभिन्न रियासती शैलियों को जन्म दिया, विकसित किया और १७वीं-१८वीं सदी में अपने चरमोत्कर्ष स्वरूप को प्राप्त किया जिससे इसका समन्वित स्वरूप सामने आया। तत्कालीन अधिकांश रियासतों के चित्रकारों ने जिन-जिन तौर-तरीकों का प्रयोग अपने चित्रनिर्माण में किया, स्थानानुसार अपनी मौलिकता, भौगोलिक परिस्थितियों, तथा सामाजिक विशेषताओं के कारण वहाँ की चित्रशैली कहलायी। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थानी चित्रकला अनेक शैलियों का समन्वित रूप है जिनमें मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, बीकानेर, मारवाड़, कोटा, अलवर आदि शैलियाँ अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। इन शैलियों में मेवाड़,

किशनगढ़ और बूंदी तो विश्वप्रसिद्ध हैं ।

राजस्थानी चित्रकला अनेक समकक्ष शैलियों से प्रभावित होने के बावजूद भी अपना मौलिक सविधान रखती है । निम्नलिखित कतिपय विशेषताओं के आधार पर उसके सविधान को स्पष्ट किया जा सकता है —

(१) लोक-जीवन की निकटता—भक्ति-चित्रण की परंपरा में विकसित राजस्थानी चित्रकला लोक-जीवन से घनिष्ठ रूप में जुड़ी रही है । विषय वस्तु के चुनाव में लोक-भावनाओं को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है । दरबारी संस्कृति में पनपने वाली चित्रकला में भी यह तत्व विद्यमान हैं । धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर विकसित होनेवाली चित्रकला तो जन-जीवन की भावनाओं के बहुत ही निकट रही है ।

(२) भाव-प्रवणता की अधिकता—राजस्थानी चित्रकला रस-प्रधान है, अतः उसमें भावों का मनोवैज्ञानिक चित्रांकन हुआ है । भक्ति और शृंगार का चित्रण विशेष दर्शनीय है । राधा-कृष्ण की माधुर्य भावना का विस्तृत एवं गहन चित्रण इस कला की प्रमुख विशेषता है ।

(३) विषयवस्तु एवं रंगों की विविधता—विषयवस्तु की दृष्टि से राजस्थानी चित्रकला की विविधता अभूतपूर्व है । राधा-कृष्ण की अनेक लीलाओं, महाभारत तथा भागवत पुराण, रामकथा, नायक-नायिका भेद, राग-रागिनी, बारहमासा आदि अनेक विषयों पर राजस्थानी चित्रकला आधारित है । काव्य का चित्रण तो इस शैली की अपनी ही विशेषता है ।

(४) देशकाल एवं प्राकृतिक परिवेश की अनुरूपता—राजपूत कालीन सभ्यता और संस्कृति का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला में विशेष द्रष्टव्य है । दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, दरबार, हवेलियों में राजपूती वैभव को बारीकी के साथ चित्रित किया गया है । साथ ही प्रकृति के बहुरंगी परिवेश को भी राजस्थानी चित्रकला में सफल अभिव्यक्ति मिली है । वमला से आपूरित सरोवर, मेघाच्छन्न आकाश में सपाकार विद्युत्-रेखाएँ, उपवन, पेड़-पौधे, फूल-पत्तियाँ, पक्षी-भर निकुंज, सिंह, हाथी आदि का मनोहारी अंकन राजस्थानी चित्रकला का अपना वैशिष्ट्य है ।

साहित्य की दृष्टि से तो यह प्रदेश एक अथाह सागर है । हस्त-लिखित ग्रन्थ-भण्डार यहाँ संकड़ों की संख्या में हैं, जिनमें अमूल्य साहित्य

और कला की लाखों प्रतियाँ संगृहीत हैं। यों तो राजस्थान के अनेक ग्राम नगरों में हस्तलिखित प्रतियों के सग्रह बिखरे पड़े हैं, पर कुछेक सग्रह तो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के ज्ञान भंडारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जैसलमेर के बड़े ज्ञान-भंडार को मिला है। देश और विदेश के कई विद्वानों ने यहाँ पहुँचकर इस ज्ञान-भंडार का निरीक्षण किया है और विवरण छपवाया है। बृहद् ज्ञान-भंडार में ४२६ ताडपत्रीय प्रतियाँ और २२५७ कागज पर लिखी हुई प्रतियाँ इतिहास और कला की दृष्टि से विशेष महत्त्व की हैं। जैसलमेर में और भी अनेक ग्रंथ-भंडार हैं जहाँ राजस्थान की धरोहर सुरक्षित है।

हस्तलिखित प्रतियों की संख्या की दृष्टि से बीकानेर के ज्ञान-भंडार सबसे अधिक समृद्ध हैं। मैंने गत चालीस वर्षों में लगभग तीस हजार से भी अधिक प्रतियाँ अभय जैन प्रयालय में संगृहीत की हैं। इसी तरह श्री पूज्य जी, जयचंद जी, मोतीचंद खजांची आदि का सग्रह जो अब राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की बीकानेर शाखा में रखा गया है, वहाँ लगभग २० हजार प्रतियाँ संगृहीत हो चुकी हैं। अनूप संस्कृत पुस्तकालय का नाम भी इस दृष्टि से कम महत्त्व नहीं रखता।

इस दिशा में राजस्थान सरकार ने प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान स्थापित कर महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इसका मुख्य कार्यालय जोधपुर में है। मुनि जिनविजयजी के तत्त्वावधान में यहाँ लगभग ४० हजार प्रतियों का सग्रह हो चुका है। जयपुर, टोक, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़, बीकानेर आदि स्थानों पर इसकी शाखाएँ हैं। समस्त शाखाओं को मिलाकर लगभग एक लाख प्रतियाँ इस संस्थान के पास होंगी।

राजकीय सग्रहालयों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण महाराजा जयपुर का पोयीखाना है जिसमें विविध विषयों की १८ हजार प्रतियाँ हैं। जयपुर के दिगंबरशास्त्र भंडारों में करीब १५ हजार प्रतियाँ होंगी। जोधपुर में प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के अतिरिक्त राजस्थानी शोध संस्थान, पुस्तक प्रकाश तथा अन्य सग्रहालयों में कई हजार प्रतियाँ हैं। उदयपुर के सरस्वती भवन, साहित्य संस्थान, दिगंबर, श्वेतांबर जैन भंडारों में कुल मिलाकर १५ हजार प्रतियाँ होंगी।

वास्तविकता तो यह है कि राजस्थान के साहित्य का सग्रह केवल

राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहा, वह विभिन्न माध्यमों से देश और विदेशों के विभिन्न कोनों में पर्याप्त मात्रा में पहुंच चुका है।

राजस्थान की साहित्यिक परंपरा का प्रारंभ बहुत प्राचीन समय से होता है। राजस्थान के एक भाग में सरस्वती नदी बहती थी। कहते हैं वहाँ रहते हुए ऋषि-मुनियों ने वेदों की ऋचाएँ लिखीं। यहाँ के अनेक तीर्थस्थल एवं प्राचीन नगर साहित्य-सृजन के प्रमुख स्थान रहे हैं।

राजस्थान में अनेक भाषाओं और विषयों को लेकर लिखे गये इस साहित्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

१ भाषाओं के भेद के अनुसार—प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी और राजस्थानी इन पाँच भाषाओं में समय-समय पर साहित्य निर्माण होता रहा है।

२ विषय वैविध्य की दृष्टि से—राजस्थान के साहित्य में विषय वैविध्य तो इतना अधिक रहा है कि यह कहना भी अत्युचित न होगा कि यहाँ के साहित्यकारों ने जीवनोपयोगी किसी भी विषय को अछूता नहीं छोड़ा है।

३. तीसरा वर्गीकरण रचयिताओं की भिन्नता को लेकर किया जा सकता है। जैसे—राजाओं और उनके आश्रित विद्वानों और कवियों का साहित्य, ब्राह्मण आदि वैदिक या पौराणिक परंपरा के विद्वानों द्वारा धर्मशास्त्र, तत्त्व-मत्त आदि विषयों का साहित्य, जैन आचार्यों द्वारा रचित जैन धर्म संबंधी एवं सर्वजनोपयोगी साहित्य।

४ चौथे वर्गीकरण में सत एवं भक्त कवियों का साहित्य रचा जा सकता है जिन्होंने अपने साहित्य की अजस्र धारा से न केवल राजस्थान वरन् भारत के अन्य प्रांतों को भी रसाप्सावित किया।

५ पाँचवें वर्गीकरण में चारण-साहित्य और लोक-साहित्य को रखा जा सकता है। चारण जाति ने हजारों कवि दिये हैं और लोक-साहित्य के निर्माता तो आज तक अज्ञात रहकर भी सुहृदों के दिल की धड़कनों में विराजमान हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन द्वारा संक्षेप में राजस्थानी कला और साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा का इस निबंध में संवेतमात्र ही प्रस्तुत जा सका है। साहित्य और कला के मर्मज्ञ रसिकजन अपने अधिक

प्रयासों और विस्तृत अध्ययन द्वारा उनकी गहराई और विस्तार को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। कहना न होगा कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर असीम है और उसकी महिमा अभूतपूर्व। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने इसकी महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है—

“जिस राजस्थान की महिमा का पार चंद्र और सूरजमल की लेखनी भी पूरी तरह पा नहीं सकी, वहाँ के क्षात्रधर्म का संपूर्ण चित्र कौन खींच सकता है? जब सरस्वती नदी समुद्र तक बहती थी, उस पुण्य युग में यह मरुभूमि सलिलार्णव के नीचे छिपी हुई थी। विधाता के विशेष प्रसाद से वीर-रस ने अपने निवास के लिए इस भूखंड को सागर-गर्भ से प्राप्त किया था। यहाँ के रण-बाँकुरे नर-पुंगवों और आर्य-देवियों के उदार चरित्रों का गायन करके कविगण अनंत काल तक अपनी लेखनी को पवित्र करते रहेगे। यहाँ का प्रत्येक स्थान एक-न-एक वीर की कीर्तिगाथा से सबद्ध है। यहाँ पद-पद पर आर्य नारियों ने सहस्रों की सङ्ख्या में सनातन सतीत्व की रक्षा के लिए हँसते-खेलते आत्मबलि दी है।” इसी राजस्थान में विराट नगर था, जहाँ पांडुकुल के वंशतनु को अविच्छिन्न रखने वाली उत्तरा का जन्म हुआ था। यही दक्षिण में महा-कवि माघ की जन्मभूमि श्रीमाल नगरी है। पद्मिनी और दुर्गावती की जन्मभूमि को आर्य सतान अब भी श्रद्धा के साथ प्रणाम करती है। भक्ति-स्रोतस्विनी भीराबाई का स्मरण करके भारतीय महिलाओं के मुखमंडल आज भी प्रसन्नता से जगमगा उठते हैं।”

अतः मे जहाँ तक तांगा जा सका वहाँ तक तांगे से, उसके उत्तरान कुछ दूर पैदल चलकर हम एक सफेद पुते हुए मकान के सामने पहुँचे जो अति साधारण और असाधारण के बीच की मध्यम स्थिति रखता था। कहलाया, प्रयाग से महादेवी आयी हैं। सोचा यदि गृह-स्वामी प्रसादजी होंगे तो मेरा नाम उनके लिए सर्वथा अपरिचित न होगा और यदि कोई सुंघनी साहु ही हैं तो शिष्टाचार के नाते ही बाहर आ जायेंगे।

प्रसादजी स्वयं ही बाहर आये। उनका चित्र उन्हें अच्छा हूट-मुट स्थविर बना देता है, पर स्वयं न वे उतने हूट जान पड़े और न उतने पुष्ट ही, न अधिक ऊँचा न नाटा, मझोला कद, न दुबले न स्थूल, छर-हरा शरीर, गौर वर्ण, माथा ऊँचा और प्रगस्त, बाल न बहुत घने न विरल, कुछ भूरापन लिये काले, चौड़ाई लिये मुख, मुख की तुलना में कुछ हल्की सुडौल नासिका, आँखों में उज्ज्वल दीप्ति, होठों पर अनापास आते वाली बहुत स्वच्छ हँसी, सफेद खादी का धोती-कुरता। उनकी उपस्थिति में मुझे एक उज्ज्वल स्वच्छता की वैसी ही अनुभूति हुई जैसी उस कमरे में संभव है जो सफेद रंग से पुता और सफेद फूलों से सजा हो।

उनकी स्थविर जैसी मूर्ति की कल्पना खडित हो जाने पर मुझे हँसी आना स्वाभाविक था। उस पर जब मैंने अनुभव किया कि प्रसादजी ही सुंघनी साहु हैं तब हँसी ही रोकना असंभव हो गया। उन दिनों मैं बहुत अधिक हँसती थी और मेरे सबंध में सबकी धारणा थी कि मैं विपाद की मुद्रा और डबडबायी आँखों के साथ आकाश की ओर दृष्टि किये हौले-हौले चलती और बोलती हूँ।

मेरी हँसी देखकर या मुझे मेरे भारी-भरकम नाम से विपरीत देख कर प्रसादजी ने निश्चल हँसी के साथ कहा—‘आप तो महादेवी जी नहीं जान पड़ती।’ मैंने भी वैसे ही प्रश्न में उत्तर दिया—‘आप ही कहाँ कवि प्रसाद लगते हैं जो चित्र में बौद्ध भिक्षु जैसे हैं।’

उनकी वंठक में ऐसा कुछ नहीं दिखायी दिया जिसे सजावट के अतर्गत रखा जा सके। कमरे में एक साधारण तरून और दो-तीन सादी कुर्सियाँ, दीवाल पर दो-तीन चित्र, अलमारी में कुछ पुस्तकें। यदि इतने महान् कवि के रहने के स्थान में मैं कुछ असाधारणता पाने की कल्पना की होगी तो मेरे हाथ निराशा ही आयी।

उन दिनों वे कामायनी का दूसरा सग लिख रहे थे। क्या लिख रहे हैं, पूछने पर उन्होंने प्रथम सग का कुछ अंश पढ़कर सुनाया। वेदों में अनक कथानक बहुत नाटकीय हैं और उनमें से किसी पर भी एक अच्छा महानाव्य लिखा जा सकता था। उन्होंने ऐसा कथानक क्यों चुना है जिसमें कथामूलक बहुत सूक्ष्म है? ऐसी जिज्ञासाओं के उत्तर में उन्होंने कामायनी सबधी अपनी कल्पना की कुछ विस्तार से व्याख्या की।

उनकी धारणा थी कि अधिक नाटकीय कथाओं की रखाएँ इतनी कठिन हो गयी हैं कि उन्हें अपने दार्शनिक निष्कर्ष की ओर मोड़ना कठिन होगा। युग की किसी समस्या को प्राचीन कलेवर में उतारना तभी संभव हो सकता है, जब प्राचीन मिट्टी लोचदार हो। जो प्राचीन कथा कठिन होकर एक रूप रखा पा लेती है, उसमें वह लचीलापन नहीं रहता जो नयी मूर्तिमत्ता के लिए आवश्यक है। इन्द्र का व्यक्तित्व उनकी दृष्टि में बहुत आकर्षक और रहस्यमय था, परन्तु उसकी नाटकीय और बहुत कुछ रूढ़ कथावस्तु कामायनी के संदेश को बहन करने में असमर्थ थी।

ऋग्वेदकालीन बरुण के व्यक्तित्व और विकास के संवध में भी उन्होंने अपना विश्लेषण दिया। वैदिक साहित्य और भारतीय दर्शन में प्रिय विषय रहा है, अतः तत्संबधी बहुत सी जिज्ञासाएँ मेरे लिए स्वाभाविक थीं। परन्तु सभी चर्चाओं में मैंने अनुभव किया कि प्रसादजी दोनों के संवध में आधुनिकतम ज्ञान ही नहीं, अपनी विशेष व्याख्या भी रखते हैं। वे कम शब्दों में अधिक कह सकने की जैसी क्षमता रखते थे, वैसी कम साहित्यकारों में मिलेगी।

उनके बहुश्रुत होने का प्रमाण तो स्वयं उनका साहित्य है, परन्तु दर्शन, इतिहास, साहित्य आदि के संवध में, इतने कम शब्दों में इतने सहज भाव से वे अपने निष्कर्ष उपस्थित कर सकते थे कि श्रोता का विस्मित हो जाना ही स्वाभाविक था।

लौटने का समय देख जब मैंने विदा ली तो ऐसा नहीं जान पड़ा कि मैं कुछ घटों की परिचित हूँ। प्रसादजी ताँगे तक पहुँचाने आये और हमारे दृष्टि से ओझल होने तक खड़े रहे। अपने साहित्यिक अग्रज को फिर देखने का मुझ सुयोग नहीं प्राप्त हो सका। वे कहीं आते-जाते नहीं थे और मैंने एक प्रकार से क्षेत्र-संन्यास ले लिया था।

और उसी बीच प्रसादजी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला, पर बहुत दिनों तक किसी को यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि रोग क्या है। अतः मेरे धय की सूचना भी हिंदी-जगत् के लिए चिंता का कारण नहीं बन सकी। हमारे वैज्ञानिक युग में नितांत साधनहीन के लिए ही यह रोग मारक सिद्ध होता है। प्रसादजी के साथ साधनहीनता का कोई संबंध किसी को ज्ञात नहीं था, इसी से अतः तक सबको उनके स्वस्थ होने का विश्वास बना रहा।

जब कामायनी का प्रकाशन हो चुका था और हिंदी-जगत् एक प्रकार से हर्षोत्सव मना रहा था, तब उनके महाप्रयाण की बेला आ पहुँची।

मैं स्वयं कई दिनों से ज्वरग्रस्त थी। एक वधु ने भीतर सदेन भजा कि वे अत्यंत आवश्यक सूचना लाये हैं। किसी प्रकार उठकर मैं बाहर के दरवाजे तक पहुँची ही थी कि मुना प्रसादजी नहीं रहे। कुछ क्षण उनके कथन का अर्थ समझने में लग गये और कुछ द्वार का सहारा लेकर अपने-आपको संभालने में।

वार-वार उनका अतिम दर्शन स्मरण आने लगा और साथ-ही साथ उस देवदारु का, जिसे जल की धुंध धारा ने तिल-तिल काटकर गिरा दिया।

प्रसाद का व्यक्तिगत जीवन अकेलेपन की जैसी अनुभूति देता है, वैसी हमें किसी अन्य समसामयिक साहित्यकार के जीवन के अध्ययन से नहीं प्राप्त होती।

उन्हें एक सपन पर ऋणग्रस्त प्रतिष्ठित परिवार में जन्म मिला और भाई-बहिनो में बनिष्ठ होने के कारण कुछ अधिक माता में स्नेह-दुःख प्राप्त हो सका। किशोरावस्था में वे एक ओर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वादाम पाते और बुरती लड़ते रहे और दूसरी ओर मानसिक विकास के लिए कई शिक्षकों से सस्त्रुत, फारसी, अंग्रेजी आदि का ज्ञान प्राप्त करते रहे। पर अभी किशोरावस्था में उन्हें पारिवारिक कलह की कटुता का अनुभव हुआ। इतना ही नहीं, उनके किशोर कथा पर ही पारिवारिक उत्तरदायित्व, अधव्यवस्था और ऋण का भार आ पड़ा। ऐसा लगता है यही दुर्वंदु भार, सार दुलार, स्वास्थ्य और विद्या का स्वभाविय प्राप्त था।

तरणार्द्र में ही वे माता पिता, बड़े भाई, दो पत्नियाँ और इकलौत

पुत्र की वियोग-व्यथा झेल चुके थे। यह बचपन से तारुण्य के अत तक फँसी हुई विद्रोह की परंपरा उनके भावुक मन पर कोई दुखनेवाली चोट नहीं छाड़ गयी थी, ऐसा कथन मनुष्य के स्वभाव के प्रति अन्याय होगा और यदि वह मनुष्य एक महान् साहित्यकार हो तो इस अन्याय की मात्रा और अधिक हो जाती है।

बहुत संभव है कि सब प्रकार के अतरंग बहिरंग सघर्षों में मानसिक संतुलन बनाये रखने के प्रयास में ही उन्हें उस आनदवादी दशन की उपलब्धि हो गयी हो, जिसके भीतर कठनायी अत सलिला प्रवाहित है।

चाँदनी में धुले ज्वालामुखी के समान ही उनके भीतर की चिंता उनके अस्तित्व को क्षार करती रही हो तो आश्चर्य नहीं। उनकी अत-मुँखी वृत्तियाँ या रिजवं भी इसी ओर संकेत करता है। पारिवारिक विरोध और प्रतिष्ठा की भावना के वातावरण में पलनेवाले प्रायः गोपनीय हो ही जाते हैं। उसके साथ यदि कोई गभीर उत्तरदायित्व हो तो यह संकोच उनके मनोभावों और बाह्य वातावरण के बीच में एक आग्नेय रेखा खींच देता है। कण कण कटती शिला के समान उनकी जीवनी क्षति रिसती गयी और जब उन्होंने जीवन के सब सघर्षों पर विजय प्राप्त कर ली, तब वे जीवन की बाजी हार गये, जिसमें हार जाने की संभावना भी उनके मन में नहीं उठी थी।

क्षय कोई आकस्मिक रोग नहीं है, वह तो दीर्घ स्वास्थ्यहीनता की चरम परिणति ही कहा जा सकता है। अस्वस्थ रहते हुए भी वे एक ओर अपनी लौकिक स्थिति ठीक करने में सलग्न थे और दूसरी ओर कामायनी में अपने संपूर्ण जीवन-दर्शन को भावात्मक अवतार दे रहे थे।

संभवतः रोग के निदान ने उनके सामने दो विकल्प उपस्थित किये। ऐसी चिकित्सा प्रचुर व्यय-साध्य होती है और कभी-कभी रोग का अत रोगी के साथ होने पर परिहार को आत्मीय जन की वियोग-व्यथा के साथ विपन्नता का भार भी वहन करना पड़ता है।

उनके सामने अकेला विशोर पुत्र था और अपने किशोर जीवन के सघर्षों की स्मृति थी। यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि वे अपने किशोर पुत्र के भविष्य पर किसी दुर्बल भार की काली छाया डालकर अपने इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे। तब दूसरा विकल्प यही

हो सकता था कि वे पतवार फेंककर तरी समुद्र में इस प्रकार छोट दें कि वह दिशाहीन बहती हुई जीवन मरण के किसी भी तट पर लग सके। उन्होंने इसी को स्वीकार किया और अपने अदम्य साहस और आस्था से मृत्यु की उत्तरोत्तर निकट आती पगचाप सुनकर भी विचलित न हुए।

पर जीवन और मृत्यु के संघर्ष का यह रोमाचक पृष्ठ हमारे मन में एक जिज्ञासा की पुनरावृत्ति करता रहता है। क्या इतने बड़े कलाकार का कोई ऐसा अंतरंग मित्र नहीं था जो इस विषम द्वाद्व के बीच में खड़ा हो सके।

संभवतः घर में ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था जिसका निष्पक्ष निर्विवाद माय होता, संभवतः विश्वेश्वर पुत्र के लिए पिता के हठ पर विजय पाना कठिन था। पर क्या ऐसे आत्मीय बंधु का भी उन्हें अभाव था जो उनके दुराग्रह को अपने सत्याग्रही विरोध से परास्त कर क्षय के चिकित्सा-केंद्रों तथा विश्पज्ञों का सहयोग सुलभ कर देता ?

कार्य से कारण की ओर चले तो विश्वास करना होगा कि नहीं था। सपन्न, मधुभाषी और हंसमुख व्यक्ति के साथ आनंदगोष्ठी में बैठकर हंस लेना सबके लिए सहज हो सकता है, परंतु किसी सकामक रोग में प्रसन्न मित्र की निष्प्रभ आंखों से मृत्यु के संदेश के अक्षर पढ़कर उसे बचाने के लिए कोई बाजी लगाना कठिन हो जाता है।

प्रसाद जैसे मनस्वी और सकोची व्यक्ति के लिए किसी से स्नेह और सहानुभूति की याचना भी संभव नहीं थी। चंद्रगुप्त में सिंहारण के निम्न शब्दों में बहुत-बहुत प्रसाद के मन की बात भी हो तो आश्चर्य नहीं।

‘अपन से बार-बार सहायता करने के लिए कहने में मानव-स्वभाव विद्रोह करने लगता है। यह सौहाद और विश्वास का सुंदर अभिमान है। उस समय मन चाहे अभिनय करता हो सपने से बचने का, बितु जीवन अपना सपना अथा होकर लड़ता है। कहता है—अपने को बचाऊंगा नहीं, मेरे जो मित्र हो आवें और अपना प्रमाण दें।’

संभव है कि प्रसाद का जीवन भी, अपना सपना जघ हायर लड़ा हो और उमन अपन-आपको बचाने का कोई प्रयत्न न किया हो। उह किसी की प्रतीक्षा रही या नहीं इस आज कौन बता सकता है। ध्यावहारिक जीवन में एक हित दूसरे के हित का विराधी भी हो सकता है। एक व्यक्ति को प्रसाद सबधी स्मृति उनकी अपनी चोर्टा की स्मृति

अधिक हो सकती है, प्रसाद की विशेषताओं की कम।

भारतेंदु के उपरांत प्रसाद की प्रतिभा ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों को एक साथ स्पर्श किया है। करुण मधुर गीत, अतुकांत रचनाएँ, मुक्त छंद, खड-काव्य, महाकाव्य सभी उनके काव्य के बहुमुखी प्रसार के अंतर्गत हैं। लघु कथा के वैचित्र्य से लंबी कहानियों की विविधता तक उनका कथा-साहित्य फैला है। ककाल उपन्यास के विपम नागरिक यथार्थ से तितली की भावात्मक ग्रामीणता तक उनकी औपन्यासिक प्रतिभा का विस्तार है।

एकांकी, प्रतीक रूपक, गीतिनाट्य, ऐतिहासिक नाटक आदि में उन्होंने नाटकीय स्थितियों का सचयन किया है। उनका निबन्ध-साहित्य किसी भी गंभीर दार्शनिक चिंतक को गौरव देने में समर्थ है।

साहित्यिक प्रतिभा के साथ उनकी व्यवहार बुद्धि भी कुछ कम असाधारण नहीं है। घूमिल नये युग के काव्य और विचार को आलोक की पृष्ठभूमि देने के लिए ही उन्होंने इंदु, जागरण जैसे पात्रों की कल्पना को मूर्त रूप दिया। भारती भंडार का जन्म भी उनकी उसी बुद्धि का परिणाम है, जिसने युग की प्रत्येक सभावना को परखकर उसका उचित दिशा में उपयोग किया। उनका जीवन उनके कार्य को देखते हुए घट म समुद्र का स्मरण दिनाता है।

बुद्धि के आधिक्य से पीड़ित हमारे युग को, प्रसाद का सबसे महत्त्वपूर्ण दान कामायनी है। अपने काव्य-सौंदर्य के कारण भी और अपने समन्वयात्मक जीवन-दर्शन के कारण भी।

भाव और उसकी स्वाभाविक गति से बनने वाले जीवन-दर्शन में सापेक्ष सबंध है। बहती हुई नदी का जल आदि से अत तक ऊपर से कहीं तरगाकुल, कहीं प्रशांत-मधुर जल ही दिखायी देता है, परंतु वह तरलता किसी शून्य पर प्रवाहित नहीं होती। वस्तुतः उसके अतल-अछोर जल के नीचे भी भूमि की स्थिति अखड रहती है। इसी से आवाश के शून्य से उतरने वाले मेघ-जल को हम बीच में तटों से नहीं बाँध पाते, पर नदी के तट उसकी गति का स्वाभाविक परिणाम हैं।

भाव के सबंध में भी यही सत्य है। जिसके तल में कोई सन्निष्ट जीवन-दर्शन नहीं है उसे आकाश का जल ही कहा जा सकता है। जीवन को तट देने के लिए, उसके आदि की इकाई को अत की

असीमता देने के लिए ऐसे दिन की आवश्यकता रहती है जिस पर श्रेय में तरंगयित होकर वह सुंदर बन सके। यदि कोई भावधारा ऐसी सश्लिष्ट दर्शन भूमि नहीं पाती तो उसके स्थायित्व का प्रश्न सदिग्ध हो जाता है।

यह दर्शन, महाकाव्य की रेखाओं से जिस विस्तार तक धिर सकता है उस विस्तार तक गीत से नहीं। छायावाद युग में भाव के जिस ज्वार ने जीवन को सब ओर से प्लावित कर दिया था उसके तट और गतव्य के सबंध में जिज्ञासा स्वाभाविक थी और इस जिज्ञासा का उत्तर कामायनी ने दिया।

प्रसाद को आनदवादी कहने की भी एक परंपरा बनती जा रही है। पर कोई महान् कवि विशुद्ध आनदवादी दर्शन नहीं स्वीकार करता क्योंकि अधिक और अधिक सामजस्य की पुकार ही उसके सृजन की प्रेरणा है और वह निरंतर असतोष का दूसरा नाम है।

‘आनद अखड घना था’ (कामायनी) विश्व-जीवन का चरम लक्ष्य हो सकता है, परंतु उसे इस चरम सिद्धि तक पहुंचाने के लिए कवि को तो निरंतर साधक ही बना रहना पड़ता है। सितार यदि समरसता पा ले तो फिर शकार के जन्म का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वह तो हर चोट के उत्तर में उठती है और सम-विषम स्वरों को एक विशेष क्रम में रखकर दूसरों के निकट संगीत बना देती है। यदि आघात या आघात का अभाव दोनों एक मौन या एक स्वर बन गये हैं, तब फिर संगीत का सृजन और लक्ष्य संभव नहीं।

प्रसाद का जीवन, बौद्ध विचारधारा की ओर उनका झुकाव, चरम त्याग, बलिदानवाले करुण-कोमल पात्रों की सृष्टि, उनके साहित्य में बार-बार अनुगुजित करुणा का स्वर आदि प्रमाणित करेंगे कि उनके जीवन के तार इतने सघे हुए और खिंचे हुए थे कि हल्की-सी कपन भी उनमें अपनी प्रतिध्वनि पा लेती थी।

हमारे युग की समष्टि के हृदय और बुद्धि में जो भाव और विचार नीरव उमड़-धुमड़ रहे थे, उन्हें कवि ने जागरण के स्वर देकर मुखरित किया।

पर जब ‘हिमाद्रि तुङ्ग शृङ्ग’ माँ भारती ने अपने इस स्वर-साधक पुंवारा तब वह अपनी चीणा रखकर मौन हो चका था।

264
-रानी

एक जो चली गयी
गोपालदास

मेरे तीन लडकियाँ हैं। कभी चार थीं। एक चली गयी जो चली गयी उसका नाम था मधूलिका। हम उसे मधु पुकारते थे। जब वह गयी दस की भी नहीं हुई थी। उसका रंग था, जैसे सवेरे की मोठी उजली घूप। बोली, जैसे अपना नाम सायक करती हो। और गुण जैसे पतजी ने उसे लिखा था—

अपने उर के मोरभ से

जग का आंगन भर जाओ।

मैं आज उसे क्यों याद करता हूँ? किंतु क्या मैं उसे कभी भूला हूँ। और रानी? उन्होंने तो उस दिन से आज तक उस नाम की किसी लडकी को नाम से कभी नहीं पुकारा है।

उसे गये १८ वर्ष हो गये। होली खेलकर हमे दहका गयी। तब से अबीर मे मैंने सदा राख के रंग की समानता देखी है।

वह क्यों चली गयी? कोई क्यों चला जाता है, और वह भी ऐसी आयु मे? यह तो जिसके सहस्र नाम हैं वही जानता है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ, वह ऐसी दीप शिखा थी जिसकी लौ कभी मद्धम नहीं हुई। तेल रीतता गया और वह उद्दीप्त होती गयी, और फिर, एक बार भभककर, घना धुप्प अघकार छोड गयी।

यह सब होता रहा और हम, मैं और रानी, देखते रहे—वेबस, विलकुल वेबस, और हँसते रहे, उसे हँसाने के लिए उस क्रांतिकारी से होड ले रहे थे, जिसने अपना अडिग विश्वास जताने के लिए, हाथ दीये की जलती लौ पर रख दिया था। हाथ जलता रहा था और उमने उफ नहीं की थी। करता कैसे? वीर जो था। हम भी बडे वीर बने थे। कैसे घून के अनदेखे, अनफूटे आँसुओं से उस वीरता का मूल्य चुकाया था?

जब वह चली गयी, तो मैंने बहुत चाहा कि शरत ने पंडित मोशाय की तरह हर बालक मे उसे देखूँ और मन को दिलासा दूँ। किंतु पंडित मोशाय तो यल्पना की उपज थे और मैं था हाड मास का।

वह दिन मुझे याद है। मैं उसे दिखाने अस्पताल ले गया था। कई दिन से उसकी आँखों के घेरे भारी थे। पपोटो पर भी भारीपन था। हम समझे थे कि सर्दी का असर है, देर-सवेर दूर हो जायगा। और कोई लक्षण नहीं था। हँसती-खेलती थी, स्कूल जाती थी। न किसी प्रकार की पीडा थी, न कष्ट।

डॉक्टर पुराने परिचित थे, दूर के सवधी भी, रोग के निदान में बड़े निपुण। उन्होंने उसे ध्यान से देखा, कुछ सोचा, कुछ देर मुझे अपलक घूरा और फिर आँखें झुका ली। मैं कुछ समझा नहीं। वे गुम-गुम बैठ गये, बैठे रहे। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, “क्या बात है?” मुझे लगा, उनके होठ हल्के-से हिले, और बस। मुझे चिंता हुई, उनके लिए, “डॉक्टर साहब, आप ठीक तो हैं?” कही दूर से आता उत्तर सुनायी दिया, “हाँ, मैं तो ठीक हूँ।” ‘फिर?’ ‘मौन।’ ‘फिर?’ ‘मौन।’ ‘फिर?’ मेरे असयत स्वर से वह आतंकित हो गये थे। ‘आप मेरे साथ आइए।’ वे होठों में फुलफुसाए। मैं पास के उनके छोटे कमरे में गया। “रोग असाध्य है, प्रायः असाध्य। दवा दीजिए और दुआ कीजिए। दोनो में से किसी का असर हो जाये, शायद।”

मैं एकदम-कुछ नहीं कह सका। वे पहले-कमरे में लौट आये। मैं यन्त्रबत् उनके पीछे हो-लिया। उन्होंने नुस्खा लिखा, सेवन की विधि बतायी, फिर मधु से बोले, ‘जाओ बेटी, घर जाकर खोली। तुम बड़ी प्यारी बच्ची हो।’

उनके चेहर पर अनडलके आँसुओं से भीगी मुस्कान की असफल चेष्टा थी।

मैं साइकिल पर घर लौट रहा था। वह आग बँटी थी। हँस रही थी। बोल रही थी, ‘प्रापा, उन डॉक्टर साहब को क्या हो गया था? बीमार हैं क्या? फिर अस्पताल क्यों आते हैं? इलाज कैसे करेंगे?’

गभीर घाव धरनेवाले भोले प्रश्न।

साइकिल की आवाज सुनकर रानी ने पूछा, “डॉक्टर ने क्या कहा?” व चौंके म थी। सामान्य स्वर, जिसमें कोई चिंता की ध्यनि नहीं। ऐसे ही जैसे अशा मोड से निकलकर, सहसा गहरे, हड़पने को मुँह

घाये कगार के सामने आने से पहले कोई सहज बात कर रहा हो ।

मैं दूर से क्या उत्तर देता ?

उन्होंने फिर पूछा, "डॉक्टर ने क्या कहा ?"

मैं चौंके मे गया । उनके पास खड़ा हो गया, अब्यक्त ।

"डॉक्टर ने क्या कहा ?"

मैं चुप रहा ।

"मैं पूछ रही हूँ, डॉक्टर ने क्या कहा ?"

मैं फिर भी चुप रहा ।

"बोलते नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा ? अरे, बोलो न ।"

खीज का स्थान आशका ने ले लिया था ।

"लडकी से हाथ धो लो ।"

"क्या ?"

एक अविश्वास जिस पर भय हावी हो रहा हो ।

"कह तो दिया ।"

"नहीं, यह नहीं हो सकता । नहीं, नहीं ।"

विरोध खोखला था । भय ने अपनी सत्ता जमा ली थी ।

मैंने रानी को सक्षेप में सब-कुछ बता दिया ।

उस दिन मधु ने खाट पकड़ी,

कहने को,

लेकिन उसका जो रूप उभरकर सामने आया, वह था मानो—

निर्झर का स्वप्न भग हो चुका हो ।

खिल-खिल हँसता,

कल-कल गाता,

ताल-ताल पर दूंगा ताल ।

मैं नहीं जानता उसे महार्सिधु का गान सुनायी पडता था या नहीं,

शायद नहीं ।

मैं इतना जानता हूँ ।

उस दिन से हमारे घर में मृत्यु की छाया मँडराने लगी थी, किंतु

वहाँ एक ही जीवित प्राणी था—जिसकी वह छाया थी ।

जैसा मैंने कहा, जैसे-जैसे तेल रीतता गया, लौ उद्दीप्त होती गयी ।

उन दिनों के अनेक प्रसंग हैं। क्या भूलूँ क्या याद करूँ, या याद न करूँ, या फिर—क्या-क्या याद करूँ ?

उसे नमक वजित था। उसका खाना अलग बनता था। रानी बड़े श्रम और लगन से बनाती थी, जिससे कि नमक का अभाव न खले। दो दिन से पालक का साग बना रही थी। उसे बहुत पसंद था। पहले दिन चर्चुप रही। दूसरे दिन उसने टोका।

“ममी, तुमसे भूल हो गयी है।”

“क्या ?”

“तुमने साग में नमक डाल दिया है।”

“नहीं तो।”

“हाँ, डाला है।”

“तुझे लग रहा है ?”

“हाँ।”

रानी समझ नहीं पा रही थी कि वे ऐसी भूल कैसे कर सकती हैं।

अगले दिन फिर वही, “ममी, तुमसे आज भी भूल हो गयी।”

“नहीं बेटा।”

“हाँ, मैं कहती हूँ, चख लो।”

उन्होंने जीभ पर रखा, बिल्कुल फीका था।

“इसमें नमक कहाँ है, बेटा।”

“तुम्हें नहीं लगेगा। तुम तेज खाती हो।”

वे क्या कहती ? डॉक्टर आये। उनसे कहा। कुछ देर सोच में रहे। फिर उससे पूछा, “तुम्हें पालक अच्छा लगता है ?”

उसने सिर हिला दिया।

‘और क्या अच्छा लगता है ?’

“सब।”

“पालक चढ़ कर दें, तो कैसा लगेगा ?”

वह कुछ खी, फिर उदासीन स्वर से बड़ा, “ठीक है।”

डॉक्टर चले गये। पालक चढ़ हो गया। उसने फिर पूछा, न

। कई दिन बाद रानी से बोली, “ममी।”

‘क्या ?’

“यह पढो।” उसकी बड़ी बहन की पुस्तक थी।

“क्या लिखा है, बेटी?”

“इसमे लिखा है, पालक मे अपना नमक होता है।”

“सच?”

“तभी तो डॉक्टर ने मुझे मना किया है। तुम इतना भी नहीं जानती?”

और वह हँस पड़ी, वंही ‘रवि-किरणो का हास लुटाती’ निशंर की उन्मुक्त हँसी।

रानी जानती थी। डॉक्टर बता गये थे। उससे क्या कहती? उस हँसी ने उन्हे हिला दिया। काम के बहाने वे उठकर चली गयी।

उस पर लिखी अज्ञेय की कविता ने पुत्री और माँ का कैसा मार्मिक चित्रण किया है :—

सोखा है तारे ने उमगना

जैसे धूप ने विकसना

हरी घास ने पैरो मे लोट-लोट

विछलना-विलसना,

और तुमने—पगली बिटिया—

हँसना - हँसना - हँसना,

सोखा है मेरे भी मन मे उमसना

मेरी आँखो ने बरसना

और मेरी भावना ने

आशीर्वाद से सुवास-सा

तुम्हारे आसपास बसना।

वह दस महीने बीमार रही, लेकिन न कभी रोई, न टूटी। उसने जाना केवल पढना और हँसना, आयु म बड़ी होती, तो मे कहता, जीवन जीना जितना भी लिखा था।

वह क्या न पढती? कहानी, उपन्यास, नाटक, निबन्ध। हाँ, कविता नहीं। पतजी आते, उस दुलारते, उनसे खुलकर वार्ने करती। उनके काव्यमय रूप ने उसे आकृष्ट किया, कविता ने नहीं—उनकी या किसी और की भी।

मैं नहीं जानता, वह कितना समझती थी, किंतु उसे याद सब रहता। एक दिन बोली, 'पापा, फिर से सुनाना—ओ इसानो, बोल रहा हूँ मैं, किस नगर के चौराहे से ?'

'सृष्टि का आखिरी आदमी' की पक्तियाँ हैं—

ओ इसानो,

ओ मनु राजा की सतानो,

सुनो, और सुनो,

बोल रहा हूँ मैं,

भविष्य के एक नगर के चौराहे से

बोल रहा हूँ ।

पिछली रात रेडियो से प्रसारित भारती के इस पद्य-नाटक में मैंने उद्घोषक का अभिनय किया था। उसने एकचित्त होकर सुना था। स्नेही सतान थी। पिता की अभिनय-कला कौनों भी हो, उसे गर्व था। लेकिन न जाने क्यों, जो पक्तियाँ उसके मन में अटककर रह गयी थी, वे थी भीड़ के स्वर में—

वह चूहा था, मर गया,

हम चूहे हैं, मर जायेंगे ।

दिन भर उन्हें दुहराती रही। बीच में बोलती, पापा, उस दिन नाली के पास मरा हुआ वह चूहा याद है न ? कौसा उसका पेट फूल गया था ?—

मैं देखता, उसके शरीर पर मूजन बट्ट गयी थी। कई दिन से पेशाब नही के बराबर हुआ था ।

वे चूहे थे, मर गये ।

वह चूहा था, मर गया ।

उसे उनसे क्या ?

क्या ?

बालकृष्ण राव आते, उने कहानियाँ, चुटकुले सुनाते, पहेलियाँ बुझाते । वह हँसती, खिलखिलाती । शिवमगलसिंह 'सुमन' ने उपमा दी थी—

तुम बहो, किनारों को हरियाली, निम्हरिणी ।

तुम पिलो, त्रिस तरह पिल पिल पडतो मौलसिरी ।

राव साहब का एक पत्र आया। वे रेडियो से किसी कार्यक्रम के लिए आमन्त्रित किये गये थे। रास्ते में मोटर ठप्प हो गयी। बेचारे उतरे, ड्राइवर उतरा, धक्के दिये, लेकिन उनकी साँस फूल गयी, मोटर में साँस न पडी। उस अनुभव से प्रेरणा पाकर उन्होंने उसके लिए एक कविता लिख भेजी थी।

जैसे ही ताँगा बुढ़ू ने बाहर लाकर मोड़ा
बीच सड़क पर खड़ा हो गया उसका भाँड़ियल घोड़ा।
चाबुक बरसाई बुढ़ू ने, मारा हटर कोड़ा,
कान उमेठे, दुम को कस कर खींचा और मरोड़ा।
इतने में हँसकर मधूलिका बोली, 'बुढ़ू खुश हो,
सोच जरा, बगधी लाता, तो लाना पडता जोडा !!'

छुट्टी का दिन था, लगभग एक का समय, हम लोग भीतर के बरामदे में खाना खाने बैठे थे। रानी मधु को पहले ही खिला चुकी थी। वह अपने कमरे में लेटी हुई थी।

अदर से आवाज़ आयी, "हम सब देख रहे हैं। वह पापा का गिरास मुँह में गया। ममी पानी पी रही हैं। बडी वहनजी रोटी उठा रही हैं।"

हमें आश्चर्य हुआ।

"हम जान गये," मैंने कहा, "तुम बिस्तर से उठ आयी हो, दरवाजे के पीछे से छिपकर झाँक रही हो।"

"नहीं, हम बिस्तरे पर लेटे हैं।"

"तो तुम अटकल लगा रही हो।"

"नहीं, हम सब देख रहे हैं।"

"कसे?"

"हमारे पास जादू है।"

बालक को मानूमियत से, अपने से बडो को छकाने में जो आनंद आता है, वह उसके स्वर में फट रहा था।

"कैसा जादू है?"

"यहाँ आओ, तो बतायें।"

रानी उठकर उसके पास गयी। वह विस्तरे में ही लेटी थी। कमरे के दरवाजे में शीशे लगे हुए थे। एक दरवाजे को उतने इस तरह से उबीक रखा था कि बरामदे में जो हो रहा था, उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब दीखता था। रानी से बोली, "देखो, वह रहे पापा। इधर देख रहे हैं। वह छोटी बहन उठी। राज फल खा रही है। देखा जादू? कैसा बनाया!"

और वही हँसी, उन्मुक्त और अवाध।

रानी ने उसे थक में भर चूम-चूम लिया।

"मेरी सुनहरे बालोंवाली जादुई शमूरी, मेरा हीरामन तोता।"

वे नीर-भरी दुख की बदली हो रही थी। लेकिन जैसे किसी साधक भवत के मन का—

आज घट गमना गरजा।

किसी को सुनायी नहीं देता है, वह बदली भीतर ही बरस रही थी। उस निगुनिया के शब्दों में—

बिन झूबां जहाँ मेहा बरसे।

उसके न टूटने की एक घटना मुझे सदा दोसती रही है। बीमारी से पहले की बात है। किसी कारण मुझे उस पर क्रोध आ गया, और अपना पिता का अधिकार जताते हुए, मैंने उसे बाने में दीवार की ओर मुँह करके खड़ा होने का आदेश दिया। फिर किसी काम से बाहर चला गया। दो-तीन घंटे बाद लौटा। घर में कुछ घुटन की अनुभूति हुई। मैंने रानी से पूछा, "क्या बात है?"

बोली, 'तुम मधु को कोन म खड़ा कर गये थे, तब से वही खड़ी है।'

"क्यों?" मुझे हैरत हुई।

"मैंने बहुत मनाया, समझाया—पापा ने ऐसे ही कह दिया था। वे तुझे इतना प्यार करते हैं। वितु नहीं, वह तो रघुबुल की रीत निभा रही है।"

मैंने उसे बुलाया। वह आयी। मैंने कहा, "तुम अभी तक वही खड़ी थी?"

उसने कोई उत्तर नहीं दिया, उसके चेहरे पर कोई शिवायत नहीं

थी। वह बिल्कुल सहज थी। यदि किसी भाव का किंचित् सकेत-मात्र था, तो एक मीठे स्वाभिमान का।

एक दिन धर्मवीर भारती घर आये। उस दिन वह कुछ अधिक बेचैन रही थी। भारती अपने साथ 'अघायुग' की पांडुलिपि लाये थे। कुछ दिन पहले ही पूरा किया था। मैं उसके रेडियो प्रसारण के लिए उत्सुक था। वही उसके कमरे में चले आये। कुछ देर बैठे। वह बातें सुनती रही, स्वयं अव्यक्त। उठने से पहले भारती उससे बोले—

हे मधूलिका रानी,
नाच-कूद कर जल्दी से अच्छी हो जाओ,
मिटे सभी हैरानी।

वह मुस्करायी। कभी भगवतशरण उपाध्याय ने उसे लिखकर दिया था—

किसी को देखो
तो मुस्कराओ—
चाँदनी छिनक जायेगी।

लेकिन उस दिन चाँदनी सहमी सहमी थी, उस पर धूमिल आवरण था।

उस रात, उसके सिरहाने बंटे में 'अघायुग' पढ गया। वह कभी आँख खोलकर मुझे देख लेती, बोलती कुछ नहीं। जब मैं उठा, वह गहरी नींद में थी। मेरे अपने भीतर एक तूफान गुजर चुका था। वह अश्वत्थामा का पात्र मुझे हिला गया था। लेकिन लगता था, कहीं कुछ रह गया है, उसकी पूर्ण परिणति नहीं हुई है।

अगले कुछ दिनों में मैंने 'अघायुग' कई बार पढा। मेरी धारणा प्रबल होती गयी। हफ्ते-भर बाद भारती आये। मधु की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब वे चलने लगे, तो मैं उन्हें छोड़ने फाटक तक गया। वे ठिठके। उन्हें लगा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अश्वत्थामा के बारे में मैंने अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने पूछा, क्यों? मुझे प्रसंग याद था। कृष्ण की हत्या के बाद अश्वत्थामा को कुछ और कहने को था, जो नहीं कहा गया था और जिसे कहे बिना चरित्र में संपूर्णता

नहीं जाती थी। भारती मानने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा, शायद तुम नहीं जानते, पिछले सात दिन स तुम्हारा यह अश्वत्थामा मैं अपने म जीता रहा हूँ। उसकी पीडा मे मेरी पीडा ने अभिव्यक्ति पायी है। मधु को देखकर, अश्वत्थामा की अज्ञास्था कही मेरे अपने भीतर कसमसा रही है। रेडियो प्रसारण मे अश्वत्थामा की भूमिका मैं स्वयं कहेगा। दो चार दिन बाद, तुम एक बार नाटक को फिर...से पढ... देखो। शायद मरी बात से सहमत हो।

भारती चले गये। बाद मे उसी प्रसंग म उन्होंने कुछ सवाद जोड़ दिये। प्रसारण हुआ, बहुत सराहा गया। भारती ने कही लिखा है कि मेरे अश्वत्थामा के अभिनय मे एक दर्शन था, धृणा की व्याख्या मे वह अनासक्त विक्षोभ का प्रणेता लगता था। क्या मैं, उन दिनों की अपनी मन स्थिति मे, कोई और अभिव्यक्ति कर सकता था ?

प्रसारण मधु ने भी सुना। यद्यपि वह लगभग दो घटे का था और रात के साढे ग्यारह तक चलता रहा था, फिर भी, उसने, आद्योपाठ, दत्तचित्त होकर सुना। पहले से रेकार्ड होने के कारण, मैं उसके पास बैठा था। समाप्ति पर वह कुछ बोली नहीं सो गयी। शायद बहुत थक गयी थी या कथानक उसकी समझ के परे था। सवेरे उठते ही उसने मुझ आवाज दी, पापा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ। आपने वह कैसे कहा था—

पता नहीं मैंने क्या किया,
मातुल मैंने क्या किया ?
क्या मैंने कुछ किया ?

और—

मातुल,
सत्य मिल गया
दरंर अश्वत्थामा को
और आखिर म वह क्या था,
हाथ मेरे नहीं थे वे,
हृदय मेरा नहीं था वह ”
अधायुग क्या हो गया था नस-नस म ?

मेरे अभिनय के अदाज में वह पकितियाँ बोलती जाती और खिल-खिलाती जाती। उसका उन्मुक्त हास घर-भर में अपनी आभा भरता जा रहा था।

ऐसे अवसरों पर, घर में मँडरानेवाली वह काली छाया अपना मुँह छिपाने के लिए किसी अलग अँधेरे कोने को टटालती फिरती थी।

दिन बीतते जा रहे थे। वह सूय-किरण और प्रखर होती जा रही थी। उसके लिए विद्यावती कोकिल की पकित—

जीवन का रज मविरा मेरी

नित नये रूप में सार्थक होती। मन में अमित गान और हर्ष-भरे उस निर्झर को कौन रोग बाँध सकता था ?

तोड़ो-तोड़ो-तोड़ो कारा

आघातो पर कर आघात।

दीवाली आयी। मन में घना अंधकार था, उस ज्योतिषर्व को कौन मानता ? उन दिनों तमसो मा ज्योतिर्गमय की कल्पना से मैं बिल्कुल बेगाना हो गया था। न घर में दीये आये थे, न आतिशबाजी। लक्ष्मी-उपासना में मेरी आस्था न तब थी, न अब है। मैंने उसकी सदा 'पुरुष पुरातन की बधू' के रूप में कल्पना की है।

मधु ताड़ गयी। उसने नितांत भालेपन से पूछा, 'पापा, हमारे घर में दीवाली नहीं मनेगी क्या ?'

क्या इसका उत्तर-नकार-में-हो-सकता था ? कम-से-कम मुझमें उसकी ताव न थी। मैंने कहा, 'क्यों नहीं मनेगी ? खूब मनेगी।'

उत्कल्लता के विद्रूप का कंसा अभिनय था।

उस रात दीये जले, आतिशबाजी चली, लक्ष्मी-पूजन हुआ। बड़ी धूमधाम रही। मैं और रानी, सलीब पर चढे मुस्कराते रहे, हँसते रहे।

२६ जनवरी १९५५।

बड़ी बेगी निरमल, उत्तर प्रदेश के स्कूलों के दल में, गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने दिल्ली आयी हुई थी। रेडियो मधु के कमरे में रहता था। उस दिन सबेरे से ही तैयार होकर वह आँखा देखा हाल सुनने बैठ गयी थी। राजेन वाबू की सवारी आयी। पंडित नेहरू ने

उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय धुन बजी। तोपें दगी। राजेन बाबू ने सलामी के स्थान पर आसन ग्रहण किया। सैनिक टुकड़ियाँ निकलने लगी। फिर आयी झाँकियाँ। उसकी उत्सुकता बढ़ गयी। रेडियो ने कहा, "अब स्कूलो की छात्राएँ "

'ममी सुनो, लडकियो की टोलियाँ आ रही है। उठो नहीं, यही बँटी रहो। बहन जी आ रही हैं। कैंसी शान से चल रही होगी। लैपट राइट लैपट।'

वह बिस्तरे मे खडी हो गयी और कदम भरने लगी।

परेड समाप्त हो गयी। वह कुछ देर मौन लेटने के बाद बोली, "कभी मैं भी परेड मे भाग लूंगी।"

गिरिजाकुमार मायुर ने उन्ही दिनों उसके लिए ये पंक्तियाँ लिखी—

तुम घर की मधुलता

चाँदनी तुम आँगन की

फलो, खेलो, फलो,

तुम टिकुली चंदन की

बेह तुम्हारी

सोन धूप-सी

सेहत पाये

सूरज चदा-सी

असोत यह

मंगल गाये

उम्र-बोज पूनो तरु पठुँचे

पिले तुम्हारी

सतिये-सी छाये पय पर

कामना हमारी।

और फिर आया राग-रग का त्यौहार। उसकी इच्छा थी कि घर मे अमीर और गुलाल उड़े, सो उठा और जमकर, वह भी रेंगी और भीगी। मित्र-महत्ती मिलने आयी। घर मे हुडदय मचा, दिन-भर। स्त्रिु न जाने क्यों, मेरे मन मे एक पुरानी होती की यह पक्ति बराबर मूँजती रही—

अब के फाग पिया भये हैं बंरागी,
में बंठी बिस घोलूं।

अनेक उतार-चढ़ाव के बाद उसके रोग में सुधार तो नहीं हुआ था, एक ठहराव आ गया था। उसे स्वयं कोई चिंता नहीं थी। लगता था, वह कबीर की गवोंक्ति, 'हम न मरै मरिहै स सारा' का मूर्त रूप थी। उसके गुदों रोग-ग्रस्त थे। कभी पेशाब रुक जाता, आँखें और चेहरा भारी हो जाते, कभी ठीक आता—सूजन पटक जाती। जब कम आता, बूंद-बूंद तक, तो गदा और कत्थई। वह शीशी उठाकर दिखाती और कहती, "आज छुट्टी" और हँस पडती—जैसे रोगी वह नहीं कोई और हो। जब पर्याप्त और स्वच्छ आता, तो कहती, "देख लिया ? ठीक है न ?" जैसे अपने को नहीं, हमे आश्वस्त कर रही हो, कि क्यो चिंता करते हो ?

बरसो बीत गये हैं। आज स्पष्ट स्मरण नहीं है कि होली ही के दिन, या उससे एक दिन पहले या बाद, मैंने सपना देखा।

मैं, रानी और चारो लडकियाँ कही जाने के लिए किसी स्टेशन पर खड़े हैं और ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मधु बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ है, सदा की अपनी प्रसन्न मुद्रा में। कोई रोग का चिह्न नहीं है। ट्रेन आती है, ज़रा-सी देर रुकती है। मधु लपककर उसमें चढ़ जाती है। हम वही बंधे से, खड़े देखते रह जाते हैं। ट्रेन शून्य में विलीन हो जाती है।

और वह भी शून्य में विलीन हो गयी।

उसके डॉक्टर एक पूजा-पाठी, विनीत और सज्जन व्यक्ति थे। अपने काम में जाने माने और अत्यंत कुशल। बस, एक ही दोष था। समय की पावदी में वे सर्वथा अविश्वासी थे, या कहूँ, उसकी उनकी अपनी अलग धारणा थी। सवेरे नौ बजे आने को कहे और आर्ये दिन के दो बजे, दिन के चार कहे, तो आर्ये तारो की छाँव में, और चेहरे पर कोई शिकन नहीं, जैसे कुछ नहीं, ऐसा ही होता है। एक-दो बार दबी ज़बान से कहा भी। उत्तर मिला, "आप घडी क्यो देखते हैं ? यह मान लीजिए कि जिस समय हम आते हैं वह वही होता है जो हमने दिया होता है।" बड़ी खोज होती, आश्रय होता, उबल पडने को जी चाहता एकाघ

बार, जो शब्दों में नहीं कह सकता था, उसे हाव भाव से प्रकट करने की चेष्टा की, लेकिन सभ्य व्यवहार की सीमा बाँधकर उसने कहाँ तक सफल हो सकता था ?

सपने के दूसरे दिन किसी ने एक होम्योपैथ की चर्चा की। उसने कई चमत्कारी इलाज किये थे। मुझे स्वयं होम्योपैथी से एक बार ऐसा ही लाभ हुआ था। मधु की अवस्था में ठहराव देखकर मैंने सोचा कुछ दिन के लिए इलाज बदल देखें। होम्योपैथ के पास गया। उनकी बातों ने बड़ा विश्वास जगाया। दवा लाकर मधु को दी। दूसरे दिन उसे बुखार हो गया, और पेशाब प्रायः बंद। होम्योपैथ से जाकर वहाँ। उसने आश्वासन दिया, चिंता न कीजिए, दवा कारगर हो रही है। इससे पहले रोग के लक्षण भडकते हैं।

तुलसीदास की कवनी— जाको प्रभु दारुण दुख देही' चरितार्थ हो रही थी।

शाम को अशक आये। कभी-कभार उसका हाल पूछने आ जाया करता था। दर तक बैठत, अपनी धुमावदार बातों से उसका मन रमाते। एक दिन उससे पूछा था—

'बड़ी होकर क्या बनोगी ?'

लेखक।"

'क्या लिखोगी ?'

कविता।

छापेगा कौन ?

'आप।

मह मात उत्तर था।

उस रात उसके कमरे में नहा गया। ऊपर तब था, हल्की सी गफ्तत था। कुछ दिन पहले अपने नाटक 'अज्ञो दीदी' का मसौदा दे गया था। बातों-बातों में जानना चाहा, यदि मैंने पढ़ लिया था। मैंने कहा, 'मैं तो बीमार की भांग-दोड़ में ध्यस्त रहने का कारण नहा पड़ पाया हूँ, चित्तु मधु का कल और आज में तीस-चासीस पृष्ठ यवश्य पढ़ लिया हूँ।' बात बहुत धीम हो रही थी। फिर भी, उस अज्ञोचितन अवस्था में पाठ के कमरे

सि उसकी आवाज आयी, "नही पापा, मैंने सारा पढ लिया है।"

शक ने 'अजो दीदी' उसे ही समर्पित किया है।

अगले सवेरे भी ज्वर बना रहा। एक-दो बात से वाई का आभास लगा। मैं होम्योपैथ के पास भागा। उन्हें अपनी दवा में अहकारी विश्वास था। "धीरज रखिए, इतना विचलित क्यों होते हैं? बल, नहीं तो परसो तक, बेटी ठीक होने लगेगी। अभी जाकर यह पुडिया दे दीजिए, ताप कम हो जायेगा।"

मैं मूर्ख विश्वासी बना रहा। दवा दी, किंतु अकार्थ गयी। दोपहर को डाक्टर को टेलीफोन किया। बिना उनकी अनुमति के होम्योपैथ से इलाज कराने की क्षमा-याचना करते हुए, तत्काल आने की प्रार्थना की। उत्तर मिला, "दफ्तर का काम कर रहे है, बंद होने पर आयेंगे।" बहुत अनुनय-विनय की, वे टस से मस न हुए। शाम गहराते तक आये, दवा लिखी और दस-याँच मिनट बैठकर चले गये। कुछ विशेष नहीं कहा। मैं जल्दी कागज देखने लग गया।

घुटे गले और भारी आँखों से रानी आयी। मुझे शकशोरते हुए बोली—

"तुम्हें क्या हो गया है? लडकी को आकर देखो। उसने कब से कुछ नहीं खाया है।"

मैं उठा। मधु के माथे पर हाथ रखा। भट्ठी-त्ता जल रहा था। मैंने पूछा, "बेटा, कुछ खाओगी?"

"नहीं।"

"दूध?"

"नहीं।"

"पानी?"

"नहीं।"

"पपीता?" वह उसका प्रिय फल था।

"अच्छ।"

रानी लपककर पपीता काटकर लायी, "ले बेटी, मैं ले आयी पपीता।" उसने बंद आँखों, हाथ से इधर-उधर टटोला, "कहाँ है?" हाथ

हवा में भटकता रहा, रानी तश्तरी उधर करती रही, पपीते का कोई टुकड़ा उसकी पकड़ में नहीं आया। उसने हाथ पटक दिया। रानी ने अपने हाथ से देना चाहा। उसने मुँह फेर लिया, "अब नहीं।"

—पिताजी मुझसे पूछा करते थे, तुम पपीता क्यों नहीं खाते हो, तुम्हारे पेट के लिए अच्छा है। मैं उनसे क्या कहता ?

घोड़ी देर बाद आँख खोलकर रानी से बोली, "बहनजी, तू मेरे पास बैठी है, ममी कहाँ हैं ?" दरवाजे के पास नीरू खड़ी थी, उसे देखा।

"ममी, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो, मेरे पास नहीं आओगी ?" वह पूर्ण रूप से बाई में थी।

आधी रात तक हालत गभीर हो गयी। डॉक्टर से संपर्क किया। आदेश मिला, अस्पताल ले जाइए। एम्बुलेंस के लिए फोन किया, ड्राइवर नहीं था। एक मित्र दूसरे परिचित डॉक्टर को लेकर आय और अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गये। सवेरे के साठे चार बजे थे। प्राइवेट चार्ज खाली था, लेकिन उसे औरतो के जनरल चार्ज के एक गद्दे बिस्तरे पर डालकर, डॉक्टर जाकर सो गये। चार घंटे बाद, अपनी सुविधा और समय से, जब वे दोनों डॉक्टर उसे देखने आये, तब तक मालिक ने उसे अपने चरणों में ले लिया था। विलखती रानी को ठाँस बँधाते हुए डॉक्टर ने कहा, 'परमात्मा की ऐसी ही इच्छा थी। कोशिश तो हमने पूरी की।'

ऐसा क्रूर व्यंग्य जीवन में मैंने कभी नहीं सुना।

मृत शरीर पर पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस का ड्राइवर इ्यूटी पर उपस्थित था।

उस पर लाये। कमरे में बिस्तरे से लगी पिड़की में 'घर्मयुग' के अको का डेर रखा था। कोने में पपीते के अनघाये टुकड़ों की तरतरी थी। वह मेरे हाथों से गिरने लगी थी कि मैंने अपने फों संभाला। उस ठही धरती पर लिटा दिया। एक बूढ़ा ने सलाह दी—

"अभी बच्ची ही थी, गंगा में प्रवाह कर आओ।"

मरी आँवा क सामने एक दृश्य घूम गया।

सड़क के किनारे किसी का शव पड़ा था। उस पर वंटे गिद्ध आँखें और अँतड़ियाँ नोच रहे थे, दूर मरियल, खाज-भरे, लार टपकाते कुत्ते ताक मे खड़े थे। विदेशी पत्रकार चित्र खींच रहे थे।

क्या मधु भी ?

यदि मेरी दृष्टि उस वृद्धा को भस्म कर सकती तो—

गंगा के किनारे उसे अग्नि को समर्पित कर दिया।

अग्नि-प्रज्वलित करने से पहले मैंने उसके माथे पर एक हल्का-सा चुबन अंकित किया।

वैसे ही, जैसे हर रात उसके सो जाने पर करता था।

चिंता पर वह सो ही तो रही थी।

उस रात मैंने सपना देखा।

उसका विस्तरा खाली है। हवा का तेज झोका आता है और खिड़की में रचे 'घर्मयुग' के अर्कों को एक-एक करके बिखेर देता है।

मैं हड़बड़ाकर उठता हूँ। मन व्याकुल है। मैं बाहर बरामदे में आकर वंठ जाता हूँ। पौ फटनेवाली है। एक चिड़िया पासवाले आम के पड़ पर कूकने लगती है, कूके जाती है। मैंने वहाँ उसे पहले कभी नहीं सुना था।

क्या किसी नयी चिड़िया ने वासा पाया था ?

याद रहा बचपन

हरिवंशराय बच्चन

मैं अपने माता-पिता की छठी संतान था। मेरा जन्म २७ नवंबर, १९०७ को हुआ। मेरा नाम हरिवंशराय रखा गया, घर पर मुझे बच्चन नाम से पुकारा जाता। हरिवंश नाम रखने का एक विशेष कारण था, ऐसा मुझे लड़कपन में बताया गया था। जब भगवान् देई (मेरी बड़ी बहिन) के बाद होने वाले दो बच्चे अल्पायु में ही चल बसे तब पंडित रामचरण शुक्ल ने प्रतापनारायण (मेरे पिताजी) को यह सलाह दी कि अब जब मेरी माता गर्भवती हो तब वे हरिवंश पुराण सुनें। शुक्लजी की बात मेरे पिता के लिए वेदवाक्य होती थी। पिताजी को प्रातःकाल तो समय मिलता न था, वे बगैर चाये-पिये दपतर चले जाते, दिन-भर व्रत रखते, मेरी माताजी भी रखती। जब सध्या को दपतर से लौटते—शुक्लजी ने उन्हें अपने लेन-देन वाले अतिरिक्त कार्य से थोड़े दिनों के लिए छुट्टी दे दी थी—तब कई घंटे पति-पत्नी गाँठ जोड़कर परिवार के पुरोहित से हरिवंश पुराण की कथा सुनते, 'पुत्रपद सतान गोपालमत्त' की पूजा करते—

‘देवकी सुत गोविंद वामुदेव जगत्पते
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामह शरणं गत.’

श्लोक का १०८ जाप करते और तत्पश्चात् आधी रात को पारायण करते। पुरोहितजी ने कथा सुनाने और पूजा कराने के लिए एक हज़ार एक रुपये की दक्षिणा माँगी थी। पिताजी के पास इतना धन एक साफ देने की समायी नहीं थी। अनुष्ठान की समाप्ति पर उन्होंने एक पुर्जी पर धनराशि लिखकर पुरोहितजी को समर्पित कर दी और प्रतिमास दस रुपया उनको देते रहे। जब मैं आठ-नौ वर्ष का हो गया तब जाकर पिताजी इस संकल्प-श्रृंखला से उद्धरण हुए।

पंडितों ने दानादि में कुछ ऐंठने की गरज से मेरे जन्म पर किंचित् चिंतित मुद्रा बनाकर घोषित किया कि लड़का तो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्मा पुत्र पिता के लिए घातक होता

। पंडितों ने उस कुप्रभाव के निराकरण के उपाय भी निकाल लिये हैं।

मेरे पिता ने अपने ज्योतिष के यत्किचित् ज्ञान से यह सिद्ध कर दिया कि मैं मूल नक्षत्र में नहीं पैदा हुआ। शायद हुआ ही हूँ। जन्म का बिल्कुल ठीक समय कौन देखता है, घड़ियाँ भी कहाँ ठीक होती हैं। सुनते हैं कुछ पत्नी के अतर से भी ग्रहों में अतर पड जाता है। लोकानुभव ने मूल नक्षत्र में जन्मे—मुलहे—का एक दूसरा प्रभाव देखा है कि वह उपद्रवी अथवा उत्पाती होता है—मुरहा, और जहाँ तक मेरा सबध है, शायद ज्योतिष विद्या से लोकानुभव अधिक सच्चा साबित हुआ है। पितृ घातक तो मैं नहीं हुआ, पर मुरहाई मैंने कम नहीं की और न जाने कितनी बार मेरे नाते रिश्तेदारों ने, शायद ठीक ही, मुझे मुरहा कहा होगा। जब मुझे शब्दों की कुछ समझ आयी और मैं थोड़ा-बहुत उनसे कौतुक करने लगा तो मैंने 'मूल' का एक और ही अर्थ निकाला। हाँ, मैं 'मूल' नक्षत्र में अवश्य पैदा हुआ हूँगा, तभी तो जीवन और सृजन दोनों क्षेत्रों में कुछ 'मौलिक' करने की आर मेरा आग्रह रहा है।

मे गाऊँ तो मेरा कठ—

स्वर न दबे औरों के स्वर से

जीऊँ तो मेरे जीवन की ओरों से हो अलग रवानी

अतीत की ओर देखता हूँ तो पाता हूँ कि इस अर्थ में 'मूल' नक्षत्र का मुझ पर कम असर नहीं रहा। पिताजी नाहक परेशान थे। बहर-हाल, जब पड़ितों ने देखा कि मेरे पिताजी भी ज्योतिष में कुछ दखल रखते हैं तो उन्होंने दूसरा जन्म-पत्र प्रस्तुत किया और उसमें शायद मेरे पिताजी को धुश करने के लिए, कई उच्च ग्रह डाल दिये। मेरा जन्म-पत्र है—मुझे ज्योतिष का क, घ, ग भी नहीं मालूम—अच्छा-बुरा जैसा, उसे समय-कुसमय मेरी माता, और अब मेरी पत्नी ज्योतिषियों को दिखलाकर और उनकी गणना के अनुसार ग्रह-दशा का प्रभाव सुनकर आशंकित, आश्वस्त, सतुष्ट अथवा प्रफुल्ल होती रही हैं। कौतूहलवश कभी-कभी मैंने भी उनकी भविष्यवाणियाँ सुनी हैं, कभी अर्द्ध-संदेह से, अर्द्ध विश्वास से, क्योंकि कभी-कभी उनकी बतायी बातें किसी अंश में सच भी निकली हैं। तेजी जी (मेरी पत्नी) मेरे बारे में सब अच्छी याता में विश्वास करने के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाती हैं, पर इन सबध में शायद मेरी माताजी का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक था।

वे कहती थीं, 'जब रानी का भाग जगता है तो उनको नौलखा हार मिलता है और जब नौकरानी का, तब उसे तिलरी मिलती है—कच्चे मोतियों की तीन लडकी माला' ।

मेरे होने और जीने के लिए मेरी माता ने और भी बहुत से दाय-उपाय टोटके-टामक आदि किये । वे सहज विश्वासी थी । जो भी उनसे जो कहता, उसको वे मानने के लिए तुरत तैयार हो जाती । अपने पर मे किसी की ईमारी बीमारी मे वे बँध-हकीम की दवा के साथ, घर-खोदवा, ओशाई, झाड फूंक सभी कुछ एक साथ कराती --कुछ-न-कुछ तो लगेगा ही । मेरे जन्म के पूर्व मुहल्ले की किसी बड़ी-बूढ़ी ने उन्हें सलाह दी थी कि तुम्हारे लडके नहीं जीते तो अब जब लडका हो तो उसे किसी चमारिन घमारिन के हाथ बेच देना और मन से उसे पराया समझकर पालना-पोसना ।

उन दिनों बच्चा जनाने के लिए हमारे यहाँ लछमिनियाँ चमारिन आती थी । मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने पाँच पैसे मे मुझे लछमिनियाँ चमारिन के हाथो बेच दिया और उनके बतासे मँगवाकर खा लिये । कहते हैं, साल भर पहले लछमिनियाँ का अपना एकमात्र लडका कुछ महीने का होकर गुजर गया था और उसका दूध सूख गया था, पर जैसे ही उसने मुझे अपनी गोद मे लिया उसकी छाती बहराई और उसने बारह दिन तक मुझे अपना दूध पिलाया । छुटपन मे लछमिनियाँ को देखने की मुझे याद है । शायद जब मैं बोलने लगा हूँगा ता मुझे उसे चमारिन अम्मा कहना सिखाया गया होगा और मैंने उस लबे नाम को उच्चारण करने की असमर्थता में उसे सक्षेप कर लिया होगा । मैं उसे चम्मा कहता था, अपनी माँ को अम्मा ।

चम्मा मझोले कद की स्त्री थी । रग साँवलापन लिये नाक-नकण सुडोल, उभरे हुए । वह मुझे अपनी माँ से अधिक सुंदर लगती थी । बोली उसकी पतली-सुरीली थी, दैन्य विनम्र, अर्धे उसकी किसी भीतर-ही-भीतर की वेदना से आर्द्र । अब मैं उसकी वेदना की कुछ चल्पना पर खतता हूँ । मुझे मोल लेने के बाद चम्मा के कोई सन्तान नहीं हुई—उसके मन मे वही यह बात तो नहीं बँठ गयी थी कि उसने पाँच पैसे मे

घरीदी थी । किसी रूप मे यदि उसकी बत्सलता

का कोई आधार हो सकता था तो एक मैं—उसका होकर भी कितना उसका ! ऐसी स्थिति में मैं यह अनुमान सहज ही कर सकता हूँ कि वह मुझ किस भाव अभाव भरी दृष्टि से देखती होगी और इसे सोचकर मेरा मन भर आता है ।

एक तस्वीर मेरी आँखों के सामने है । मेरा जन्म-दिन है । पाँच प्रकार के अन्न पाँच रंगी-छूही टोकरियों में भरकर आँगन में रख दिये गये हैं । परिवार के पुरोहित आये हैं, परजा भी—नाई, बारी, कहार । चम्मा भी आयी है । उसे एक नयी बूँटीदार घोती दी गयी है, जिसे पहनकर वह दरवाजे पर एक तरफ सिमटी-सी खड़ी है कि उससे कोई छू न जाये, जैसे छू जाये तो अपराध उसी का समझा जायेगा । मुझे नहला-धुलाकर नये कपड़े पहना आँगन में लाया गया है और मुझसे कहा गया है टोकरियों को लात मारूँ । परिपाटी यह थी कि जो अन्न भूमि पर गिर जाता था, वह चमारिन का होता था, शेष अन्य परजा वर्ग का । ब्राह्मण देवता को तो थाली में सीधा सजाकर समर्पित किया जाता था । जब मैं टोकरियों को ठोकर लगाने को आगे बढ़ता हूँ तो चम्मा गिडगिडा उठी है, 'जोर से मार, मोरे राजा बेटा, जोर से, अउर जोर से ।' जब मैं छोटा हूँगा तो पता नहीं मेरे पाँव में कितनी ताकत होगी और कितना अन्न बेचारी चम्मा को मिलता होगा, पर जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो शरारतन, कुछ चम्मा के प्रति सहज अनजानसहानुभूति से मैं लगभग पूरी टोकरियाँ अपनी ठोकरों से उलट देता था और चम्मा अपनी पुरानी घोती फँलाकर अन्न बटोरती, मुझ पर आशीष बिखेरती—कुछ शब्दों, अधिक अपने नेत्रों से, चली जाती थी । हिन्दू समाज ने जन-जन के बीच ऊँच-नीच का कटुवोध कराने के लिए कैसे-कैसे अजीब तरीके निकाले हैं । मुझे याद नहीं कब मैंने ठोकर मारकर अन्नदान करने से इकार कर दिया और बर्षगाँठों पर मेरा तुलादान किया जाने लगा । लकड़ी की ढाल से बड़ी-सी तराजू आती, उसे तीन बल्लियों के सहारे लटकाया जाता, आम के पल्लवों और गेंदा के फूलों से सजाया जाता और मुझे किसी बर्ष अन्न से, किसी बर्ष फल, किसी बर्ष मिठाई से तोला जाता—मुझसे तीन साल छोटे मेरे भाई शालिग्राम भी साथ पल्लव पर बैठने को मचलते—जैसे दूल्हे के साथ शहवाला, और तोल पर चढ़ी सामग्री

परजा-पवन, भिखारियों को बांट दी जाती।

चम्मा की मृत्यु मेरे लडकपन में ही हो गयी थी। वह बीमार पडी और उसकी बीमारी बढ़ती ही गयी तो उसने इच्छा प्रकट की कि अत समय पर मेरे हाथों से ही उसके मुँह में तुलसी-मगजल डाला जाये। मुझे इस कार्य के लिए कोई लिवा ले गया और चम्मा के पीले चेहरे और डूबती आँखों को देखकर मुझे बड़ा डर लगा। दूसरे दिन चम्मा की अर्धी उठी तो किसी ने मुझे कमर से उठाकर मेरा कंधा उसकी अर्धी से छुआ दिया और 'राम नाम सत्त है' कहते हुए उसके भाई-बद उसे लेकर चले गये। चम्मा की मौत शायद सबसे पहली मौत थी जो मैंने अपनी आँखों देखी।

बचपन में चम्मा की झोपडी में खेलने-खाने और उसकी ममतामयी आँखों के नीचे तरह-तरह की शैतानी करने की धुँधली-धुँधली-सी स्मृति अब भी मेरे साथ है।

और जब अपने उभरते यौवन के दिनों में आर्य समाज के अछूतो-द्वार और बाद को गांधीजी के हरिजन आंदोलन के साथ मेरी सहानुभूति जगी तो मुझे इस बात पर गर्व होता था कि मेरी तो एक माँ ही चमारिन चम्मा थी, और जब एक दिन शायद नगर के आर्य समाज में आयोजित किसी प्रीतमोज में मैंने अछूतों की सगत में बैठकर कच्चा खाना खा लिया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता और सतोष या अनुभव हुआ, और मुझे लगा कि मैंने चम्मा की बिरादरी के साथ कुछ न्याय किया, पर मेरे सबधियों और नातेदारों को यह खबर बड़ी नागवार गुजरी और उन्होंने व्यग्य से कहा कि बापिर इन्होंने चमारिन की छाती का दूध पिना था, उस कुसस्वार का कुछ असर तो होना था ही। यह स्फार का प्रभाव था, कि देश के समाज-सुधारक नेताओं के उपदेश था, कि मेरे अपने ही मानवतावादी उदार विचारों का, कि मेरे मन से बहुत पहले ही अछूतों को जछूत समझने की बात बिल्लुत उठ गयी थी। जब स्वतंत्र रूप से मेरा अपना घर हुआ तो अन्तर चमार ही मेरे खाना बनानेवाले रहे। मुझे आनन्द और श्रद्धा तो सब हाता जब घर की चमारिन बनार से छुए चतनों को पाँचन से दूधार कर देती। हिंदू समाज-जड़ में अछूत-पन की भी धेनियाँ हैं। आजपल जमादार ही सड़रो—कमना, मेरे

घर में काम करती है और कभी-कभी खाना भी बनाती है। मुझे लगता है कि मेरे पूर्वजों ने अछूतों का अपमान करके जो पाप क्रिया धा उसका यत्किंचित् प्रायश्चित्त में कर रहा हूँ। सामाजिक स्तर पर कोई सुधार हो, इसके पूर्व व्यक्ति-व्यक्ति को निर्भक्ता और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा।

इधर मैं सोचने लगा हूँ कि अछूतों के साथ या उनके हाथ का खाना-पीना अथवा उनके लिए मंदिरों का द्वार खोलना केवल रूमानी औपचारिकताएँ अथवा प्रदर्शन हैं। समाज में उनको अपना यथोचित् स्थान तभी मिलेगा जब उनमें शिक्षा का व्यापक प्रचार हो और उनका आर्थिक स्तर ऊपर उठे। साथ ही जाति की शृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होगा। जाति की जड़, अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्नवर्ग के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्चवर्ग के लोग। एक छोटा-सा कदम इस दिशा में उठाया जा सकता है कि लोग अपने नाम के साथ अपनी जाति का संकेत करना बंद कर दें। जिन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में अध्यापक था, मैं अपने बहुत-से विद्यार्थियों को प्रेरित करता था कि वे अपने नाम के साथ अपनी जाति न जोड़ें—अपने को रामप्रसाद त्रिपाठी नहीं, केवल रामप्रसाद कहे। भारत की आजाद सरकार चाहती तो एक विधेयक से नाम के साथ जाति लगाना बंद करा सकती थी—कम-से-कम सरकारी कागजों से जाति का कॉलम हटा सकती थी, इसके परिणाम दूरगामी और हितकर होते। पर अभी उसमें कुछ भी क्रांतिकारी करने का साहस नहीं है। वह जैसा चला आया है वैसा ही, या उसमें थोड़ा-बहुत हेर-फेर करके चलाये चले जाने में ही अपनी चातुरी और सुरक्षा समझती है।

मेरी माँ ने मेरे लिए और कौन-कौन-सी मानताएँ मानी और उतारी इसकी मुझे याद नहीं, हालाँकि मेरे वचन में उनकी चर्चा बराबर की जाती थी। एकाध बातें, शायद अधिक चित्रमय होने के कारण, मुझे याद हैं। जैसे उन्हें किसी ने मुझे बेच देने की सलाह दी थी, वैसे ही उनकी किसी मुसलमान पड़ोसिन ने राय दी थी कि सय तरह के अजाव, बासेब से बचाने के लिए वे मुझे मुहर्रम के दिनों में इमाम साहब का फकीर बना दिया करें। हर साल मुहर्रम की नवीं तारीख को मुझे नया

सफेद पजामा और हरे रंग की बफनी पहनायी जाती, जनेऊ की तरह दोनों कंधों पर पीली-साल कलायी की माला डाली जाती, मेरे हाथ में एक छोटा सा बटुआ दे दिया जाता और मैं इमाम साहब का फकीर बन जाता, और राधा (कवि के प्रपितामह की बहिन), जो मेरे जन्म के बाद अपना अधिक समय मेरे घर, मेरे साथ बिताने लगी थी, मुझे मुहल्ले के घर-घर में ले जाती। मैं हर बूथीड़ी पहुँचकर कहता, इमाम साहब का भला' और घर की औरतों निकलकर मेरे हाथों में एक-दो पैसे घर देती, जिन्हें मैं संभालकर बटुए में रख लेता। सध्या को इन पैसे की गुडघानियाँ मँगायी जाती और उस सूप में रखकर भरे हाथों दुलदुल घोड़े को खिलाया जाता जिसका जुलूस ठीक हमारे घर के सामने से होता, पास के इमामबाड़े को जाता था। घोड़े के आगे पीछे संबड़ो मुसलमान छाती की जगह पर गोल गोल कटे काले कुर्ते पहने एक बँधी ताल में जोर-जोर से छाती पीटते और एक सघे स्वर में 'हुसैन-हुसैन' चिल्लाते चलते, बुजुर्ग जो साथ होते, छाती पीटने की रस्म अदाई-भर करते। घोड़े के मुँह से बचे दो-चार दाने सूप में रह जाते, वे मुझे प्रसाद की तरह खिला दिये जाते और मैं साल-भर के लिए सारी आधि-व्याधि से मुक्त मान लिया जाता। जुलूस निकल जाता तो कोई कब्रला की उस लड़ाई की कथा सुनाता जिसमें इमाम साहब और उनके परिवार के लोग शहीद हुए थे। बाद को कभी यह कथा मैंने अधिक विस्तार से पढ़ी। लडकपन में जब मुहर्रम के ढोल की आवाज डम डम डम-डम—कानों में पड़ने लगती तो मैं जान जाता कि मेरे इमाम साहब का फकीर बनने का वक्त नज़दीक आ गया है। तब शायद मैं ८-९ साल का था, मुहर्रम-दशहरा साथ-साथ पड़ा, दोनों के जुलूसों में टक्करें हुईं, हिंदू-मुस्लिम दगे हुए, तभी से यह रस्म बंद कर दी गयी।

समानांतर रेखाएँ सत्येंद्र शरत

[मध्य वर्ग के एक सद्गृहस्थ का घर। पर्दा उठने पर बड़े लडके का कमरा दीखता है, जो घर-गृहस्थी के सामानों से घिरा होने पर भी साधारण रूप से सजा हुआ है। कोने में एक पलंग है जिस पर दरी और सफेद चादर बिछी हुई है। पलंग के नीचे एक खटिया है, जिस पलंग ने ढँक लिया है। निकट ही नीले मेज़पोश से मढा हुआ एक चौकोर मेज़ है, जिस पर दो-एक दैनिक अखबार लापरवाही से पड़े हुए हैं। दूसरे कोने में विभिन्न साइज के चार बक्से एक-दूसरे पर रखे हुए हैं जो एक फटी-पुरानी धोती से ढके हुए हैं।

बड़ा लडका नरेश पलंग पर बैठा हुआ है। उसके वस्त्र साधारण हैं—महज एक कमीज, पाजामा। वह खामोश है, लेकिन लगता है कि वह कुछ परेशान है। उसके चेहरे से ही दीखता है कि उसके मन में कुछ-रँग रहा है, और जब तक वह चीज साफ न हो जायेगी, वह ऐसा ही उखड़ा-उखड़ा-सा रहेगा।

निकट फर्श पर बिछी चटाई पर, उसकी पत्नी शकुतला बंठी हुई चावल बीन रही है। शकुतला चतुर और अपने अधिकारों की रक्षा करने वाली स्त्री है। तेज़ स्वभाव व तेज़ ज़बान की है, लेकिन मन की बुरी नहीं है। इस समय चावल बीनने के साथ-साथ अपने पति के मन में उठते हुए ज्वार का भी अध्ययन कर रही है।]

शकुतला (सिर उठा, पहले दरवाजे की ओर, फिर पति की ओर देखती हुई) मेरी मानो। आज माँ जी से साफ-साफ सब बातें कर लो। इस तरह कब तक मन में घुलते रहोगे ? आज तुम्हें भी टाइम है। अशोक देवरजी भी इस वक्त यहाँ नहीं हैं, और माँ जी भी खाली हैं। नहा छुकी हैं। सामने तुलसी पर पानी चढ़ा रही हैं। (सहसा उठती हुई) मैं रसोई में जा रही हूँ। तुम उन्हें आवाज़ देकर यही बुला लो।

[चावल की धाली ले, दरवाज़ की दायी ओर की चिक उठा, तेज़-तेज़ बाहर निकल जाती है। नरेश एक टक उसे जाते देखता रहता है। फिर उठकर खड़ा हो जाता है और कुछ क्षण अनिश्चय की अवस्था म खड़ा रह, दरवाज़ तक जाता है। दायें हाथ से चिक हटाकर आवाज़ दता है—]

नरेश मा अगर फुरसत हो गयी हो, तो जरा इधर आओगी। तुमसे कुछ बात करनी थी।

माँ का स्वर (बाहर से) आती हूँ नरेश।

बच्चे का स्वर (बाहर से) दादीजी जाओ तुम्हे पिताजी बुला रहे हैं।

माँ का स्वर (बाहर से लाड़ करती हुई) आती हूँ रे रमेश। तुम बड़ी चिंता है अपने पिताजी की। (हल्की सी हँसी)

[नरेश चिक छोड़ देता है और लौटकर पलंग के पास आ जाता है। कुछ क्षण बस ही खड़ा रहता है। माँ अदर जाती है। अधिक उन्न नहीं है। युवावस्था में ही विधवा हो जाने के कारण चेहरे पर व्यथा, वेदना और करुणा के भावों का एक विचित्र ही सम्मिश्रण है। सफेद धोती पहन रखी है।]

नरेश (घोंडा आगे बढ़कर) आओ माँ।

माँ (नरेश के चेहरे को एकटक देखती हुई) क्या बात है रे? बड़ा परेशान सा दीख रहा है।

नरेश (ईमानदार है, इस कारण झूठ नहीं बोल सकता) हाँ माँ मैं पिछले दो-तीन दिनों में परेशान हूँ।

माँ (आकुलतापूर्वक) क्या बात है? क्या हो गया है ऐसा?

नरेश (स्वर का स्थापन दमाने की यथासाध्य चेष्टा करते हुए) बँठो माँ। सब कुछ बताता हूँ। तुमसे कुछ भी नहीं छिपाना है। इसीलिए तुमको बुलाया है। इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन पहन बठ जाओ।

माँ (भरमायो-सी घटाई पर बठ जाती है) हाँ, अब बता। क्या हो गया है?

- नरेश सुनो माँ लेकिन पहल तुम मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आज तुम्हारा मन दुखाऊँगा।
- मा (भरमायी-सी) तू य पहलेलियाँ क्या बुना रहा है नरेश ? साफ-साफ कह न। क्या कहना चाहता है।
- नरेश (भावपूर्ण स्वर में) माँ, साफ बात यह है कि मैं अब अशोक को अपने साथ नहा रख सकता। मैं अशोक को अपने से अलग करना चाहता हूँ।
- मा (जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास न हो रहा हो) क्या ?
- नरेश हाँ माँ। अशोक को अब इस घर से अलग होना होगा।
- माँ (पूर्ववत्) लेकिन क्यों नरेश ? अशोक ने क्या किया है ?
- नरेश (कुछ कहना चाहता है, लेकिन यह न समझ पाये कारण कि कहाँ से आरम्भ करे चुप रहता है)
- माँ (नरेश को एकटक देखती हुई) बता न नरेश, तुझे अशोक की क्या बात चुभी है ? क्या उसने तेरी बेइज्जती भी है ? बाहर तेरी बाबत कुछ ऊँच-नीच कहा है ?
- नरेश नहीं माँ। ऐसा कुछ नहीं।
- मा फिर ?
- नरेश (एक क्षण रुककर) देखो माँ अशोक अथ मरता नहीं है। पढ निख गया है। अब ता शापी भी हो गयी है। उसे अब घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पर जो घर समझना चाहिए सराय नहीं। जाग्रित मरना भी तो कुछ कर्त्तव्य है।
- माँ (जैसे अंधरे में खो गयी हो) है र उमना भी रसना है। पर वह धीर धीर ही त्त समझगा। अभी तो मरत पीर म बढ़ियाँ पड़ी है। कुछ तद्म जीर समगा, तब रसना जायगा।
- नरेश (स्वर में थोड़ी चिड़ है) रीगी बाग म गती है तो अठारह गात्र का भी मरी भा, अब मीम पर लदी जिम्मेदारियाँ को महसूस कि म मा।

साल हो गये हैं। मैं ही चला रहा हूँ पर को। अशोक तेईस का होने को आया है, पर इसके कान पर तो जूँ नहीं रेंगती। आखिर मुझमें ऐसे कौन सुरखाब के पर थे जो इसमें नहीं हैं ?

माँ : (स्वर में फपन आ जाता है) जब मुझ पर बिजली गिरी थी नरेश, तब तू ही तो मेरे पीछे था रे। तू एखर न बनता तो कौन बनता ? ये अशोक तो तेरे साये में दुबका हुआ था। बेटे, तू एक रात में बच्चे से नौजवान न बनता तो तेरी ये विधवा माँ और ये अबोध छोटा भाई किस आधार पर इस निर्दय ससार में जीते ?

नरेश (सिहरकर) माँ !

माँ (सँभलती हुई) बेटा, ये दुख मुझ पर और तुम पर पडा था। ठोकर लगते ही तू सँभल गया। अशोक तब नादान था। वह तो अब भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि उस समय हम पर क्या बीती थी ? तू बता, अब वह एकदम कौन जिम्मेदार बन जायेगा ?

नरेश : (सोचता हुआ) तुम ठीक कहती हो माँ। पर मैं ही वितना सहूँ ? भाग्य ने मुझे कोल्हू का बैल बना दिया। कंधे पर जुआ रख, बिना कुछ शोर-शराबा किये, मैं गोल दायरे में घुंकर काटता घसा जा रहा हूँ और अशोक वह आसमान में ऊँची उड़ानें भरने वाला आजाद पक्षी है। मेरी आँखों पर घमड़े की पट्टी बँधी हुई है। और उसकी आँखें नित नये सितियों देखती हैं। वह लेखक है। उदीयमान बलाकार है। उसके सामने उसके भविष्य का प्रश्न है। वह बनर्वा या मास्टरी में ग्रप अपना कैरियर नहीं नष्ट कर सकता मुझे घर के लिए, उसके, उसकी पत्नी के लिए रोटी जुटानी है। उसे केवल अपने लिए यश-प्रशंसा, मान, सम्मान, कीर्ति और ध्याति बटोरनी है। (ध्याय से हँसकर) और हम दोनों सग भाई हैं। एव माता-पिता का रक्त हमारा अदर बहता है।

- माँ मैं तेरी पीडा समझती हूँ नरेश। पर बड़े ही अगर अपने से छोटे के लिए त्याग नहीं करेंगे, तो सत्कार से त्याग मिट न जायेगा ?
- नरेश (रुखेपन से) अच्छा है माँ। सत्कार से त्याग मिट जाये। सब ही स्वार्थी बन जायें। तब दूसरो को भी पता चलेगा कि अपने-आप करके खाना कैसा होता है ?
- माँ (जैसे कुछ भी न समझ रही हो) पर नरेश, अचानक ऐसी क्या बात हो गयी है ? अब तक तो तूने कभी अशोक को भार नहीं समझा। अब ये एकदम ही अशोक की तरफ से तेरा मन क्यों फट गया है क्या किया है उसने ?
- नरेश अब छोटी-छोटी कई बातें हैं माँ, जो मैंने पिछले तीन-चार महीनो में नोट की हैं। जैसे वे घटनाएँ अपने में बहुत मामूली हैं। पर अगर उनकी कड़ी जोड़ दी जाये तो वे इसी तरफ इशारा करती हैं कि मैं भी अशोक ही की तरह स्वार्थी बन जाऊँ और अपने ही बीबी-बच्चे की तरफ देखूँ।
- माँ (प्रार्थना करते हुए) मैं हाथ जोड़ती हूँ नरेश। ऐसी बात मुँह से न निकाल। मुझे बता तो, अशोक ने ऐसा किया क्या है ?
- नरेश (स्वर में खीज है) कहा न माँ, कई बातें हैं। एक ताजी ही हरकत लो उसकी तुम्हे तो मालूम ही है कि अख-वारो में दूसरे-तीसरे महीने उसकी कहानी छपने पर जो पच्चीस-तीस रुपये उसके आते हैं, वो मुझे दे देता है। इधर पिछले दो माहो में उसकी कई कहानियाँ छपी हैं। इस महीने उसके तीन मनीआर्डर आये—दो तीस-तीस रुपये के, और एक चालीस का। उसने तीस रुपय वाले दोनो मनीआर्डर तो कूपन समेत मुझे दे दिये और चालीस वाले का कोई जिक्र तक न किया। कल रमेश की माँ ने मुझ बताया कि अशोक अपनी बहू के लिए सिल्क की

एक प्रिंटेड साड़ी लेकर आया है। बहू बता रही थी कि वह अड़तीस रुपये की है।

माँ : (साश्चर्य) अच्छा। मुझे तो पता नहीं।

[सहसा शकुंतला तेज-तेज कमरे में आती है और बड़ी फुर्ती से खूंटो से अपनी धुली धोती व जफर उतारने लगती है।]

शकुंतला . माँ को इस तरह की बातें कैसे पता चल सकती है ? यह तो वह ही जान सकता है जो घर में अपने आँख-कान खोलकर रहे.....

(कहती-कहती उसी चाल से बाहर चली जाती है)

माँ : (साश्चर्य) तो भी। घर में ऐसी चीज आये और मुझे.....

नरेश : (खोज बड़ जाती है) माँ, तुम भी कमाल करती हो। तुम्हारा ख्याल है कि वह अभी ही उस साड़ी को पहन कर घर में घूमती फिरेगी ? वह तो उसने सटूक में बद कर रख दी है। (रुककर) रमेश की माँ को भी नहीं पता चलता, अगर रमेश... (सहसा) ठहरो, मैं रमेश से पुछवा देता हूँ। (आवाज देते हुए) रमेश ! ... ओ रमेश.....

माँ : (रोकती हुई) नहीं रे। रमेश को बुलाने की क्या..... मुझे तेरा विश्वास नहीं... ?

रमेशकास्वर : (बाहर से) आया, पिताजी।

नरेश : हजं ही क्या है माँ ? रमेश तो बच्चा है। सच ही बतायेगा।

(पाँचवर्षीय धालक रमेश का कमीज-हाफ पंट में प्रवेश)

रमेश : (नरेश के निकट आकर) जी, पिताजी।

नरेश : रमेश, घंटा, अपनी दादीजी को तो बताओ, वह धाकी कागड़ तुम्हें कहाँ मिला था ?

रमेश : (जिसके ध्यान से बात उतर चुकी है) कौन-सा कागड़ पिताजी ?

- नरेश (थोड़ा चिढ़कर) अरे वही, जिसे उठाकर तुम अपनी अम्मा के पास ले गये थे और उसका जहाज बनाने को कहा था ।
- रमेश (अब याद आ गया है) अच्छा, वह कागज वह तो मैंने चाचाजी के कमरे की खिड़की के नीचे से उठाया था । वहाँ तो एक टूटी हुई कधी भी पड़ी थी पिताजी ।
- नरेश (चिढ़कर) मैं कधी की बात नहीं पूछ रहा हूँ (रुक कर माँ से) माँ, अशोक वहाँ के लिए नया कधा भी लाया होगा, तभी उसने पुराना फेंक दिया होगा । (फिर रमेश से) हाँ तो रमेश, फिर क्या किया था तुमने उस कागज का ?
- रमेश (याद करने की कोशिश करता है) उस कागज का ?
- नरेश : (अपनी चिढ़ दबाते हुए) हाँ, हाँ । उस कागज का । वह जो तुमने खिड़की के नीचे से उठाया था, उसका तुमने क्या किया ?
- रमेश . मैं अम्मा के पास ले गया कि मेरे लिए उसका जहाज बना दो ।
- नरेश फिर तुम्हारी अम्मा ने क्या किया ?
- रमेश (याद करते हुए) अम्मा ने ? अम्मा अपनी धोती सी रही थी, बोली ••
- नरेश (बात फाटकर) देखा माँ तुमने, शकुंतला अपनी फटी धोतियाँ सी-सीकर गुजारा कर रही है और छोटी बहू के लिए चानीस-चालीस रुपये की साड़ियाँ आ रही हैं । खैर । (रमेश से) हाँ, रमेश, फिर तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा ?
- रमेश (डुहराता है) अम्मा ने अम्मा ने कहा—परे रख दे इसे । अभी मैं अपनी धोती सी रही हूँ । फिर अम्मा ने उस देखकर मेरे हाथ से ले लिया और उसे पढ़ने लगी । पढ़कर बोली
- नरेश (आतुरतापूर्वक) क्या बोली ?

रमेश : (दुहराता है) क्या बोली ? बताऊँ ?

नरेश : (प्यार से) हाँ, हाँ, बताओ बेटे

रमेश : अम्मा ने कहा—तुम इसे कहाँ से लाये हो ? मैंने कहा—चाचीजी के कमरे की खिड़की के नीचे से। फिर अम्मा ने कहा—अच्छा, मुझे जगह तो दिखा, कहाँ से उठाया है ये कागज ? मैं अम्मा के साथ गया और जगह बता दी कि यहाँ से उठाया है।

नरेश : (स्वर में हल्का व्यंग्य है) सुन रही हो न माँ ? 'बनारस सिल्क स्टोर' का वह पैकट हमारे ही घर आया था।

माँ : हाँ नरेश, सुन रही हूँ..... (रमेश से) अच्छा रमेश, फिर तेरी अम्मा ने क्या किया ?

रमेश : (दुहराता है) अम्मा ने..... फिर अम्मा अदर चाचीजी के कमरे में आयी। चाचीजी सो रही थी। अम्मा ने उन्हें जगामा और कहा—बहू, ये तुम्हारा कागज खिड़की से नीचे गिर गया था। देख लो, तुम्हारे काम का तो नहीं ?

नरेश : तब तुम्हारी चाचीजी ने क्या कहा ?

रमेश : (याद करते हुए) चाचीजी ने ?

नरेश : (अपनी चिढ़ दबाते हुए) हाँ, चाचीजी तब तुम्हारी चाचीजी ने भी तो कुछ कहा होगा ?

रमेश : (याद करते हुए) हाँ, कहा। उन्होंने कहा—नही जीजी, ये कागज मेरे काम का नहीं। बेकार है। तब अम्मा ने पूछा—इसमें देवरजी कुछ लाये थे क्या ? चाचीजी बोली—हाँ, एक साड़ी लाये थे।

नरेश : देव लो माँ। बहू ने घुद स्वीकार किया..... (रमेश से) अच्छा रमेश, फिर तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा ?

रमेश : कुछ नहीं। बोली—बहू, जरा मुझे भी दिखाना। कँसी साड़ी लाये हैं देवरजी ? तब चाचीजी ने सतूक घोलकर साड़ी दिखा दी। अम्मा ने अच्छी तरह साड़ी देवकर चाचीजी को दे दी। चाचीजी ने बसते में बद कर दी।

नरेश : (साश्चर्य) तुम्हारी अम्मा ने कुछ कहा नहीं ?

रमेश : अम्मा ने कहा ।

नरेश : क्या कहा ?

रमेश : कहा—बहुत अच्छी है ।

माँ : (सोचती हुई) हूँ ... अच्छा रमेश, तुम अब जाओ ।
खेलो ..

रमेश : (प्रसन्न होकर) अच्छा दादीजी ।

[अपने पिता की ओर अचरज से देखता हुआ रमेश दरवाजे के बाहर चला जाता है ।

कमरे में कुछ देर शांति रहती है—यद्यपि कमरे के दोनों प्राणी अशांत हैं ।]

नरेश : अब ? • अब तुम क्या कहती हो माँ ?

माँ : (चौंक उठती है, नरेश को देखते हुए टूटी-सी) मैं क्या कहूँ नरेश ? • तू कहे, तो मैं उसे समझा दूँगी । समझ जायेगा ।

नरेश : पर मैं शकुतला को कैसे समझाऊँगा माँ ? खिडकी (घायीं ओर) तक जाता है, (सहसा माँ की ओर मुड़कर) जीवन में उस दिन पहली बार उसने मुझे उलाहना देते हुए कहा कि तुम कभी भी मेरी खुशी के लिए मर्हंगा कपड़ा नहीं लाये—ये कहकर कि देवरजी अभी पढ रहे हैं । उनके खर्च में कमी पड जायेगी । आज वही देवरजी कमाने लगे हैं तो अपनी कमाई से चालीस रुपये की रेशमी साड़ियाँ अपनी बीबी के लिए लाने लगे हैं ।

माँ : (फातर स्वर से) लेकिन नरेश, वह सिर्फ एक ही साडी तो लाया है ।

नरेश : लेकिन माँ, मैं तो कभी एक साडी तक नहीं लाया हूँ । (स्कन्ध) माँ, तुम बताओ । तुमने शकुतला को कीमती कपडे पहने देखा है ? • बाखिर उसका भी तो मन करता होगा । कभी तो वह भी इस तरह वह पी-4 क्या बोड़ा-पहना ?

- (माँ घामोस है। गभीरतापूर्वक कुछ सोच रही है)
- नरेश तुम तो जानती हो माँ, छोटी छोटी बातें दिल में दरार पैदा कर देती हैं।
- माँ : (सोचती-सी) हाँ बटा।
- नरेश माँ, जब ये नरेश हुआ था तो शकुतला ने मुझसे कहा था—अब तुम अपना बीमा करवा लो। तब मैंने हँसकर कहा था—मुझे बीमा करवाने की क्या जरूरत? मेरा बीमा तो अशोक है? (रुककर) माँ, मैं तो इस बात को भूल भी गया था। रात शकुतला ने याद दिलायी। इसकी बावत सोचने लगा, तो सच कहता हूँ माँ, मन को बड़ी चोट पहुँची (थोड़ा रुककर) क्या सोचने लगी माँ?
- माँ (हडबडाकर) कुछ नहीं कुछ नहीं तो तू अब यही चाहता है कि अशोक और उसकी बहू को अलग कर दिया जाये?
- नरेश (एक क्षण रुकता है, फिर बृद्ध स्वर में) हाँ माँ गृहस्थी में सब सदस्यों के समुक्त रूप से रहने का अर्थ है—सबकी ओर से बराबर त्याग बराबर सहनशीलता और बराबर सतोष। जहाँ घर के एक भी सदस्य के अदर, इनमें से एक की भावना में कुछ कमी आती है, वही समुक्त परिवार की मर्यादा और सुख शांति मिटन लगती है। उससे अच्छा तो यही है कि घर के लोग अलग-अलग रहने लग जायें।
- माँ (खोपी तो) मेरी समय में तो तेरी कोई बात नहीं आ रही है नरेश कोई बात नहीं आ रही है क्या क्या तू सचमुच अशोक को अलग कर देगा? अरे वह तो अभी तक नासमझ है। ढग से कमाता भी नहीं है। कैसे अपना गुजारा करेगा वह?
- नरेश टाइम बहुत बड़ा मास्टर होता है, माँ। सब कुछ सिखा देता है मैं तो बबत की ठोकरें खाकर ही चलना सीखा हूँ अशोक को भी तो मौवा दाजिए कि वह कुछ सीखे।

माँ : (कातरतापूर्वक) लेकिन नरेश, वह तो अभी तक

नरेश : (बात काटकर) ना माँ । इस जगह तुम्हारा प्यार उसका सुधरना रोक देगा । उसका ज्ञान अधूरा ही रह जायेगा । और अधूरा आदमी दुनिया के किसी मतलब का नहीं होता माँ । जमाना बड़ा खराब है ।

माँ : (कांपते स्वर में) हाँ नरेश, जमाना सचसुच खराब है । इसी से तो डरती हूँ कि वह अपना गुजारा करेगा कैसे ? अरे, उससे तो अपने लिए एक अलग कोठरी तक न ढूँढी जा सकेगी । वह गृहस्थी कैसे चलायेगा ?

नरेश : (फोकी हँसी हँसकर) कौसी बच्चो की-सी बातें करती हो माँ ? आखिर कभी-न-कभी तो उसे गृहस्थी चलानी ही होगी । कब तक वह तुम्हारे और मेरे प्यार के घोघे में छिपा रहेगा ? एक-न-एक दिन तो उसे बाहर निकल सब कुछ झेलना ही होगा ।

माँ : वह जब आयेगा, तब आयेगा । अभी तो

[अचानक दरवाजे की चिक उठाकर छोटा लडका अशोक अंदर प्रवेश करता है । कमीज-पतलून में आवृत इस युवक के पहनावे और चाल-डाल से स्पष्ट हो जाता है कि इस भाग्यवान ने जीवन में अभी तक दुःख और अभाव नहीं जाने हैं ।

कमरे में घुसते ही बोलना शुरू कर देता है और बोलते-बोलते माँ के निकट आ जाता है ।]

अशोक : नहीं माँ । वह दिन अभी ही आने दो ।

[अशोक के इस तरह आने और बोलने से माँ चौंक पड़ती है । नरेश अशोक को देख, अपना मुँह नि की ओर कर लेता है ।]

माँ : (सयन स्वर में) अशोक !

अशोक : (हल्की मुस्कान) हाँ, माँ ... (मुड़कर गभीरता साहब, मुझे धामा करना । पर आप लोगों की कुछ हिस्सा मैंने मुन चिया है । मैं बामन से नि

(माँ खामोश है। गंभीरतापूर्वक कुछ सोच रही है)

नरेश : तुम तो जानती हो माँ, छोटी-छोटी बातें दिल में दबाने पड़ा कर देती हैं।

माँ : (सोचती-सी) हाँ बेटा।

नरेश : माँ, जब ये नरेश हुआ था तो शकुतला ने मुझसे कहा था—अब तुम अपना वीमा करवा लो। तब मैंने हँसकर कहा था—मुझे वीमा करवाने की क्या जरूरत? मेरा वीमा तो अशोक है? (रुककर) माँ, मैं तो इस बात को भूल भी गया था। रात शकुतला ने याद दिलायी। इसकी बावत सोचने लगा, तो सच कहता हूँ माँ, मन को बड़ी चोट पहुँची (थोड़ा रुककर) क्या सोचने लगी माँ?

माँ : (हड़बड़ाकर) कुछ नहीं·कुछ नहीं·तो तू अब यही चाहता है कि अशोक और उसकी बहू को अलग कर दिया जाये?

नरेश : (एक क्षण रुकता है, फिर दृढ़ स्वर में) हाँ माँ... गृहस्थी में सब सदस्यों के समुक्त रूप से रहने का अर्थ है—सबकी ओर से बराबर त्याग, बराबर सहनशीलता और बराबर सतोष। जहाँ घर के एक भी सदस्य के अदर, इनमें से एक की भावना में कुछ कमी आती है, वही समुक्त परिवार की मर्यादा और सुख-शांति मिटने लगती है। उससे अच्छा तो यही है कि घर के लोग अलग-अलग रहने लग जायें।

माँ : (छोपी-सी) मेरी समझ में तो तेरी कोई बात नहीं आ रही है नरेश...कोई बात नहीं आ रही है·क्या·क्या तू सचमुच अशोक को अलग कर देगा? अरे·वह तो अभी तक नासमझ है। डग से कमाता भी नहीं है। कैसे अपना गुजारा करेगा वह?

नरेश : टाइम बहुत बड़ा मास्टर होता है, माँ। सब कुछ सिखा देता है...मैं तो बस वही ठोकरें खाकर ही चलना सीखा हूँ। अशोक को भी तो मौना दीजिए कि वह कुछ सीखे।

माँ : (कातरतापूर्वक) लेकिन नरेश, वह तो अभी तक.....
 नरेश : (घात काटकर) ना माँ। इस जगह तुम्हारा प्यार उसका सुधरना रोक देगा। उसका ज्ञान अधूरा ही रह जायेगा। और अधूरा आदमी दुनिया के किसी मतलब का नहीं होता माँ। जमाना बड़ा खराब है।

माँ : (फाँपते स्वर में) हाँ नरेश, जमाना सचमुच खराब है। इसी से तो डरती हूँ कि वह अपना गुजारा करेगा कैसे? अरे, उससे तो अपने लिए एक अलग कोठरी तक न ढूँढ़ी जा सकेगी। वह गृहस्थी कैसे चलायेगा?

नरेश : (फोकी हँसी हँसकर) कैसी बच्चों की-सी बातें करती हो माँ? आखिर कभी-न-कभी तो उसे गृहस्थी चलानी ही होगी। कब तक वह तुम्हारे और मेरे प्यार के घोंघे में छिपा रहेगा? एक-न-एक दिन तो उसे बाहर निकल सब कुछ झेलना ही होगा।

माँ : वह जब आयेगा, तब आयेगा। अभी तो.....

[अचानक दरवाजे की चिक उठाकर छोटा लड़का अशोक अंदर प्रवेश करता है। कमीज-पतलून में आवृत इस युवक के पहनावे और चाल-डाल से स्पष्ट हो जाता है कि इस भाग्यवान ने जीवन में अभी तक दुख और अभाव नहीं जाने हैं।

कमरे में घुसते ही बोलना शुरू कर देता है और बोलते-बोलते माँ के निकट आ जाता है।]

अशोक : नहीं माँ। वह दिन अभी ही आने दो।

[अशोक के इस तरह आने और बोलने से माँ चौंक पड़ती है। नरेश अशोक को देख, अपना मुँह जिड़की की ओर कर लेता है।]

माँ : (संयत स्वर में) अशोक !

अशोक : (हल्की मुस्कान) हाँ, माँ... (मुड़कर गंभीरता से) भाई साहब, मुझे क्षमा करना। पर आप लोगों की बातचीत का कुछ हिस्सा मैंने सुन लिया है। मैं आँगन से निकल रहा

था। आप लोगों से अपना जिक्र मुन ठिठक गया और फिर खड़ा ही रह गया। ये सोचकर कि इस जगह मेरा भी कुछ बहना जरूरी है, यहाँ आ गया हूँ।

माँ : (एक क्षण चुप रह फड़े स्वर में) अशोक, अपने भाई साहब से माफी माँग... चल...

अशोक : उस साड़ी वाली बात के लिए न।" हाँ माँ, जरूर माँगूँगा। अपने उस लड़कपन के लिए मुझे भी अफसोस है। पर क्या करूँ ? ये लड़कपन तो अब मेरे स्वभाव का अंग बन गया है। मैं खुद बहुत संजीदगी से दूर करना चाहता हूँ।

(कुछ क्षणों की खामोशी। माँ और नरेश चुप रहते हैं)

अशोक : मुझे माफ कीजिए भाई साहब। मैं अभी तक...

नरेश : (बात फाटकर, हल्केपन से) रहने दो अशोक। अब...

अशोक : नहीं भाई साहब। (फोकी मुस्कराहट से) मैं सच कह रहा हूँ। मुझे अभी तक घर में घर का एक अंग बनकर रहना नहीं आया है। अभी मैं घर में एक बच्चे की तरह रह रहा हूँ, जो ये अपना अधिकार समझता है कि सब लोग उसकी तरफ ध्यान दें, उसकी सब जरूरतें पूरी करें और उससे कुछ चाहना न करें। अब तक मैंने कभी न सोचा था कि ये स्थिति घर के दूसरे प्राणियों के लिए कितनी दुखदायी हो सकती है, लेकिन आज आपकी बातें सुनकर मेरी आँखें खुल गयीं।

माँ : (भाव-बिह्वल स्वर में) अशोक! बाबले, बड़े भाई के पैरो पर गिर। उससे माफी माँग। तूने उसका दिल दुखाया है।

अशोक : (तत्परता से) लो माँ। मुझे इसमें कोई लज्जा नहीं है। (झुककर नरेश के पैर छूता है। भीगे स्वर में) भाई साहब सचमुच मुझे...

नरेश : (भावपूर्ण स्वर में) बस-बस अशोक, मेरे लिए इतना ही बहुत है।

[अशोक को गले लगा लेता है, दोनों भाइयों की आँखें

भोग जाती हैं। माँ के झेहरे पर मुस्कराहट आ जाती है—
यद्यपि उसकी आँखें अनायास ही आँसुओं से भर उठी
हैं।]

माँ (भरे गले से) मेरे बच्चे ! मेरे बच्चे
अशोक (सँभलकर, नरेश से अलग होता हुआ) अब मेरा मन
हल्का हो गया है। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ भाई
साहब।

नरेश (स्वर में स्नेह है) कहो अशोक
अशोक भाई साहब भाई साहब, मुझे सुघरने का अवसर
दीजिए।

नरेश हाँ हाँ। अवश्य, पर कैसे ?

अशोक मुझे घर से अलग कर दीजिए।

माँ (चौंककर) अशोक !

नरेश (ऊँचे स्वर में) अशोक !

[माँ और नरेश हतप्रभ-से अशोक को देखते हैं। कुछ
क्षणों की चुप्पी। धीरे-धीरे अशोक अपनी गर्दन ऊपर
उठाता है और बोलने लगता है—]

अशोक : मैं ठीक कह रहा हूँ भाई साहब। आपके और माँ-भाभी
के प्यार ने मुझे निकम्मा बना दिया है। मैं घरेलू जिम्मे-
दारियाँ नहीं उठा सकता नहीं सच ये है कि मैं ये
जिम्मेदारियाँ उठाना नहीं चाहता। पर ये तो गलत है।
मैं अब बच्चा नहीं रहा हूँ। अब तो मुझे गृहस्थी का
बोझ उठाना सीखना ही होगा।

नरेश पर ये सब तो तुम घर में रहकर, मेरा हाथ बटाकर भी
सीख सकते हो अशोक।

अशोक नहीं भाई साहब, एक मजबूत दरख्त की आड़ में छिपकर
कोई न गोली चलाना सीख सकता है, और न गोली से
बचना। भाई साहब, मुझे खुले मैदान में लड़ना सीखने
दीजिए। मैं कई बार गिरूँगा, चोट खाऊँगा, कँटीले तारों
में मेरी बर्दाँ तार-तार हो जायेगी, लेकिन मैं लड़ना सीख

जाऊंगा · आपके साथे में रहूंगा तो मैं अघूरा का अघूरा सिपाही रह जाऊंगा ।

मां : (विह्वल स्वर में) लेकिन अशोक तू ..

अशोक : (बात काटकर) ठीक कह रहा हूँ माँ । जहाँ कोई आपत आयेगी, भाई साहब सामने आकर उसे झेल लेंगे, और अपनी छाती पर घाव खा लेंगे · रुककर) मैं किसी नादानी से अपने सिर कर्ज कर लूंगा तो भाई साहब अपनी पेंशन एडवांस ले बैठेंगे, भाभी के जेवर गिरवी रख देंगे और मुझसे नाराज हो, लाल पत्थर बनना चाहे तो नहीं बन सकते । आखिर वह बड़े भाई हैं ।

नरेश : (स्नेहपूर्वक) तो सोच पगले । तू तो लेखक है । बड़ा भाई फिर छोटे भाई को अपने से अलग कैसे कर सकता है ?

अशोक · छोटे भाई की भलाई की खातिर उसे ऐसा करने में कोई हिचक न होनी चाहिए ।

नरेश : (साँस लेकर) हाँ अशोक, कहना आसान है । पर अगर तेरे भी कोई छोटा भाई होता और तूने उसे अपने बेटे की तरह पाला होता...

अशोक : तो पक्ष उग आने पर वह भी उड़ जाता और घोंसले में अपने पालने वाले के पास न बैठता ।

माँ : (कातर स्वर में) अशोक ! .. मैं तो पहले ही बहुत दुखी हूँ रे, मुझे और ज्यादा दुख क्यों देता है ?

अशोक : इस दुख में भी एक सुख छिपा हुआ है माँ, जो तुम और भाई साहब बाद में महसूस करोगे ! मुझे अलग कर देने पर तुम लोग मुझे ज्यादा प्यार करोगे । मैं भी दुख-सुख में तुम्हारे पास दुगने प्यार से दौड़ा आया करूँगा इनटूठा रहना · इवटूठा रहने में प्यार मिटता जायेगा । उस पर गलतफहमियो की तह जमती जायेगी । हमारी बीवियाँ इस घाम में हमारी मददगार होगी और आखिर एक दिन हमारा प्यार खत्म हो जायेगा · हम साथ सगे भाई सही, हमारी बीवियाँ तो सगी बहन नहीं हैं ।

नरेश : (मां से) मां, ये तो लेखक है। इसके सामने और क्या कहूँ।

मां : इसके बहने पर ध्यान न दे नरेश। ये तो सिडी हो गया है।

अशोक : (हल्की हँसी) ठीक है मां • (श्ककर) तो भाई साहब, मेरी प्रार्थना •

मां : (तीव्र स्वर मे) पागल हो गया है रे अशोक ? जग-हँसाई कराने पर तुला हुआ है।...लोग क्या कहेंगे। भाई सगे भाई से अलग हो गया है

अशोक : हाँ मां, अलग हो गया है पर मन से नहीं। मन से तो हम कभी अलग नहीं हो सकते मां, पानी को लाठी से कितना ही पीटो, पानी कभी दो नहीं होता। एक ही रहता है। पर मां, अपने परिवार की सुख-शांति के लिए हम लोगो का अलग होना बहुत जरूरी है।

मां (दुख व निराशा से) क्यों है रे ?

अशोक : भाई साहब का कहना ठीक है मां, संयुक्त परिवार अब केवल एक ही तरीके से चल सकता है। और वह ये कि घर के सब प्राणी एक-दूसरे के लिए दुख सहे। एक-दूसरे के लिए त्याग करें। और जो भी करें अपने सुख-सतोष के लिए नहीं, घर के दूसरे प्राणियों के सुख-सतोष के लिए करें।

नरेश : ठीक है अशोक। हम लोग बोशिश करेंगे कि हम ऐसा करें।

अशोक : (फीकी मुस्कराहट से) काश, ऐसा हो सकता भाई साहब। पर अभी मैं भी इस योग्य नहीं हूँ, और आपकी छोटी बहू के बारे में तो कहना ही बेकार है। मैंने देख लिया है, उसमें त्याग का माददा तो बिल्कुल भी नहीं है • आये दिन घर में कलह हो, इससे तो यही अच्छा है कि हम प्रेमपूर्वक अलग हो जायें।

मां : (फाँपते स्वर मे, दृढ़तापूर्वक) अशोक !

अशोक : (बिना विचलित हुए) हाँ मां।

(कमरे में कुछ देर के लिए धामोशी छा जाती है।)

नरेश : (पलंग से उठ खड़ा होता है) तो ये तुम्हारा अंतिम

निश्चय है।

अशोक : हाँ, भाई साहब। और मैं इस पर अटल रहना चाहूँगा।
(सहसा माँ के संयम का बाँध टूट जाता है।)

माँ : (सिसकियाँ भरते हुए) तो तू इस घर से अलग होगा?...
इस घर के लिए पराया बनेगा रे ?

अशोक : (प्यार से) हाँ माँ... पर हमेशा के लिए नहीं। मैं जानता हूँ माँ। इस घर के दरवाजे मेरे लिए कभी बंद न होंगे। हमेशा खुले रहेंगे। थक-हारकर मैं यही तो आऊँगा माँ। मेरी गति-मुक्ति और कहाँ है ? लेकिन अब तो मुझे जाने दो—(नरेश के निकट जाकर) भाई साहब...

नरेश : (साँस भरकर) अच्छा अशोक, जिसे तुम उचित समझते हो और जिससे तुम्हें सुख मिले, वही करो...

[माँ सिसकियाँ ले रही है। अशोक माँ के निकट आता है।]

अशोक : (क्षिप्तकता-सा) माँ ! ...सुनो तो ..

माँ : (एकदम फूट पड़ती है, रोते हुए) नहीं, अशोक नहीं...
तुम नहीं जाओगे... तुम इतने कठोर नहीं हो सकते...
हमने तुम्हारा क्या अनिष्ट किया है, जो तुम इतनी कड़ी सजा हमें दे रहे हो ?...

अशोक : माँ, यदि ये सजा है, तो मेरे लिए भी है। मैं भी तो इसे सहूँगा।

माँ : (रोते हुए) नहीं, अशोक नहीं... तुम मत जाओ... मत जाओ...

अशोक : (समझाते हुए) ना माँ... रोकर मेरे लिए अमंगल न करो। मुझे हँसी-प्यारी विदा करो। तुमने अपने बड़े लड़के का आदमी बना लिया है। तुम चाहती हो, तुम्हारा छोटा लड़का अधरुचरा रह जाये ?... उसे भी ठो जमाने की गर्म-सर्द हवा पाकर आदमी बनने दो...
(माँ के धामू पोंछता है) धामू पोछो माँ। माँ, तुम्हारा

छोटा लडका एक जिम्मेदार आदमी बनने जा रहा है ।
उसके मन में मोह न जगाओ । खुशी से विदा करो,
और भगवान् से प्रार्थना करो कि उसमें समझ आ जाये,
ताकि एक दिन तुम उसका फिर स्वागत कर सको

नरेश हाँ अशाक, हम हमेशा तुम्हारा स्वागत करने के लिए
तैयार रहेगे ।

माँ (आँसू पोछती और गले लगाती है) मेरे बच्चे ।
अशोक (माँ के आँचल में मुँह छिपाकर) माँ •

[माँ और अशोक की नज़र बचाकर नरेश अपने
आँसू पोछता है और खिडकी के पास जा खड़ा होता है ।

इस बीच में नहा रमेश और शकुलता दरवाजे
की चौखट का आसरा ले खड़े हो जाते हैं । माँ-बेटे के
इस मिलन से अनायास ही उसकी आँखें भर आयी हैं ।
रमेश उसकी धोती पकड़े, कमरे के प्राणियों को अवाक्
दृष्टि से देख रहा है ।]

(पर्दा गिरता है)

ममता का विष विष्णु प्रभाकर

[प्रारम्भिक संगीत के बाद तानपूरे पर ध्वनि मृद से तीव्र होती है और तभी सुशील के खाँसने और कराहने का स्वर उभरकर छा जाता है। एक क्षण बाद वह पुकारता है।]

सुशील माँ-आ माँ आ !

माँ (द्वार से आता स्वर) आयी बेटा, अभी आयी। दूध ला रही हूँ।

(द्वार के क्षण पास आता स्वर) क्या बात है बेटा ?

सुशील . माँ, पिताजी अभी नहीं आये ? कहाँ रह गये ?

माँ : पता नहीं बेटा, कहाँ बैठ जाते हैं ? शायद डॉक्टर के पास चले गये होंगे। क्यों, कुछ माँगना था क्या ?

सुशील . मैंने उनसे कॉलेज की फीस भेजने को कहा था। पता नहीं, भेजी या नहीं।

माँ : (चिढ़कती है) तुझे तो बेटा, बस एक ही बात की रट लग जाती है। पहले तू अच्छा तो हो जा। फिर जाने की बात सोचना। तीसरी बार बुखार उतरकर चढ़ा है।

सुशील : माँ, तुम सदा शका करती रहती हो। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। इस बार उतरकर बुखार फिर नहीं चढ़ेगा।

माँ . मैं तो यही चाहती हूँ, बेटा, तुझे बुखार कभी न चढ़े, पर हर बार डॉक्टर के कोशिश करने पर भी वह चढ़ ही आता है। न जाने भगवान् हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। न जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा है।

सुशील : भाग्य में बहुत अच्छा लिखा है माँ। मैं अगले हफ्ते कॉलेज जाऊँगा और फिर एक दिन डॉक्टर बनूँगा।

माँ : भगवान् कर बेटा, तेरी भाखा फूले-फल और मुझे वह दिन देखने का मिले (सहसा गला दँध जाता है) पर मह तो बता, अपने भाइयों की तरह तू भी तो मुझे छोड़कर

नही चला जायेगा ?

सुशील नही माँ, मैं यही रहूँगा ।

माँ इसी कस्बे मे ?

सुशील हाँ माँ । इधर दूर-दूर तक कोई अच्छा डॉक्टर नही है ।
रोग वेरोक-टोक शिकार खेलते रहते है । भला, ऐसी
हालत मे देश कैस उन्नति कर सकना है ?

माँ (चिहँकती है) तुम्हे तो वेटा, बस देश की लगी रहती है ।
मैं कहती हूँ, देश की चिंता पीछ करना पहले अपने को
तो देख ।

सुशील माँ, मैं ही तो देश हूँ ।

माँ तुमसे कोई नही जीत सकता । आखिर तुम ये बातें कहाँ
से सीखते हो ?

सुशील तुमसे, माँ ।

माँ : (चकित) मुझसे ।

सुशील (खाँसता हुआ) हाँ, माँ । तुम्हारे ही तो बेटे हैं । तुमने
ही तो हमारा सृजन किया है ।

माँ बेटे तो तुम मेरे ही हो, पर मुझे तो ये सब बातें आती
ही नही । फिर मुझसे कैसे सीखते हो ?

सुशील (हँसकर) तुम्हें पता नही माँ, तुम्हारे मन मे ये सब बातें
छिपी रहती हैं । (द्वार पर दस्तक होती है) कोई दरवाजा
खटखटा रहा है । शायद पिताजी आये हैं । देखो तो
माँ ।

माँ अभी जाती हूँ । तू दूध पी ले और लेट जा । डॉक्टर ने
बहुत बोलने को मना कर दिया है ।

सुशील अच्छा माँ ।

[माँ की दूर जाती पग-ध्वनि । दूसरे ही क्षण वह बोलती-
बोलती पास आती है]

माँ समझ म नही आता, मेरे बेटे होकर भी ये कैसे बातें
करते हैं । हर वक्त देश, कत्तब्य, मानवता की रट लगाये
रहते हैं । यही रट लगाते-नगाते इसके सब भाई चले

गये । यह भी चला जायेगा यह भी चला जायेगा
सुशील जो मेरी आखिरी सतान है, जो मेरी आखिरी
आशा है । यह भी चला जायेगा ।

[भावावेश भे आ जाती है । तानपूरे पर सगीत उभरता
है । द्वार पर वस्तक तेज होती है । माँ चौंककर जोर
से बोलती है—]

खोलती है, अभी खोलती है, (किवाड खुलने का स्वर)
बड़ी देर कर देते हो (चौंककर) कौन ?

चद्रा चाची, नमस्ते । मैं हूँ चद्रा ।

माँ चद्र ! अरे, तू कब आयी बेटी ? नमस्ते बेटी, नमस्ते ।
भगवान् तुझे सुखी रखे । तेरा सुहाग बना रहे । तू सत-
पूती हो । आ, अन्दर आ ।

चद्रा आयी, चाची । अभी शाम को ही आयी हूँ । माँ ने बताया
कि सुशील तीन महीने से बुखार भे पडा है । तीन बार
उतर-उतरकर बुखार फिर चढ आया है । ऐसा कैसा
बुखार है ?

माँ (रुँधा स्वर) क्या बनाऊँ बेटी, कैसा बुखार है । मेरी तो
वह बात है बेटी, ना जीने का सुख, ना मरे का दुख । न
जाने मेरी मौत कहाँ छिपी है ? आँख मिच जाये, तो
दुनिया का जजाल छूट । जीते-जी की ममता है । मेरे
पीछे क्या होता है, कौन देखता है ?

चद्रा चाची, तुम तो बहुत दुखी हो रही हो । ऐसी बात मत
बहो । भगवान् सब ठीक करेंगे ।

माँ : क्या ठीक करेंगे । कुछ करते, तो क्या यह दिन देखने को
मिलता ? क्या जाने यही दुख दिखाने को उन्होंने मुझे
चौदह बेटे दिये ।

चद्रा चौदह बेटे । आपके चौदह बेटे थे ?

माँ हाँ बेटी, चौदह बेटे थे और आज मेरे पास केवल एक बचा
है । वह भी जाने की रट लगाता रहता है ।

चद्रा मुना है, चाची, आपके कुछ बेटे तो देसावर बनाने गये थे ।

- माँ पर मुझसे क्या पूछकर गये थे ! जब जी मे आया, चल दिये । मैं तो जैसे उनकी कुछ थी ही नहीं । देश ही उनका सब-कुछ था । तीन तो किसी बम-पार्टी में थे ।
- चंद्रा बम पार्टी में, सच ?
- माँ हाँ, बेटो । एक दिन एक लड़का आया था । वही सब-कुछ बता गया था । वह भी इनकी तरह घर से भागा हुआ था । बहुत दिनों की बात है । फिर तो उनकी कोई खबर ही नहीं मिली ।
- चंद्रा और बाकी कहाँ गये चाची ?
- माँ सात तो बचपन में ही राम न बुला लिये थे, बेटो । तीन बड़े होकर बम पार्टी में चले गये । दो कहीं समुद्र पार के देश में चले गये । उनका तो कुछ पता ही नहीं लगा, जीते हैं या मर गये । मेरे पास से तो सब ऐसे गये, जैसे ही नहीं । हाँ कुशल से कुछ आशा थी । उस पर बड़ी मन्नतें मानी थी । जात बोली, चढावे चढाये, पर वह भी ठीक विवाह के दिन (स्वर आसुओ से रुँध जाता है, बोल नहा पाती, संगीत तेज होता है ।)
- चंद्रा हाँ, चाची । माँ सुना रही थी । बड़ चाव से तुमने उसका विवाह रचाया था, बड़े ठाठ किये थे, पर वही बात है कि 'भरे मन कछु और है विधना के कछु और ।' सुना, चिट्ठी लिख गया था
- माँ चिट्ठी लिखने से क्या बनता है ? बेटा तो गया ही । मुझ किसी ने कुछ समझा ही नहीं, सदा कहते रहे "मा, तुमसे भी बड़ी एक और माँ है ।"
- चंद्रा तुमसे भी बड़ी माँ ! वह कौन है ?
- माँ बेटो, वे लोग देश को बड़ी माँ कहते थे । कहते थे, 'वह तुम्हारी भी माँ है । वह हम सबकी माँ है ।' कुशल भी यही लिखकर रख गया था, 'बड़ी माँ ने बुलाया हूँ, जा रहा हूँ, मेरी राह न देखना ।' न जाने किसने उन्हें यह सिखाया था । हम जिन्होंने उन्हे पाला-पोसा, उनके लिए

कष्ट सहे, उनके कुछ भी नहीं रहे, और वे जिन्हे कोई जानता तक नहीं, उनके सब-कुछ हो गये !

चद्रा : सचमुच बड़ी बुरी बात है । न जाने चाची, दुनिया का क्या होगा ! पर कुशल का कुछ पता तो लगाया होगा ।

माँ : पता कौन लगाता ? बाप तो उनका जैसा है, दुनिया जानती है । लोगों ने जब ढूँढने को कहा, तो बोला, 'ढूँढना बेकार है । जो रहना नहीं चाहता, उसे रोकने की कोशिश करना उसे और खोना है । मेरा काम तो उन्हें पाल-पोसकर बड़ा करना था । वह मैंने कर दिया । आगे वे जानें, उनका काम जाने ।'

चंद्रा : चाची, उन्होंने भी ठीक ही कहा था, और वह क्या करते ? ओलाद ही बस में न रहे, तो माँ-बाप क्या करें ? पर खैर चाची, जो हुआ, सो हुआ । सुशील को देखो, उसका ध्यान रखो । दो-एक महीने में इधर ही रहूँगी । आ जाया रहूँगी । अब तो उसका बुखार उतर गया है ।

माँ : बुखार तो तीन बार उतर चुका है ।

चद्रा : नहीं चाची, अब नहीं चढेगा । ऐसी आशंका मत करो । भगवान् सब ठीक करेंगे ।

[द्वार पर फिर दस्तक होती है और साथ ही सुशील का स्वर उठता है ।]

सुशील : माँ...बा...आ !

माँ : सुशील के पिता आये जान पड़ते हैं । बेटी, तू जरा किबाड़ खोलना, मैं सुशील को देखती हूँ । वह भी पुकार रहा है । [माँ का स्वर दूर जाता है, सुशील का स्वर पास आता है ।]

सुशील : माँ, (कांपता स्वर) माँ, तुम कहीं जाकर बैठ गयीं ?

माँ : (पास आता स्वर) आयी बेटा, अभी आयी । चद्रा आ गयी थी, उससे बातें करने लगी । हाँ, क्या कहता है ?

सुशील : (कांपता हुआ) माँ, मुझे जाड़ा लग रहा है । कंबल तो देना ।

- माँ (एकदम फाँपकर) जाड़ा, तुझे जाड़ा लग रहा है ! तुझ फिर बुखार आ रहा है ! हे राम •
- सुशील माँ, कबल लाओ, कबल ! मुझे कोंकंपी चढ़ रही है ! जल्दी लाओ !
- माँ (घबरायी-सी) अभी लायी, अभी ओह भगवान्, तुम क्या करना चाहते हो ? भगवान्, तुम मुझ पर दया करो ! (पुकारकर) चद्रा, तरे चाचा आये, जरा जल्दी से उन्हें यहाँ भेज ।
- चद्रा (दूर से आता स्वर) चाची, डाक्टर साहब भी आ रहे हैं ! (पदचाप उठते हैं)
- माँ डाक्टर ? ओह भगवान्, डाक्टर आ गये ! (पुकारकर) डाक्टर साहब ! सुशील (पदचाप पास आते हैं)
- डाक्टर सुशील तो अब ठीक है न ? क्या बात है ? अरे, सुशील को कबल क्यों ओढ़ाया है ? आप घबरा क्या रही हैं ?
- माँ सुशील को फिर जाड़ा लग रहा है डाक्टर साहब, यह क्या हो रहा है ।
[सबके एक साथ बोलने के स्वर उभरते हैं ।]
- डाक्टर सुशील को फिर जाड़ा लग रहा है !
- पिता सुशील को फिर जाड़ा चढ़ रहा है !
- चद्रा सुशील को फिर बुखार आनेवाला है ।
- माँ (रोनी हुई) डाक्टर साहब, डाक्टर साहब
- डाक्टर (साँस लेकर) आप घबराइए नहीं ! मुझे जरा देखने दीजिए । (धीरे से) हलो सुशील, क्या हाल है ?
- सुशील (काँपता हुआ) डाक्टर साहब ! नमस्त ।
- डाक्टर नमस्ते जनाब । यह क्या कर लेते हो बार-बार । शरीर के शत्रु से ऐसी मित्रता करना ठीक नहीं है, भाई । देखूँ तो हाय ।
- सुशील कुछ नहीं, डाक्टर साहब, वैसे ही जाड़ा चढ़ आया है । ठीक हो जायेगा । पिताजी आये हैं क्या ?
- पिता हाँ सुशील, क्या बात है ?

- मुशील मरी फीस भज आय ?
- पिता . कल मे शहर जा रहा हूँ । सब ठीक कर आऊँगा । पर
पहल तू तो ठीक हो जा ।
- मुशील ठीक तो हो गया था पिताजी, आज फिर जाडा बढ
आया । यह भी उतर जायगा । मैं कालेज अवश्य जाऊँगा ।
पाँच-छ दिन की दर हो जायेगी, तो क्या है । आप मेरी
फीस अवश्य भेज दीजियगा ।
- पिता भज दूगा । तू चिंता मत कर ।
- डाक्टर मुशील को डाक्टर बनने का बडा चाप है । वह अवश्य
बनेगा । दर-सवेर की कोई बात नहीं । इसका परीक्षाफल
इतना सुदर है कि बहुत जल्दी ही यह अपनी कमी पूरी
कर लेगा । हाँ, जरा जीभ दिखाना । है कुछ बदपरहेजी
तो नहीं की ?
- मुशील जी, मैं तो वही खाता हूँ जो आप बताते हैं ।
- डाक्टर जानता हूँ, तुम एक आदश रोगी हो । तभी तो बार बार
रोग को पछाडकर अच्छे हो जाते हो । हाँ माँजी, दवा
तो सब दे दी थी ?
- माँ बिल्कुल उसी तरह दी थी, जैसे आप बता गये थे । बेचारा
कभी खिद नहीं करता । रात को जिस षक्त जगाती हूँ,
चुपचाप उठकर दवा पी लेता है । मगर फिर भी न जाने
क्या बात है कि
- डाक्टर ठीक है ठीक है । जानता हूँ, तुम सब लोग बडे पाबद
हो ।
- पिता कहते हैं कि लोग चिंता नहीं करते, इसलए बीमारियाँ
बढ रही हैं, पर यहाँ तो इतनी चिंता करते हैं तो भी
बीमारी पीछा नहीं छोडती ! चौथी बार बुखार बढा है ।
- डाक्टर हाँ, बात कुछ मेरी समय मे भी नहीं आती । सवरे
बिल्कुल ठीक था । तकिन खैर कोई बात नहीं । आप
मेरे साथ चलें, दवा देता हूँ ।
- पिता चलिए ।

- डाक्टर मुशील भाई, दवा तो भेज ही रहा हूँ, लेकिन भगवान् के लिए यह दोस्ती अब खत्म करो।
- मुशील मुझे तो खुद इससे प्रम नहीं है, पर न जाने क्या बार-बार आ जाता है। डाक्टर साहब, इस बार कोई तेज-सी दवा दीजिए।
- डाक्टर (हँसकर) ऐसी तेज दूँगा कि बुखार भी क्या याद रखेगा। अच्छा, आओ द्वारकानाथजी।
- पिता जी, चलिए। (दोनों के जाने के पदचाप गूँजते हैं, दूर जाते हैं।)
- माँ बेटा चद्रा, तू ज़रा मुशील के पास बँठ, मैं अभी आती हूँ।
- चद्रा अच्छा चाची, मैं बँठी हूँ।
[पदचाप दूर जाते हैं, फिर पास आते हैं।]
- माँ डाक्टर साहब, डाक्टर साहब।
- डाक्टर जी, क्या बात है ?
- माँ क्या, डाक्टर साहब, कोई खतरे की तो बात नहीं है ?
- डाक्टर नहीं, नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। इस बार मलेरिया है। वक्त पर उतर जायगा।
- माँ उतर जायेगा ?
- डाक्टर हाँ, हाँ, क्या नहीं उतरेगा ?
- माँ कब तक उतरेगा ?
- डाक्टर चार पाँच दिन लग सकते हैं। पर बार-बार यह बुखार आना ठीक नहीं है। यह बंद होना चाहिए। कमजोरी बढ़ती है। यह तो मुशील की इच्छाशक्ति है, जा उसकी रक्षा कर रही है।
- माँ डाक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि चौदह बटो में यही एक बचा है। अपनी जान देकर भी मैं इसे बचाना चाहती हूँ। यही मेरा सब-कुछ है—मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरा धन, मेरा घर वार। डाक्टर, मेरे प्राण इसी में बसे हैं। मैं इसके लिए जो भी कहोगे, करूँगी।
- डाक्टर जानता हूँ, माँ जी। माँ बटे के लिए सब-कुछ कर

वात करनी है। आइए, यहाँ बंठिए। (बंठने का स्वर)

पिता : मैं सेवा में हाज़िर हूँ। आज्ञा कीजिए।

डाक्टर : अभी कहता हूँ, पर पहले यह बताइए कि सुशील का बुखार कैसा है ?

पिता : बिल्कुल नारमल है।

डाक्टर : बिल्कुल नारमल, बहुत अच्छी बात है। और क्या चाहिए। वैसे खुश है न ?

पिता . खुश तो वह हमेशा ही रहता है। आज तो सवेरे से उसने अपनी पुरानी रट लगायी है—'कॉलेज जाऊंगा।'

डाक्टर : अजी, यह कॉलेज ही है, जो उसे इतनी जल्दी ठीक कर लेता है। इच्छा में बड़ी शक्ति होती है। लेकिन फिर भी इस बार सुशील की देखभाल विशेष रूप से करनी होगी। यदि अब रोग ने आक्रमण कर दिया, तो...

पिता : जानता हूँ डाक्टर साहब, अच्छी तरह जानता हूँ।

डाक्टर : और यह भी जानते हैं कि यही समय है, जब रोग आक्रमण करता है।

पिता : यह भी जानता हूँ, डाक्टर साहब। इसीलिए मैंने सुशील की ममेरी बहन को बुला भेजा है। आपके कहने के अनुसार हम सब रात को बारी-बारी से जागा करेंगे।

डाक्टर : ठीक है, ठीक है। मैं भी जागा करूँगा।

पिता : (अचरज से) आप ?

डाक्टर : हाँ, मैं भी रात को पहरा देने आऊँगा।

पिता : (विनम्र स्वर) डाक्टर साहब, आप क्या कहते हैं ? आपने क्या नहीं किया। आपकी कृपा से ही सुशील बार-बार मौत के मुँह में जाकर लौट आया है। आप अब इतना कष्ट न कीजिए।

डाक्टर : (गंभीर स्वर) ठीक है ठीक है। पर सुनिए तो, पहले तो, पहले मेरी बात सुनिए।

पिता : जी, कहिए।

डाक्टर : मैं रोगी का अध्ययन करना चाहता हूँ। हो सकता है,

मुझे कई रातों उसके पास बितानी पडें ।

पिता : लेकिन क्या आप रात को ही बैठेंगे ?

डाक्टर : हाँ, वह काम रात को ही हो सकेगा ।

पिता : जैसे आपकी इच्छा ।

डाक्टर : और देखिए, मैं उस कमरे में नहीं रहूँगा जिसमें रोगी रहता है ।

पिता : तो ?

डाक्टर : उस कमरे के पास कोई और कमरा है ?

पिता : जी हाँ, उसके पीछे हमारी बैठक है ।

डाक्टर : ठीक है । उसमें खिडकी तो है न? मेरा मतलब है कि उसमें ऐसी खिडकी या दरवाजा तो होगा ही जिसमें से रोगी के कमरे पर नज़र रखी जा सके ।

पिता : जी, बैठक से होकर एक खिडकी और एक दरवाजा रोगी के कमरे में खुलते हैं ।

डाक्टर : ठीक है । मैं आपकी बैठक में रहूँगा ।

पिता : आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, फिर भी जैसा आप कहते हैं, वैसा प्रबंध मैं कर दूँगा ।

डाक्टर : समझ में तो अभी आपके बहुत-कुछ नहीं आयेगा । लेकिन देखिए, यह बात आप किसी से कहियेगा नहीं, सुशील की माँ से भी नहीं ।

पिता : ऐसी बात है !

डाक्टर : नि सदेह बात ऐसी ही है । आपको मेरी सहायता करनी होगी ।

पिता : विश्वास रखिए, मैं उसी प्रकार करूँगा, जिस प्रकार आप कहेंगे ।

डाक्टर : ठीक है । मुझे आप पर विश्वास है । मैं आज रात को सुशील को देखने आऊँगा और वही रह जाऊँगा ।

पिता : बहुत अच्छा, मैं सब प्रबंध किये रखूँगा । आप निश्चित होकर आइए । अच्छा, मैं चलूँ, नमस्ते ।

डाक्टर : नमस्ते ।

(जाने के पक्काप । फिर अतराल सगीत उभरता है । उसके समाप्त होते-होते तानपूरे पर मब स्वर उभरते हैं और फिर दो व्यक्ति धीरे-धीरे बातें करते हैं ।)

पिता : यह देखिए मैं अपनी छाट खिडकी के पास खीच ली है । आप यहाँ आराम से बठ सकते हैं ।

डाक्टर ठीक है । यहाँ बैठकर मैं पिडकी से सब-कुछ देख सकता हूँ । सुशील की चारपाई बिल्कुल सामने है और यहाँ से उसके पास आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति पर निगाह रखी जा सकती है ।

पिता और अगर किसी समय वहाँ जाने की जरूरत हो, तो दरवाजा भी पास ही है ।

डाक्टर ओह, ठीक है, ठीक है । यह और भी अच्छी बात है । हाँ, क्या बज गया ?

पिता दस बजनेवाले हैं ।

डाक्टर सुशील तो बड़े सुख से सो रहा है ।

पिता आज उसकी तबीयत बहुत ठीक थी, सारा दिन कॉलेज जाने का प्रोग्राम बनाता रहा ।

डाक्टर (हल्की हँसी) बड़ा बहादुर लडका है । मुझे विश्वास है कि इस बार उसका प्रोग्राम नहीं बिगड़ेगा ।

पिता आपकी कृपा है, डाक्टर । आपने

डाक्टर अहा, आपने दीये का प्रवध भी कर रखा है ।

पिता वह तो मैंने कई दिन पहले कर दिया था । रात भर लॅम्प जलने से कमरे में एक प्रकार का कडवा धुआँ भर जाता था ।

डाक्टर यह कडवा ही नहीं, जहरीला भी होता है । अच्छा आप साना चाह तो सो जाइए । जरूरत होगी तो मैं जगा लूँगा ।

पिता नहीं, नहीं, मैं बैठा हूँ । मैं भी देखूँगा ।

डाक्टर आपकी इच्छा, पर आप थक जायेंगे । कोई बात होगी, तो मैं पुकार लूँगा । वह देखिए, सुशील की माँ ने लॅम्प बुझा दिया है । दीये का प्रकाश धुँधला है, पर बाँखों के

लिए कितना सुख देने वाला है।

पिता : दीया हमारी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। उसके प्रकाश में तेज नहीं है, पर शांति है।

डाक्टर : लेकिन वह तेज किस काम का, जिसमें अशांति हो ? बात यह है... देखिए, जरा इधर देखिए।

पिता : क्या है ?

डाक्टर : सुशील की माँ कितने प्रेम से सुशील के कपड़े ठीक कर रही है !

पिता : सच कहता हूँ, डाक्टर, इसने सुशील के लिए अपने आपको मिटा डाला है। फिर भी न जाने क्यों उसका भाग्य रूठा हुआ है !

डाक्टर : अब सब ठीक हो जायेगा, आप चिंता न करिए। आप लेंट जाइए। सुशील की माँ लेंट गयी है। जब मैं लौटूंगा, आपको पुकार लूंगा।

पिता : बहुत अच्छा (क्षणिक सन्नाटा। डाक्टर के टहलने का स्वर। गीदड़ों की चीखें उभरती हैं, फिर मौन छा जाता है; फिर पदचाप उभरते हैं और बूर कुत्तों की भौं-भौं सुनायी पड़ती है। घड़ी में एक बजने की घोषणा करता हुआ घटा गहर उठता है, फिर मौन छा जाता है, और तानपूरे पर सगीत उभरता है।)

पिता : (एकदम जागकर) कुछ पता लगा ?

डाक्टर : अभी कुछ नहीं।

पिता : क्या बजा है ?

डाक्टर : दो बजनेवाले हैं।

पिता : तो अब मैं बैठता हूँ। आप लेंट जाइए, आइए।

डाक्टर : हाँ, मैं अब लेंट सकता हूँ; पर आप सजग रहिए। कमरे में कोई भी आहट हो, कोई भी नयी बात हो, तो उसी क्षण मुझे जगा दीजिए।

पिता : डाक्टर साहब, क्या आप भूतो में विश्वास करते हैं ?

डाक्टर : कभी-कभी करना पड़ता है ; परंतु जनता के और हमारे

भूतो मे अतर है। जनता के भूत काल्पनिक होते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता। हमारे भूत ठोस होते हैं और वे हमारे अदर रहते हैं।

पिता (चकित) हमारे अदर रहते हैं !

डाक्टर : हाँ, किसी दिन पकड़ सका तो, दिखाऊंगा। लेकिन अब आप होशियार रहिए।

पिता मैं होशियार हूँ। आप सो सकते हैं। मुशील के कमरे मे पूर्ण शांति है। (फिर सन्नाटा, घड़ी की टिक-टिक, कुत्तो की भों-भों, गीदड़ों की हू-हू, कहीं शोर, फिर शांति, फिर पदचाप, सहसा पिता के चौंकने का स्वर)

पिता : (दुढ़ स्वर) डाक्टर साहब !

डाक्टर : (एकदम जागकर) क्या है ?

पिता : इधर आइए, इधर। वह देखिए एक छाया-मूर्ति ! मैंने जब झाँका, तो वह धीरे-धीरे मुशील के पास जा रही थी। कई क्षण चुपचाप मुशील के मुख को देखती रही।

डाक्टर : फिर ?

पिता : फिर उसने मुशील के मुख को चूमा।

डाक्टर : फिर ?

पिता : फिर उसने मुशील की चादर उतार डाली और छिडकी घोल दी। अब वह हट रही है। देखो डाक्टर, इसकी चाल कौसी गतिहीन है। लो, अब वह दवा की शीशी उठा रही है।

डाक्टर : हाँ, उसने नीशी ली और राकं घोल दिया। फिर पीछे हटी। ओह, वह तो मुशील की घाट के पास आ रही है ! अरे -

पिता : अरे, उसने तो दवा की शीशी बिलमचो म उलट दी।

डाक्टर : अरे, वह तो मुशील की माँ है ! (पृष्ठभूमि में धारबर्धन-सूषक संगीत उभरता है।)

पिता : (काँपकर) मुशील की माँ !

डाक्टर : (शोचप्रता से) मेरे माप आइए, जल्दी करिए !

पिता . (पागल-सा) डाक्टर, डाक्टर !

डाक्टर . (जाता हुआ) आइए !

(फिवाड़ खुलने का स्वर । सुशील की माँ की चीख गूँज उठती है ।)

माँ : (एक चीख के साथ) आप...आप (गिर पडती है और बेहोशी में बडबडाती है) सुशील अच्छा हो रहा है । वह अच्छा हो जायेगा । अच्छा होकर कॉलेज जायेगा । डाक्टर बनेगा और फिर फिर ऋषि चला जायेगा । मुझे छोड़ जायेगा । वह फिर नहीं लौटेगा । उसके भाई भी नहीं लौटे थे . नहीं, नहीं, वह मुझे नहीं छोड़ सकता । वह शहर नहीं जा सकता । मैं उसे नहीं जाने दूँगी, नहीं जाने दूँगी ।

डाक्टर : (गम्भीर स्वर) देखा, मुझे यही डर था ।

पिता . (पागल-सा) डाक्टर, डाक्टर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है । यह मैंने क्या देखा । माँ अपने हाथों से अपने ही बेटे की हत्या कर रही है ! ओह, डाक्टर !

डाक्टर . हाँ, माँ अपने ही हाथों से बेटे की हत्या कर रही है; पर वह जान-बूझकर कुछ नहीं करती । ममता ने उसे पागल बना दिया है । होश में आने पर वह स्वयं नहीं जानती कि वह क्या करती है । वह उसे अपना समझती है—केवल अपना । यही स्वार्थ है, यही ममता का विप है (बीच-बीच में माँ की फुसफुसाहट उठती रहती है ।)

माँ . (बेहोशी) मैंने उसे पाला-पोसा है । वह मेरा बेटा है । मैं उसे कहीं नहीं जाने दूँगी, कहीं नहीं ।

डाक्टर . लेकिन अब आप धबराइए नहीं । मैंने रोग को पहचान लिया है । मैं सब-कुछ ठीक कर लूँगा । आइए, पहले इन्हे होश में लाने की दवा दें । और हाँ देखिए, मेरे आने का इन्हे अब भी पता नहीं लगना चाहिए ।

(पबघाप उभरते हुए दूर जाते हैं, तानपूरे पर संगीत मन्द मधुर होता है और फिर समाप्ति-सूचक संगीत में लय हो जाता है ।)

परमाणु युग का अभिशाप

रेडियोधर्मी प्रदूषण

डॉ० उमाकांत सिन्हा

बात १९४५ की है। पलक क्षपकते ही जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी नामक नगर नेस्तनाबूद हो गये। वहाँ विश्व के प्रथम परमाणु बम का विस्फोट हुआ था। परमाणु विखंडन से निकली ऊर्जा ने दोनो नगरो को जलाकर राख कर दिया। लगभग चार किलोमीटर तक की सभी चीजें झुलस-सी गयी। जन-जीवन को भारी क्षति पहुँची। लगभग एक लाख व्यक्ति मारे गये। सारा विश्व आतंकित हो उठा। विस्फोट के कारण स्थिति इतनी गंभीर हो गयी थी कि किसी वैज्ञानिक ने भी यह न सोचा कि परमाणु विखंडन-जन्य अनेक अयनकारी विकिरण तथा रेडियो-धर्मी तत्व जन्म-जन्मांतर तक वहाँ के निवासियों को सताते रहेंगे। कुछ ही वर्ष पश्चात् जब निक्टवर्ती इलाको मे नाना प्रकार के रोग फैलने लगे तथा जब अनेक शिशुओ मे जन्मजात अंग विकृतियाँ देखने मे आयी तब लोगों का ध्यान विस्फोट-जन्य विकिरणों की ओर गया।

यूँ तो १९२८ मे ही नोबल पुरस्कार विजेता डॉ० एच० जे० मुलर ने अपने प्रयोगों से सिद्ध कर दिया था कि रेडियोधर्मी तत्व स्वास्थ्य के लिए हानिकर होते हैं। उन्होने बतलाया कि रेडियोधर्मी किरणें जीवो मे स्थायी परिवर्तन ला सकती हैं। ये किरणें जीवो के क्रोमोसोमो तथा उन पर स्थित जीनो को प्रवाहित करती हैं जिससे स्थायी आनुवंशिक परिवर्तन हो जाते हैं। जीनो मे होने वाले ये परिवर्तन उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) कहलाते हैं। उत्परिवर्तन प्राकृतिक रूप से भी होते रहते हैं तथा एक जाति विशेष के विभिन्न सदस्यो की विविधता का मूलभूत कारण उत्परिवर्तन ही हैं।

वैदिक व आनुवंशिक प्रभाव

रेडियोधर्मी विकिरण मनुष्य को दो प्रकार से प्रभावित कर सकते

है—एक तो दैहिक रूप से और दूसरे आनुवंशिक रूप से। विकिरण-जन्य दैहिक तथा आनुवंशिक परिवर्तनों में अंतर यह है कि विकिरण के दैहिक प्रभाव व्यक्ति-विशेष तक ही सीमित रहते हैं। उनकी संतानों को वे रोग नहीं होते। उदाहरणार्थ रेडियोधर्मी तत्त्वों से काम करनेवाले अनेक व्यक्तियों के अंग विकृत हो जाते हैं। एक्स किरणों की खोज करने वाले जर्मन वैज्ञानिक रान्ट्जन की अँगुलियाँ गल गयी थी जो कभी ठीक न हो सकी। रेडियोधर्मी तत्त्वों से इसी प्रकारकी अन्य शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन ये रोग वंशगत नहीं होते अर्थात् एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं चलते। विकिरण-जन्य आनुवंशिक परिवर्तन पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते रहते हैं और उन व्याधियों का उपचार भी अत्यंत कठिन होता है। आपने देखा होगा कि एक्स किरण चित्र लेने के लिए व्यक्ति को बहुत थोड़ी देर के लिए एक्स किरणों के बीच रखा जाता है। विकिरणों द्वारा सर्वाधिक क्षति विभाजन के दौर से गुजर रही कोशिकाओं को होती है। यही कारण है कि गर्भवती स्त्रियों के एक्स किरण चित्र प्रायः नहीं लिये जाते क्योंकि गर्भस्थ शिशु को कोशिकाएँ निरंतर विभाजित होती रहती हैं। एक्स किरणों अथवा किसी भी अन्य रेडियोधर्मी स्रोत से काम करनेवाले व्यक्ति प्रायः एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनकर कार्य करते हैं। इससे विकिरणों द्वारा शरीर को होनेवाली क्षति की संभावना काफी कम हो जाती है।

अनियंत्रित ऊर्जा

६ अगस्त, १९४५ के प्रलयकारी विस्फोट का कारण या अनियंत्रित परमाणु ऊर्जा। विस्फोट से यूरेनियम पिंड छिन्न-भिन्न होकर चारों तरफ छिटक गया। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्त्व है। उससे अयनकारी विकिरण भी उत्पन्न हुए तथा कई अन्य पदार्थ भी न्यूट्रान अवशोषण से रेडियोधर्मी हो गये। ये सभी वायुमंडल में ऊपर उठकर उसी में व्याप्त हो गये और धीरे-धीरे दूर-दूर तक फैल गये तथा घरातल पर वापस आने लगे। फलस्वरूप रेडियोधर्मी धूल मनुष्यों, जानवरों तथा पेड़-पौधों के संपर्क में आयी।

रेडियोधर्मिता की खोज

रेडियोधर्मिता की घटना का पता सर्वप्रथम फ्रांस के हेनरी बेकरेल ने लगाया। तत्पश्चात् १८९५ ई० में रान्तजन ने एक्स किरणों का पता लगाया। कुछ ही दिनों बाद इन किरणों का व्यावहारिक उपयोग होने लगा, अस्थि-भंग का पता लगाने में तथा अन्य अनेक प्रकार की व्याधियों, यथा—पथरी का पता लगाने में आदि-आदि। एक्स किरणों यूरेनियम से प्राप्त की गयी थी लेकिन शीघ्र ही श्रोमती क्यूरी ने यह दिखलाया कि रेडियम भी रेडियोधर्मी होता है। आज वैज्ञानिकों को न केवल अनेक रेडियोधर्मी तत्व ज्ञात हैं बल्कि वे नाभिकीय परिवर्तनों द्वारा लगभग सभी तत्वों को कृत्रिम रूप से रेडियोधर्मी बनाने में सक्षम भी हैं। रेडियोधर्मी तत्वों से अल्फा बीटा तथा गामा किरणें निकलती हैं। ये किरणें दिखायी नहीं देती और ये सामान्यतया स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। परंतु रागजनक तथा हानिकारी होने के साथ-साथ रेडियोधर्मी विकिरणों के अनेक सदुपयोग भी हैं।

सदुपयोग, दुरुपयोग

इनका उपयोग चिकित्सा, कृषि तथा विभिन्न उद्योगों में होता है। अमेरिका के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर लिवी ने तो यहाँ तक कहा है कि रेडियोधर्मी तत्वों का इतना सदुपयोग किया जा सकता है कि इनसे होने वाला लाभ परमाणु बमों द्वारा हुई हानि की पूरी तौर से अतिपूर्ति कर देगा। इसी आशा में सभी विकसित एवं विकासशील देशों में परमाणु शक्ति के विकास के लिए हाड-सी लगी हुई है। भारत में भी परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान द्वारा परमाणु ऊर्जा के शांतिप्रिय उपयोग के लिए कार्य किया जा रहा है। अन्य अनेक देशों में भी परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने के लिए परमाणु भट्टियाँ स्थापित की गयी हैं। जहाँ एक बार परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग किया जा रहा है वहाँ कुछ देश इसका उपयोग अत्यधिक विध्वंसकारी बम बनाने में भी कर रहे हैं। स्पष्टतः बम विस्फोटों एवं परीक्षणों तथा परमाणु भट्टियों के कारण रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा दिनों दिन धायुमंडल में बढ़ती जा रही है।

कुछ रेडियोधर्मी तत्त्व ऐसे होते हैं जो अतिशीघ्र ही विघटित हो जाते हैं जबकि बहुत-से तत्त्व ऐसे हैं जिनका विघटन-काल बहुत अधिक होता है और उनसे काफी समय तक रेडियोधर्मी उत्सर्जन निकलते रहते हैं। वस्तुतः, इन्हीं तत्त्वों के कारण हमारे वायुमण्डल की कुल रेडियोधर्मिता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

अति सर्वत्र वज्रयत

अति सर्वत्र वज्रयत', यह बात रेडियोधर्मी विकिरणों पर भी लागू होती है। अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी किरणें घातक भी सिद्ध हो सकती हैं। लेकिन प्रकृति में व्याप्त रेडियोधर्मिता अभी घातक स्तर से कई लाख गुनी कम है। यही सोचकर शायद कुछ देश एक के बाद एक परमाणु परीक्षण करते जा रहे हैं तथा सभी रेडियोधर्मी तत्त्वों को अनियंत्रित रूप से प्रकृति की मोद में उड़ेलते जा रहे हैं। परमाणु भट्टियों के समीपवर्ती वातावरण की अधिक रेडियोधर्मिता इस कथन की पुष्टि करती है। चिकित्सा, कृषि, उद्योग तथा विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षणों में काम आने वाले रेडियोधर्मी तत्त्व भी कुछ अज्ञात तक अनियंत्रित रूप से मुक्त हो जाते हैं।

विस्फोट के शीघ्र बाद तो जापान के क्षतिग्रस्त स्थानों में रेडियोधर्मिता प्राणघातक स्तर पर थी। धीरे-धीरे विघटन तथा प्रसरण के फलस्वरूप स्थानीय रेडियोधर्मिता कम होती गयी और अब लगभग प्राकृतिक रेडियोधर्मिता के स्तर पर आ गयी है। जापान की स्थानीय रेडियोधर्मिता तो कम अवश्य हुई किन्तु प्रसरण के कारण विश्व-भर की प्राकृतिक रेडियोधर्मिता थोड़ी बढ़ गयी। अभी भी प्राकृतिक रेडियोधर्मिता दिनादिन बढ़ती ही जा रही है तथा इसके कम होने की कोई संभावना नहीं दी जाती। वरन् बढ़ने की दर और अधिक तीव्र होती जा रही है।

अब दो प्रश्न उठते हैं। क्या यह वृद्धि मानव जाति के लिए हानिकारक नहीं है? यदि है तो क्या हम अनन्त काल तक इस वृद्धि का सामना कर सकते हैं?

पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही कतिपय रेडियोधर्मी तत्त्वों की उत्पत्ति हुई। अतः मानव जब इस भूतल पर आया, वायुमण्डल में व्याप्त रेडियो-

धर्मों तत्त्वों ने उसका स्वागत किया। मानव का उद्भव और विकास ही इस बात का साक्षी है कि उसमें किसी हद तक रेडियोधर्मिता को सहन करने की क्षमता है। यह क्षमता कुछ ही नहीं बरन् असंख्य वर्षों में विकसित हुई है। जैसे-जैसे वातावरण की रेडियोधर्मिता बढ़ती गयी, मनुष्य में उसको सहन करने की शक्ति आती गयी। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत भी तो यही बताता है। यह क्रिया अनंत काल तक चलती जाती लेकिन गत कुछ वर्षों में परमाणु ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग के फलस्वरूप वातावरण की रेडियोधर्मिता भी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है।

रेडियोधर्मिता नियंत्रण

रेडियोधर्मियों व्यर्थों को फँकने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हुए हैं। इनके अनुसार अल्प मात्रा में इन्हें हम अनियंत्रित रूप से फँक सकते हैं। लेकिन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भी अनियंत्रित रूप से फँकने से वातावरण की रेडियोधर्मिता तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। कतिपय वैज्ञानिकों की धारणा है कि मनुष्य में एक विशेष मात्रा तक रेडियोधर्मिता सहन करने की क्षमता है तथा प्रकृति में रेडियोधर्मिता की मात्रा अभी काफी कम है। अतः रेडियोधर्मियों प्रदूषण अभी शोचनीय विषय नहीं है। लेकिन हाल के प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति में रेडियोधर्मिता काफी खतरनाक स्तर तक पहुँच गयी है, तथा इसकी मात्रा में कोई भी वृद्धि और भी हानिकारक सिद्ध होगी। अतः हमें प्रकृति के रेडियोधर्मियों प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना चाहिए। यह राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या है तथा नियंत्रण न करने पर इसका मूल्य न केवल हमें बरन् आनेवाली पीढ़ियों को भी चुकाना पड़ेगा।

रेडियोधर्मियों प्रदूषण को आगे के लिए रोकना इसलिए और भी आवश्यक है कि वायुमंडल में व्याप्त रेडियोधर्मिता को एकत्र कर नियंत्रित करना संभव नहीं है। साथ ही साथ एक जगह उत्सर्जित रेडियोधर्मियों विकिरण धीरे-धीरे सारे विश्व में फैल जाते हैं। समय पाकर यह पौधों तथा जानवरों में होकर मानव-शरीर में पहुँच जाते हैं जहाँ इनका संचय जाता है। स्ट्राशियम का समस्थानिक स्ट्राशियम-९० मनुष्य की

हृड्डियों में कैल्शियम की जगह तथा सीजियम का समस्थानिक सीजियम-१३७ मांसपेशियों में पोटेशियम की जगह एकत्र होता जाता है। फल-स्वरूप शरीर में रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है। इन्हीं कारणों से मवेशियों के दूध में भी विभिन्न तत्वों के रेडियोधर्मी समस्थानिक पाए जाते हैं। प्रकृति में व्याप्त विभिन्न रेडियोधर्मी तत्व किसी न किसी प्रकार अततो गत्वा मानव शरीर में ही पहुँचते हैं।

इन्हीं कारणों से सभी शांतिप्रिय देश परमाणु परीक्षणों से असहमत हैं। फिर भी कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करके केवल स्वार्थ-सिद्धि के लिए मानवता को सकट में डालने के लिए कटिबद्ध प्रतीत होते हैं। समस्या और भी जटिल इसलिए है क्योंकि कोई भी देश यह नहीं बताता कि उसके द्वारा परीक्षण बम की शक्ति क्या थी? रेडियोधर्मी प्रदूषण दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम अपने ही त्रिधा-वलापो से अपने वातावरण को दूषित करते जा रहे हैं।

ब्रह्मांड में जीवन की खोज

एन० कंसर

ब्रह्मांड के आधुनिक ज्ञान ने ब्रह्मांड और इसके असीम विस्तार का जो चित्र प्रस्तुत किया है, वह हमारे पिछले सभी ज्ञान एवं अनुमान से सर्वथा भिन्न है। इसका अनुपम विस्तार एवं सौंदर्य, इसकी विशालता तथा इसमें सर्वव्यापी सभावनाएं हमारे विस्मय का विषय बन गयी हैं।

हमारा जीवन सौरमंडल के एक सीमित क्षेत्र में परिमित है, जो नक्षत्र-जगत् का एक तुच्छ सा अंश है। विज्ञान की वेगमय प्रगति के बावजूद इस विराट् विश्व-संस्थिति में मनुष्य का स्थान नगण्य है।

जीवन का अस्तित्व, जैसा कि हम मालूम है, ग्रहों पर ही संभव है, और ग्रह सर्वदा किसी-न-किसी तारे से संबद्ध हुआ करते हैं, जिनसे ग्रहों को प्रकाश एवं गरमी मिलती है। सूर्य भी एक नक्षत्र ही है जो नक्षत्रों में हमसे निकटतम है। हमारी पृथ्वी, जो ग्रह है, रोशनी व गरमी करने के लिए इसी से सलग्न है। ब्रह्मांड की बृहदता का यह हाल है कि सूर्य को छोड़कर दूसरे निकटतम तारे भी हमसे खरबों किलोमीटर दूर हैं। सेंटारी तारा, जो हमसे सर्वाधिक समीप है, कोई ४ प्रकाश-वर्ष दूर है, जबकि प्रकाश का वेग प्रति सेंकड लगभग ३ लाख कि० मी० है। रूसी नक्षत्रवेत्ता 'लूमार्फ' के अनुमान के अनुसार यदि हम एक 'जेट' पर बैठ कर, सूर्य के बाद सबसे पहले सितारे तक पहुंचना चाहे तो लगातार ३० लाख साल तक सफर करना पड़ेगा। स्वयं प्रकाश को एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक पहुंचने में कई-कई साल लग जाते हैं। इस असीम अंतरिक्ष को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि जीवन का अस्तित्व केवल भूलोक तक ही सीमित है। हम ज्ञान एवं विश्वास की रोशनी में यह सभावना तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि इस अपरिमित ब्रह्मांड के अन्य भागों में दूसरे ग्रहों पर जीवन का अस्तित्व है, यद्यपि अभी हम इस स्थिति का ज्ञान नहीं। परन्तु अंतरिक्ष की खोज के इस युग में अब यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि अन्य सौरमंडलों के उन ग्रहों पर भी जीवन संभव है, जहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल हैं।

जीव तत्त्व की गति व्यवस्था एवं संघटन की एक विशेष जटिल एवं

दुर्बोध तथा दक्षतम आकृति है। जीवन, जैसा कि हमें ज्ञात है, कई मौलिक आवश्यकताओं पर आश्रित है। गरमी तथा रोशनी के लिए एक सूर्य औसत फासले पर होना चाहिए, काफी पुराना एक ग्रह होना चाहिए जिसमें जीवन और सम्यता फलफूल सके। गुरुत्व और ग्रह की गति आदि में अनुकूलता हो, ताकि गरमी और रोशनी की प्राप्ति के साथ ही साथ शांति की रातें सुलभ हो सकें, अन्यथा जीवन और उसकी अनिवार्यताएँ स्थिर नहीं रह सकती। फिर यह भी आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी इसी बृहद् एव विस्तृत जीवनदायक और आर्थिक व्यवस्था उपलब्ध हो जो जीवन को निरंतर और स्थिर रख सके।

इन आधार-तत्वों को सामने रखते हुए हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर जो भौतिक तथा रासायनिक स्थितियाँ वर्तमान हैं उनकी खोज-बीन की गयी है, और उनकी तुलना उन परिस्थितियों से की गयी जो जीवन के लिए अनुकूल हैं और इससे यह परिणाम निकाला गया कि इनमें से कतिपय ग्रहों (चन्द्रमा सहित) पर जीवन के मौलिक लक्षणों की संभावना हो सकती है।

सबसे पहले चन्द्रमा को लीजिए। अंतरिक्ष में यह हमारा निकटतम पड़ोसी है। चन्द्रमा के रात और दिन हमारी पृथ्वी की तुलना में १८ गुना बड़े होते हैं। वहाँ न कोई वातावरण है और न हवा-पानी का अस्तित्व ही है अतः किसी प्रावाच का पैदा होना भी असंभव है। बात-चीत करने के लिए जटिलतम वायरलेस विधियों की आवश्यकता होगी। चन्द्रमा पर रोशनी और अंधेरे के अतिरिक्त और कोई रंग नहीं है। सूर्य के सामने आनेवाला भाग प्रकाशित और गरम हो जाता है। यह गरमी १००° सेंटीग्रेड से भी अधिक होती है। जो भाग सूर्य की ओर नहीं होता वह अधकारमय तथा ठण्डा,—२८५° सेंटीग्रेड तक हो जाता है।

जहाँ तक वातावरण का प्रश्न है, परिस्थितियाँ और भी विपरीत हैं। वातावरण के अभाव में वहाँ न रंगों की चित्र-विचित्रता है, न उसका सुहानापन, न अरुणोदय की लाली है और न सावन की घटाएँ, वरन् दूर-दूर तक वीरान और श्रुतीहीन नीचे-ऊँचे स्थल फैले हुए हैं। इसलिए चन्द्रमा पर जीवन का अस्तित्व संदिग्ध है। लेकिन कुछ विज्ञानवेत्ता चन्द्रमा पर

जीवन की प्रारम्भिक आकृतियाँ की मौजूदगी स्वीकार करते हैं जिसका कारण चद्रतल पर ज्वालामुखी पर्वतों का अस्तित्व है जो वही-कहीं अनुकूल तापक्रम का पता देते हैं। परन्तु अपोलो की यात्राओं ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि चद्रमा पर किसी प्रकार का जीवन नहीं है।

बुध ग्रह में भी जीवन धारण की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, क्योंकि बुध सूर्य की ओर से प्रथम ग्रह है, जिसके बाद शुक्र और पृथ्वी की परिधियाँ आती हैं, इसलिए बुध अति उष्ण एवं तप्त ग्रह है, और वातावरणविहीन भी। चद्रमा की भाँति अतिरिक्त में बुध की परिध्रमण गति भी ऐसी है कि इसका एक भाग सर्वथा सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है, जहाँ घोर अंधकार तथा शीत का साम्राज्य है। यहाँ हीरे-जवाहरात के ढेर उपलब्ध हो सकते हैं, सोने-चाँदी की धानें मिल सकती हैं, परन्तु बुध में वर्तमान परिस्थितियों में जीवन का आविर्भाव तथा विकास संभव नहीं है।

इसके बाद शुक्र ग्रह आता है जिसके ऊपर हमेशा घने बादल छाये रहते हैं और यह पिंड छिपा रहता है। यही कारण है कि इसकी भौतिक स्थिति के विषय में अधिक ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है फिर भी रेडियो तरंगों और रैंडार दूरदर्शी की सहायता से जो सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि तापक्रम सूर्य से ३००° सेंटिग्रेड नीचा होगा। फिर, यह कि ग्रह के वातावरण में नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक है, जिसने शुक्र के माहौल का गरम, जहरीला और प्राणी-प्रतिकूल बना-रखा है।

परन्तु इसके विपरीत अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक शुक्र के वातावरण में जल कण की मौजूदगी प्रमाणित करने में सफल हुए हैं। इसी आधार पर यह अनुमान भी लगाया गया है कि इस ग्रह की संपूर्ण सतह पानी की ठोस मोटी तह से आवृत है, बल्कि कतिपय नक्षत्र वेत्ताओं का यहाँ तक विचार है कि शुक्र ग्रह पर पानी की प्रचुरता है।

शुक्र ग्रह भी प्रायः हमारी पृथ्वी के बराबर है। इस ग्रह के विषय में हमारी कल्पना में एक और चित्र भी आता है। संभव है, अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन वहाँ अपने ढंग पर चेतनायुक्त जीवन

का विकास हुआ हो। यह भी संभव है कि बाह्य आवरण के नीचे शुक्र ऐसे साधनों में भरपूर ग्रह हो जैसी हमारी पृथ्वी है। ऐसी दशा में वहाँ के चेतनायुक्त जीवन के विषय में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। वहाँ का जीवन हमारे मुकाबले में अत्यंत न्यून चेतना का परिचायक होगा, क्योंकि बाह्य विश्व से पर्दे में होने के कारण उसे अपन विशेष वातावरण से परे विराट विश्व का कोई ज्ञान नहीं होगा। घने बादलों के ओट में संभव है, अपने जीवन-काल में एक-आध बार उन्हें सूर्य की हल्की-सी झलक मिल जाती हो। परंतु आग, अन्य ग्रहों अथवा तारों-भरी कनात का इन्हें कोई विवेक नहीं होगा। यदि वहाँ के वैज्ञानिक अधिक साहसी हुए तो उनका यह साहस एव अन्वेषण अपने वातावरण या पहाड़ों (जो कि ग्रह के उत्तरी भागों में फैले हुए हैं), अथवा सागरों और द्वीपों तक सीमित होगा। अंतरिक्ष में जीवन धारण के विचार से यह गंभीर समस्या है और यदि शुक्र ग्रह पर जीवन के लक्षण प्राप्त हो जाते हैं तो यह मानो ग्रहांड में जीवन के अस्तित्व तथा इसकी सर्व-व्यापकता की घोषणा होगी।

परंतु भू-लोक के जीवन धारण एव वातावरण को दृष्टि में रखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया जाये, तो इस प्रकाश में अधिनाश वैज्ञानिकों की मान्यता यही है कि शुक्र पर भी जीवन का पाया जाना संदेह-युक्त ही है।

जहाँ तक मंगल का प्रश्न है, सौरमंडल में जीवन धारण के दृष्टिकोण से यह अधिक चर्चा का विषय रहा है। एक रूसी खगोलवेत्ता की खोज के अनुसार जीवन के लिए मंगल पर परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं, क्योंकि इसका वातावरण बहुत सूक्ष्म और शीतरा है, जैसा हमारी पृथ्वी से २५ ३० कि० मी० ऊपर पाया जाता है। आक्सीजन की मौजूदगी संदेहजनक है, जबकि कार्बन डाइआक्साइड की मात्रा पृथ्वी की तुलना में दुगुनी है। दूरदर्शी मंगल का रंग लालिमा लिये हुए लोहित वर्ण दिखाता है, जिसका संभावित कारण यह है कि ग्रह के धूलकणों में लोहे की मात्रा अधिक है, जिसने मंगल की सारी आक्सीजन और वातावरण की आर्द्रता को सोखकर भूमि को लोहवण एव शुष्क और नीरस बना दिया है। फलस्वरूप कार्बन-डाइआक्साइड की प्रचुरता है।

मगन के ध्रुव बफ से ढक रहते हैं परतु बफ की तह अधिक मोल नही होती । बफ के कुछ भागो मे इन ध्रुवो की बफपोश चोटियो के किनारे ओर भूमध्य रेखा की ओर भूर नीले विस्तृत क्षत्र नजर आते हैं नक्षत्रविद् इहे वानस्पतिक क्षेत्र कहते हैं बयोकि आषसीजन के अभाव मे भी कुछ वनस्पतिया ऐसी होती हैं जो जी लेती हैं । काई ऐसी ही वनस्पति है जो शुष्क बजर अथवा असाधारण ताप शीत मे भी जीवित रह सकती है । मगल पर ऐसी ही वनस्पति की विपुलता हो सकती है । पृथ्वी पर भी रगिस्तानो ओर नितात नीरस पवती क्षत्रो मे कुछ-न कुछ वनस्पति ओर जीव जतु पाये जाते हैं । इसी प्रकार वैंटीरिया की कुछ किस्म अतिशीत मे भी जीवित पायी जाती हैं । ऐसे जतु एव पौधो की सभावना मगन मे की जा सकती है ।

मगल के जो चित्र लिये गये हैं उनसे जात होता है कि ग्रह का ध्रुवो चक्र पृथ्वी-जैसा है, इसलिए वहाँ की ऋतुएँ भी वही हैं जो हमारी पृथ्वी पर होती हैं ।

नवीनतम योजो से जो तथ्य सामने आय हैं वे आश्चयजनक तो हैं ही, कतिपय ऐसे भी हैं जो अब तक के अवेणो के विरुद्ध भी हैं । इन चित्रा म मगल की सतह भी चद्रमा की तरह ज्वालामुखी से भरपूर दिखायी पडती है । इस प्रकार यहाँ जीवन धारण के विचार को बहुत धक्का लगा, ओर एक जमाने से जिन काल्पनिक नहरो के आधार पर तरह तरह के अफसाने विज्ञान साहित्य म राह पा चुके थ, उनका छदन हो गया ।

मैरिनर ने मगल पर मीथन ग्रीर अमोनिया दो ऐसी गँसो का पता दिया है, जो पृथ्वी पर जीव विकास की एक कडी है । इसी आधार पर मगल म जीवन की सभावना के विशय म विभिन्न विचार व्यक्त किय जा रहे हैं । अब कुछ वैज्ञानिका का धयान है कि मगल पर जीवन यदि होगा, तो वह प्रारभिक रूप म होगा । एक रूसी वैज्ञानिक के अनुसार मगल के वातावरण म आप मौजूद है जो सघन होकर तरल भी बन सकती है तथा इससे एसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो आषसीजन की अनुपलब्धि म सादा जिस्म रधन वाले प्राणिया को जीवित रख सकूँ । एव दूगर नक्षत्रबत्ता भी मगल म जीवन-सभावना म हामी हैं । इनका

बिना भी छोटे जीवकोष तथा पौधे जीवित रह सकते हैं और मंगल पर इन्ही की सभावना हो सकती है।

इस प्रकार नक्षत्रविदों का सामान्य विचार यही है कि पृथ्वी स ऊपर उठकर जाने पर—किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में ही सही— मंगल और शुक्र में जीवन धारण के लक्षण दिखायी देंगे, परन्तु वह उन आकृतियों में नहीं होंगे जैसे हमारी पृथ्वी पर पाये जाते हैं। जीव-अध्ययन से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सौरमण्डल में जीवन का वृत्त सूर्य से १० करोड़ कि० मी. से २२ करोड़ कि० मी० के मध्य में हो सकता है। इस तरह 'पृथ्वी' इस सौर-वातावरण के बीच में है और इसीलिए पूरे सौर-व्यूह में जीवन-धारण की दृष्टि से विशिष्ट स्थान रखती है। मंगल और शुक्र भी यद्यपि इसी वृत्त में आते हैं परन्तु वही पृथ्वी के साथ सर्वथा भिन्न स्थिति में। तो भी इस सौर-वातावरण के प्रभाव से इन दोनों ग्रहों में भी किसी प्रकार के जीवाणु एवं वनस्पति का अभाव है।

किसी ग्रह पर जीवन का अस्तित्व यदि चिह्नित एवं प्रमाणित हो जाता है तो अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों में अन्य ग्रहों पर जीवन-धारण का विगत सिद्धांत सर्वथा बदल जायेगा। यह सिद्ध हो जाने का अर्थ यह स्वीकार करना होगा कि हमारे सौर-मण्डल अथवा अन्य नक्षत्र-व्यूहों में तुच्छ अथवा उच्च और सचष्ट एवं प्रतिष्ठित जीवन वर्तमान है।

वर्तमान युग और गांधीवादी आर्थिक विचारधारा

श्रीमन्नारायण

मुझे पूरा विश्वास है कि विभिन्न समस्याओं के प्रति गांधीजी का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक, युक्तियुक्त और व्यावहारिक था, शुद्ध काल्पनिक और सैद्धांतिक हठधर्मिता पर आधारित नहीं, जैसा कि देश विदेश के कुछ तथाकथित बुद्धिवादी अक्सर कल्पना करते हैं। गांधीजी की कई शाश्वत सत्यों के प्रति दृढ़ आस्था थी और उसके लिए वे किसी भी हालत में समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। उदाहरण के लिए उनका यह दृढ़ विश्वास था कि ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति केवल पवित्र और सच्चे साधनों से ही संभव है। वह एक 'व्यावहारिक आदर्शवादी' थे और अपने विभिन्न एवं समृद्ध अनुभवों के प्रकाश में देश की विभिन्न समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजने का प्रयास किया करते थे। इसलिए मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि गांधीजी की आर्थिक विचारधारा बुनियादी तौर पर युक्तियुक्त और हमारे समय के सर्वथा अनुरूप थी। मैं एक कदम और आगे बढ़कर बिना किसी सकोच के यह कहूंगा कि बापू के विचार मध्ययुगीन और दक्खिनीय न होकर अपने समय से बहुत आगे थे और आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से बाध्य होकर हमें आज के कुछ विरोधाभासों के समाधान के लिए उनकी ओर वापस लौटना होगा।

यह बड़े महत्त्व की बात है कि नयी दिल्ली में गांधीवादी विचारधारा पर ३० जनवरी से ५ फरवरी, १९७० तक संपन्न अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी प्रायः इस बारे में एकमत थी कि गांधीवादी विचारधारा आधुनिक युग के अत्यंत अनुरूप है और गांधीजी के देहावसान के बाद घटित होने-वाली अनेक घटनाओं ने इस अनुरूपता को कम नहीं किया, अपितु बढ़ाया ही है। गोष्ठी की समाप्ति के बाद प्रसारित संदेश में यह कहा गया था

‘गांधीजी का जिस सकट का सामना करना पड़ा था, वह सकट

स्पष्टतः अभी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि और भयावह हो गया है और उन्होंने जो समाधान सुचाये थे, वे अभी पुराने नहीं हुए न केवल अपने बल्कि विश्व के समस्त देशों में आर्थिक विचारधारा, आयोजन और कार्य के क्षेत्र में गांधीजी अब भी एक ज़ब्रदस्त चुनौती प्रस्तुत करते हैं।

ऐसा प्रायः सोचा जाता है कि महात्मा गांधी मूलतः एक धार्मिक तपस्वी थे और परिणामतः आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के फलों के प्रति निःस्पृह थे। निःसंदेह दुर्भाग्यवश यह विचार भ्रातः धारणा पर आधारित है।

गांधीजी ने बार-बार इस बात पर बल दिया था कि वे मशीनरी के विरुद्ध नहीं, बल्कि श्रम की वचत करने वाली विधियों के प्रति उस 'सनक' के विरोधी हैं, जो लाखों लोगों को ज़ब्रदस्ती अकर्मण्यता के गर्त में धकेल देती है। सन् १९४४ में गांधीजी के प्राक्कथन के साथ 'गांधीवादी योजना' का मसौदा प्रकाशित हुआ था। इस मसौदे को तैयार करते समय मैंने एक दिन महात्माजी से मशीन के प्रयोग के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने उस समय यह घोषणा की थी

'इस सबंध में मेरी कोई सनक नहीं है। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि भारत के प्रत्येक समर्थ नागरिक को उपयोगी रोज़गार उपलब्ध कराया जाये। अगर मानव-श्रम को विस्थापित और बेरोज़गारी पैदा किये बिना बिजली या आणविक शक्ति का प्रयोग किया जाय, तो मैं इसके विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करूँगा। बहरहाल मुझ अब भी इस बारे में आश्वस्त होना है कि भारत जैसे देश में जहाँ पूँजी की कमी और श्रम की बहुतायत है, यह सब संभव हो सकता है।'

गांधीजी ने आगे कहा

'अगर सरकार यादी तथा ग्रामोद्योगों की सहायता के बिना हमारे देश के लोगों के लिए पूर्ण रोज़गार जुटा सके, तो मैं इस क्षेत्र में रचनात्मक पायनर समाप्त करने के लिए तैयार हो जाऊँगा।'

प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय आयोग के सदस्यों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श करते समय आचार्य विनोबा भावे को एवं नंदम और आग बढ़ गयी

“अगर सरकार काम तलाश करने वाले सब लोगों के लिए रोजगार मुँदा सके, तो मैं एक दिन का खाना बनाने के लिए अपने लकड़ी के चरखे को जलाने में ज़रा भी सकोच नहीं करूँगा और एक भी आँसू नहीं बहाऊँगा।”

मैं नहीं सोच सकता कि भारत जैसे विकासशील देश में यत्नीकरण के बारे में गाधीवादी विचारधारा के इस स्पष्ट प्रतिपादन में कोई आधुनिक अर्थशास्त्री दोष निवाल सकता है।

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘एशियन ड्रामा ऐन इक्वायरी इटू दि पावर्टी आफ नेशन’ में प्रो० गुन्नार मिर्डल ने मोटे तौर पर गाधीजी के ग्रामोद्योगों और कुटीर उद्योगों पर बल देने का समर्थन किया है, क्योंकि, ‘दक्षिण एशिया के देश अब पश्चिमी ढंग के अत्यधिक संगठित उद्योगों के उन छोटे-छोटे द्वीपों के सर्जन का खतरा उठा रहे हैं, जो अवरोध के समुद्र से घिरे रहेंगे।’ विद्वान् प्रोफेसर का कहना है

‘वर्तमान कुटीर उद्योगों की प्रतियोगिता करने वाले उद्योगों का विकास लाखों लोगों के हाथों से रोटी और रोज़ी छीन लेगा और उनके पास रोज़गार या आय का कोई तात्कालिक विकल्प नहीं रहेगा। यह आयोजन के दृष्टिकोण से युक्तियुक्त नहीं होगा। दक्षिण-एशिया के देशों के कुटीर उद्योगों के कामगारों के लिए दशाब्दियों तक किसी बृहत् समायोजन की समावना नहीं है, विशेष रूप से इसका कारण यह है कि इस शताब्दी के अंत तक अर्थिकों की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी।’

हाल ही में इंग्लैंड के डा० थ्यूमेचर विकासशील देशों में ‘मध्यवर्ती तकनीक’ के प्रवेश की जोरों से वकालत करते रहे हैं, ताकि मानवीय साधनों का पूरा उपयोग किया जा सके। उनका कहना है कि “सफलता का रहस्य बड़े पैमाने के उत्पादन में न होकर, जनता के लिए उत्पादन में है।” थ्यूमेचर अपने वक्तव्य को जारी रखते हुए कहते हैं :

‘ऐसा दावा किया जाता है कि अगर बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए बाज़ार की व्यवस्था होती जाये, तो यह फालतू संपत्ति शीघ्रातिशीघ्र समग्रह के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है और फिर यह फालतू संपत्ति बेरोज़गार जनता के पास संचरित होकर पहुँच जायेगी। तथापि, यह तथ्य भी सर्वविदित है कि इस प्रकार का संचरण कभी होता नहीं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था का उदय होता है जिसमें धनी और अधिक धनी

होता चला जाता है जबकि गरीब का मार्ग अवच्छेद हो जाता है, या वह और अधिक गरीब होता चला जाता है ।'

तीसरी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय योजना आयोग ने कम-से-कम उन सभी व्यक्तियों के लिए, जो योजना अवधि में श्रमिकों में शामिल हो जायेंगे, उत्पादक रोजगार की व्यवस्था का भरसक प्रयास किया, परन्तु उसने पिछली योजना से बेरोजगार चले आ रहे व्यक्तियों की बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई साहसपूर्ण पग नहीं उठाये। राष्ट्रव्यापी ग्राम्य योजनाओं के अंतर्गत बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम संचालित किये गये, जिनमें निम्न कार्यक्रम भी सम्मिलित थे, जैसे छोटी सिंचाई की योजनाएँ, भूमि का सुधार और संरक्षण, वन-रोपण, गाँवों में सड़कों का निर्माण आदि। ग्राम्य आवास को भी बहुत ऊँची प्राथमिकता दी गयी। इन सबके बावजूद, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब भी ५० लाख से ऊपर व्यक्ति लाभदायक रोजगार से वंचित रह जायेंगे। इसलिए योजना आयोग के सदस्य, जिनमें से कई गांधीजी से सहमत नहीं थे, महान मानने के लिए विवश हो गये कि गाँवों में ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों के साहसिक राष्ट्रीय कार्यक्रम के अलावा और कोई चारा नहीं है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को यह आश्वासन दिया गया कि जो कुछ संगठन की दृष्टि से सुकर था, उसे आर्थिक दृष्टि से भी सम्भव बनाया जायेगा। इस प्रकार का निश्चित आश्वासन योजना आयोग ने अन्य किसी भी क्षेत्र या परिपोजना को नहीं दिया था।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि महात्माजी के विचार दक्खिनीयानुसी एव अल्पव्यवहार्य होने के वजह से आधुनिक समय की पुनौत्थी के सबका अनुरूप थे। आज जबकि हमारे देश में पाँचवी पंचवर्षीय योजना लागू हो जा रही है, बेरोजगारी और अल्पबेरोजगारी का भूत अब भी हमारे ऊपर मँडरा रहा है। यह सबका निर्विवाद है कि इस सोपान में भी इस भयंकर समस्या का समुचित समाधान यही है कि दश-भर में, विशेष रूप से गाँव में ग्रामोद्योग, कुटीर-उद्योग और सघु उद्योगों का जाल बिछा दिया जाय।

यह बात बड़े महत्त्व की है कि समुचित राज्य अनुरोधा का एक नूतनी मतदान में ७८ प्रतिशत लोग ने काम की गारंटी की व्यवस्था करने के पक्ष में मत दिया, जबकि केवल ३६ प्रतिशत में अल्पमत में

निर्धनो के लिए वार्षिक आय की गारंटी के पक्ष में मत दिया। इसका प्रमुख कारण यह है कि अमरीकी लोग अब 'तकनीकी समाज के मानव को अधःपतित करनेवाले पक्षों' से पूर्णतः अवगत हो रहे हैं। वे अमरीकी राष्ट्र के लिए 'सामुदायिक भावना' के विकास को अत्यंत श्रेयस्कर समझते हैं। "इंग्लैंड में प्रगतिशील आर्थिक विचारधारा के लोग अत्यधिक केंद्रीकृत समाज के बारे में चिंतित दिखायी देते हैं, जहाँ धनवानों का अशोषण करके अधिक न्याययुक्त वितरण के बजाय 'निर्धनो का शोषण' किया जाता है और इसके लिए अत्यंत खर्चीले तकनीकी उपाय अपनाये जाते हैं तथा अप्रत्यक्ष कराधान के अतर्गत ऊँची दरों पर कर वसूल किये जाते हैं, जिनका भार आनुपातिक दृष्टि से निर्धन वर्गों को ही अधिक सहन करना पड़ता है।"

प्रो० जे० के० गालब्रेथ ने विश्व में उन कुछ थोड़े विशाल व्यापारिक निगमों के सृजन के विरुद्ध आवाज उठायी है, जो राज्य को एक अधीनस्थ स्थिति में पहुँचा देते हैं और शासन का गठबन्धन 'विशेषज्ञों, योजना-निर्माताओं तथा तकनीशियनों से निर्मित तकनीकी ढाँचे' के साथ कर देते हैं। प्रो० गालब्रेथ का कहना है कि "प्रमुख निगमों को उपभोक्ताओं की भलाई की चिंता भी चिंता नहीं है—वे तो केवल अपनी सुरक्षा, विकास, सुविधा, प्रतिष्ठा, तकनीकी श्रेष्ठता और आर्थिक लाभों की ही चिंता करते हैं।" इस प्रकार की औद्योगिक प्रणाली के खतरों से बचने के लिए प्रो० गालब्रेथ ने 'अन्य लक्ष्यों' की जोरदार ढंग से वकालत की है, ताकि नया औद्योगिक राज्य समाज के विशाल उद्देश्यों के प्रति सचेष्ट हो सके। निस्संदेह ये लक्ष्य गांधीवादी विचारधारा और कार्यक्रमों के अनुरूप नैतिक एवं मानवीय होंगे।

महात्मा गांधी ने, ग्राम्य वातावरण में सदाएँ एक कमोवेश आत्म-निभर जिंदगी का समर्थन किया। इसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया था कि नगरों का अत्यधिक कृत्रिम और केंद्रित जीवन अमानवीय हिंसा और आक्रामक राष्ट्रवाद को जन्म देगा, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय तनावों में वृद्धि होगी। इसीलिए उन्होंने भारत में आदश ग्रामों की स्थापना पर बल दिया, जहाँ लोग 'सादा जीवन और उच्च विचार' के आदर्श का अनुसरण

कर सकत है। महात्माजी आधुनिक विज्ञान के प्रशस्तक अवश्य थे, परंतु व इसके 'बिल्कुल नये सिरे से नवीकरण' के समर्थक थ। प्रत्येक व्यक्ति यह जानकर स्वभावतः हैरत में पड़ जायेगा कि सन् १९७० में संयुक्त राज्य अमरीका का प्रतिरक्षा बजट ७,९५,००० लाख डालर का था। इसके बाद सोवियत रूस का नंबर आता है, जिसमें युद्ध व्यय की मदों के लिए ४,००,००० लाख डालर की व्यवस्था की। अस्त्र-शस्त्रों पर व्यय किये जाने वाले सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत की दृष्टि से देखें, तो सोवियत संघ का १५.२ प्रतिशत सूची में सर्वोच्च है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका का नंबर आता है, जो अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का ९.३ प्रतिशत प्रतिरक्षा पर व्यय करता है। विश्व में अस्त्र-शस्त्रों पर व्यय की जाने वाली कुल राशि १६,५०,००० लाख डालर है। इसमें चीन का प्रतिरक्षा-व्यय शामिल नहीं है, जो कि अज्ञात है। अगर इस विपुल धनराशि में काफी बड़े परिमाण में कटौती की जाये और इस विकासशील देशों के लाखों अर्ध-नग्न और अर्ध-क्षुधार्त लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में व्यय किया जाये, तो धनी और निर्धन राष्ट्रों के बीच विद्यमान खाई को ठोस तरीके से भरा जा सकता है और तीसरे विश्वयुद्ध की संभावना को बड़े विश्वास के साथ दूर किया जा सकता है। इस प्रकार गांधीजी की अहिंसा की विचारधारा सनक या कोरा सिद्धांत मात्र नहीं थी, वरन् वही एकमात्र तर्कसंगत जीवन-पद्धति है जो विश्व को रहने योग्य बना सकती है।

आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण अहिंसा की एक स्वाभाविक उपसिद्धि है। गांधीजी के विचार में समाज में हिंसा का कारण आर्थिक शोषण है और आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों के संगठन के माध्यम से विकेंद्रीकरण की साहसिक नीति का अनुसरण करते। विश्व को भावी युद्धों की विभीषिका से बचाया जा सकता है। गांधी के शब्दों में "आत्मनिर्भरता का मतलब सकीर्णता नहीं है। मनुष्य जितना आत्मनिर्भर है, उतना पर-निर्भर भी है। जब समाज को व्यवस्था में रखने के लिए निर्भरता आवश्यक हो जाती है, तब यह निर्भरता नहीं रहती, बल्कि सहयोग का रूप धारण कर लेती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के बराबर होता है।" इस प्रकार के सहयोगी राष्ट्र-मंडल

के लिए गांधीजी ने जीवन-पर्यंत अविरल काम किया। वे परमाणु बम की प्रभावशालिता में विश्वास नहीं रखते थे और जाति, भाषा या धर्म के किसी भी भेद के बिना सारे विश्व को अपना परिवार समझते थे। जैसाकि डॉ० आर्नाल्ड टायनबी का कहना है, "महात्माजी ने राजनीति के क्षेत्र में मानव जाति को नैतिक पाठ पढाया और वह भी आणविक युग के प्रारंभ होने के अवसर पर।"

ग्रामों की आत्मनिर्भरता और विश्व-भ्रातृत्व के सबंध में गांधीजी के विचार कुछ असंगत और विरोधाभासपूर्ण प्रतीत हो सकते हैं। जब मैं एक दिन सेवाग्राम में गांधीजी से इस आभासी विरोध का स्पष्टीकरण करने के लिए कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया :

"भोजन, वस्त्र और आवास की अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुझे दुनिया का कोना-कोना छानने की आवश्यकता नहीं है। सेवाग्राम में सादगी और सतोष की जिंदगी व्यतीत करते हुए मैं न केवल समस्त मानवता के साथ, बल्कि अनंत सत्ता के साथ एकाकार होने की आकांक्षा रखता हूँ।"

आजकल प्रतिदिन समाचार-पत्रों में समाजवाद की घर्षा सुनते-सुनते हमारे कान पक गये हैं। प्रोफेसर जोड का कहना है, 'समाजवाद उस टोप के समान है, जिसकी आकृति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, क्योंकि हर कोई इस टोप को पहनता है।' बहरहाल, गांधीजी की समाजवाद संबंधी धारणा बहुत भिन्न थी, परंतु वर्तमान विचारधारा की तुलना में बहुत प्रगतिशील थी। वह 'सपत्ति' और 'परिग्रह' में भेद करते थे। उनकी दृष्टि में बुराई सपत्ति में न होकर परिग्रह-वृत्ति में थी। जब गांधीजी के एक ऐश्वर्यशाली मित्र लाखों की संपदा के त्याग और व्यापारिक कार्यकलाप से सन्यास लेने के अवसर पर उनसे आणीर्वाद लेने गये, तो बापू ने कहा, 'मैं नहीं चाहता कि आप अपनी लाखों की सपत्ति या व्यापार का परित्याग करें। मैं तो यह चाहता हूँ कि आप अपनी सपत्ति और व्यापार दोनों का निर्धनो के हित में प्रयोग करें।' महात्मा गांधी की यह हादिक इच्छा थी कि पूंजीपति राष्ट्र के ट्रस्टी बनें और पूरी ईमानदारी तथा कुशलता के साथ अपने व्यापार का संचालन जनता-जनार्दन के कल्याण के लिए करें।

कभी-कभी ऐसा कहा जाता है कि ट्रस्टीशिप के छद्म रूप में गांधीजी पूंजीवादी प्रणाली को एक नया रूप देना चाहते थे। यह सर्वथा भ्रामक विचार है। गांधीजी ने अनेक बार यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वे स्वैच्छिक प्रयास द्वारा पूंजीपतियों को अपने सुधार का एक अवसर और देना चाहते हैं। अगर वे अपना सुधार करने में असफल सिद्ध हुए तो लोकतंत्री राज्य को पूंजीपतियों के लाभों को प्रतिबन्धित करने और मजदूरी तथा वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने के संबंध में खुली छूट होगी। सन् १९३२ में जब गांधीजी आगा खाँ महल में नजरबंद थे, उन्होंने अपने अंतिम मसौदे में यह स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत 'संपत्ति के निजी स्वामित्व के अधिकार को वही तक स्वीकृति प्रदान करता है, जहाँ तक समाज-व्यक्ति के निजी हित के लिए इसके रखने की इजाजत दे। इसमें स्वामित्व के अधिकार और संपत्ति के प्रयोग को विनियमित करने की दृष्टि से कानून बनाने की हर्गिज मनाही नहीं है।' यह भी स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि 'गांधीवादी अर्थ-व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाये, इसका निर्धारण वैयक्तिक सनक या लोभ से न होकर सामाजिक आवश्यकता की कसौटी पर किया जायेगा।'

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि गांधीजी का ट्रस्टीशिप का विचार अस्पष्ट और प्रतिक्रियावादी न होकर समाजवाद के वर्तमान सिद्धांतों से कहीं अधिक प्रगतिवादी है। भारत में और अन्यत्र भी आधुनिक व्यापार और उद्योग में गांधीजी के ट्रस्टीशिप संबंधी विचारों को मूर्त रूप देने की दिशा में कुछ प्रयास किये गये हैं। मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि अगर बापू के विचारों को अमनी जामा पहनाया जाये तो व न केवल विश्व को एक बहतर किस्म का समाजवाद प्रदान करेंगे बल्कि दुनिया को पारस्परिक वैर-भाव और धून-धरावे से भी बचायेंगे। गांधीजी का मानवीय प्रकृति को सदाशयता में विश्वास कभी नहीं उगमगाया और उन्होंने संपत्तिशाली वर्ग से प्रत्येक अवसर पर यह अनुरोध किया कि वह स्वच्छा से दूसरों के लिए त्याग करें।

गांधीजी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने से समाजवाद का शीगणेश करे और जबदस्तगी दूसरों की संपत्ति अपने अधिकार में न ले।

उन्होंने यह घोषणा की कि 'समाजवाद को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में पहला कदम यह है कि हम अपने हाथों और पैरों का प्रयोग करना सीखें, प्रातःकाल उठकर अपना बिस्तर स्वयं लपेटें, अपने कपड़े स्वयं धोएँ, बर्तन साफ करने में अपनी माताओं और बहनों की मदद करें और अपनी जरूरत के कपड़े के लिए प्रतिदिन कताई करें।' उन्होंने आगे कहा, "अगर हम समाजवाद के सबंध में लंबी-चौड़ी बातें करने और दूसरों को इसका उपदेश देने के स्थान पर स्वयंमेव इसे व्यवहार में लायेंगे, तो हम अपने निकट पड़ोस में समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे और समाजवाद में दीक्षित होनेवाले सर्वप्रथम हम ही होंगे।" गांधीजी के शब्दों में, 'समाजवाद स्फटिक की तरह शुद्ध है और इसीलिए इसकी प्राप्ति के लिए ऐसे साधनों की आवश्यकता है, जो स्फटिक के सदृश ही शुद्ध हों। अपवित्र साधनों से साध्य भी अपवित्र हो जाता है। इसलिए धनिकों का सर घड़ से जुदा करने से धनियों और निर्धनों में समानता नहीं लायी जा सकती और न ही विध्वंसात्मक कार्रवाई से मालिक और मजदूर के बीच समता लायी जा सकती है।'

महात्मा गांधी हिंसा और वर्ग-युद्ध के साम्यवादी तरीकों के कट्टर विरोधी थे। उनका कहना है कि, "रूसी साम्यवाद भारत के लिए घातक होगा अगर साम्यवाद बिना हिंसा के आता है तो इसका स्वागत है।" गांधीजी से एक बार किसी ने प्रश्न किया, "परंतु भारतीय साम्यवादी भारत में स्टालिन की किस्म का साम्यवाद चाहते हैं और अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए आपका नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं।" उन्होंने बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया, "वे सफल नहीं होंगे।" भारत में आजकल समाजवाद को साम्यवाद के साथ गड़बड़ा दिया गया है और राष्ट्रीय नेतागण एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। इसलिए समीचीन यही होगा कि हम इस विषय में गांधीजी के स्पष्ट विचारों को हृदयगम करें और अपने को गर्त में गिरने से बचायें। भारत को अहिंसक एवं लोकतंत्री पद्धति से ही समाजवाद के पथ का अनुसरण करना है। वर्ग-युद्ध और पारस्परिक घृणा का मार्ग आत्मघाती सिद्ध होगा।

अंतर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त इतिहासकार डॉ॰ आर्नाल्ड टायनबी ने अपने हाल के एक प्रवाशन में विश्व की युवा पीढ़ी से निम्न शब्दों में

यह अनुरोध किया है कि वह गाधीजी की अहिंसा और सत्याग्रह की भावना को आत्मसात् करते हुए हिंसा को कुचल डालें और प्रतिश्रियावादी शक्तियों का प्रतिरोध करें। "अपन को दूसरो की स्थिति मे रखते हुए उन्हे समझने का यत्न करें और यह देखें कि वे लोग उस प्रकार की विचारधारा क्यों रखते हैं और वे काम क्यों करते हैं, जिनसे आपका जबदंस्त विरोध है। अपने अभिभावकों की पीढ़ी के सदस्यों का विरोध जारी रखें। उनका प्रतिरोध करने और जहाँ तक उनके विचार और आदर्श आपका गलत प्रतीत हो, उन्हें परास्त करने का प्रयास करें, परंतु यह सब गाधीवादी भावना के साथ और बिना किसी घृणा के करें।"

उन्होंने आगे कहा, 'सबसे बढ़कर धैर्यशाली बनने का प्रयत्न करें और हिंसा से दूर रहे। महान् दर्शनों और धर्मों के नेताओं से प्रेरणा प्राप्त करें। बुद्ध, ईसा मसीह और अन्य महान् आत्माओं की विनम्रता, धैर्य और सहिष्णुता का अनुसरण करने का प्रयास करें।'

वातावरण का प्रदूषण

औद्योगीकरण और नगरीकरण के क्षेत्र में अघाघुध दौड़ का ही यह परिणाम है कि आज विश्व को वायु और जल के प्रदूषण की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

कानॉल विश्वविद्यालय, अमरीका में परिस्थिति विज्ञान के प्रोफेसर डॉ० लेमाट कोल का कहना है कि प्रदूषण की मूलभूत समस्या यह है कि "हम अध श्रद्धा के कारण वृद्धि और प्रगति को एक समझ लेते हैं।"

'अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर कंपनियों को जीवित रहना है तो उनकी वृद्धि होनी चाहिए। हम इस बात पर बड़ा गर्व अनुभव करते हैं कि हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद चार और पाँच प्रतिशत वार्षिक के बीच की दर से बढ़ रहा है, परंतु हम इस तथ्य की उपेक्षा कर देते हैं कि प्रति प्रतिशत कूड़ा-कचरे का उत्पादन भी इसी दर से हो रहा है। हमसे यह कहा जा रहा है कि हमारी विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष दस प्रतिशत की दर से बढ़नी ही चाहिए, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि यह सब ऊर्जा वातावरण में भाप के रूप में समा जाती है अगर वे स्त्रावों के हाथों में प्रदूषण के बिल धमा दिये जायें तो हमें

अपने वायुमंडल में कुछ आश्चर्यजनक सुधार दिखायी देंगे। परंतु मैं आपको यह भी बता दूँ कि इस प्रकार की हिसाब-किताब की पद्धति तभी कारगर हो सकती है, जब हम शुद्ध तकनीकी निर्णयों को ध्यान में न रखते हुए राजनीतिक एवं आचार-शास्त्रीय निर्णयों को भी ध्यान में रखें।”

इंग्लैंड में सरकार ने हाल ही में सभी संभव उपायों से वायु और जल के प्रदूषण को रोकने के लिए एक स्थायी आयोग की नियुक्ति की है और मोटरगाड़ियों द्वारा उत्पन्न दूषित वाष्पों तथा द्रवों की रोकथाम के लिए कानून बनाये हैं। एक अंग्रेजी द्वैमासिक पत्रिका ने अपने हाल के एक अंक में ‘प्रदूषण की राजनीति’ पर बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है और यह व्यंग्य किया है कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने, जिससे यह आशा की जाती थी कि वह सभी समस्याओं का सतोषजनक समाधान ढूँढ़ लेगा, समाज को एक अत्यंत कठिन और उलझन-भरी स्थिति में डाल दिया है।

कभी-कभी ऐसा ख्याल किया जाता है कि रूस में शायद स्थिति बेहतर हो। परंतु यह एक भ्रम है। लंदन ‘इकोनॉमिस्ट’ के ५-११ सितंबर १९७० के अंक के अनुसार “चूंकि सोवियत संघ पूंजीवादी देश नहीं है, इसलिए प्रायः ऐसा सोचा जाता है कि वहाँ कम प्रदूषण होगा। पश्चिम में प्रदूषण का दोष प्रायः उस आर्थिक प्रणाली पर डाला जाता है जो इस बात का ख्याल नहीं रखती कि प्रदूषण समाज के लिए कितना महंगा है। तथापि ऐसा मालूम होता है कि सोवियत संघ भी उतना ही बुरा है जितने कि हम।”

हमारे देश में एक उच्चस्तरीय समिति इस कार्य में सलज्ज है। अभी भी समय है कि भारत सरकार दिनोदिन फैलते हुए नगरों में वायु और जल के प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष कदम उठाये और इस सवाल को अहमियत दे।

केवल रोटी के सहारे नहीं

निष्कर्ष में, बाइबिल की इस विख्यात उक्ति को मैं उद्धृत करना चाहूँगा कि ‘मनुष्य केवल रोटी के सहारे ही जिंदा नहीं रहता।’ हमारे प्राचीन ऋषि और मुनि इस बात को दोहराते हुए कभी नहीं परते थे।

कि "केवल धन-संपत्ति मानव को सतुष्ट नहीं कर सकती।" गांधीजी ने अपने सादगी के आदर्श को सदा सर्वोच्च स्थान दिया। वे उन सभी आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के विरोधी थे, जो नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों से शून्य थी। इस सबंध में, स्टालिन की पुत्री स्वेतलाना द्वारा अपने हाल के प्रकाशन में वर्णित निम्न विचार-सरणि से मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ।

"संसार के सभी महान् धर्मों में एक उच्च नैतिक शिक्षा के हमें दर्शन होते हैं। सभी धर्म यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या न करे, चोरी न करे, दूसरों की भलाई करे; अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि न पहुंचायें तो वह किसी को हानि न पहुंचाये। उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक हैं। केवल आत्मा ही शाश्वत है। धार्मिक भावना का मधुर स्वर ही जीवन का संगीत है।"

उसने फिर आगे कहा है : "मेरे लिए विश्व का सर्वोत्तम गिरजाघर आकाश का तारा-खचित गुब्बद है।"

भविष्य की रूपरेखा का यह दिग्दर्शन है और गांधीजी की दिव्य दृष्टि ने हमारे समुख मानवता का भविष्य उदघाटित कर दिया है।

गांधीजी भविष्य के हैं, मृत के नहीं। उनका देहावसान नहीं हुआ; उनका संदेश शाश्वत है और वह तब तक अमर रहेगा, जब तक विस्तृत नील गगन में सूर्य भगवान् अपनी प्रखर छुति से छुतिमान हैं। जैसाकि उन्होंने स्वयं लिखा था, "जब तक मुझमें विश्वास की ज्योति प्रज्वलित है और मेरा विश्वास है कि अगर मैं एकाकी भी हूँ तो यह ज्योति जलती रहेगी, मैं कब्र में भी जीवित रहूँगा और अद्भुत बात तो यह है कि वहाँ से भी बोलता रहूँगा।"

अपनी हाल की एक रचना में लुई फिजर ने यह घोषणा की है

"अगर मनुष्य को जीवित रहना है, अगर सम्मत्ता को जीवित रहना है और स्यातस्य, सत्य एवं शालीनता के पुष्पों में विकसित होना है, तो बीसवीं शताब्दी का अवनिष्ट और उसके बाद का काल न तो लेनिन या ट्राट्स्की का होगा, न मानसं या माओ या हो या च बा, बल्कि महात्मा गांधी का।"

गरीबी और आयोजन

डा० के० एन० राज

भारत में आयोजन तथा आर्थिक विकास की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है उनके सामने सबसे अहम सवाल इस समय यह है कि जनसाधारण की गरीबी को—कम से कम उसके अत्यधिक उग्र रूपों को—कैसे समाप्त किया जाये। 'गरीबी हटाओ' नारे का राजनीतिक फरमान स्पष्ट और वाघ्यतामूलक है। लेकिन इसे ठोस नीतियों और कार्यक्रमों के रूप में कार्यान्वित करना होगा। साथ ही, यह काम एक ऐसे समय पर होना है जब, कई प्रकार के कारणों से यह आवश्यक हो गया है कि भारत विदेशी सहायता पर कम से कम अवलंबित हो और अपने ससाधनों के पूरे पूरे उपयोग पर निर्भर करे।

गरीबी असल में एक सापेक्ष चीज है। १९६४ में संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये एक आधिकारिक प्रतिवेदन के अनुसार, उस देश की जनसंख्या का कम से कम पाँचवा हिस्सा अब तक भी गरीबी की हालत में है। अगर गरीबी का वही मापदंड भारत में भी लागू किया जाये तो यहाँ की जनसंख्या का बहुत कम प्रतिशत गरीबी की सीमाखाने में आयेगा। साफ है कि हमें वही मापदंड अपनाते होंगे जो भारतीय परिस्थिति के अधिक अनुकूल हों, देखने में चाहे वे जितने भी बठोर लगें।

कुछ दिनों से उपरोक्त लक्षणों की तलाश जारी है जिनके आधार पर भारत में कितनी गरीबी है, यह जाना जा सके और गरीबी की समस्या का समाधान किया जा सके। ठीक एक दशक पहले योजना आयोग के परंपरिष्ठित प्लानिंग डिवीजन द्वारा निम्नतम निर्वाह स्तर के लिए आयोजन का तात्पर्य विषय पर तैयार किये गये निबंध में इस प्रश्न पर कुछ विचार किया गया था। उसमें जो लक्षण गिनवाये गये थे उनमें से एक था पोषण सलाहकार समिति द्वारा निर्दिष्ट 'सतुलित आहार' का अभाव। इस मापदंड को अपनाते हुए और खाद्य के अलावा अन्य वस्तुओं के सामान्य उपभोग-स्तर की व्यवस्था करते हुए, यह अनुमान लगाया गया था कि एक परिवार को निर्दिष्ट न्यूनतम जीवन-

स्तर का निर्वाह करते हुए १९६०-६१ के मूल्यों पर प्रति माह ३५ रु० प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे। लेकिन उस समय देश की जनसंख्या का पाँचवाँ हिस्सा भी यह खर्च करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए पूरी जनसंख्या के वास्ते ऐसे जीवन-स्तर की व्यवस्था का लक्ष्य बनाना धाने वाले कुछ समय के लिए एक वास्तविक लक्ष्य ही प्रतीत होता है।

इस व्यावहारिक कठिनाई को सामने रखते हुए ही पसंपंक्तिध प्लानिंग डिवीजन ने अपेक्षाकृत नीचे मापदंड अपनाया स्वीकार किया था। इन मापदंडों का उल्लेख भी उपभोग के न्यूनतम मासिक व्यय के रूप में किया गया था, हालाँकि उस व्यय के ठीक-ठीक आँकड़े क्या होंगे, यह स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया गया था। यह सुझाव दिया गया था कि पाँच व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार के लिए निम्नतम राष्ट्रीय औसत १०० रु० अर्थात् प्रति माह प्रति व्यक्ति २० रु० से कम नहीं होना चाहिए।

योजना आयोग ने अब इस मापदंड को स्वीकार कर लिया है। 'पाँचवी योजना का दृष्टिकोण' विषय पर उसने दो महीने पहले जो निबंध राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने प्रस्तुत किया है उसमें कहा गया है :

“जब हम विकास के एक लक्ष्य के रूप में गरीबी हटाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई सापेक्ष अवधारणा नहीं बल्कि गरीबी के निरपेक्ष स्तर की परिभाषा होती है। गरीबी की इस सीमा-रेखा को उपभोग के निम्नतम स्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उपलब्ध आँकड़ों से पता चलता है कि १९६०-६१ के मूल्यों पर निर्वाह के समुचित निम्नतम स्तर के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति २० रु० का उपभाग आवश्यक है। वर्तमान मूल्यों में इस राशि को करीब १.८८ से गुणा करना होगा।

निम्नतम निर्वाह स्तर तय करने के लिए कौन-से मापदंड अपनाये जायें, यह बात कार्यान्वयन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी निपय पर पहुँचने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लेना जरूरी होगा है। उदाहरण के लिए, पोषण-विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित 'समुचित आहार' का प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक हो सकता है। जब गरीबी इतनी गंभीर हो जाती है, तो कम-से-कम शुरू में ही

यह चेष्टा होनी चाहिए कि जनता के लिए ऐसे आहार की व्यवस्था की जाये जिससे पयासभव कम मूल्य पर आवश्यक पोषण मिल सके, और साथ ही उसमें स्वादुता का भी ध्यान रखा जाये। लेकिन पोषण-विशेषज्ञ मूल्य वाली बात पर अक्सर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना उन्हें देना चाहिए। 'संतुलित आहार' में सम्मिलित कुछ चीजें अक्सर इस प्रचलित विश्वास पर आधारित होती हैं कि पोषण के लिए क्या वाछनीय है। फलतः ऐसी खाद्य-वस्तुओं की तुलना में जो तुलभ और सस्ती है और साथ ही पोषण के लक्ष्य को समान रूप से पूरा कर सकती हैं, महँगे खाद्य पदार्थों को तरजीह दे दी जाती है।

कुछ ऐसे ही कारणों से, यह तय करने के लिए कि निर्दिष्ट पोषण-सबधी मापदंडों की पूर्ति हो रही है या नहीं, नमूने के सर्वेक्षणों द्वारा इकट्ठे किये गये उपभोग-व्यय के आँकड़ों का प्रयोग भी जोखिम से भरा हुआ है। जिस देश में खाद्य-वस्तुओं की बहुत अधिक विविधता हो और साथ ही उनके मूल्यों में भी बहुत अधिक अंतर हो, व्यय के आँकड़ों को उनके समतुल्य पोषण के आँकड़ों के साथ रखने से कभी-कभी बड़े विचित्र परिणाम निकल सकते हैं।

इस बात को प्रोफेसर दाडेकर के उदाहरण से समझा जा सकता है जिन्होंने घोर परिश्रम से तथ्य जुटाकर इस क्षेत्र में मार्ग-दर्शन किया है। उनकी कसौटी के अनुसार, जो लोग ऐसा आहार लेने में समर्थ नहीं हैं जिससे उन्हें पोषण सबधी निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए २२५० कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त हो सकें, निम्न स्थिति के गरीब हैं। फिर उन्होंने कुल जनसंख्या में ऐसे लोगों का प्रतिशत बताया है जो इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते, और यह कार्य नेशनल संपुल सर्वे द्वारा एकत्र आँकड़ों की सहायता से किया गया है। अनुमान लगाया गया है कि ४० प्रतिशत से कहीं अधिक लोगों को जो आहार मिलता है वह कैलोरी की दृष्टि से भी अपर्याप्त है। घोर अर्ध-पोषण के स्तर का यह अनुमान निर्णायक रूप से उस पद्धति पर निर्भर है जो खाद्य-सामग्री से सबधित व्यय के आँकड़ों को उनके कैलोरी समतुल्यों में बदलने के लिए अपनायी जाती है। लेकिन जो आँकड़े उपलब्ध हैं वे वास्तव में न तो इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए ही पर्याप्त हैं और न उनके कारण

इन प्रयोगों से निकलनेवाले नतीजों पर ही विश्वास किया जा सकता है। आश्चर्य नहीं कि गरीबी के राज्यानुसार अनुमानों का अध्ययन करने से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं।

उदाहरण के लिए, जो अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं उनके अनुसार उत्तर प्रदेश की लगभग १८ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को ही कॅलोरी के मामले में पर्याप्त आहार प्राप्त होता है जबकि बेरल में यह अनुपात ६० प्रतिशत था। प्रति व्यक्ति आय दोनों राज्यों की लगभग समान है और यह विश्वास करने का भी कोई कारण नहीं है कि केरल के मुकाबले उत्तर प्रदेश में आय का वितरण गरीबों के पक्ष में ज्यादा है। पिछले दिनों प्रोफेसर पी० जी० के० पणिक्कर ने केरल के लिए उपलब्ध आँकड़ों की सहायता से इस विषय पर कुछ और कार्य किया था जिससे वास्तव में यह संकेत मिलता है कि अर्ध-पोषण को अगर कॅलोरी की कमी के रूप में देखा जाय तो इस प्रदेश में अर्ध पोषण देश के दूसरे अधिकांश भागों की तुलना में बहुत कम है। इस अध्ययन से यह भी प्रतीत होता है कि इसका मुख्य कारण शायद यह है कि पोषण-संबंधी सारी आवश्यक शर्तें (सिर्फ कॅलोरी संबंधी शर्तें ही नहीं) केरल में अपेक्षाकृत कम मूल्य चुकाकर पूरी की जा सकती हैं। प्रोफेसर दांडेकर स्पष्टतया ऊँचे मूल्यों की बात को ध्यान में रखकर चले थे।

इस प्रकार तैयार किये गये गरीबी के अनुमानों से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उभरती हैं। प्रोफेसर दांडेकर का तर्क है कि इस बुरी तरह अधपेट रहकर भोजन की अपेक्षा विश्राम को अधिक महत्व देनेवाले बहुत लोग नहीं हैं। घोर अर्ध-पोषण के इस मापदंड से गरीबी का जो स्तर सामने आता है वह पर्याप्त रोजगार की कमी के कारण है। इसका अर्थ है कि समाधान मुख्यतया अधिक पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने में निहित है। बताया गया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति बड़े पैमाने के सावजनिक निर्माण कार्यक्रमों द्वारा सर्वोत्तम ढंग से की गयी है।

ऊपर के तर्कों में कुछ बातें ऐसी हैं जो विवादास्पद हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर लोग अर्धपोषित हैं तो इसका यह अर्थ आवश्यक नहीं है कि वे आनसी हैं। उनका अर्ध-पोषण और उनकी गरीबी कारण पाद्य-वस्तुओं की बहुत अधिक लागत हो सकती है या फिर

यह कि उनकी उत्पादनशीलता बहुत कम है। अगर यह बात है तो काम क घटे या दिन बढ़ाकर समस्या का कोई प्रभावी समाधान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कोई ऐसा रास्ता तलाश करना होगा जिससे उनकी वास्तविक आय को बढ़ाया जा सके। ज्यादा 'उपयुक्त रोजगार' के द्वारा यह प्रयोजन तभी पूरा किया जा सकता है जब इसका अर्थ अधिक उत्पादनशील रोजगार हो या फिर इसे केवल काम के पुनर्वितरण का साधन माना जाये और उत्पादनशीलता के साथ इसे बहुत अधिक न जोड़ा जाये। मोटे तौर पर यही बात है जो इस विषय सदर्भ में मुझे कहनी है।

सावजनिक निर्माण कार्यों का एक अलग महत्त्व है और गरीबी दूर करने के लिए निम्नतम निर्वाह स्तर का जो विचार ऊपर सुझाया गया है वह कहीं तक उपयुक्त है, यह एक अलग सवाल है। क्या हर आदमी को निर्दिष्ट मात्रा में निम्नतम कैलोरी उपलब्ध करा देना ही काफी है? अगर स्थानीय रूप से उपलब्ध मजदूरी और भवन निर्माण सामग्रियों को लेकर पक्के मकान बनाने की कोई कम खर्चीली विधि निकाली जा सके और उसे व्यवहार में लाया जा सके, तो क्या निम्नतम निर्वाह स्तर के एक अंग के रूप में आवास-सबधी भी कुछ मापदंड लागू करना संभव नहीं होगा? मकान को आम तौर पर इतनी बड़ी जरूरत समझा जाता है कि गरीब आदमियों को भी कुछ अधिक बचत करने के लिए सहमत किया जा सकता है बशर्ते कि उनकी निम्नतम आवश्यकताएँ समुचित रूप से कम लागत पर पूरी की जा सकें। अलावा इसके, बेहतर मकानों की व्यवस्था करने के लिए बनायी गयी योजनाओं को बड़ी आसानी से सार्वजनिक निर्माण कार्यों में सम्मिलित किया जा सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वाछनीय निम्नतम निर्वाह स्तर के उपादानों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाये और यह देखा जाये कि उन्हें उपलब्ध कराने वाली योजनाओं को किस हद तक विकास प्रयत्नों का अभिन्न अंग बनाया जा सकता है।

अब अगर यह मान लेते हैं कि गरीबी की समस्या से जूझने के लिए इस समय उपलब्ध प्रमुख साधन सावजनिक निर्माण कार्यों के माध्यम से अधिक रोजगार की व्यवस्था करना ही है, तो मापदंडों के

सवाल पर सिर्फ इतना विचार करने की जरूरत है कि उसका सबब उन कार्यों से मिलने वाली मजदूरी की दर से है। व्यवहार में, पसंदगी के अवसर इस मामले में कम ही रहेंगे। इसलिए निम्नतम मजदूरी के आस-पास किमी दर पर काम करने के अधिकार को स्वीकार किया जा सकता है और तब आदमी कार्यक्रम को संगठित करने की ओर ध्यान दे सकता है जिसमें यह लक्ष्य रहे कि इस तरह के कामों के लिए अपने-आपको प्रस्तुत करने वाले लोगों से कैसे अधिक-से अधिक उत्पादनशील काम कराया जाये। दूसरे शब्दों में, हमारी चिंता सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हर क्षेत्र में विद्यमान निम्नतम मजदूरी के आसपास दर पर मजदूर मिलते रहे और हम इन मजदूरों की उपलब्धि के पैमाने को गरीबी का अनपठ सूचकांक मान लें।

'नेशनल सैम्पुल सर्वे' असल में इस तरह के आँकड़े इकट्ठे करता रहा है कि कितने लोग रोजगार की तलाश में थे और कितनों को वह नहीं मिला, साथ-ही साथ यह भी कि कितने लोग सक्रिय रूप से काम की तलाश में नहीं थे लेकिन अगर उन्हें अतिरिक्त रोजगार मिलता तो वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। ये आँकड़े कहीं तक निर्भर-योग्य हैं, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन साठवें दशक के आरंभ में इकट्ठे किये गये इस प्रकार के आँकड़ों से पता चलता है कि देहाती क्षेत्र में लगभग ४ से ५ प्रतिशत मजदूर औसतन पूरी तरह से बेरोजगार थे। जिन लोगों के पास बहुत मामूली रोजगार था और इसलिए जो अतिरिक्त काम की तलाश में थे उनकी संख्या भी कुल मजदूरों के ४ प्रतिशत के बराबर थी। इस प्रकार जो लोग अतिरिक्त रोजगार की तलाश में थे उनकी संख्या उस समय भी देहाती क्षेत्र के कुल मजदूरों के ८ से ९ प्रतिशत से कम नहीं थी। अगर रोजगार तथा अर्ध-रोजगार की दर आज भी लगभग उतनी ही मानी जाये जितनी उस समय थी तो अब जिस तरह के सार्वजनिक निर्माण कार्यों का प्रस्ताव किया जा रहा है उनमें लगभग १.३ करोड़ से लेकर १.६ करोड़ मजदूरों को नियोजित करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और अगर बेरोजगारी की दर इस बीच बढ़ गयी है, जैसा कि संभव है, तो निरसदेह और अधिक लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी।

असल में, हालांकि प्रोफेसर दाडेकर ने अपनी कसौटी पर ४० प्रतिशत से अधिक देहाती जनसंख्या को गरीबी की सीमा-रेखा से नीचे बताया था, उनका प्रस्ताव यह था कि १० प्रतिशत लोगों को, जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, 'सामाजिक सहायता' के भरोसे छोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, उनका खयाल था कि "आज खेती में जितने लोग अर्ध-रोजगार की स्थिति में हैं उनमें से हरेक को सार्वजनिक निर्माण कार्यों में नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए ही पूरे रोजगार की व्यवस्था करनी होगी ताकि बचे हुए लोगों को खेती में पूर्ण रोजगार मिल सके।"

अगर हम हर मामले में लगाये गये अनुमानों के विस्तार में न जायें, तो सार्वजनिक निर्माण कार्यों में कुल जितने लोगों को रोजगार देने की जरूरत होगी उनकी संख्या में, चाहे प्रोफेसर दाडेकर द्वारा सुझाये गये तरीके से देखें और चाहे सीधे-सीधे यह जानकारी हासिल करके कि कितने लोग मजदूरी की वर्तमान दरों पर अतिरिक्त काम करने के लिए तैयार हैं, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं होना है। जो सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह कि इस तरह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक ससाधन किस सीमा तक जुटाये जा सकते हैं। उसका लक्ष्य चाहे तो निम्नतम जीवन-स्तर की व्यवस्था करना बताया जाये, और चाहें पूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करना बताया जाये, उसकी व्यवहार्यता निश्चित रूप से इस बात पर निर्भर करेगी कि ससाधन जुटाने का काम कितने प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। और यही वह बिंदु है जहाँ आकर आयोजन के प्रति हमारा पूरा दृष्टिकोण और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाये गये साधन प्रासंगिक हो जाते हैं।

प्रोफेसर दाडेकर ने जिस पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम की कल्पना की थी उसके लिए उन्होंने अनुमान लगाया था कि अकेले मजदूरी के रूप में ही प्रतिवर्ष लगभग ८०० करोड़ रु० खर्च करने होंगे और यह भी इस धारणा के आधार पर था कि दैनिक मजदूरी की दर औसतन मर्दों के लिए रु० २४० पैसे और स्त्रियों के लिए रु० १६० पैसे से अधिक नहीं होगी, लेकिन जितने लोगों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिया जायेगा उन्हें वर्ष में ३०० दिन के लिए पूर्णकालिक रोजगार देना होगा। यह वास्तव में संभव है कि अगर मजदूरी की दर

उपर्युक्त सीमा के अंदर ही रहती है तो उपलब्ध होने वाले मजदूरो की सख्या अनुमान से कही कम रहेगी। और अगर इनकी सख्या अधिक भी रहती है तो यह कार्यकारी वर्ष के कुछ हिस्स के लिए ही होगी। इन सब मामलो म दरअसल हमारा ज्ञान और अनुभव पर्याप्त नहीं है जिसके आधार पर कि ज्यादा सही अनुमान लगाने की कोशिश की जा सके। इसलिए जो अनुमान ऊपर दिये गये हैं उनसे शुरुवात की जा सकती है और उसमे इस प्रकार के निर्माण कार्यों को चलाने के लिए अपेक्षित सामग्रिया की सभावित लागत जोड़ी जा सकती है। इस प्रकार कुल लागत लगभग १००० करोड रु० से लेकर १२०० करोड रु० प्रति वर्ष तक हो जायेगी। स्पष्ट ही योजना आयोग भी अब कुछ इसी प्रकार के अनुमानो को आधार बनाकर चल रहा है, क्योंकि पाँचवें योजना काल मे 'रोजगार कार्यक्रमों' के लिए प्रस्तावित व्यय की राशि प्रारम्भिक तौर पर ७००० करोड रु० से ८००० करोड रु० तक रखी गयी है।

इस बात मे अधिक सदेह नहीं है कि अगर इस तरह का निर्माण कार्यक्रम कल्पनाशील ढंग से तैयार किया जाता है और उसे यथासम्भव दक्षता और नमनशीलता के साथ कार्यान्वित किया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र मे गरीबी और बेरोजगारी पर उसका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। कुछ राज्यों मे फिलहाल कई तरह के प्रयोग किये जा रहे हैं। हालाँकि तथाकथित रोजगार कार्यक्रमों के लिए निर्धारित राशियों का काफी बड़ा हिस्सा अधिकांशतया प्रशासनिक कारणों से व्यर्थ जा रहा है, लेकिन साथ ही जो लोग इन कार्यक्रमों को बनाने और कार्यान्वित करने की पद्धतियों को सुधारने का प्रयत्न करने के लिए तत्पर हैं वे उपयोगी अनुभव भी प्राप्त कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए, केरल के एक जिले मे उस क्षेत्र मे स्थापित एक विकास बैंक की सहायता से बेकार मजदूरो को जुटाने और उन्हें उत्पादनशील योजनाओं मे काम पर लगाने के लिए एक अग्रगामी परियोजना पर काम किया जा रहा है। योजनाएँ विभिन्न पंचायतों द्वारा तैयार की गयी हैं, लेकिन उनकी स्वीकृति कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर बैंक से लेनी होती है। यह स्वीकृति मिलने के बाद उस क्षेत्र मे जो लोग अदक्ष मजदूरो के लिए प्रचलित निम्नतम मजदूरी पर काम करने के

लिए तैयार हो उन्हें रोजगार दिया जाता है, लेकिन यह शर्त रखी जाती है कि लगभग दो-तिहाई से लेकर तीन-चौथाई मजदूरी ही तत्काल नकद के रूप में दी जायेगी, और बाकी एक-चौथाई बैंक में उनके नाम से छोले गये तीन-वर्षीय स्थिर जमा खाते में जमा कर दी जायेगी, जिस पर उन्हें साढ़े बारह प्रतिशत वार्षिक व्याज मिलेगा। चूंकि इन योजनाओं में भर्ती होने वाले मजदूर सिर्फ उन्ही दिनों में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं जब वे अन्यथा खाली रहते हैं, इसलिए आस्थगित भुगतान की इस पद्धति का संबंधित क्षेत्र में मजदूरी की दरों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन लोगों को इन योजनाओं से अधिक स्थायी लाभ होता है उन्हें इसी प्रकार बैंक को किस्तों में भुगतान करना होगा, जिससे बैंक इन योजनाओं पर होने वाला पूरा खर्च अगर नहीं तो उसका एक बड़ा हिस्सा अवश्य प्राप्त कर सकें।

अभी इस प्रयोग का आरंभिक काल है और कहा नहीं जा सकता कि इसमें कौन-सी कठिनाइयाँ आयेंगी और उन्हें किस प्रकार हल किया जा सकता है। इस परियोजना की मूलभूत बातों पर समझित लोगों की (जिनमें भर्ती होने वाले सभावित मजदूर भी शामिल हैं) प्रतिक्रिया काफी अनुकूल प्रतीत होती है जिससे काफी हद तक आशान्वित हुआ जा सकता है। कुछ लोगों को यह भी दिखायी देने लगा है कि इस परियोजना से स्थानीय जनसंख्या के लगभग सभी वर्गों को लाभ पहुँचेगा, किंतु यह लाभ बराबर मिलता रहे इसके लिए शायद यह जरूरी होगा कि अनुबंधित शर्तों को पूरा किया जाये।

अब सवाल यह रह जाता है कि गरीबी और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए कितने बड़े पैमाने पर इस तरह के कार्यक्रम बनाये जाते हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कितना ठोस प्रयत्न किया जाता है। यह ठीक है कि ऊपर उल्लिखित आस्थगित भुगतान की प्रणाली से उपलब्ध ससाधनों में कुछ सीमा तक वृद्धि की जा सकती है, लेकिन उन सभावित बाधाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती, जो कुछ विशेष प्रकार के ससाधनों की अनुपलब्धि और एवं निर्दिष्ट ढाँचे के अंतर्गत उनके उपयोग की कठिनाइयों से उत्पन्न होगी।

इस मामले में हाल ही योजना आयोग ने जो दृष्टिकोण अपनाया है

वह भयवर रूप से अवास्तविक प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए आयोग ने सुझाव दिया है कि पाँचवी योजना का कुल परिव्यय चौथी योजना के परिव्यय से लगभग दुगुना होगा। इसका मतलब यह है कि १९७०-७१ के मूल्यों के आधार पर यह परिव्यय ५०,००० करोड़ रु० के आसपास बैठेगा। मान लीजिए कि हम उत्पादन की वृद्धि दर और व्ययव्यवस्था में आंतरिक बचत की दर के बारे में समुचित रूप से आशावादी अनुमान लगा लेते हैं यानी यह मान लेते हैं कि १९७३-७४ के मध्यावधि मूल्यांकन में निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिये जायेंगे (जो बहुत ही अनहोनी बात है), कि पाँचवी योजना के दौरान ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर प्राप्त की जा सकेगी (जो प्राप्त की जा सकती है लेकिन वर्तमान रुझान को देखते हुए निश्चित रूप से संभव प्रतीत नहीं होती है), और कि १९७३-७४ से लेकर १९७८-७९ के बीच आंतरिक बचत शुद्ध आंतरिक उत्पादन के ११ प्रतिशत से बढ़ाकर १६ प्रतिशत की जा सकेगी (जिसकी प्राप्ति दूसरे सार लक्ष्यों की तुलना में सबसे ज्यादा कठिन सिद्ध होगी)। पाँचवी योजना में विनियोजन से उपलब्ध होनेवाले कुल ससाधन लगभग ३५,००० करोड़ रु० से अधिक नहीं होंगे, क्योंकि योजना परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य ऐसी ही सेवाओं पर खर्च हो जायगा जिसका कोई उत्पादनशील उपयोग नहीं होगा।

असल में न तो चौथी योजना के दौरान अब तक प्राप्त की गयी उत्पादन वृद्धि की दर ही बहुत आशाजनक रही है और न सावजनिक तथा निजी क्षेत्रों में होनेवाली बचत की दर में भविष्य के लिए कोई आश्वासन मिलता है।

यह सही है कि निकट अतीत में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिनसे भविष्य के प्रति पहलू की तुलना में अब अधिक आशाजनक दृष्टिकोण अपनाने का औचित्य गमन में आता है। तयारहित हरित नागि निश्चित रूप से उन घटनाओं में से एक है हालाँकि अब तक उल्लेखनीय प्रगति कबम नहीं और कुछ दूरीय अज्ञानता के मामल में ही की जा सकी है, और कुल मिलाकर वृद्धि उत्पादन की वृद्धि-दर में कोई स्पष्ट बढ़ावरी प्रभो तक नहीं हुई है। यद्यपि दो माना में इसका के उत्पादन में समुचित

आधार नहीं बनाया जा सकता कि ससाधनों की उपलब्धि में भयकर बाधाएँ आयेंगी। अगर यह सही है, और अगर गरीबी का मुकाबला करने के लिए विकास प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में कोई प्रभावी कार्यक्रम बनाना है तो उपलब्ध ससाधनों का बहुत सावधानी के साथ नरक्षण और उपयोग करना आवश्यक होगा जिससे अर्थव्यवस्था की पर्याप्त रूप से ऊँची वृद्धि-दर कायम रखी जा सके और साथ ही विदेशी सहायता पर निर्भरता भी कम की जा सके।

[‘योजना’ से साभार अनूदित]

हिंदी-साहित्य और उसका वैशिष्ट्य

डॉ० श्यामसुंदर दास

भौगोलिक कारणों से अथवा जलवायु के फलस्वरूप या अन्य किसी कारण से, प्रत्येक देश अथवा जाति के साहित्य में कुछ न-कुछ विशेषता होती है। जब हम यूनानी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य अथवा भारतीय साहित्य का नाम लेते हैं और उनके संबंध में विचार करते हैं तो उनमें स्पष्ट रीति से कुछ ऐसी विशेषताएँ दिखायी देती हैं जिनके कारण उनके रूप कुछ भिन्न जान पड़ते हैं तथा जिनके फलस्वरूप उनके स्वतंत्र अस्तित्व की साधकता भी समझ में आ जाती है। यह संभव है कि कोई विशेष कलाकार किसी विशेष समय और विशेष परिस्थितियों से प्रभावान्वित होकर विदेशीय या विजातीय कला का अनुकरण करे तथा उनके विचारों की आँख मूँदकर नकल करना आरंभ कर दे, परंतु साहित्य के साधारण विकास में जातीय भावा तथा विचारों की छाप किसी-न-किसी रूप में अवश्य रहती है, और इसका एक कारण है।

प्रत्येक सभ्य तथा स्वतंत्र देश का अपना स्वतंत्र साहित्य तथा अपनी स्वतंत्र कला होती है। भारतवर्ष में भी साहित्य तथा अन्यान्य कलाओं का स्वतंत्र विकास हुआ और उनकी अपनी विशेषताएँ भी हुईं। भारतीय साहित्य तथा कला की विशेषताओं पर साधारण दृष्टि से विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन पर भारतीय आध्यात्मिक तथा लौकिक विचारों की गहरी छापें हैं। हम लोग प्राचीनकाल से आदर्शवादी रहे हैं। क्षणिक और परिवर्तनशील वर्तमान, चाहे वह कितना ही समृद्ध क्यों न हो, हमारा अंतिम लक्ष्य कभी नहीं रहा। उसके भीतर से होकर सदा हमारी दृष्टि भविष्य के पूर्ण आनंदमय अमर जीवन पर ही लगी रहा है। यही कारण है कि हमारे साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं में आदर्शवादिता की प्रचुरता देख पड़ती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि साहित्य और कलाएँ हमारे भावों तथा विचारों का प्रतिबिम्ब मात्र हैं। सारांश यह कि जहाँ संसार की उन्नत जातियों की कुछ अपनी विशेषताएँ होती हैं, वहाँ उनके साहित्य आदि पर भी उन विशेषताओं का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता।

इन्हीं साहित्यिक विशेषताओं के कारण 'जातीय साहित्य' का व्यक्तित्व निर्धारित होता है।

हम यह जानते हैं कि हिंदी-साहित्य का वंशगत सबंध प्राचीन भारतीय साहित्यों से है, क्योंकि संस्कृत तथा प्राकृत आदि की विकसित परंपरा ही हिंदी कहलायी है। जिस प्रकार पुत्री अपनी माता के रूप की ही नहीं, गुण की भी उत्तराधिकारिणी होती है, उसी प्रकार हिंदी ने भी संस्कृत, पालि तथा प्राकृत आदि साहित्यों में अभिव्यजित आय जाति की स्थायी चित्तवृत्तियों और उसके विचारों की परंपरागत संपत्ति प्राप्त की है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में जातीय साहित्य कहलाने की पूरी योग्यता है।

हिंदी की विशिष्टताएँ

समस्त भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशिष्टता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। उसकी यह विशिष्टता इतनी प्रमुख तथा मार्मिक है कि केवल इसी के बल पर ससार के अन्य साहित्यों के सामने वह अपनी मौलिकता की पताका फहरा सकती है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सायकता प्रमाणित कर सकती है। जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भारत के ज्ञान, भक्ति तथा कर्म के समन्वय की प्रसिद्धि है तथा जिस प्रकार वण एव आश्रम-चतुष्टय के निरूपण द्वारा इस देश में सामाजिक समन्वय का सफल प्रयास हुआ है, ठीक उसी प्रकार साहित्य तथा अन्यान्य कलाओं में भी भारतीय प्रवृत्ति समन्वय की ओर रही है। साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य सुख-दुःख, उत्थान-पतन, हर्ष-विषाद आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनका विलीन होने से है। साहित्य के किसी अंग का लेकर देखिए, सबकुछ यही समन्वय दिखायी देगा। भारतीय नाटको में सुख और दुःख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाये गये हैं पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे ऊँच बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति से उसका इतना सबंध नहीं है जितना भविष्य की सभाष्य उन्नति से है। हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग के दृष्टांत नाटक इसीलिए नहीं दीख पड़ते। यदि आजकल दो-चार ऐसे

नाटक दिखायी भी पडन लग हँ तो वे भारतीय आदर्श से दूर और यूरोपीय आदर्श के अनुकरण मात्र है। कविता के क्षेत्र में ही देखिए। यद्यपि विदेशी शासन से पीडित तथा अनेक क्लेशों से सतप्त देश निराशा की चरम सीमा तक पहुँच चुका था, और उसके सभी अबलवों की इतिश्री हो चुकी थी, पर फिर भी भारतीयता के सच्चे प्रतिनिधि तत्कालीन महाकवि तुलसीदास अपने विकार-रहित हृदय से समस्त जाति को आश्वासन देते हैं—

भरे भाग अनुराग लोग कहँ रामअवध चितवन चितई है ।

बिनती सुनि सानव हेरि हँसि कफनाधारि भूमि भिजई है ॥

रामराज भयो काज सगुन सुभ राजाराम जगत बिजई है ।

समरथ बडो सुजान सुसाहब सुकृत-सेन हारत जितई है ॥

आनंद की कितनी महान् भावना है। चित्त किसी अनुभूत ऐश्वर्य की कल्पना में मानो नाच उठता है। हिंदी-साहित्य के विकास का समस्त युग विदेशीय तथा विजातीय शासन का युग था। इस कारण भारतीय जनता के लिए वह निराशा तथा सताप का युग था, परंतु फिर भी साहित्यिक समन्वयों का भी अनादर नहीं हुआ। आधुनिक युग के हिंदी कवियों में यद्यपि पश्चिमी आदर्शों की छाप पडने लगी है और लक्षणों के देखत हुए इस छाप के अधिकाधिक गहरी हो जाने की संभावना हो रही है, परंतु जातीय साहित्य की धारा अक्षुण्ण रखने वाले कुछ कवि अब भी वर्तमान हैं।

यदि हम थोड़ा-सा विचार करें तो उपर्युक्त साहित्यिक समन्वय का रहस्य हमारी समझ में आ सकता है। जब हम थोड़ी देर के लिए साहित्य को छोड़कर भारतीय कलाओं का विश्लेषण करते हैं तब उनमें भी साहित्य की ही भाँति समन्वय की छाप दिखायी पडती है। सारनाथ की बुद्ध भगवान् की मूर्ति में ही समन्वय की यह भावना निहित है। बुद्ध की वह मूर्ति उस समय की है जब वह छ महीने की कठिन साधना के उपरांत अस्थिपज्जर मात्र ही रहे होंगे, परंतु मूर्ति में कही कृशता का पता नहीं, उसके चारों ओर एक स्वर्गीय आभा नृत्य कर रही है।

इस प्रकार साहित्य तथा कलाओं में भी एक प्रकार का आदर्शात्मक साम्य देखकर उसका रहस्य जानने की इच्छा और भी प्रबल हो जाती

है। हमारे दर्शनशास्त्र हमारे इस जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं। भारतीय दर्शनो के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा में कुछ भी अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं, दोनों सत्य हैं, चेतन हैं तथा आनन्दस्वरूप हैं। ब्रह्म मायाजन्य है। माया अज्ञान है, भेद उत्पन्न करने वाली वस्तु है। जीवात्मा मायाजन्य अज्ञान को दूर कर अपना सच्चा स्वरूप पहचानता है और आनन्दमय परमात्मा में लीन हो जाता है। आनन्द में विलीन हो जाना ही मानव-जीवन का चरम उद्देश्य है। जब हम इस दार्शनिक सिद्धांत का ध्यान रखते हुए उपर्युक्त समन्वय पर विचार करते हैं, तब उसका रहस्य हमारी समझ में आ जाता है तथा उस विषय में और कुछ कहने-सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता उसमें धार्मिक भावों की प्रचुरता है। हमारे यहाँ धर्म की बड़ी व्यापक व्याख्या की गयी है और जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसको स्थान दिया गया है। धर्म में धारण करने की शक्ति है अतः केवल अध्यात्म पक्ष में ही नहीं, लौकिक आचारों विचारों तथा राजनीति तक में उसका नियंत्रण स्वीकार किया गया है। मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हुए अनेक सामान्य तथा विशेष धर्मों का नियंत्रण स्वीकार किया गया है। वेदों के एकेस्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद तथा पुराणों के अवतारवाद और बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन-समाज में हुई है। और तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत तथा व्यापक होता गया है। हमारे साहित्य पर धर्म की इस अतिशयता का प्रभाव दो प्रधान रूपों में पड़ा। आध्यात्मिकता की अधिवृत्ति होने के कारण हमारे साहित्य में एक ओर तो पवित्र भावनाओं और साधारण लौकिक भावों तथा विचारों का विस्तार नहीं हुआ। प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर हिंदी के वैष्णव साहित्य तक में हम यही बात पाते हैं। सामवेद की मनाहारिणी तथा मुद्गु गभीर ऋचाओं से लेकर गूर तथा मीरा आदि की सरस रचनाओं तक में सब पराध भावों की अधिवृत्ति तथा लौकिक विचारों की सूत्रता दर्शने में प्राचीन है।

उपर्युक्त मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि साहित्य में उच्च विचार तथा पवित्र भावनाएँ तो प्रचुरता में भर गयीं, परंतु उसमें लौकिक जीवन की अनुरूपता का प्रदर्शन नहीं हुआ। हमारी पल्पना अध्यात्म

पक्ष में तो निस्सीम तक पहुँच गयी; परंतु ऐहिक जीवन का चित्र उपस्थित करने से वह कुछ कुठित-सी हो गयी। हिंदी की चरम उन्नति का काल भक्ति-काव्य का काल है, जिसमें उसके साहित्य के साथ हमारे जातीय साहित्य के लक्षणों का सामंजस्य स्थापित हो जाता है।

साहित्य की देशगत विशेषताएँ

यद्यपि भारतीय साहित्य की कितनी ही अन्य जातिगत विशेषताएँ हैं परंतु हम उसकी दो प्रधान विशेषताओं के उपर्युक्त विवेचन से ही संतोष करके, उसकी दो-एक देशगत विशेषताओं का वर्णन करके यह प्रसंग समाप्त करेंगे। प्रत्येक देश के जलवायु अथवा भौगोलिक स्थिति का प्रभाव उस देश के साहित्य पर अवश्य पड़ता है और यह प्रभाव बहुत-कुछ स्थायी भी होता है। संसार के सब देश एक ही प्रकार के नहीं होते। जलवायु तथा गर्मी-सर्दी के साधारण विभेदों के अतिरिक्त उनके प्राकृतिक दृश्यों तथा उर्वरता आदि में भी अंतर होता है। यदि पृथ्वी पर अरब तथा सहारा जैसी दीर्घकाय मरुभूमियाँ हैं तो साइबेरिया तथा रूस के विस्तृत मैदान भी हैं। यदि यहाँ इंग्लैंड तथा आयरलैंड जैसे जलावृत द्वीप हैं तो चीन जैसा विस्तृत भूखंड भी है। इन विभिन्न भौगोलिक स्थितियों का उन देशों के साहित्य से संबंध होता है, इसी को हम साहित्य की देशगत विशेषता कहते हैं।

हिंदी की देशगत विशेषताएँ

भारत की शस्यश्यामला भूमि में जो निसर्ग-सिद्ध सुपमा है, उससे भारतीय कवियों का चिरकाल से अनुराग रहा है। यों तो प्रकृति की साधारण वस्तुएँ भी मनुष्य-मात्र के लिए आकर्षक होती हैं, परंतु उसकी सुंदरतम विभूतियों में मानव-मनोवृत्तियाँ विशेष प्रकार से रमती हैं। अरब के कवि मरुस्थल में बहते हुए किसी साधारण-से क्षरने अथवा ताड़ के लंबे-लंबे पेड़ों में सौंदर्य का अनुभव कर लेते हैं, तथा ऊँटों की चाल में ही सुंदरता की कल्पना कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने भारत की हिमान्छादित शैलमाला पर संध्या की सुनहली किरणों की सुपमा देखी है, अथवा जिन्हें घनी अमराइयों की छाया में कल-कल ध्वनि से बहती

निर्झरिणी तथा उसकी समीपवर्तिनी लताओ की वसतथी देखने का अवसर मिला है, साथ ही जो यहाँ के विशालकाय हाथियो की मतवाली चाल देख चुके हैं उन्हें अरब की उपर्युक्त वस्तुओ मे सौंदर्य तो क्या, हाँ उलट नीरसता, शुष्कता और भद्दापन ही मिलेगा। भारतीय कवियो को प्रकृति की सुरम्य गोद मे थ्रीडा करने का सौभाग्य प्राप्त है। वे हरे-भरे उपवनो मे तथा सुंदर जलाशयो के तटो पर विचरण करते हुए प्रकृति के नाना सश्लिष्ट तथा सजीव चित्र जितनी मार्मिकता, उत्तमता तथा अधिकता से अंकित कर सकते हैं, एव उपमा-उत्प्रेक्षाओ के लिए जैसी सुंदर वस्तुओ का उपयोग कर सकते हैं, वंसा रूखे-सूखे देशो के निवासी कधि नही कर सकते। यह भारतभूमि की ही विशेषता है कि यहाँ के कवियो का प्रकृति-वर्णन तथा तत्सभूत सौंदर्यज्ञान उच्चकोटि का होता है।

प्रकृति के रम्य रूपो से तल्लीनता की जो अनुभूति होती है, उसका उपयोग काव्यगण कभी-कभी रहस्यमयी भावनाओ के संचार मे भी करते हैं। यह अखंड भूमंडल तथा असंख्य ग्रह-उपग्रह, हिम-राशि अथवा जल, वायु, अग्नि, आकाश कितने रहस्यमय तथा अज्ञेय हैं। इनकी सृष्टि संचालन आदि के सबध मे दार्शनिको अथवा वैज्ञानिको ने जिन-जिन तत्त्वो का निरूपण किया है वे ज्ञानगम्य अथवा बुद्धिगम्य होन के कारण शुष्क तथा नीरस हैं। काव्य जगत् मे इनकी शुष्कता तथा नीरसता से काम नही चल सकता, अतः कविगण बुद्धिवाद के चक्कर मे न पडकर व्यक्त प्रकृति के नाना रूपो मे एक अव्यक्त किंतु सजीव सत्ता का साक्षात्कार करते तथा उसस भावमग्न होते हैं। इसे हम प्रकृति सबधी रहस्यवाद कह सकते हैं, और व्यापक रहस्यवाद का एक अंग मान सकते हैं। प्रकृति के विविध रूपो मे विविध भावनाओ के उद्भेक की क्षमता होती है, परंतु रहस्यवादी कवियो को अधिकतर उसके मधुर रूप से प्रयोदन होता है, क्योंकि भावावेश के लिए प्रकृति के मनोहर रूपो की जितनी उपयोगिता होती है, उतनी दूसरे रूपो की नही होती। यद्यपि इस देश की उत्तर-वालीन विचारधारा के कारण हिंदी मे बहुत थोडे रहस्यवादी कवि हुए हैं, परंतु कुछ प्रेमप्रधान कवियो ने भारतीय मनोरम दृश्यो की सहायता से अपनी रहस्यमयी उक्तिओ को अत्यधिक सरस तथा हृदयप्राही बना दिया है। यह भी हमारे साहित्य की एक देशगत विशेषता है।

राष्ट्रभाषा हिंदी और राष्ट्रीय एकता

लक्ष्मीनारायण सुधांशु

हिंदी विरोधी लोगो की हिंदी को एकमात्र राष्ट्रभाषा मानने के विरुद्ध मुख्य दलील यह है कि हिंदी से राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ जायेगी। उनकी विचार पद्धति में भारत में भाषागत एकता अंग्रेजी के माध्यम से है और अंग्रेजी के हटाने से भारत की राष्ट्रीय क्षति होगी। यदि हिंदी-विरोधी लोगो का यह तर्क सही है तो भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए, जिसमें केवल भाषागत अनेकता ही नहीं है, अन्यान्य प्रकार की भी अनेकताएँ हैं, यह एक गभीर समस्या है।

यदि हम शांत चित्त से इस पर विचार करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि हिंदी के राष्ट्रभाषा बन जाने से देश पर जो पहला प्रभाव पड़ेगा, वह उसकी एकता पर नहीं, उसकी व्यवस्था पर और वह भी प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित हो जाता है कि अब तक जो तथ्यांकित भाषागत एकता हमारे देश में रही है, वह सचमुच एकता नहीं, केवल प्रशासन विषयक व्यवस्था अथवा सुविधा है जिसे अंग्रेजी राज्य ने, अंग्रेजी भाषा भाषी प्रशासको ने अपनी सुविधा के लिए इस पर लाद दिया था। हमारे देश की एकता नहीं, अंग्रेज शासको की प्रशासनिक एकता रही है।

राष्ट्रीय एकता के दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं—सांस्कृतिक और भाषात्मक। भाषागत एकता सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत आती है। साथ ही भाषात्मक एकता में भी भाषा का प्रबल प्रभाव रहता है। किसी देश की संस्कृति के माध्यम हैं—धर्म, कुला, दर्शन, साहित्य और भाषा। धार्मिक मान्यताएँ, कलात्मक अनुभूतियाँ, दार्शनिक धृतिमा, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ और इन सबकी अभिव्यक्ति के माध्यम आदि का सम्यक स्वरूप उस देश की संस्कृति का सूचक है। जब तक इन माध्यमों में एकता नहीं होगी, उस संस्कृति में भी एकता का विकास नहीं हो सकेगा। भारत में सौभाग्य से इन माध्यमों में घषेष्ट एकता रही है। केवल भाषा की दृष्टि से पिछली कुछ राजादियों से राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया में कुछ पड़ रही है। किंतु अन्य माध्यम, विषय रूप से धार्मिक और दार्शनिक

इतने प्रबल हैं कि भाषागत व्यवधान का अधिक प्रभाव नहीं हो सका। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं ने बहुत दूर तक उत्तर भारत में भाषा-व्यभिचय को प्रायः नियंत्रित रखा। लेखन-काय सस्कृत या तत्कालीन प्राकृत और अपभ्रंश में ही रह गई। तक्षशिला से बंगाल तक बोली जाने वाली प्राकृत भाषाएँ एक-दूसरे से इतनी भिन्न नहीं थी जितनी आजकल की पंजाबी और बंगला। मूल आय भाषाओं से इनका इतना स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था कि जनसाधारण को किसी अन्तर्देशीय माध्यम की आवश्यकता पड़ती। इसके अतिरिक्त उस समय के लोगों की आवश्यकताएँ भी सीमित थीं। बौद्धिक अभिवृत्तियाँ या जिज्ञासाएँ बहुत अधिक नहीं थीं। दैनिक जीवन की बातें लोग सहज जान-संजान जाते थे। जिन्हें अधिक समय और समृद्ध भाषा की आवश्यकता होती थी, वे सस्कृत का व्यवहार करते थे। एक प्रकार से सस्कृत हमारी भाषागत एकता की माध्यम थी।

भावात्मक एकता प्रत्येक देश में अपने-अपने ढंग की होती है। कभी-कभी यह इतनी विचित्र भी होती है कि आज के वैज्ञानिक युग में उसे भावुकता या जोश भी कहा जा सकता है, जैसे भारत में अंग्रेजों के अधिकार के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना। इस राष्ट्रीय भावना ने आधी-शताब्दी तक भावात्मक एकता का काम किया। आज चीन के आक्रमण ने भी देश में भावात्मक एकता की यही स्थिति उत्पन्न कर दी है। आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक देश में ऐसी एकता आशातीत तीव्रता प्राप्त कर लेती है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। इस एकता में सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व है इसकी भावना की व्यापकता। जब तक देश का बच्चा-बच्चा राष्ट्रीय भावना के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकता तब तक यह एकता अपूर्ण ही मानी जायेगी। सांस्कृतिक एकता कुछ अर्थों में एक वर्ग विशेष या केवल वयस्क नागरिकों तक ही सीमित रह सकती है। उतने में ही वह पूर्ण प्रभावशालिनी है। परन्तु भावात्मक एकता राष्ट्रनिर्माण का अद्भुत एवं सुदृढ़ तत्त्व है। उसका सबंध इतिहास के हर अध्याय से होता है।

आधुनिक युग में स्थिति क्रांतिकारी रूप से बदल रही है। एक माँ से जन्मे भाषाओं के रूप बहुत भिन्न हो गये हैं। लोगों की आवश्यकताएँ,

जिज्ञासाएँ और अभिलाषाएँ भी बदल रही हैं। इसके लिए उन्हें उपयुक्त माध्यमों की आवश्यकता है। कला और दर्शन के माध्यम में नाना प्रकार के प्रयोगों द्वारा जिस प्रकार एक सर्वग्राह्य और सर्वमान्य तत्त्व की खोज तेजी से चल रही है, वह भाषा के क्षेत्र में भी है। एक भाषा या एकाधिक भाषा-भाषी देशों में यह खोज अपेक्षाकृत सहज है, पर भारत जैसे बहुभाषा-भाषी और बहुलिपि वाले देश में यह खोज बहुत कठिन है। दुर्भाग्यवश गुलामी के कारण भारत पर एक बहुत ही शक्तिशाली और आक्रमक भाषा ने अधिकार जमा लिया है। फलस्वरूप भारतवासी भावात्मक एकता की दिशा में अरनी एक भाषा की खोज में पथभ्रष्ट और विवेकशून्य हो गये हैं, यहाँ तक कि हमारे कुछ नेता भी राष्ट्रभाषा के महत्त्व और मूल्य को आज तक नहीं समझ पाये हैं। साहित्य, दर्शन और कला की व्यापकता आज के युग में जन-जन तक पहुँच रही है। विज्ञान के व्यापक प्रभाव ने इसमें और भी योग दिया है। अतएव सांस्कृतिक एकता के लिए वही भाषा ईमानदारी से काम कर सकती है, जो उस संस्कृति की सहगामिनी रही हो, उसके साथ हँसी और रोयी हो, जो देश में किसानों के घर से लेकर ससद् भवन तक व्याप्त हो। संस्कृति और भावना का दर्पण तथा माध्यम वही भाषा हो सकती है, जिसमें वहाँ की बहू-वेटियाँ रोती और गाती हो। ऐसी भाषा वही हो सकती है, जो केवल पाठशालाओं में ही नहीं पढायी जाती हो, बल्कि समाज और जीवन में भी स्वतः विद्यमान हो। निश्चय ही भारत में यह भाषा अंग्रेजी अथवा फारसी नहीं हो सकती, हिंदी, तमिल या बंगला हो सकती है। भारत की राष्ट्रभाषा एक भारतीय भाषा हो, इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। मतभेद केवल इस पर हो सकता है कि वह भाषा हिंदी हो या अन्य कोई भारतीय भाषा। वस्तुतः जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं, उनको विरोध की सारी प्रेरणा अंग्रेजी से मिली है, तमिल या मराठी से नहीं। केवल अपनी अंग्रेजी-भक्ति को जाने या अनजाने छिपाने के लिए ही वे राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। यदि हिंदी के अतिरिक्त कोई दूसरी भारतीय भाषा इस काम को करने में समर्थ हो तो उस पर सबको सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। जब तक अंग्रेजी हटायी नहीं जाती तब तक किसी भारतीय भाषा को समुचित विकास का अवसर नहीं मिल सकेगा। यदि

वे स्वयं एक बार अपने अर्द्ध चेतन मन को टटोलें तो उन्हें इसकी प्रतीति हो जायेगी। ऐसे लोगों का हिंदी-विरोध कई कारणों से है—यथा राजनीतिक, प्रशासकीय, मानसिक और वैयक्तिक।

अब प्रश्न है कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों हो ? इसके समर्थन में दो पक्षों पर विचार होना चाहिए। एक तो राष्ट्रीय एकता सबंधी और दूसरा इस वंशानिक और व्यावहारिक युग में उपयोगिता सबंधी। किसी देश की राष्ट्रभाषा वहाँ की उस भाषा को होना चाहिए। (१) जिसमें अधिक से अधिक देशवासियों के हृदय और मस्तिष्क को प्रभावित करने की क्षमता हो, (२) जिसमें अधिक से अधिक अतर्कनीय तत्त्व विकसित हो, (३) जिसका स्वरूप अधिक से अधिक अतर्जतीय अर्थात् राष्ट्रीयता के निकट हो, और (४) जो सीखने तथा बोलने में सहज हो, जिससे अन्य भाषाभाषी भी उसे सरलता से अपना सकें। हिंदी में ये सभी योग्यताएँ हैं। यह लगभग २० करोड़ भारतीयों की अपनी भाषा है, जो देश की लगभग ४४ प्रतिशत आबादी के बराबर है। अंग्रेजी भाषा हमारे देश के ऊपर इस प्रकार लद गयी है कि वह हटाये नहीं हटती। सारे देश में केवल एक प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा ने हमारी पराधीनतामूलक प्रवृत्ति के कारण इतना महत्त्व प्राप्त कर लिया है कि वह हमारे सिर पर भूत की तरह नाच रही है। अंग्रेजी भाषा वे ही लोग बोल या समझ सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी-लिखी हो, किंतु हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषा के सबंध में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिन्होंने हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषा को पढ़ा-लिखा नहीं भी है वे भी अपने-अपने क्षेत्र में उस भाषा में बोल सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। राष्ट्रीय एकता के विचार से भारतीय भाषा के पक्ष में यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है।

हिंदी ही एक भारतीय भाषा है जो पाँच राज्यों की राजभाषा और एक राज्य की दो में से एक राजभाषा है। बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आचार-व्यवहार में एक-दूसरे से कुछ भिन्नता रखते हुए भी हिंदी के द्वारा एक सूत्र में आवद्ध हैं। तमिल और मलयालम, असमिया और उडिया में यह योग्यता नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोग किसी जाति विशेष के नाम से नहीं पुकारे जाते। बंगला बोलने

चाले बंगाली और पंजाबी बोलनेवाले पंजाबी कहलाते हैं। परन्तु उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के निवासी को क्या कहा जाये? वस्तुतः हिंदी-भाषी क्षेत्र का स्वरूप मिश्रित है, जिसमें कई जातियों, कई भाषा भाषी लोगो के चरित्र और स्वभाव का प्रतिबिम्ब और भावनाएँ परिलक्षित होती हैं। आज से नहीं, इतिहास के आरम्भ से आर्यावत का आंतरिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक निर्माण ऐसे ही तत्त्वों से हुआ है। हिंदी भारत की सरलतम भाषा है। हिंदी की लिपि भी भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधि भाषा संस्कृत की देवनागरी लिपि है। महाराष्ट्र को लेकर यह आघे से अधिक भारतीयों की लिपि है। देवनागरी लिपि के समान वैज्ञानिक, नियमित और व्यवस्थित लिपि शायद ही कोई हो। यो यह सच है कि प्रत्येक लिपि में अपनी क्षेत्रगत ध्वनियों की विशेषताएँ कुछ रहती ही हैं।

संक्षेप में, यदि हम राष्ट्रीय एकता को भलीभाँति समझें, अपने देश में व्याप्त और अपेक्षित एकता को तुलनात्मक दृष्टि से देखें, यदि राष्ट्रीय एकता और प्रशासकीय व्यवस्था के भेद को भलीभाँति जानें, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि राष्ट्रीय एकता और ज़बदस्ती लादी हुई विदेशी भाषा का यदि कोई संबंध हो सकता है, तो वह राष्ट्रीय फूट और लज्जा का ही होगा। यदि भारतीय भाषाओं में से ही किसी को राष्ट्र-भाषा का पद दिया जा सकता है, तो हिंदी को छोड़कर कोई दूसरी भाषा उसकी शर्तें पूरी नहीं करती।

परिशिष्ट

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी

जन्म . १९०७ ई०

हिंदी साहित्य के इतिहास को भारतीय सांस्कृतिक भावधारा के सदस्य में परखने वाले आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हिंदी के शीर्षस्थानीय साहित्यकार हैं। द्विवेदीजी का अध्ययन-क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। इनके कृतित्व में आये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और बंगला के उद्धरणों की बहुलता इसका प्रमाण है। शांतिनिकेतन में द्विवेदीजी गुरुदेव और आचार्य क्षितिमोहन सेन के निकट संपर्क में रहे तथा उन्हें यही वह नवीन आस्था और विश्वास की जीवन-दृष्टि मिली जो साहित्य को मात्र सौंदर्यानुभूति की वस्तु न मानकर उसे मानव के आत्यन्तिक हित का साधन स्वीकार करती है। यही वजह है कि द्विवेदीजी के संपूर्ण सृजन-कर्म में मानव की श्रेष्ठता को प्रतिष्ठित करने का अभूतपूर्व प्रयास है।

विषय-वैविध्य की दृष्टि से द्विवेदीजी का लेखन-क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। 'बाणभट्ट की आत्मकथा' जैसे श्रेष्ठ उपन्यास के लेखक आप ही हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएँ हैं—'मूर साहित्य', 'हिन्दी साहित्य की भूमिका', 'कवीर', 'चारु चंद्रलेख', 'अशोक के फूल', 'कल्पलता', 'आलोकपर्व' आदि।

'अशोक के फूल' और 'कल्पलता' संग्रह के कतिपय निबंध ललित निबंधों की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। यदि निबंध में कारयित्री प्रतिभा का प्रभाव देखना है तो ये दोनों सकलन पर्याप्त हैं। इन निबंधों में लेखक के व्यक्तित्व की छाप सुस्पष्ट है। विषय-अभिव्यंजना में अध्ययन की व्यापकता, लोकमंगल की दृष्टि और हास-परिहासमयी शैली का सहज समन्वय दर्शनीय है।

'शिरीष के फूल' द्विवेदीजी के 'कल्पलता' संग्रह में आये ललित

निबन्धों का सुंदर प्रतिनिधित्व करता है। इस निबन्ध का आरम्भ बड़े सहज और हल्के ढंग से हुआ है, लेकिन द्विवेदीजी की भावधारा में हमारी सांस्कृतिक स्मृतियाँ साकार हो उठती हैं। पुराण, धर्म, दर्शन सभी कुछ इतनी सरलता से यहाँ समन्वित होते चले जाते हैं और लेखक केवल शिरीष के फूल को केंद्र मानकर भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं जातीय जीवन की मोहक झाँकी प्रस्तुत करता जाता है। बीच-बीच में आने वाले हास-परिहास और व्यंग्य-विनोदमूलक वाक्य, यथा—'मैं तुदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे चाहे तो लोह का पेड़ बनवा लें' निबन्ध को और भी अधिक सवेदनीय बना देते हैं।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विचार-गाभीर्य, सुसंबद्ध विचार-शृंखला, विषय की स्पष्टता, विश्लेषण की सूक्ष्मता, प्रवाहपूर्ण पुष्ट-समर्थ भाषा द्विवेदीजी के निबन्धों की कुछ अविस्मरणीय विशेषताएँ हैं।

शिरीष के फूल

निर्धूम = धुआँ रहित। लहक उठना = लहराना, उत्कण्ठित होना। निर्पात = निडर, निभय। कालजयो अवधूत = वह योगी जिस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंगलजनक = शुभ, कल्याणकारी। पुन्नाग = ज्ञायफल। धनमसृण हरीतिमा = सघन कोमल हरियाली। परिवेष्टित = आच्छादित, आवृत। तुदिल = बड़ा पेट वाला। धकिया-कर = धक्का देकर। सपासप = तीव्र गति से, अबाध। दुरत = अपार, प्रचंड, दुस्तर। अनासक्त = जो किसी विषय में आसक्त न हो। अनावित = पवित्र। उपालभ = उलाहना। कार्पण्य = कजूसी, कृपणता। धुध्र = उज्ज्वल। कृपीवत्त = किसान। निर्दलित इधु-दड = रस से परिपूर्ण गन्ना, अमर्दित गन्ना। अघ्रभेदी = गगनचुबी, बहुत ऊँचा। अतिप्रम = पार।

प्रश्न —

१ शिरीष के फूल को देखकर लेखक के हृदय में जिन भावों का उदय हुआ, उन्हें अपनी भाषा में लिखिए।

- २ शिरीष के फूल को माध्यम बनाकर लेखक ने हमें कौन-कौन से महत्त्वपूर्ण विचार-सूत्र प्रदान किये हैं ? मानव जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है ? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए ।
- ३ भारतीय साहित्य और जीवन में शिरीष के फूल के महत्त्व को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए ।

विद्यानिवास मिश्र

जन्म • १९२५

आधुनिक हिंदी निबंध को जिन्होंने अपनी अनुभूति से समृद्ध कर साहित्य को शाश्वत के साथ साथ सामयिक प्रेरणा-स्रोतों से सम्पृक्त किया है, उन निबंधकारों में विद्यानिवास मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। मिश्रजी निबंध के क्षेत्र में अपने को आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'अनुवर्ती अनुज' मानते हैं। यही कारण है कि उनके निबंधों में आचार्य द्विवेदी की सामजस्यमूलक प्रवृत्ति के ललित पक्ष पर अत्यधिक बल दिया गया है। लेकिन साथ ही उनके निबंधों का वैचारिक आधार भी अत्यधिक सुदृढ़ है। मिश्रजी के प्रायः सभी ललित निबंध लोकजीवन, सामयिक समस्याओं और प्राकृतिक उपादानों को लेकर लिखे गये हैं। उनके निबंधों में विषयों की विविधता द्रष्टव्य है। प्रत्येक निबंध मिश्रजी के व्यक्तित्व की छाप से युक्त है। प्रस्तुतीकरण की सरलता, व्यंग्य का तीखापन और संवेदना पाठकों को तो अभिभूत करती ही है, लक्ष्य-व्येधन में भी पूर्ण समर्थ हैं। कहना न होगा कि मिश्रजी के निबंधों में जो आचलिकता का पुट है उससे उनके निबंध और भी अधिब सहेज संवेदनीय बन गये हैं।

मिश्रजी के प्रकाशित निबंध सरुलन हैं— 'छितवन की छाँह', 'बदब की फूली डाल', 'तुम चदन हम पानी', 'आँगन का पछी और बनजारा मन' तथा 'मैंने सिल पहँचाई'।

प्रस्तुत सरुलन में मिश्रजी का 'प्रभुत्व-ज्वर अस्पताल' ललित निबंध उनके 'आँगन का पछी और बनजारा मन' से लिया गया है। इस

निबन्ध के द्वारा लेखक ने स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् पनपी प्रभुत्व-ज्वर से ग्रसित नयी भारतीय नौकरशाही पर आघात किया है। इस नौकरशाही के 'ससार में केवल एक ही सीमित सत्य है शक्ति को आत्मसमर्पण से पाना, उस ससार की एक ही क्रिया है क्रिया का निषेध। जितना ही जो क्रिया से बचता है उतना ही वह अधिक सक्रिय कहा जाता है, और जितना ही जो काम बढ़ाता जाता है उतना ही वह अधिक कामचोर गिना जाता है। उस ससार में एक ही सुख है अपने अधीनस्थ लोगों के प्राण मूत्र जँगलियों में बाँध रखने की तृप्ति। उस ससार में एक ही स्थिति है कुर्सी, और एक ही गति है मेज़।' मिश्रजी के ये शब्द आज भी सत्य हैं। देश के शासन तंत्र पर नौकरशाही हावी है। आज भी सदन और विधान सभा में प्रजातांत्रिक नीतियों एवं योजनाओं की असफलता का श्रेय इस नौकरशाही को ही दिया जाता रहा है, जो प्रभुत्व-ज्वर से घुरी तरह ग्रस्त है।

यह निबन्ध अपनी विषय-स्थापना, दृष्टिभाव और शैली में बेजोड़ है।

प्रभुत्व-ज्वर अस्पताल

भिषग् = वैद्य। भवरोग = सासारिक रोग। खुमार = तशा। जरसी सस्कृति = अमेरिकी सस्कृति। प्राणातक कष्ट = अत्यधिक कष्ट, असह्य वेदना। पेचीदी = जटिल। चगे = स्वस्थ।

प्रश्न :—

- १ 'प्रभुत्व-ज्वर अस्पताल' से लेखक का क्या तात्पर्य है, अपने शब्दों में लिखिए।
- २ प्रस्तुत पाठ के आधार पर देश में व्याप्त नौकरशाही के आचरण का विश्लेषण संक्षेप में कीजिए।

डॉ० शिवप्रसाद सिंह

कहानीकार, आलोचक और निबन्ध लेखक डॉ० शिवप्रसाद सिंह व्यक्तित्व के सस्पर्श से युक्त निबन्ध लिखने वाले नये लेखकों में उल्लेख्य हैं। अच्छे ललित निबन्ध लेखक के लिए अनिवाय गुण विद्वत्ता, फक्कडपन, यायावरी वृत्ति, लोककथा प्रेम, सूक्ष्म विचार-शक्ति, और गद्य काव्य की शैली सभी उनमें मौजूद है। आधुनिक दृष्टि-संपन्न साहित्यकार होते हुए भी आप परंपरा के प्रति पूर्ण आस्थावान हैं। गरीबों की हिमायत, जमींदारों की निंदा, रुढ़ियों का विरोध आपके कृतित्व के प्रमुख स्वर हैं। आपकी प्रतिबद्धता मनुष्य की मनुष्यता के प्रति है क्योंकि मनुष्यता से बड़ा कोई मजहब नहीं।

आपके दो ललित निबन्ध संग्रह— 'शिखरों का सेतु' एवं 'कस्तूरी मृग' प्रकाशित हैं। 'मुरदा सराय' आपका बहुचर्चित कहानी-संग्रह है। 'भूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य' तथा 'आधुनिक परिवेश और नव-लेखन' आपके समीक्षा ग्रंथ हैं।

प्रस्तुत निबन्ध 'हिप्पियो का 'हैवन'—बाराणसी' 'कस्तूरी मृग' संग्रह से लिया गया है। हिप्पी दुनिया के सर्वाधिक विकसित एवं शक्तिशाली जनतंत्र वाले देश अमरीका की गत दिनों चर्चित वह पीढी है जिसने वहाँ की वर्तमान समाज-व्यवस्था और राजनीतिक-आर्थिक तंत्र सबको नकार दिया है। गाँजा, चरस तथा एल० एस० डी० जैसे मादक द्रव्य उनके पायेय हैं। हमारे देश के लोग चाहे उन्हें हेय दृष्टि से देखते हों लेकिन डॉ० शिवप्रसाद सिंह उनसे बहुत अधिक प्रभावित हैं—'उनके भीतर विद्यमान रहस्य को जानने की अबाध अभीप्सा से।' लेखक का प्रश्न है उन लोगों से जो हिप्पियो को निकृष्ट या मरभुखे मानते हैं, कितने हैं ऐसे लोग जो अपनी सभ्यता और सस्कृति को मुमूर्षु देखकर एक नयी जीवत सस्कृति की खोज में इस तरह दर दर की ठोकें खाते फिरें?' और हिप्पियो के प्रति लेखक का यह भाव 'बुराई के भीतर छिपी अच्छाई से आँख मूढ़ लेना भविष्यत् मानवता की आचार-सहिता को स्वीकार्य नहीं होगा', उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है जहाँ मनुष्यता से बड़ा कोई मजहब नहीं।

कहना न होगा कि डॉ० शिवप्रसाद सिंह के निबन्धों में ज़िदगी की 'साखी' हैं, उनके भावबोध में माटी के स्पर्श की सोधी गध है और हैं जीवन से टकराती हुई समस्याओं की खट्टी-मीठी अनुभूतियाँ ।

हिप्पियों का 'हैवन'—वाराणसी

घोते=घोसला । गाउटी=गमछा । वाटक=योग की एक मुद्रा ।
 वाक्रांत=भयभीत । चाकचिक्य=चमक-दमक । मार्बिड=अस्वस्थ ।
 अभीप्सा=इच्छा, कामना । खुदक्का=धक्का । गुरियो=छिद्रवाले
 माला के बीज । गुहार=पुकार । आइसिस=मिस्र की एक देवी ।
 देमेटर=ग्रीक देवी जो कृषि और विवाह की सरक्षिका है । मेडोना=
 कुमारी मरियम, फ्राइस्ट की माँ । रास सामरा=पश्चिमी सीरिया में
 स्थान विशेष । ईस्तर=असीरिया और बेबीलोनिया की प्रेम और युद्ध
 की अधिष्ठात्री देवी । सेरेस=रोम की कृषि की अधिष्ठात्री देवी ।
 पलावर जेनरेशन=हिप्पी । मुमूर्षु=जो मरण के समीप हो । गलीज=
 हेय, निकृष्ट ।

प्रश्न :—

१. प्रस्तुत पाठ के आधार पर हिप्पी पीढी के जन्म के कारणों को स्पष्ट कीजिए ।

या

'हिप्पीवाद' से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए ।

२. हिप्पियों की कौन-कौन-सी विशेषताओं ने लेखक को प्रभावित किया है और क्यों ? युक्तियुक्त उत्तर दीजिए ।

हरिशंकर परसाई

जन्म २२ अगस्त, १९२४

हरिशंकर परसाई हिंदी व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में एक अत्यंत सुपरिचित नाम

है। परसाईजी ने आधुनिक हिंदी व्यंग्य लेखन को एक सर्वथा नवीन मोड़ दिया है। आपका हास्य व्यंग्य हिंदी के अन्य व्यंग्यकारों से भिन्न और विशिष्टता लिये हुए है। अपनी रचनाओं में परसाईजी ने स्थितियों को इतने सही और सशक्त ढंग से उभारा है कि व्यंग्य केवल शाब्दिक चमत्कार और घटनाओं का वर्णन मात्र न रहकर सामाजिक और राजनीतिक चेतना से संपन्न हो गया है। परसाईजी का लेखन सोद्देश्य है, इसलिए उनके साहित्य में सामयिक जीवन की विसंगतियों और विरूपता का चित्रण ऐसे सहज रूप में हुआ है कि स्थितियों के अंतराल में निहित व्यंग्य अपने-आप उभरकर सामने आ जाता है। आज के जीवन और समाज में व्याप्त अंतर्विरोधों, विसंगतियों, भ्रष्टाचार और दोग की कलाई खोलने और भद्रता के मुखौटे धारण करनेवालों को बेनकाब करने में परसाईजी बेजोड़ हैं।

एक लंबे असें तक महाविद्यालयों में अध्यापन करने के उपरान्त सप्रति, परसाईजी जबलपुर में एक दशाब्दी से स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपकी बहुप्रशंसित पुस्तकें हैं— 'हँसते हैं रोते हैं', 'जैसे उनके दिन फिरे' (कहानी-संग्रह), 'रानी नागफनी की कहानी', 'तट की खोज' (उपन्यास), 'तब की बात और थी', 'भूत के पाँव पीछे', 'बेईमानी की परत', 'पगडंडियों का जमाना', 'सदाचार का ताबीज', 'ठिठुरता हुआ गणतंत्र', 'शिकायत मुझे भी है', तथा 'अपनी-अपनी बीमारी' (निबंध-संग्रह) इसके अतिरिक्त आपकी हास्य-व्यंग्यमयी रचनाएँ पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित हो रही हैं।

प्रस्तुत सकलन में परसाईजी का प्रसिद्ध व्यंग्य निबंध 'ठिठुरता हुआ गणतंत्र' लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने आज की भारतीय जनता की असहाय एवं करुण स्थिति का चित्र यथाथवादी ढंग से अंकित करने के साथ-साथ देश के विभिन्न सत्ताकामी राजनीतिक दलों की स्वार्थपरता और एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने की प्रवृत्ति, राज्य सरकारों के भ्रष्ट कारनामों और मिथ्याचार तथा नौकरशाहों की लाल फीताशाही पर तीखा एवं सार्यंक प्रहार किया है। सार्यंक प्रहार इसलिए कि यह निबंध पाठक की चेतना को न केवल झकझोरता ही है वरन् इस सही-गती व्यवस्था को आमूल-चूल बदलने की प्रेरणा भी देता है।

ठिठुरता हुआ गणतंत्र

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष = एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो सदस्य देशों की विदेशी मुद्रा विनिमय में सहायता करती है। भारतीय सहायता क्लब = पश्चिम के विकसित राष्ट्रों की एक संस्था जो भारत को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तले = नीचे। इडीकेटी काग्रस = इदिरा गांधी के नेतृत्व वाला काग्रस दल, नयी काग्रस। सिडिकेट काग्रस = सगठन काग्रस। सेक्युलर = धर्म निरपेक्ष। अशुमाली = सूय। सातवाँ बड़ा = प्रशांत महासागर में अमरीकी जहाजी बड़ा। मोटो = उद्देश्य। धौलघण्टा = मारपीट। प्रतिबद्ध = बंधे हुए। स्पिरिट = भावना। फरमान = आदेश। मुत्तवी = स्यंगित।

प्रश्न —

- १ 'ठिठुरता हुआ गणतंत्र' व्यंग्य निबन्ध समसामयिक भारतीय जीवन में व्याप्त विसंगतियों, भ्रष्टाचार और ढोंग पर तीखा प्रहार है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
- २ प्रस्तुत निबन्ध के आधार पर देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के समाजवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए।
- ३ इस निबन्ध में भारतीय दफ्तरो में व्याप्त लालफीताशाही को सही ढंग से उजागर किया गया है स्पष्ट कीजिए।

भगवतीशरण सिंह

जन्म १० नवंबर १९१९

भगवतीशरण सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सदस्य हैं और संप्रति भारत सरकार के जहाजरानी विभाग के मंत्री के साथ संयुक्त हैं। आपके साहित्य जीवन का समारंभ प्रसाद परिषद् चाराणसी के माध्यम से हुआ। आपने अनेक कहानियाँ और निबन्ध लिखे हैं। प्रकृति-दर्शन ने सदैव भ्रमण के लिए प्रेरित किया है। शिकार और गोल्फ

आपके प्रिय खेल हैं। 'जगल और जानवर' आपकी शिकार-सबधी कथाओं की सद्य प्रकाशित पुस्तक है। इस पुस्तक के प्रकाशन से हिंदी में शिकार सबधी विश्वसनीय पुस्तक के अभाव की पूर्ति हुई है।

इस पुस्तक में दस शिकार-कथाएँ हैं। भाषा सहज, सरल, प्रवाहमय है, शैली में एक निष्कपट आत्मीयता है, उपलब्धि और असफलता दोनों के प्रति लेखक के मन में एक सा भाव है, और कहीं पर अतिरजना नहीं। राजा जसजीतसिंह, कुंवर प्रेमराजसिंह जैसे धुरधर शिकारियों और लड्डन मियाँ जैसे पारखी चरित्रों के साथ लेखक ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के जंगलों का चप्पा-चप्पा छाना है।

प्रस्तुत सकलन में उनकी 'दक्षिणी सबलगढ़ का घायल शेर' शिकार-कथा 'जगल और जानवर' पुस्तक से सकलित की गयी है। 'सबलगढ़ का घायल शेर' आदमी के साहस से ज्यादा जानवर के शौर्य के प्रति सम्मान जगाता है। और लेखक का यही बड़प्पन है कि उसने जानवर के व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व के सामने छोटा नहीं किया है, अपने अह में इतना चूर नहीं हुआ कि करुणा के स्थलो पर भी स्थायी फेर दे। लेखक जगल के जानवरों के चारित्रिक अध्ययन में दक्ष है, यह कथा इसका प्रमाण है।

दक्षिणी सबलगढ़ का घायल शेर

गुलदार=एक प्रकार का कबूतर। हादसा=दुघटना। माकूल=उचित। इदमित्यम्=ऐसा ही। मचान=वाँसा का टट्टर बाँधकर बनाया हुआ स्थान जिस पर बँठकर शिकार खेलते हैं। अभिशप्त=शापित। मृगया=शिकार। निमिष=पलक मारने भर का समय। प्रतिशोध=बदला। नैसर्गिक=प्राकृतिक। आदमखोर=नरभक्षी।

प्रश्न :—

- १ 'दक्षिणी सबलगढ़ का घायल शेर' एक मार्मिक शिकार निबन्ध है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
- २ प्रस्तुत लेख में मनुष्य के साहस से अधिक महत्त्वपूर्ण जानवर के साहस को माना गया है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए।

- ३ प्रस्तुत लेख 'दक्षिणी सबलगढ़ का घायल शेर' जगली जानवरो की चारित्रिक विशेषताओपर अच्छा प्रकाश डालता है, स्पष्ट कीजिए।

‘सिद्धेश’

कलकत्ता हमारे देश का सबसे बड़ा शहर है और बड़े शहरों में आम आदमी की जो दयनीय हालत है उसका इस रिपोर्टाज में यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। केवल कलकत्ता का ही नहीं, अन्य महानगरी एवं बड़े शहरों के चरित्र का भी इसके आधार पर अंदाज़ लगाया जा सकता है।

आज की नयी पीढ़ी और विशेषतया विद्यार्थी वर्ग ग्रामीण और कस्बाती जीवन को छोड़कर बड़े शहरों की रंगीनी में खो जाना चाहता है। लेकिन यह वर्ग वहाँ की चमक-दमक से ही परिचित है, उसकी असली नारकीय स्थिति को वह नहीं जानता। इस दृष्टि से युवा पीढ़ी के सिद्धहस्त लेखक श्री सिद्धेश का प्रस्तुत रिपोर्टाज नयी पीढ़ी को शहर-बोध कराने में सहायक हो सकता है। कलकत्ता के रहने वाले श्री 'सिद्धेश' चर्चित कहानीकार और रिपोर्टाज-लेखक हैं।

कलकत्ता कितना अमीर, कितना गरीब

तहले वाले = मजिलवाले। हाकर्स = खोमचेवाले। ओकात = क्षमता। तन्दीली = परिवर्तन। फ्री लाइफ = सब प्रकार के नियंत्रण से रहित जीवन।

प्रश्न :—

१. 'साधारण लोगों को अब राजनीति या सरकार या भविष्य के प्रति किसी प्रकार के आश्वासन से कोई मतलब नहीं रह गया है। वे अधिक-से-अधिक वर्तमान में जीने पर ही विश्वास करने लगे हैं।' इस उक्ति की सत्यता पर 'कलकत्ता कितना अमीर, कितना

गरीब' रिपोर्टाज के आधार पर विचार कीजिए ।

- २ 'कलकत्ता कितना अमीर, कितना गरीब' किसी भी महानगर की समसामयिक स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए ।

हरिवंश वेदालंकार

श्री हरिवंश वेदालंकार गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी, हरिद्वार के स्नातक हैं । व्यवसाय से हिंदी-संस्कृत के योग्य अध्यापक तथा स्वभाव से धुमक्कड़ श्री वेदालंकार को गुरुकुल के पवित्र वातावरण, गंगा, हिमालय और क्षरनो की नैसर्गिक सुषमा ने जीवन के प्रभात से ही आकृष्ट किया है । परिणामत इन्होंने काश्मीर, दार्जिलिंग एव संपूर्ण हिमालय का पैदल ही भ्रमण किया है । नैनीताल, अल्मोडा, मसूरी, शिमला, कुल्लू आदि की यात्राएँ अनेक बार कर चुके हैं । गगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ-स्थलो का तथा हिमालय के उस पार कैलाश-मानसरोवर का दर्शन श्री वेदालंकार की यायावरी वृत्ति की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं ।

'मानसरोवर की लहरों में' श्री वेदालंकार का 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' के संलानी विशेषांक में प्रकाशित ताजा यात्रा-विवरण है । इस यात्रा-विवरण में अनंत महिमा से विभूषित सरोवर—मानसरोवर—के सौंदर्य का साक्षात्कार लेखक ही नहीं, पाठक भी करता है । कारण है कि श्री वेदालंकार ने यात्रा के दौरान पग-पग पर उपस्थित होनेवाली मुसीबतों एव नाना प्रकार की परिस्थितियों में अपनी मूझ-बूझ से तर्कपूर्ण सामंजस्य खोज लिया है । लेखक के इस यात्रा-वर्णन में साहित्यिक यात्रावृत्त के सभी गुण—बनजारों की मस्ती, पुरातत्वखोजियों की लगन, ऐतिहासिक दृष्टि, प्रकृति के साथ अबाध रूप से आँख-मिचौनी खेलनेवाला जुझारू सकल्प विद्यमान हैं ।

मानसरोवर की लहरों में

फकुद = शिखर, छोटी । गगनभेदी = आकाश का स्पर्श करने वाले ।

तुपार = बफ । परितुष्ट = सतुष्ट । रजोविहीन = धूस रहित । उपत्यका = पाटी । जल समाधि = डूबना ।

प्रश्न —

- १ मानसरोवर की लहरो में एक सुंदर यात्रा विवरण है, सोदाहरण समझाइए ।
- २ अनंत महिमा विभूषित मानसरोवर की यात्रा में लेखक और उसके मित्रों को किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उल्लेख कीजिए ।
- ३ इस यात्रा विवरण में लेखक की बनजारा वृत्ति और जुझारू सकल्प की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, स्पष्ट कीजिए ।

अगरचंद नाहटा

जन्म १९ मार्च, १९१२

अगरचंद नाहटा राजस्थानी साहित्य और जैन संस्कृति के साधक-व्याख्याता हैं। नाहटा जी ने गत ४५ वर्षों के अधिक परिश्रम से राजस्थान के दूरस्थ स्थानों से अनेक अज्ञात लेकिन महत्त्वपूर्ण पाठ्यनियमों को प्योबवर साहित्य भंडार को और भी अधिक संपन्न किया है। प्राचीन साहित्य और लोक-साहित्य के उद्धारको भी नाहटा जी का नाम प्रमुख है।

नाहटा जी ने लगभग ४० ग्रंथों का प्रणयन एवं मपादक कार्य किया है। आपकी कतिपय उल्लेखनीय रचितियाँ हैं— 'वीरानन्द जैन-जगत् गणेश', ऐतिहासिक जैन काव्य सग्रह युग प्रधान 'त्रिनन्दन मूर्ति', जानसार ग्रथावली 'सभा शृंगार एवं भक्तमाल' आदि। विभिन्न उच्चस्तरीय शोध-पत्रिकाओं में आपके अनेक उच्च प्रचलित ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप शोध संबंधी अनेक सस्थाओं के निदेशक एवं संचालक हैं। विभिन्न पत्रिकाओं के मपादक जयन्ता परामशदाता। लोकान्तर आपकी साहित्यिक रुचि-विधियाँ का केंद्र रहे हैं।

प्रस्तुत लेख 'राजस्थानी कला और साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा' में नाहटा जी ने राजस्थान के प्राचीन गौरव, राजस्थानी चित्रकला के विकास, उसकी विभिन्न शैलियों एवं विशेषताओं के उल्लेख के साथ-साथ राजस्थानी साहित्य की परंपरा, यहाँ के ग्रथ-भंडारों एवं उपलब्ध साहित्य के विभिन्न रूपों पर बहुत ही स्वच्छ एवं वर्णनात्मक शैली में प्रकाश डाला है। महत्वपूर्ण सूचनाओं के कारण इस लेख का राजस्थानी कला और साहित्य में अभिर्घटि रखने वालों के लिए विशेष महत्व है।

राजस्थानी कला और साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा

पुरातत्व=प्राचीन काल संबंधी विद्या। देवल=देवालय।
संवर्द्धन=वृद्धि करना। भित्ति-चित्र=दीवारों पर अंकित चित्र।
मेघाच्छन्न=बादलों से ढँका। ऋचाएँ=वैदिक मंत्र। सलिलार्णव=पानी का समुद्र।

प्रश्न —

- १ राजस्थान के विभिन्न नामों का उल्लेख करते हुए कला और साहित्य के क्षेत्र में यहाँ के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
- २ राजस्थानी चित्रकला के विकास पर प्रकाश डालते हुए उसके सविधान को स्पष्ट करने वाली विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
- ३ 'साहित्य की दृष्टि से यह प्रदेश अथाह सागर है', नाहटा जी के इस कथन का आशय स्पष्ट करते हुए यहाँ के विभिन्न ग्रथ-भंडारों का परिचय दीजिए।

महादेवी वर्मा

जन्म १९०७ ई०

महादेवीजी आजकल प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल हैं। चित्रकला और संगीत कला में दक्षता प्राप्त करके जीवन को कलामय बनाने में

आप पूर्ण सफल हुई हैं। बौद्ध दर्शन और उपनिषदों के अध्यात्म तत्त्व की धार अभिरुचि होने से रहस्यात्मक रचना की ओर आपकी निसर्गतः प्रवृत्ति हुई और वर्तमान युग के कवियों में आप रहस्य-भावना का अकन सर्वश्रेष्ठ रीति से करने में समर्थ हैं।

उनके कविता संग्रह हैं 'नीहार', 'रश्मि', 'नीरजा', 'साध्यगीत' और 'दीपशिखा'। गद्य-संग्रह हैं 'अतीत के चलचित्र', 'शूखला की कड़ियाँ', 'स्मृति की रेखाएँ', 'पथ के साथी', 'साहित्यकार की आस्था', 'स्मृति-चित्र' आदि।

महादेवी जी एक सफल गद्य-लेखिका एवं शैलीकार भी हैं। उनके सस्मरणों में गद्य का उदात्ततम एवं रमणीयतम रूप उपलब्ध होता है। इन सस्मरणों में उन्होंने उन पददलित एवं पीडित आत्माओं पर लिखा है, जो समाज द्वारा सदैव उपेक्षित रही हैं। इनमें भी प्रमुख स्थान अभिशप्त नारी-जीवन को मिला है। वैसे तो उनका संपूर्ण काव्य वेदनामय है किंतु इन सस्मरणों में उनकी वेदना का स्वर अधिक मुखर हुआ है। यहाँ कल्पना के स्थान पर अनुभूति की सघनता है। इन सस्मरणों की भाषा कवित्वमयी है। चित्रमयता उनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। इन सस्मरणात्मक निबंधों में सस्मरण, कहानी और निबंध तीनों के तत्त्वों का सम्मिश्रण हुआ है। कहानी की घटनात्मकता एवं चरित्र चित्रण, लेखिका के जीवन को प्रभावित करनेवाली सस्मरणात्मकता और आत्माभिव्यक्ति तथा निबंध की अनौपचारिकता इनमें विद्यमान है। उनकी भाषा पुष्ट एवं परिष्कृत है।

प्रस्तुत संग्रह में संकलित सस्मरणात्मक निबंध 'सुंघनी साहु' 'स्मृति-चित्र' के 'मेरे साथी' से उद्धृत है। इस सस्मरण में लेखिका ने छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि प्रसाद के प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनकी बाह्य रूप-रेखा और आंतरिक गुणों का आत्मानुभूतिपूर्ण चित्राकन किया है। प्रसादजी के प्रति व्यक्त लेखिका का ममत्व हमारे हृदय पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ता है।

सुंघनी साहु

निष्कप=स्थिर। स्वगत=अपने-आपसे कहना। स्वविर=पूज्य

बौद्ध भिक्षु । महाप्रयाण=मरण । अतःसलिला=भीतर-ही-भीतर बहनेवाली नदी । गोपनशील=अतर्मुखी प्रवृत्ति वाला । विपन्नता= गरीबी । सौहार्द=मैत्री भाव । सश्लिष्ट=मिला जुला । समष्टि= समूह, जगत् । श्रेय=मंगलदायक । प्रेय=प्रिय ।

आनदवादी=शैव दर्शन की वह विचारधारा जो जगत् को दुःखपूर्ण न मानकर आनन्दमय स्वीकार कर कर्म का सदेश देती है ।

प्रश्न :—

१. प्रस्तुत सस्मरण के आधार पर प्रसाद के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए ।
२. 'सुंघनो साहु' सस्मरण में महादेवी जी की आत्मीयता प्रसाद के प्रति छलकी पड़ती है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए ।

गोपालदास

श्री गोपालदास आकाशवाणी के केंद्र-निदेशक के रूप में सेवानुवृत्त हो चुके हैं। सन् १९५० के लगभग जब इलाहाबाद का साहित्यिक वातावरण अत्यधिक सजीव था तब श्री गोपालदास प्रयाग केंद्र के निदेशक थे और वहाँ के नवलेखन की धूम से उनका आंतरिक जुड़ाव था। यह वही समय था जब साहित्य में नवीन विधाओं के साहसी प्रयोग किये जा रहे थे। श्री गोपालदास की सस्मरण कृति—'जीवन की धूप-छाँव से' भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है।

यह सस्मरण 'एक जो चली गयी' श्री गोपालदास की उस नन्ही प्यारी पुत्री मधूलिका का सस्मरण है जो वहाँ के प्रत्येक साहित्यकार का स्नेहभाजन थी और नौवर्ष की अल्पायु में ही काल द्वारा निगल ली गयी थी। प्रस्तुत सस्मरण उसी बालिका की असाध्य बीमारी, साहस, प्रत्युत्पन्न मति, साहित्यिक रुचि और प्रबल इच्छाशक्ति का प्रामाणिक वर्णन है। इस सस्मरण को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है मानो आज भी पिता का बेदनापूरित हृदय उस दिवंगता से कह रहा हो—'मेरा यह

सस्मरण तुम्हारा स्मरण है, क्योंकि तुम्हारे अभाव को मैं आज भी बहुत तीव्रता से अनुभव करता हूँ। अपनी सबल भाव-प्रवणता और वर्णन की मौलिकता के कारण 'एक जो चली गयी' सस्मरण हिंदी-साहित्य की सस्मरण विधा में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर माना जायेगा, इसमें सदेह नहीं।

एक जो चली गयी

विलसना = शोभा पाना। मासूमियत = भोलापन। पृष्प पुरातन की वधू = लक्ष्मी। विद्रूप = भोडा, हास्यास्पद। अकारण = व्यर्थ। एवुलेंस = रोगीवाहन। पौ = प्रातःकाल।

प्रश्न :—

१. मधूलिका नाम की सार्थकता के सदर्थ में इस सस्मरण के केंद्रीय पात्र के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए।
२. इस सस्मरण के उन मार्मिक स्थलों का उल्लेख कीजिए जिनसे पिता के मर्म की ध्यया प्रकट होती है।

हरिवंशराय बच्चन

श्री हरिवंशराय बच्चन 'मधुशाला' के लोकप्रिय कवि हैं। कुछ दिन पूर्व बच्चन जी की आत्मकथा के दो खण्ड—'क्या भूलूँ-क्या याद करूँ' तथा 'नीड का निर्माण फिर' प्रकाशित हुए हैं जो हिंदी आत्मकथा साहित्य की प्रौढ़ता के प्रमाण हैं। इस आत्मकथा में बच्चन जी के कुशल गद्य लेखक का साक्षात्कार भी पाठक को होता है।

'याद रहा बचपन' बच्चन जी के प्रथम आत्मकथा छंद 'क्या भूलूँ-क्या याद करूँ' से लिया गया है। प्रस्तुत आत्मकथाश लेखक की शैशव-कालीन सुमधुर यादों के तटस्थ एवं मार्मिक वर्णन के कारण बहुत ही प्रभावशाली बन गया है। साथ ही समाज में उस समय व्याप्त

प्रथा के प्रति लेखक का दृष्टिकोण भी स्वस्य रूप में व्यक्त हुआ है। चम्पा का बालक बच्चन के प्रति सहज स्नेह मानो इसका प्राण है। हिंदू तथा मुसलमानों का उदार दृष्टिकोण भी इस आत्मकथा की एक और विशेषता है। भाषा की सहजता, वर्णन की सूक्ष्मता, सामाजिक परिवेश का चित्रण आदि प्रस्तुत आत्मकथा की कुछ अन्य उल्लेख्य एवं स्मरणीय उपलब्धियाँ हैं।

याद रहा बचपन

समाई=सामर्थ्य। निराकरण=दूर करना। पगत=पवित्र।
नागवार=असह्य। अजाब=जादू। आसेव=भूतपिशाच।

प्रश्न :—

१. प्रस्तुत आत्मकथा में अछूत प्रथा पर बच्चन जी के जो विचार हैं, स्पष्ट कीजिए।
२. इस पाठ के आधार पर आप जिन सामाजिक मान्यताओं से परिचित होते हैं, उनका उल्लेख संक्षेप में कीजिए।
३. 'आज भी प्रत्येक माँ अपनी सतान की कल्याण-कामना से बड़ी मनोतियाँ मानती है जो बच्चन के लिए उनकी माँ ने मानी' अपने पढ़े हुए पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए।

सत्येंद्र शरत

जन्म १० अप्रैल, १९२६

सत्येंद्र शरत ने एकाकी लेखन द्वारा अपने युग की सामाजिक चेतना को सशक्त बाणी दी है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् जन्मी नयी परिस्थितियों और आर्थिक दबावों में आज के औसत आदमी की स्थिति का यथार्थवादी ढंग से चित्रण करने वाले श्री शरत एकाकी में न तो पूर्व-कथा देने के पक्षपाती हैं, न ही पात्रों का परिचय। इनके पात्र स्वयं निज

की बातचीत द्वारा अपना परिचय पाठको और दर्शको को देते हैं। हाँ, कुछ निर्देश प्रभाव व्यञ्जना के लिए अवश्य प्रयुक्त किये गये हैं। कलात्मक-अभिव्यक्ति, नाटकीयता, सहज एवं प्रौढ भाषा तथा सवाद शरत के एकाकीयो की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं। आपके प्रकाशित सग्रह हैं—तार के खभे, 'इंद्र धनुष और नीलवमल'।

श्री शरत के इस सकलन में लिए गये एकाकी—समानातर रेखाएँ—में लेखक ने आज के आर्थिक दबाव के कारण टूटते परिवार के सकट में अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्थापना की समस्या को यथार्थ के घरातल पर प्रस्तुत किया है। समुक्त परिवारों का टूटना आज के समाज की ऐतिहासिक अनिवायता है। लेकिन भावुकता एवं निरर्थक मोह ऐसा होने में बाधक हैं। परिणाम सामने है पारस्परिक सबंधों में दिन प्रतिदिन बढ़ती कटुता। अतः म होता वही (परिवार का टूटना) है, लेकिन एक ट्रेजेडीके रूपमें जहाँ सद्भावना पूर्ण रूपसे समाप्त हो जाती है।

एकाकीकार श्री शरत ने बड़े ही नाट्य कौशल से इस समस्या को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्थापना का रूप दिया है। अपने प्रति बड़े भाई की शिकायत सुनकर अशोक का आत्मसम्मान उसे अलग होने का निणय लेने के लिए बाध्य करता है—'भाई साहब एक मजबूत दरस्त की आड में न कोई गोली चलाना सीख सकता है, न गोली से बचना। भाई साहब मुझे खुले मैदान में छोड़ दीजिए' और माँ से भी कहता है—'तुमने अपने बड़े लडके को आदमी बना लिया है। तुम चाहती हो, तुम्हारा छोटा लडका अधकचरा रह जाये? उसे भी तो खमाने की गर्म सर्द हवा खाकर आदमी बनने दो' "

इस प्रकार एकाकी का अतः आज के युग की एक विकट सामाजिक समस्या को मानवीय आत्मसम्मान के घरातल पर अवस्थित कर देता है।

समानातर रेखाएँ

यथासाध्य = भरसक। भरमाई = धर्मित। सुरखाव के पर = मति-रिक्त विशेषता। समुक्त = साथ। आवृत = ढका हुआ। गभीरता। सिन्धी = सक्की। आसरा = सहारा, अवलंब।

प्रश्न :—

- १ 'समानातर रेखाएँ' एकांकी में लेखक ने आज के आर्थिक दबाव के कारण टूटते परिवार के संकट में अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्थापना की समस्या को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए ।
२. 'समानातर रेखाएँ' का अशोक आज के नवयुवकों के लिए अच्छा आदर्श प्रस्तुत करता है, इस कथन को ध्यान में रखते हुए अशोक का चरित्र-चित्रण कीजिए ।
- ३ 'समानातर रेखाएँ' एकांकी की वर्णित समस्याएँ सभी मध्यवर्गीय लोगों की आज की समस्याएँ हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए ।

विष्णु प्रभाकर

जन्म : १२ जून, १९१२

श्री विष्णु प्रभाकर के नाट्य लेखन में रेडियो की प्रेरणा मूल कारण रही है। और यही वजह है कि इनके नाटकों में रेडियो-शिल्प बहुत स्पष्ट नज़र आता है। प्रभाकर जी की दृष्टि मानवतावादी है। इसीलिए यथार्थ पर आधारित आदर्श इनकी कृतियों का प्रमुख स्वर है। इनके कई रेडियो नाटक-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं—'मीना कहाँ है?' 'युगसंधि', 'प्रकाश और परछाई', 'सम-विपम रेखा', 'साँप और सीढ़ी', 'अशोक', 'जहाँ दया पाप है' आदि।

इस संकलन में लिया गया रेडियो एकांकी 'ममता का विप' प्रभाकर जी का प्रसिद्ध रेडियो एकांकी है और इसकी संपूर्ण परिकल्पना देखने वालों के लिए नहीं, सुनने वालों के लिए है। तानपूरा के संगीत से प्रभाव को गहरा किया गया है, सिमार आदि की बोलियों और घंटे की गूँज से वातावरण को सजीवता प्रदान की गयी है।

मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रायः प्रभाकर जी के सभी नाटकों की विशेषता है। इस एकांकी के माध्यम से भी लेखक ने मानव मनोविज्ञान के जटिल पक्ष को प्रस्तुत किया है। माँ के चौदह बेटों में से केवल उसके पास

रह गया है एक। कुछ तो बचपन में राम ने बुला लिए, कुछ बड़े होकर वम-पार्टी में चले गये, दो समुद्र पार विदेश चले गये। केवल एक सुशील रह गया है, जो कालेज का छात्र है और अवकाश में घर आया हुआ है। माँ की इच्छा है सुशील उसकी आँखों के आगे रहे। सुशील का भविष्य और माँ की भमता का द्वन्द्व नाटक के पीछे नेपथ्य में चलते हैं। माँ का अमृत, जहाँ मौत के मुँह में से भी बच्चे को खींच लाता है, वही वह जहर बनकर उसका सर्वनाश भी कर सकता है। नाटक में डाक्टर का यह वाक्य—“वह उसे अपना समझती है—केवल अपना। यही स्वार्थ है, यही ममता का विष है”—नाटक के उद्देश्य को बहुत अधिक स्पष्ट कर देता है जिससे कलात्मकता की हानि हुई है। लेकिन नाटक का कथासंगठन बहुत ही सशक्त है और श्रव्य शिल्प की दृष्टि से यह एक बहुत सफल नाटक है।

ममता का विष

मद=धीमी । सृजन=निर्माण । देसावर=विदेश, परदेश ।
 मित्रते=मनोतिर्या । दूभर=मुश्किल । नारमल=साधारण, ठीक ।
 अतराल=दूर । चिलमची=देग के आकार का एक बर्तन ।

प्रश्न .—

- १ 'ममता का विष' रेडियो एकाकी की शिल्पगत विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में कीजिए ।
- २ 'माँ का अमृत, जहाँ मौत के मुँह में से भी बच्चे को खींच लाता है, वही वह जहर बनकर उसका सर्वनाश भी कर सकता है' उक्ति को 'ममता का विष' रेडियो रूपक के आधार पर स्पष्ट कीजिए ।

डॉ० उमाकांत सिन्हा

डॉ० उमाकांत सिन्हा भारत के विरोध योग्यता प्राप्त मेधावी वैज्ञानिक हैं। आपका अध्ययन-अनुसंधान क्षेत्र आनुवंशिकी तथा सूक्ष्म जैविकी है।

डॉ० सिन्हा पटना विश्वविद्यालय के एम० एस-सी० तथा ग्लासगो विश्वविद्यालय के पी-एच० डी० हैं। पटना विश्वविद्यालय से ही आपने अध्यापक का जीवन प्रारंभ किया और आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय से सबद्ध हैं। अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर डॉ० सिन्हा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनेक बार ग्लासगो तथा इटली आदि की यात्रा कर चुके हैं। देश-विदेश की ख्याति-प्राप्त पत्रिकाओं में आपके लगभग २५ लेख प्रकाशित हो चुके हैं। सप्रति, आप विज्ञान की प्रसिद्ध पत्रिका 'बोटेनिका' के प्रधान संपादक हैं।

प्रस्तुत लेख 'परमाणु युग का अभिशाप रेडियोधर्मी प्रदूषण' 'विज्ञान प्रगति' पत्रिका के स्वास्थ्य सकट विशेषांक से लिया गया है। इस लेख में डॉ० सिन्हा ने परमाणु विस्फोट के फलस्वरूप वायुमंडल में व्याप्त रेडियोधर्मिता का जीवों और प्रकृति पर कितना हानिकर प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करने का प्रयास किया है। क्या कोई भी वैज्ञानिक सन् १९४५ में हिरोशिमा-नागासाकी पर हुए प्रथम परमाणु बम विस्फोट के उन दूरगामी एवं दीर्घकालिक परिणामों की कल्पना कर सका होगा? निश्चय ही नहीं। रेडियोधर्मी प्रदूषण दैहिक व आनुवंशिक कुप्रभाव तो डालता ही है, लेकिन यदि मानव इसका सदुपयोग करे तो कृषि, चिकित्सा एवं उद्योगों के क्षेत्र में अमूल्य उपलब्धियाँ कर सकता है। और इस प्रकार परमाणु बमों द्वारा हुई हानि कोई अथ नहीं रखेगी। लेकिन वर्तमान समय में विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र अपनी शक्ति के प्रदर्शन एवं स्वार्थ सिद्धि के कारण परमाणु बमों का निरंतर परीक्षण कर मानव-जीवन को अधिक कष्टकर एवं रोगपूर्ण बना रहे हैं। उस दिन की प्रतीक्षा है जब रेडियोधर्मिता मानव के सुख की साधक बनेगी और एक बेहतर दुनिया निर्मित होगी।

परमाणु युग का अभिशाप रेडियोधर्मी प्रदूषण

नेस्तनावूद = नष्ट-ध्रष्ट। अयनकारी विकिरण = ऐसे विकिरण जो परमाणु (पदार्थों) को धन तथा ऋण अयनों में विभक्त कर दें। विकिरण = इस क्रिया के अंतर्गत एक तत्त्व द्वारा एक निश्चित प्रकार के

कणों का उत्सर्जन होता है। क्रोमोसोम = कोशिका जो कि प्रत्येक जीवित पदार्थ का एक आवश्यकीय भाग है उसके भीतर एक गोल रचना केंद्रक होता है। केंद्रक के चार भाग होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख क्रोमोसोम होते हैं। साधारणतया ये दिखलायी नहीं पडते, क्योंकि ये जाल के सदृश एक रचना बनाते हैं। लेकिन कोशिका के विभाजन के समय यह जाल टूट जाता है और धागे एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं, इन्हीं धागों को क्रोमोसोम कहते हैं। ये धागे पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। जीन = क्रोमोसोम में अनेक जीन पाये जाते हैं जो उसमें एक पक्वतबद्ध क्रम में होते हैं। पैतृक गुण वास्तव में जीन के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। साधारणतया ये स्थायी होते हैं लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में परिवर्तित भी हो जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से जीन मुख्यतः डी० एन० ए० नामक पदार्थ के बने होते हैं। उत्परिवर्तन = साधारणतया जीन स्थायी होते हैं लेकिन किन्हीं प्राकृतिक एवं कृत्रिम कारणों से उनमें जो परिवर्तन होता है वही उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन से उत्पन्न विभिन्नताएँ वंशगत होती हैं। एक्स-किरण = वे किरणें हैं जिनकी तरंग-दीर्घता मानव के मांस को तो भेद जाती है, लेकिन हड्डियों को नहीं। न्यूट्रान = यह कण परमाणु की नाभि में पाया जाता है। यह आवेश रहित तथा इसकी सहती प्रोटोन की सहती के बराबर होती है। प्रोटोन पर घनात्मक आवेश होता है। अल्फा = इस कण में दो प्रोटोन, दो न्यूट्रान होते हैं तथा ये घन-आवेशित होते हैं। बीटा = इसके कण ऋणात्मक आवेश के होते हैं जिन्हे इलेक्ट्रान कहते हैं। गामा = इन किरणों की अवभेदन क्षमता एक्स-किरणों से अधिक होती है तथा इनमें किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। समस्थानिक = ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, लेकिन परमाणु भार अलग-अलग हो। नाभि में उपस्थित प्रोटोन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। प्रोटोन और न्यूट्रान की कुल संख्या परमाणु भार को प्रदर्शित करती है। संयारा = सूर्य की परिभ्रमा करने वाला तारा।

प्रश्न :—

१. रेडियोधर्मी प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकर होते हैं,

सक्षेप में समझाइए ।

२. रेडियोधर्मी प्रद्रूपण से आप क्या समझते हैं ? इसे रोकने के लिए आप कौन-कौन से उपाय सुझायेंगे ?
३. रेडियोधर्मी तत्त्व मानव जीवन को सुखी बनाने में किस प्रकार सहायक हैं, स्पष्ट कीजिए ।

एन० कैसर

श्री एन० कैसर ने वैज्ञानिक विषयो पर अनेक लेख लिखे हैं जो समय-समय पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। प्रस्तुत लेख उनकी स्पष्ट तथा रोचक लेखन शैली का ज्वलत उदाहरण है।

ब्रह्मांड में जीवन की खोज

ब्रह्मांड=आकाश मंडल । सौर मंडल=सूर्य से सबधित चक्र । ग्रह=सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं । तारे=जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं । बृहदत्ता=महानता । परिभ्रमण=घूमना । आविर्भाव=उत्पत्ति । खगोलवेत्ता=वह ज्योतिषी जिसे आकाश के नक्षत्रों और ग्रहों का ज्ञान प्राप्त हो । आर्द्रता=नमी, गीलापन । ध्रुव=भूगोल विद्या में पृथ्वी के दोनों सिरे जहाँ समस्त देशांतर रेखाएँ केंद्रित होती हैं । तारीकी=काला, धुंधला, अंधेरा ।

प्रश्न —

१. किसी भी ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए किन-किन परिस्थितियों का होना अनिवार्य है, अपने पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए ।
२. मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना के बारे में लेखक का क्या अभिमत है, संक्षेप में बतलाइए ।
३. ब्रह्मांड में स्थित ग्रह और तारों के संघर्ष में खोज हुई है, निबंध के आधार पर संक्षेप में प्रकाश डालिए ।

४. क्या ब्रह्मांड में जीवन का अस्तित्व हो सकता है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए।

श्रीमन्नारायण

जन्म • १९१२ ई०

श्री श्रीमन्नारायण भारतीय स्वतंत्रता-सघर्ष के प्रसिद्ध सेनानी और देश के प्रमुख गांधीवादी चिंतक मनीषी हैं। आपने दीर्घ समय तक विभिन्न पदों—महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वरिष्ठ सदस्य योजना आयोग, राजदूत नेपाल—पर रहकर निष्ठापूर्वक देश की अमूल्य सेवा की है। कुछ दिन पूर्व आप गुजरात के राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। भारत के तीन राष्ट्रनेताओं—महात्मा गांधी, पण्डित नेहरू, आचार्य विनोबा भावे—से आपका निकट संबंध रहा है जिसकी छाप आपके कृतित्व पर स्पष्ट है। सन् १९४४ में आपने 'गांधीवादी योजना' का मसौदा तैयार किया था।

श्रीमन्नारायण जी ने न केवल भारत की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर ही अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं, वरन् अनेक रोचक यात्रा-वृत्तान्त, सस्मरण एवं प्रेरणात्मक प्रसंगों को भी शब्दबद्ध किया है। आपका 'बिन मंगे मोती मिले' संग्रह ललित निबन्धों की विधा में महत्वपूर्ण योगदान है। आपकी मान्यता है कि समाज में व्याप्त बुराइयों का मूल विश्व में तेजी से फैल रहा भौतिकता का वातावरण है। अतः सतुलित समाज-व्यवस्था के प्रादुर्भाव के लिए यह अनिवार्य है कि आर्थिक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास का भी प्रयास किया जाये।

'वर्तमान युग और गांधीवादी आर्थिक विचारधारा' लेख में लेखक ने सोदाहरण गांधीजी की आर्थिक विचारधारा को वर्तमान युग के सदर्भ में विश्लेषित किया है। लेखक की स्थापना है कि 'देश की विभिन्न समस्याओं के प्रति गांधीजी का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक, मुक्तिमुक्त और व्यावहारिक था।' देश और विदेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और चिंतक अब यह तीव्रता से अनुभव करने लगे हैं कि गांधीजी द्वारा विभिन्न आर्थिक समस्याओं के जो समाधान सुझाये गये थे वे कभी पुराने

नही हुए। वस्तुस्थिति तो यह है कि 'न केवल अपने बल्कि विश्व के समस्त देशों में आर्थिक विचारधारा, आयोजन और कार्य के क्षेत्र में गांधीजी अब भी एक जबदंस्त चुनौती प्रस्तुत करते हैं।' अतः गांधी जी भविष्य के हैं, भूत के नहीं। और उनके द्वारा दिया गया संदेश शाश्वत है।

वर्तमान युग और गांधीवादी आर्थिक विचारधारा

शाश्वत = हमेशा रहने वाला। निःस्पृह = कामना रहित।
 धाश्वस्त = निश्चित। समायोजन = प्रबंध, एकत्र करना। नवीकरण
 = नवीनीकरण। विकेंद्रीकरण = किसी केंद्रीभूत व्यवसाय या सत्ता का
 भिन्न-भिन्न भागों में विभाजित होना। सदाशयता = जिसका भाव उदार
 हो। आत्मसात् = अपने में लीन कर लेना, अपना बना लेना। सहिष्णुता
 = सहनशीलता।

प्रश्न :—

१. "प्रायः ऐसा कहा जाता है कि गांधीजी आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के फलों के प्रति निःस्पृह थे। किंतु यह विचार भ्रम धारणा पर आधारित है।" श्रीमन्नारायण के उपर्युक्त कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
२. पूर्ण एवं उपयोगी रोजगार की प्राप्ति हेतु महात्मा गांधी ने क्या कार्यक्रम प्रस्तुत किया? स्पष्ट कीजिए।
३. "महात्मा गांधी के विचार दकियानूसी एवं अब्यावहारिक न होकर आधुनिक समय की चुनौती के सर्वथा अनुरूप थे।" क्या आप उपर्युक्त कथन से सहमत हैं?
४. "गांधीजी भविष्य के हैं, भूत के नहीं।" इस उक्ति को पठित निबंध के आधार पर स्पष्ट कीजिए।

डॉ० के० एन० राज

डॉ० के० एन० राज की गणना देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों में होती है।

विचार अभिव्यक्त किये हैं, उनको अपनी भाषा में लिखिए।

२. निम्नतम निर्वाह-स्तर के सबध में अर्थशास्त्रियों की आम धारणा क्या है और डॉ० राज का सोचने का तरीका उससे किस अर्थ में भिन्न है ?
३. अर्द्ध-पोषण और बेरोजगारी तथा अर्द्ध-रोजगार की समस्याओं के समाधान के लिए डॉ० राज ने क्या सुझाव दिये हैं ? स्पष्ट कीजिए।

श्यामसुंदर दास

जन्म १८७५ ई०

स्वर्गवास . १९४५ ई०

श्यामसुंदर दास की गणना इस युग के हिंदी भाषा के प्रमुख उन्नायकों में की जाती है। उनकी साहित्य-सेवा का सर्वोत्तम प्रतीक उनके द्वारा स्थापित 'नागरी प्रचारिणी सभा' है, जो विभिन्न रूपों में हिंदी का प्रचार तथा उसे समृद्ध बनाने का कार्य कर रही है।

सर्वप्रथम हिंदी में गभीर विषय को लेकर आपने ही ग्रंथों की रचना की। उनके द्वारा प्रणीत एवं संपादित ग्रंथों की संख्या सत्तर से भी अधिक है। इनमें से मौलिक ग्रंथ लगभग सत्रह हैं जिनमें से मुख्य-मुख्य ये हैं साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य और भाषा रहस्य।

श्यामसुंदर दास की गद्य शैली सुबोध एवं सरल है। उसमें अध्यापक का रूप अधिक मुखर एवं प्रधान है तथा विषय-प्रतिपादन की पूर्ण क्षमता विद्यमान है। उनकी भाषा पुष्ट एवं प्राज्ञ है। तत्सम शब्दों की अधिकता होते हुए भी दुरुह नहीं है। निबन्धकार की दृष्टि से उनकी शैली विचार-प्रधान ही है, व्यक्तित्व-प्रधान नहीं। उनके निबन्धों की प्रमुख विशेषता है उनका सम-व्यात्मक दृष्टिकोण तथा उनकी बोधगम्यता। निबन्धों में विस्तार है, गहराई नहीं। उनमें विषय-वस्तु का स्थूल रूप ही प्रतिपादित हुआ है, सूक्ष्म विश्लेषणात्मक चिंतन अथवा जागरूक कल्पना का अभाव ही है।

प्रस्तुत संग्रह में संकलित हिंदी साहित्य और उसका वैशिष्ट्य उनके 'हिंदी-साहित्य' की प्रस्तावना है। यह लेख उनकी गद्य शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस लेख में उन्होंने भारतीय साहित्य एवं इतिहास की भूमिका में हिंदी साहित्य की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराया है। इस निबंध में विचारों की प्रौढ़ता, चिंतन की गहनता एवं मनन की गभीरता है।

हिंदी-साहित्य और उसका वैशिष्ट्य

आश्रम चतुष्टय = भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार जीवन के चार सोपान माने गए हैं। उन्हें आश्रम कहते हैं। आश्रम चार हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अयान्य कलाओं = और और कलाएँ जैसे—चित्रकला, स्थापत्य आदि। विजातीय = अन्य जाति वालों का। अक्षुण्ण = अटूट। सारनाथ = वाराणसी के पास एक स्थान जो बौद्ध भग्नावशेषों के लिए विख्यात है। निहित = छिपा हुआ। अस्थिरपिंडर = हड्डियों का ढाँचा, कब्र। आदर्शात्मक साम्य = नमूने की बराबरी, ऊँची समता। जिज्ञासा = जानने की इच्छा। ऐश्वर्यवाद = ईश्वर एक है, इसको मानने वाला दार्शनिक सिद्धांत। ब्रह्मवाद = ब्रह्म ही एकमात्र सत्य तत्त्व है वह अद्वितीय है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है यह सिद्धांत ब्रह्मवाद है। अवतारवाद = भगवान् भक्तों के कल्याण के लिए रूपविशेष में प्रकट होता है इस विश्वास को मानकर चलने वाला सिद्धांत अवतारवाद है। बहुदेववाद = अनेक देवताओं की सत्ता में विश्वास करने वाला सिद्धांत। अतिशयता = प्रचुरता। ऋचाओं = ऋग्वेद के मंत्रों। भावा = अलौकिक या अप्रत्यक्ष (संसार की नहीं, प्रत्युत अर्थलोक की) परोक्ष भावनाओं। जलाबूत = जल से घिरे। निसर्ग सिद्ध = प्रकृति से प्राप्त। पूत = पवित्र। ऐहिक = लौकिक सासारिक। सश्लिष्ट = मिला-जुला। अभिव्यंजन = प्रकट करना।

प्रश्न —

- 1 क्या हिंदी-साहित्य को जातीय साहित्य कहा जा सकता है? स्पष्ट करते हुए हिंदी-साहित्य की देगगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

२. हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन प्रस्तुत पाठ के आधार पर कीजिए।

डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु

जन्म १८ जनवरी, १९०८

डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु हिंदी-साहित्य के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार हैं। इन्होंने काफी असें तक बिहार विधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए बहुत कुछ किया है। सप्रति डॉ० सुधांशु बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष के रूप में हिंदी-साहित्य और भाषा के संवर्द्धन में सलग्न हैं।

श्री सुधांशु की अब तक अनेक मौलिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं—‘भारती प्रेम’ (उपन्यास), ‘गुलाब की कलियाँ’, ‘रस रंग’ (कहानियाँ), ‘वियोग’ (निबंध), ‘काव्य में अभिव्यजनावाद’, ‘जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धांत’ (आलोचना), ‘साहित्यिक निबंध’, ‘संपर्क भाषा हिंदी’ (आलोचनात्मक निबंध), तथा ‘व्यक्तित्व की शक्तियाँ’।

‘राष्ट्रभाषा हिंदी और राष्ट्रीय एकता’ लेख सुधांशु जी की कृति ‘साहित्यिक निबंध’ से लिया गया है। इस निबंध में लेखक की मान्यता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जा सकता है। आज भी जब कुछ अंग्रेजी-परस्त लोग हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी की घकालत करते हैं (क्योंकि हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने पर उन्हें राष्ट्रीय एकता की क्षति की आशंका है) तो उनकी दृष्टि में प्रशासन विषयक व्यवस्था अथवा सुविधा ही मुख्य है, राष्ट्रीय एकता नहीं। क्योंकि देश में भावात्मक एकता को मजबूत बनाने में भाषा के प्रबल प्रभाव से कौन इंकार कर सकता है।

हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों हो ?’ इस प्रश्न पर विचार करते हुए लेखक ने अन्य राष्ट्रभाषाओं की इस पद के लिए योग्यता पर सतर्क होकर धुले से विचार किया है। लेकिन जिस आधार पर कोई भी भाषा राष्ट्र-

भाषा का दर्जा पा सकती है, हिंदी को छोड़कर कोई दूसरी भाषा उसकी शर्तें पूरी नहीं करती।

राष्ट्रभाषा हिंदी और राष्ट्रीय एकता

बहुभाषी = अनेक भाषाओं वाला। प्रशासनिक = प्रशासन से संबंधित। कलात्मक = सुंदर। दार्शनिक भंगिमा = दर्शन संबंधी विचार। सम्यक् = उचित, सही। यथेष्ट = पर्याप्त। व्यवधान = रुकावट। प्राकृत = भारत की प्राचीन भाषाओं में से कोई जिसका प्रयोग संस्कृत नाटकों आदि में स्त्रियों, सेवकों और साधारण व्यक्तियों की बोलचाल में दिखायी देता है। अपभ्रंश = प्राकृत भाषाओं का वह परवर्ती रूप जिससे भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास माना जाता है। तादात्म्य = मेल। आबद्ध = बंधा हुआ।

प्रश्न :—

१. "यदि भारतीय भाषाओं में से ही किसी को राष्ट्रभाषा का पद दिया जा सकता है, तो हिंदी को छोड़कर कोई दूसरी भाषा उसकी शर्तें पूरी नहीं करती।" लेखक के प्रस्तुत निष्कर्ष का युक्तियुक्त उत्तर दीजिए।
२. राष्ट्रीय एकता में राष्ट्रभाषा हिंदी के योग को स्पष्ट कीजिए।
३. राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? भाषा राष्ट्रीय एकता के लिए एक अनिवार्य एवं सुदृढ़ आधार है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

आलोचना-पुस्तकें परिवार

आज के विद्यार्थी केवल केवल निर्माता है, इसलिए उन्हें ऐसा स्वस्थ साहित्य पढ़ने को मिलना चाहिए, जो उनके भीतर मानवीय गुणों का विकास करने वाला हो। आलोचना पुस्तक परिवार का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए ऐसी ही पुस्तकें सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना है। इसके लिए हमने अच्छी पुस्तकों के असक्षिप्त पेपरबैंक संस्करण इस योजना के अन्तर्गत निकाले हैं। इसमें सब सुविधाओं को मिलाकर सदस्यों के लिए पुस्तक का मूल्य उसके सजिल्द संस्करण की तुलना में आधे से भी कम रह जाता है।

सदस्यता के नियम—

- आलोचना पुस्तक परिवार के सदस्य केवल व्यक्तिगत पाठक ही बन सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं, पुस्तकालयों और पुस्तक-विक्रेताओं के लिए यह योजना नहीं है।
- सदस्यता-शुल्क मात्र रु० ३०० है, जिसे पहले आदेश की पुस्तकों के मूल्य के साथ जोड़कर भेजा जा सकता है।
- आदेश की पुस्तकें घी० पी० पी० से भेजी जाया करेंगी।
- राजकमल की पुस्तकों के लिए कोई अग्रिम नहीं भजना होगा, लेकिन बाहरी प्रकाशनों के लिए आदेश की आधी रकम अग्रिम भेजनी होगी।
- इस योजना के अन्तर्गत पाठ्य-पुस्तकें नहीं भेजी जायेंगी।

सम्पर्क के लिए लिखें :

आलोचना पुस्तक परिवार विभाग,
राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड,
- नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली-६

